खण्ड–32, अंक–05
मंगलवार, 10 कार्तिक, शक संवत्, 1933
(01 नवम्बर, 2012 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

—: D :—

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2011)

(खण्ड 32 में 05 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

01–11–2011

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति..	'क'
प्रश्नोत्तर..	2–44
सदन के बाहर नीतिगत विषयों पर घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न......	45–48
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाए.............................	49
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना से सम्बन्धित कर्मचारियो को संविदा पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..............................	49
जनपद पौढ़ी के ग्राम उरेगी, पट्टी पैडुलस्यू मे जंगल की आग बुझाने में मृतक गोदाम्बरी देवी के परिवार को मुआवजा व मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..............................	49–50
प्रदेश के पुलिस विभाग में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक एव निरीक्षकों के पदों के वेतनमान एवं ग्रेड पे दिल्ली पुलिस, उ0 प्र0 पुलिस तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के समान किये जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना........................	50
पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्पष्ट स्टोन क्रेशर नीति घोषित किये जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना........................	50–51
प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयो, राजकीय विभागो के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पद पर पुनरीक्षित वेतन की संरचना के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना........................	51
जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के फागामजरी से हबीबपुर निवादा मार्ग में छूटे 800 मीटर (मिस लिंक) मार्ग को बनाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना........................	51
जनपद टिहरी मे दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त बूढ़ाकेदार तोली व कोट–घण्डियाल सौड–तिलुणी मोटर मार्ग की मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना........................	51–52
जनपद पिथौरागढ़ के ब्लॉक व तहसील गगोलीहाट के ग्राम नागधूणा के प्राचीन कालसिन मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना........................	52
जनपद पिथौरागढ अन्तर्गत गंगोलीहाट–पम्याधार–चौरपाल मोटर मार्ग के शेष भाग का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना........................	52

नियम–300 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग...	52–55
जनपद उत्तरकाशी के ग्राम साडा, सिरोर, नेताला, सिल्याण, न्यू डिडसारी, कमार्क आदि भूस्खलन प्रभावित ग्रामों को पुनर्वासित किये जाने विषयक याचिका (उपस्थापित)..	56
जनपद उत्तरकाशी में सिलकुरा मनेरी ग्राम ओंगी से ग्राम मजगॉव होते हुए ग्राम जखोल तक लगभग 12 कि0मी0 मोटर मार्ग स्वीकृत करने विषयक याचिका (उपस्थापित)..........................	56
जनपद उत्तरकाशी में सिलपटी से सिल्ला, पिलंग, जौडाव तक मोटर मार्ग निर्माण करने विषयक याचिका (उपस्थापित)................	56
सदन मे वाद–विवाद की घटना पर श्री प्रीतम सिंह के विचार तथा संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य..	56–59
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–66 के अन्तर्गत पूर्व मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना..	59–66
श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधानसभा के साथ घटित घटना के सम्बन्ध मे..	67–77
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)..................................	77–79
नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)..	79–80
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं..	80–89
उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011...........(पारित)....................	99–263
प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 ....(पारित)..	263–314
श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम–1939 यथा संशोधित की धारा–5 की उपधारा–1 के प्रस्तर–ख मे निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तीन सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत).....................	314
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं..	314
नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, नेता सदन तथा श्री अध्यक्ष ने सदन में उपस्थित सदस्यों व कर्मचारियों का आभार प्रकट किया..	314–329
सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)...	329

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डेय
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री केदार सिंह रावत
10. श्री केदार सिंह फोनिया
11. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
12. श्री खजान दास
13. श्री खड़क सिंह बोहरा
14. श्री गगन सिंह
15. श्री गणेश जोशी
16. श्री गोपाल सिंह
17. श्री गोपाल सिंह रावत
18. श्री गोविन्द लाल
19. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21. श्री चन्दन राम दास
22. श्री जोगा राम टम्टा
23. श्री जोत सिंह गुनसोला
24. हाजी तस्लीम अहमद
25. श्री तिलक राज बेहड़
26. श्री दिनेश अग्रवाल
27. श्री दिवाकर भट्ट
28. श्री दिवान सिंह
29. श्री नारायण पाल
30. काजी मो० निजामुद्दीन
31. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32. श्री प्रकाश पन्त
33. श्री प्रीतम सिंह
34. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35. श्री प्रेमानन्द महाजन
36. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37. श्री बलवीर सिंह नेगी
38. श्री बिशन सिंह चुफाल
39. श्री बंशीधर भगत
40. श्री बृज मोहन कोटवाल
41. श्री शेर सिंह
42. मे०जन० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी,ए०वी०एस०एम०
43. श्री मदन कौशिक
44. श्री मनोज तिवारी
45. श्री मयूख सिंह
46. श्री महेन्द्र सिंह कण्डारी "मट्टू भाई"
47. श्री मातबर सिंह कण्डारी
48. श्री कुलदीप कुमार
49. श्री यशपाल आर्य
50. श्री यशपाल बेनाम
51. चौ० यशवीर सिंह
52. श्री रणजीत रावत
53. श्री राजकुमार
54. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
55. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
56. श्रीमती विजया बड़थ्वाल
57. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
58. श्रीमती वीना महराना
59. श्री शहजाद
60. श्री हरबन्स कपूर
61. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
62. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
63. श्री सुरेन्द्र राकेश
64. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
65. डा० हरक सिंह रावत
66. श्री हरभजन सिंह चीमा
67. श्री हरिदास

मंगलवार, दिनांक 01 नवम्बर, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हरबंश कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित प्रश्न

वि0 स0 क्षेत्र नरेन्द्र नगर अन्तर्गत एक शिक्षक/शिक्षा मित्र द्वारा संचालित विद्यालय तथा सरकार द्वारा कार्यवाही

**1. श्री ओम गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कुल ऐसे कितने विद्यालय हैं, जो एक ही शिक्षक/शिक्षा मित्र द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ?

क्या जू0हा0 स्कूल पाली में एक ही शिक्षक नियुक्त है, जिसके फलस्वरूप जनगणना में शिक्षक को विवश होकर स्कूल बन्द करना पड़ता है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार इस दिशा में जॉच कर कोई कारगर कदम उठायेगी ?

विद्यालयी शिक्षा, बाढ़ नियन्त्रण एवं सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर में कुल 40 विद्यालय एक ही शिक्षक/शिक्षा मित्र द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

जी हॉ परन्तु यदि शिक्षक अवकाश या अन्य किसी कारण विद्यालय नहीं आते तो स्थानीय स्तर पर निकटस्थ विद्यालय से अन्य अध्यापक की व्यवस्था कर विद्यालय संचालित किया जाता है।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर के पत्रांक संख्या 3579/व्यवस्था/2011–12, दिनांक 23.09.2011 के द्वारा जू0हा0 स्कूल पाली में एक अन्य अध्यापक की तैनाती हेतु आदेश जारी किया जा चुका है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरी विधान सभा के अन्तर्गत आपने अपने उत्तर में दिया है कि 40 विद्यालय एक ही शिक्षक व शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहे है, लेकिन इसमें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये 40 विद्यालय वो वाले हैं, जहॉ एक शिक्षक भी है और जहॉ एक शिक्षा मित्र भी है, जबकि मैं कई

विद्यालयों में निरीक्षण करके आया हूँ, जहाँ एक ही शिक्षा मित्र के भरोसे विद्यालय चल रहे थे और शिक्षा मित्र भी ट्रेनिंग में गये हुए हैं, तो वे विद्यालय एक दम बंदी की कगार पर हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जहाँ पर शिक्षा मित्रों के भरोसे से विद्यालय चल रहे हैं, क्या आप वहाँ पर विद्यालयों मे शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे ? मैं एक नाम ले रहा हूँ जो कि भरपूर पट्टी का गाँव स्कूल है, वहाँ पर एक टीचर पंत जी हैं और उस टीचर की ड्यूटी आपने किसी और काम मे लगा रखी है, तो वे महीने मे 2 या 3 दिन ही प्राईमरी विद्यालय में जा पाते हैं। कई बार इसकी जानकारी वहाँ के डी0ई0ओ0, बी0ई0ओ0 को दी और मैंने बताया कि वहाँ पर परमानेण्ट एक शिक्षक की व्यवस्था करें तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की और कहा कि हमारे पास शिक्षक नहीं हैं। आपने 40 विद्यालयों के बारे में बताया, पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या आप गाँव मे एक शिक्षक की व्यवस्था करेंगे ? क्योंकि गाँव की स्थिति बहुत खराब है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने कुछ जिज्ञासा प्रकट की, चिन्ता प्रकट की, चिन्ता जो प्रकट की, मैं आभारी हूँ और माननीय विधायक जी ने कहा कि अध्यापक और शिक्षा मित्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गाड में शिक्षा मित्र हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भदने मे शिक्षा मित्र हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मरोड़ा गाड में शिक्षा मित्र हैं और राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जख्योड़ो गोड़ियाला में शिक्षा मित्र हैं और बाकी में अध्यापक हैं। मान्यवर, जहाँ तक आपने कहा कि एक विद्यालय मे अध्यापक नहीं है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अभी हमने बी0टी0सी0 मे जो 1267 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, हमने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में वे 3 महीने का प्रयोगात्मक कार्य करेंगे विद्यालयों मे और ऐसे दूरस्थ विद्यालयों मे भेजने का निर्णय हमने लिया है। दूसरा शिक्षा मित्र बैच फर्स्ट और सेकेण्ड ईयर के जो परीक्षार्थी हैं, प्रशिक्षणरत हैं, उनको दूरस्थ क्षेत्र मे जहाँ पर विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, उनको भेजने का प्रयास किया और हमने एक निर्णय और लिया है कि पत्राचार बी0टी0सी0 जिन्होंने कर रखा है, उनको भी प्राईमरी पाठशाला में भेज रहे है, जहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र में अध्यापक नहीं है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि अधिकांश कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एकल विद्यालय हैं और हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर कम से कम 2 अध्यापक तो होने ही चाहिए, यह व्यवस्था हम यथाशीघ्र करने जा रहे हैं और माननीय विधायक जी ने जो बात कही है, मैं उस विद्यालय में अध्यापक तत्काल भिजवा दूँगा। (मा0 सदस्य श्री ओम गोपाल के कुछ कहने पर) मान्यवर, अभी–अभी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अभी माननीय सदस्य ने एक बिन्दु उठाया था कि जो एकल शिक्षक विद्यालय हैं और शिक्षक की ड्यूटी शिक्षण के अतिरिक्त कहीं और लगा दी गयी है तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था होगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी पीठ से कोई निर्देश हो जाना चाहिए, जैसे प्राइमरी अध्यापक का जनगणना में, पशु गणना में और चुनाव में उनकी ड्यूटी लगायी जाती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपकी पीठ से एक निर्देश होना चाहिए। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आप सरकार हैं और आप पीठ से निर्देश माँग रहे हैं।

(राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन जी, अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप तो सुप्रीम बॉडी हैं। (कई माननीय विधायकों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इनको अपने आप पर यकीन नही है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्न का जवाब आ गया है। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करे। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। कैसे निकाल दें ? (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप खुद ही सोचियेे, यह तो सरकार का मजाक बनाया जा रहा है। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए और आप अपना विनिश्चय दे दे। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण कर लूँगा। कृपया स्थान ग्रहण करे।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, परीक्षण क्या कराना है, इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (कई माननीय सदस्यो एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, सरकार की तरफ से पीठ से निर्देश माँगा गया है। आप इस पर अपना विनिश्चय दे दें। (कई माननीय सदस्यो एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जब आपकी सरकार थी, तब भी ऐसा होता था, अव्यवस्था आपकी तरफ से की गयी है, इसके लिए आप उत्तरदायी है। (कई माननीय सदस्यो एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इन्हे यह भी पता नहीं है कि ये मंत्री हैं। आप इन्हें कम से कम यह बतायें कि आप मंत्री हैं, आप सरकार है। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपकी सरकार कुछ नहीं कर सकी। आपके मंत्री कुछ नहीं कर सके। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप पाँच साल से एक मास्टर के अलावा दूसरा मास्टर नहीं दे पाये। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करे।

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने ऐसा कोई विषय नही कहा है, माननीय मंत्री जी ने तो केवल यह कहा कि जनगणना का जिक्र किया है, यह तो व्यवस्था करने वाला विषय है। (कई माननीय सदस्यो एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, सरकार कह दे कि हमारे बस की बात नही है। हमने आप पर छोड दिया है। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, राष्ट्रीय कार्यक्रमों से मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में बात कही गयी है। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, हकीकत यह है कि इनके समय से, ये जनगणना में, पशुगणना मे, चुनावों में अध्यापको को लगाते रहे और यह अव्यवस्था अभी तक चल रही है। (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, आप हटा दीजिए। आप हटाते क्यों नहीं हैं। पॉच साल तक आप केवल ताली बजाते रहे। (कई माननीय सदस्यो एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करे।

(राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन जी अपने—अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री ओम गोपाल—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह बहुत सही दिया है और आपकी पीठ से वाकई निर्देश होना चाहिए सरकार को कि प्राईमरी स्कूल के जो शिक्षक है, उनकी ड्यूटी अन्य किसी कार्यों में न लगायी जाय। मान्यवर, मंत्री जी की बहुत सारी समस्याए हो सकती है, लेकिन पीठ की समस्या नहीं हो सकती है। मान्यवर, आपकी पीठ से वास्तव में आज सरकार को निर्देश जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने गाँव का जो जिक्र किया था, वाकई में वहाँ शिक्षक महीने में मात्र दो दिन स्कूल को दे पाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिए।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन शिक्षकों की जो अन्य कामों में ड्यूटी लगाई जाती है, क्या उसमें कटौती करेंगे ? इन शिक्षकों का दायित्व सिर्फ पढ़ाई कराना होना चाहिए। मान्यवर, क्या आप सरकार को यह निर्देशित करने का काम करेंगे ? क्या यह आश्वासन देंगे कि इन शिक्षकों से अन्य काम नहीं लिए जाएंगे ? (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, पीछे से सवाल पूछा जा रहा है। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, 5 साल हो गये ट्रेजरी बेंच के सदस्यों और माननीय मंत्रियों को, आज सदन का आखिरी दिन है। ट्रेजरी बेंच के सदस्यों का यह हाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने कहा कि गाँव में अध्यापक नहीं है, वहाँ पर अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय में नहीं रहता है, इसकी छानबीन कर ली जाएगी। आपके यहाँ हम अध्यापक भेज देंगे। मैंने कहा कि हम व्यवस्था कर चुके हैं और आपसे मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप यह पाएंगे, 4–5 दिन में सभी जगहों पर अध्यापक आ जाएंगे और पठन–पाठन सुचारू रूप से हो जाएगा, जो कि आपकी सरकार कभी नहीं कर सकी। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जिस गॉव का जिक्र हमारे सम्मानित साथी माननीय ओम गोपाल जी ने किया, यह गॉव सौभाग्यशाली है कि विधान सभा में उसका सवाल उठाने का मौका मिल गया और वहाँ व्यवस्था हो गयी। मैं जानना चाहूँगा कि प्रदेश में कितने इस तरह के विद्यालय हैं, जिनमें कि एकल शिक्षक हैं, जो महीने मे 30 दिन में से 20 दिन बन्द रहते हैं और कब तक सरकार वहॉ पर अध्यापकों की व्यवस्था कर देगी ? मान्यवर, दूसरा मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी ने आपको उस कुर्सी तक पहुँचाने का काम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 साल में कई बार मुख्यमंत्री बदला ही है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि एक–आध दिन में हम आपको उपर भी देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने दो सवाल पूछ लिए हैं। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, इसको हँसी मजाक मे मत लीजिए। (व्यवधान) यह सदन है। हमेशा आप हँसी–मजाक में ही रहते हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अच्छा होता, यह आपने मुझे पहले बता दिया होता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, ऐसे शुभचिन्तक कम मिलते हैं, जो व्यक्ति को ऊपर से नीचले उतार देते है। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने पड़ोसी को दो पंक्तियॉ सुनाना चाहता हूँ।

एक ही लक्ष्य है मन मस्तिष्क का कि मैं दीप जलाता जाऊँगा।
हजार बार बुझा दे ऑधी उन्हे हर बार नया चिराग जलाऊँगा।।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप स्वीकार करे तो यह अव्यवस्था कॉग्रेस सरकार के समय से चली आ रही है आज मैं यह कहना चाहता हूँ ....।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप अपना भी कुछ करेंगे या नहीं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जरा सुन लीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मै स्वीकार करता हूँ कि एकल विद्यालय 2971 हैं और इन विद्यालयो मे जैसा मैने कहा प्रथम बार, आपकी सरकार तो नही कर सकी। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप बार–बार आपकी सरकार कह रहे हैं। (व्यवधान) आप क्या करते रहे 5 साल तक ? (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यो एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करे, माननीय मत्री जी की पूरी बात तो आने दीजिये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आप धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुन लीजिये, जो व्यवस्था पॉच साल तक पूर्व सरकार करती रही, उसको भी व्यवस्थित कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप तो पॉच साल में मंत्री ही बदलते रहे, पहले कौशिक जी थे, फिर बिष्ट जी थे, फिर खजान दास जी थे, अब आप हैं। चार–पॉच मंत्री तो यहीं पर बैठे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय किशोर उपाध्याय जी ने जो प्रश्न किया है कि एकल विद्यालय मे आप क्या करने जा रहे हैं, तो मै पहले ही कह चुका हूँ कि नियमित बी0टी0सी0 में जो 1277 प्रशिक्षत् हैं और शिक्षामित्र फस्ट बैच, सेकेण्ड ईयर मे 1278 हैं तथा 822 पत्राचार बी0टी0सी0 वाले हैं, इस प्रकार से 3367 अध्यापकों को हम इन एकल विद्यालयों में, जो दूरस्थ में है, वहॉ पर भेजने जा रहे है, इसका आदेश हो चुका है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी कितने मल्यों पर, कितने अध्यापकों का मानक आपने रखा है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अभी तक जो बातचीत हुई है, उसमे यही कहा गया कि एकल विद्यालयों में कम से कम दो अध्यापकों को नियुक्त किया जायेगा। चूँकि प्रत्येक विद्यालय मे एक से लेकर पाँच कक्षायें होती है, तो आज से कब तक हर एक कक्षा में हर एक अध्यापक, हर एक विषय का होगा। पाँच अध्यापक प्राईमरी विद्यालय मे और जितनी कक्षायें जूनियर हाईस्कूल मे जितने विषय होते है, उतने अध्यापको की व्यवस्था आप कब तक कर देंगे ? जैसे सरकार मिशन 2012 और 2020 की बात करती है तो अध्यापकों की पूर्ण व्यवस्था आप कब तक करेंगे ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, 30 छात्र पर एक अध्यापक के लिये कहा गया है और हम तो यह कहना चाहते है कि जहाँ पर 15 छात्र भी है, वहाँ पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। मैंने तो यह कह दिया है, हालाँकि प्रत्येक विद्यालय म पाँच अध्यापक तो मै नही कह सकता हूँ, मगर जहाँ पर छात्र संख्या कम है, वहाँ पर कम से कम दो अध्यापक तो होने चाहिये, यह व्यवस्था हम करने जा रहे है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि कब तक हर कक्षा मे एक अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी, क्या इसके लिये कोई नीति सरकार बना रही है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, तीन हजार अध्यापको की तैनाती हम करने जा रहे है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, हर एक कक्षा मे हर एक विषय पढाना होता है ....।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी, कृपया स्थान ग्रहण करे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, एक अध्यापक सारे विषय, सारी कक्षाओं में नहीं पढा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी, कृपया स्थान ग्रहण करे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आज ही करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार नीति तो बनाये कि 10 साल, 20 साल में हमारी हर कक्षा को पढ़ाने के लिये एक–एक अध्यापक नियुक्त हो।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा कि हम बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों को इन विद्यालयों में भेज रहे हैं, तो मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण जो अभी चल रहा है, यह कितनी अवधि में पूरा होगा ? जो मेरी जानकारी है, उसके अनुसार यह प्रशिक्षण तीन महीने में समाप्त होगा, जब यह प्रशिक्षण पूरा हो जायेगा, तो उसके बाद क्या व्यवस्था आप करने जा रहे हैं ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि पूरे उत्तराखण्ड में कितने छात्र अध्ययनरत् हैं और 15 छात्रों पर एक अध्यापक की बात आपने कही है, तो कुल कितने अध्यापकों की आवश्यकता राज्य को पड़ने वाली है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, प्रश्न तो विरोधाभासी है, मेरा यह कहना है कि लगभग 15 हजार छात्र हमारे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, जब एकल विद्यालयों की संख्या ही 2021 है तो छात्र 15 हजार कैसे हो सकते हैं, माननीय मंत्री जी यह कैसा उत्तर दे रहे हैं।..........................

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा ये कहना है कि सम्पूर्ण विद्यालयों की छात्रों की संख्या 22 लाख है। (व्यवधान) 22 लाख जो हैं, सारे छात्र–छात्राएं, जो हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी संख्या है। रहा सवाल मान्यवर, आपने यह बोला है कि आप क्या व्यवस्था करेंगे, मेरा यह कहना है कि हम टी0ई0टी0 की परीक्षा कर रहे हैं और 15 नवम्बर तक उसका रिजल्ट निकाल देंगे, ये भी ट्रेनिंग ले लेंगे। मान्यवर, हम हर मोड़ पर जो है, बेसिक पाठशाला है, में अध्यापक देना चाहते हैं। हमारी सरकार इस दिशा में काम करना चाहती है।

तारांकित प्रश्न

देहरादून अन्तर्गत सहस्त्रधारा रोड स्थित आई0टी0 पार्क में उद्योग स्थापित करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उद्योगपतियों को आकर्षित करने हेतु सरकार की योजना।

*1. **श्री प्रीतम सिंह–**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहस्त्रधारा रोड स्थित आई0टी0 पार्क में इकाईयाँ स्थापित करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

क्या सिंगल विन्डो सिस्टम के तहत उद्योपतियों को आकर्षित करने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो कब इसे तक अमल में लाया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री [मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0]–

सहस्त्रधारा रोड स्थित रोड स्थित आई0टी0 पार्क मे अवस्थापना सुविधाओं के विकास के पश्चात् वहाँ पर उद्योगो की स्थापनार्थ और अधिक से अधिक पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु सिडकुल द्वारा समय–समय पर विभिन्न समाचार–पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

वर्ष, 2005 से उद्योग विभाग में सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं अन्तिम शुक्रवार को विभिन्न विभागों की बैठक कर उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि सहस्त्रधारा रोड पर स्थित आई0टी0 पार्क मे कितनी जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गयी है ? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने उद्योगो की स्थापना अब तक हुई है और उसमें कितना पूँजी निवेश हुआ है ?

श्री प्रकाश पन्त –

श्रीमन्, जो आई0टी0 पार्क, देहरादून का है, उसके लिए 67 एकड़ भूमि ली गयी थी, जिसके अन्तर्गत 50 एकड़ भूमि हमारी एलोकेशन लायक है, एलोटेबल है और इसमे हमने अभी तक 14.59 एकड़ मे इण्डस्ट्री स्थापित की है। इसमें कुल जो अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है, वह ₹ 190.90 करोड़ है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने की स्थापना हो चुकी है और कितने की नहीं हो पायी है और उसमे कुल कितना पूँजी निवेश हुआ है ?

श्री प्रकाश पन्त –

मान्यवर, जो कुल प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, उसमें जो स्थापित हो चुके हैं, उसमें जो अण्डर कंस्ट्रक्शन है, श्रीमन्, ऐसे 08 प्रस्ताव हैं और जिन्होंने अभी प्रारम्भ नही किया, ऐसे 16 है और इसके साथ–साथ श्रीमन्, जहाँ तक पूँजी निवेश का विषय आपने पूछा है तो कुल अभी तक ₹ 190.90 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उन प्रस्तावों मे से कितनों की स्थापना हो चुकी है और जिनकी स्थापना हुई है, उनमें कितना पूँजी निवेश हुआ है ?

श्री प्रकाश पन्त –

मान्यवर, पूँजी निवेश तो मैंने बताया न ₹ 190.90 करोड़ और कुल प्रस्तावों की संख्या आपने जानना चाहा है तो 22 प्रस्ताव हमारे पास, जिनको हमने (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, 22 ही प्रस्ताव प्राप्त हुए ?

श्री प्रकाश पन्त –

मान्यवर, जिनको हमने एलॉटमेंट किया (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, एलॉटमेंट नहीं किया। आपने कहा कि व्यापक प्रचार–प्रसार किया, व्यापक प्रचार–प्रसार के बाद कुल कितने प्रस्ताव आये और उस प्रस्ताव के अगेंस्ट जो एलॉट हुए वो अलग बात है, प्रस्ताव कितने प्राप्त हुए।

श्री प्रकाश पन्त –

मान्यवर, जो 22 प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, उनको हमने स्वीकृतियाँ प्रदान की, जिसके तहत 05 ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, 08 अण्डर कंस्ट्रक्शन हैं, 09 ने अभी अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नही किया है।

श्री प्रीतम सिंह–

ये तो ज्यादा मैच रहा ना।

श्री प्रकाश पन्त –

मान्यवर, 08 अभी अण्डर कंस्ट्रक्शन हैं और 09, जिन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया है, 05, जिन्होंने प्रारम्भ कर दिया है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। 22 ही तो हुए थे। इनका जोड़ ही तो होगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इतने उद्योग स्थापित हो गये हैं, उसकी तो सूचना दे दी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो आई0टी0 पार्क का मुख्य भवन है, जो निर्माणाधीन है, वो कब तक पूरा होगा और उसमे किन–किन उद्योगों को आपने आवंटन किये हैं, क्या है उसकी वस्तुस्थिति। मान्यवर, आज भी यह अपूरा है। क्या आप उसकी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आई0टी0 पार्क का मुखौटा ठीक हो जाय ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस सम्पूर्ण क्षेत्र मे जो हमने आई0टी0 पार्क की व्यवस्था सुनिश्चित की थी, उसके तहत जो मुख्य कार्य चिकरित किये, उसमें जहाँ तक आपने मुख्य भवन का विषय कहा हमने लगभग 15 तरह के उसमे विकास के कार्य किये हैं, जिनमे से 05 को छोड़ करके बाकी लगभग सभी विकास कार्य पूर्ण हो चुके है और जो एक प्रकरण इसमें चूँकि आरबिट्रेशन में भी चल रहा है, जो इसके विकास से सम्बन्धित है, उसका अभी आरबिट्रेशन मे निस्तारण होना है, उसके बाद ही उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं मुख्य टॉवर की बात जानना चाह रहा हूँ ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, फ्लेटेड यूनिट का आरबिट्रेशन में प्रकरण चल रहा है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, जो आधी–अधूरी बिल्डिंग है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह मामला आरबिट्रेशन में चल रहा है, जब यह वहाँ से निस्तारित हो जायेगा, तब उसके पश्चात् उस कार्य को करेंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रचार–प्रसार में अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, प्रचार–प्रसार में आपने पूछा है कि इसमे अभी तक कितना धन व्यय हुआ तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक लाख दस हजार की अलग–अलग मदें हैं, श्रीमन्, इसमे कुल 39 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, प्रचार—प्रसार में 39 लाख रुपये खर्च हुए ?

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, 39 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष, 2005 मे उद्योग विभाग में सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं अन्तिम शुक्रवार को विभिन्न विभागो की बैठक कर उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या ये बैठके, जो आई0टी0 पार्क में स्थापित हैं, उनकी है या पूरे उत्तराखण्ड की ? दूसरा यदि ये बैठकें उत्तराखण्ड में हैं, जो उद्योग स्थापित है, उनकी है, तो क्या इनकी बारम्बार मॉनीटरिंग भी होती ह ?

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, इसकी व्यवस्था के तहत अगस्त, 2004 में एकल खिड़की की सुगमता प्रदान के लिए आदेश निकला था, इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदन, स्वीकृतियॉ, अनापत्ति और अनुज्ञा—पत्रों का निस्तारण, आवश्यक सूचना एवं आवदेन—पत्र एक ही स्थान पर निस्तारित किये जायें, इसके सम्बन्ध में व्यवस्था थी। इसके तहत अलग—अलग तरह की जो इकाईयॉ हैं उनका निस्तारण किया जाता है। जहॉ तक आपने प्रथम शुक्रवार और द्वितीय शुक्रवार का विषय कहा इसमें यह किया जाता है कि जितने भी आवेदन—पत्र आयें उनको एक स्थान पर सुना जा सके, अलग—अलग जनपद मुख्यालयों मे जो हमारे उद्योग विभाग के केन्द्र हैं, उनमे इनका निस्तारण किया जाता है।

उत्तराखण्ड में ठेकेदारी प्रथा पर कार्य करने वाले लोगों की संख्या व समय तथा ठेका व्यवस्था समाप्त करने हेतु कानून बनाने पर विचार

***2. श्री कुलदीप कुमार—**

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेगे कि उत्तराखण्ड मे चल रहे उद्योगो मे ठेकेदारी प्रथा पर कितने लोग कार्य कर रहे है तथा ठेकेदारी प्रथा में एक व्यक्ति कितने वर्षों तक कार्य कर सकता है ?

क्या सरकार ठेका व्यवस्था समाप्त करने के लिए कोई कानून बना रही है ?

श्रम मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)—

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न उद्योगो मे संविदाकारों के माध्यम से 1,42,415 संविदा श्रमिक कार्यरत हैं। किसी उद्योग में संविदाकारो के माध्यम से संविदा श्रमिक के कार्य करने की कोई निश्चित सेवावधि नहीं है।

संविदा श्रम विनियमन एवं उत्सादन अधिनियम, 1970 की धारा–10 के अन्तर्गत प्राविधान निहित है।

श्री कुलदीप कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि संविदा श्रम विनियमन एवं उत्सादन अधिनियम, 1970 की धारा–10 के अन्तर्गत ठेका व्यवस्था समाप्त करने के लिए अब तक कुल कितने उद्योगो पर कार्यवाही की गई है और उससे कितने लोगों को स्थाई रोजगार मिला है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक केन्द्रीय एक्ट है, जिसमें अलग से हम कोई अपना प्राविधान नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने केन्द्र सरकार को सुझाव दिये हैं। हमने कुल अभी तक 975 उद्योगों के निरीक्षण किये, जिसमें लेबर कांट्रेक्ट से सम्बन्धित लेबरों के मामले भी थे, इन मामलों को लेबर अधिकारियों द्वारा निस्तारित किया जाता है। यदि कोई विवाद होता है तो मामले लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब नीतिगत निर्णय लिया गया है तो उसके अनुसार कितने उद्योगो में 70 फीसदी स्थानीय संविदा कर्मी हैं और उन 70 फीसदी स्थानीय संविदा कर्मियों में से कितनों को नियमित कियागया है और साथ ही ठेका प्रथा के तहत कितने 70 फीसदी स्थानीय श्रमिक कार्यरत है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो व्यवस्था है, उन संविदा कर्मियों के लिए है, जो मूलतः निर्माण में लगे हुए मजदूर हैं। उनके लिए जो कारखानों और सिक्योरिटी में लगे हुए मजदूर हैं, मूलतः उनके लिए है। उसके अनुसार नैनीताल में पंजीकृत मुख्य सेवायोजकों की संख्या 06, जिसमें लाईसेन्सी संविदाकारों की संख्या 58 और नियोजित संविदा श्रमिको की संख्या 2490, अल्मोड़ा में 01 सेवायोजक, लाईसेन्सी संविदाकार 02 और नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 115, ऊधमसिंह नगर में पंजीकृत सेवायोजकों की संख्या 376, लाईसेन्सी संविदाकारों की संख्या 1210 और नियोजित संविदा श्रमिको की संख्या 40842 है। इस प्रकार कुमाऊँ मण्डल मे 43447 और गढ़वाल मण्डल में हरिद्वार मे पंजीकृत मुख्य सेवायोजकों की संख्या 336, लाईसेन्सी संविदाकरों की संख्या 1231 और नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 71931, देहरादून में पंजीकृत मुख्य सेवायोजकों की संख्या 154, लाईसेन्सी संविदाकरों की संख्या 314, नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 15458, पौड़ी गढ़वाल में पंजीकृत

सेवायोजकों की संख्या 13, लाईसेन्सी संविदाकारों की संख्या 31, नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 6191, चमोली में पंजीकृत मुख्य सेवायोजकों की संख्या 05, लाईसेन्सी संविदाकारों की संख्या 21, नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 1846, रूद्रप्रयाग में पंजीकृत सेवायोजकों की संख्या 02, लाईसेन्सी संविदाकारों की संख्या 06, नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 37, नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 1672 और उत्तरकाशी में पंजीकृत मुख्य सेवायोजकों की 03, लाईसेन्सी संविदाकारो की संख्या 05 और नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 3000 है। इस प्रकार गढ़वाल में 98968 नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या तथा कुल गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डल में 142415 नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि ठेकेदारी प्रथा केन्द्र का अधिनियम हैं केन्द्र ने तो अपनी भागीदारी खत्म कर दी हैं अब जो भी करना है, वह राज्य सरकार को करना है। क्यों नहीं राज्य सरकार अपना अधिनियम बनाती है। जब केन्द्र की कोई भागीदारी रह ही नही गई तो अब आपको अपना अधिनियम बनाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्वतीय औद्योगिक इकाईयों में जो श्रमिक कार्यरत हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पहले यह जानना चाहूँगा कि जो उद्योग इकाईया है, वह कौन सी है ? पहाड़ों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि आटा चक्की, मसाला पीसने की चक्की को उद्योग का दर्जा दे रखा है, जबकि ये उद्योग नही हैं। लोगों ने अपनी आवश्यकतानुसार मुहैया करा रखे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि हमारे यहॉ एक मात्र डैम है, वहॉ पर श्रम कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो कम्पनी अपने श्रमिकों को जितना वेतन देती है, क्या आप उस पूरे वेतन को उस श्रमिको तक पहुँचायेंगे ?अक्सर यह होता है कि उस श्रमिक का आधा वेतन यह ठेकेदार खा लेता है और उस श्रमिक को आधा भी वेतन नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष–

ओम गोपाल जी, आपका प्रश्न आ गया है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, उनका प्रश्न अपने स्थान पर ठीक है। अभी जब देखा गया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो मजदूरी दी जाती है, यह सेवायोजकों द्वारा, यह जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको दी जाती है, लेकिन यह मजदूरों को नहीं दी जाती है उसके लिए एक्ट में यह व्यवस्था की गयी कि जो मुख्य सेवायोजक होगा, जिसका कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर लिया, उसका एक प्रतिनिधि उस कॉन्ट्रैक्टर के पास रहता है कि वे अपने जितने भी दैनिक वेतन भोगी है, यह ठीक से उन श्रमिकों का वेतन का भुगतान करें और उसमें कोई अनियमितता होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जवाब दिया था कि जो संविदा पर कार्यरत् श्रमिक हैं, उनके द्वारा निर्माण कार्य न हो और सिक्योरिटी में काम लिया जाय। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रदेश में उत्पादन कार्य पर संविदा कर्मचारी नहीं हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इस एक्ट में दो प्रकार की व्यवस्था की गयी हैं एक तो जिनमें कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से लेबर उपलब्ध कराने को निषिद्ध किया गया है और उसमें 13 प्रकार के उद्योग हैं। जो उद्योग हैं फेब्रीकेशन, फोरजिंग तथा सभी प्रकार की एसेम्बलिंग का कार्य, दूसरा बफिंग, निपिंग, कटिंग, रिफने, कटिंग एवं अन्य प्रकार की कटिंग एवं पालिशिंग का कार्य जिनमें निषिद्ध किया गया है। तीसरे प्रकार के हैं टर्निंग और फिनिशिंग का कार्य, चौथा वैल्डिंग और ग्राईडिंग का कार्य, पॉचवां फाउण्ड्री, मोल्डिंग और शपिंग का कार्य, छठवॉ पंचिंग, ड्रिलिंग, नम्बरिंग और मडलिंग का कार्य, सातवॉ गल्वनाइजिंग का कार्य, जिसमें निषिद्ध नही हैं। यानी जिसमें कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट में रख सकता है, वह हैं सफाई, स्कावेजिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग और सैनिटेशन के कार्य, उसमें हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, हल्की और भारी गाडियों के ड्राइवर और लिफ्ट, क्रेन आदि के ऑपरेटर, माली, गार्डनर, कारपेन्टर, कैन्टीन कर्मचारी हैं, जिसमें निषिद्ध नहीं हैं, इसमें

कान्ट्रैक्टर रख सकता है। लेकिन बाकी अन्य जो अभी मैंने बताये हैं उनके साथ अन्य और भी हैं, जिसमें रोल्डरिंग, प्रेस, टैस्टिंग, हैमरिंग, फीडिंग एवं जाजिंग और शीट एवं मेटल प्लेट रोलिंग मिल का कार्य इनमें निषिद्ध है, ये सभी इन्जीनियरिंग उद्योग के हैं, इसी प्रकार से टैक्सटाईल के भी उद्योग है, जिसमें निषिद्ध किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसमें डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि ये क्षेत्र निषिद्ध हैं, लेकिन उनमें कार्य कराया जा रहा है। मेरे यहाँ मोहान में आई0एम0पी0सी0एल0 दवा फैक्ट्री है, उसमें 80 प्रतिशत श्रमिकों से संविदा पर दवा उत्पादन में कार्य कराये जा रहे हैं। क्या सरकार उसको बन्द करायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो निषिद्ध हैं और उनमें अगर कॉन्ट्रैक्ट में कार्य कराया जा रहा है तो राज्य सरकार के पास अधिकार है कि हम उनके लाईसेंस को जब्त कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

उत्तराखण्ड में फार्मासिस्टों द्वारा शिड्यूल एच की दवाइयों के वितरण पर प्रतिबन्ध तथा वितरण व्यवस्था व ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों के सापेक्ष वैकल्पिक व्यवस्था

*3. **श्रीमती अमृता रावत–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फार्मासिस्टों से उत्तराखण्ड राज्य में शिड्यूल एच की दवाईयों के वितरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

क्या यह सत्य है कि इसके कारण राज्य में चिकित्सा सेवाओं पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनमानस को चिकित्सा सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ?

क्या यह भी सत्य है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अधिकांश चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद एक लम्बी अवधि से रिक्त हैं ?

यदि हाँ, तो उक्त चिकित्सालयों में शिड्यूल एच की दवाईयाँ देने की क्या व्यवस्था है तथा उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हाँ।

उक्त चिकित्सालयों में उपस्थित फार्मासिस्टो द्वारा अन्य चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा नुस्खा (प्रिसक्रिप्शन) उपलब्ध कराने पर शिड्यूल एच की दवाईयां बॉटे जाने की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त सचल चिकित्सा वाहन के चिकित्सकों, आरोग्य रथ, सेहत की सवारी एवं 108 सेवा के माध्यम से निदान व उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने फार्मासिस्टों से उत्तराखण्ड राज्य में शिड्यूल एच की दवाईयों के वितरण पर प्रतिबन्ध लगाया था कि नहीं लगाया था ? क्योंकि मेरी स्पष्ट जानकारी है, क्योंकि जब हम गांव–गाव जाते हैं तो वहाँ के लोगो ने बताया कि वहाँ फार्मासिस्टों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और छोटी से छोटी बीमारी के लिए चाहे उन्हें बुखार हो, सर्दी हो, बदन दर्द हो छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी फार्मासिस्ट उनको प्रेसक्रिप्शन लिखकर नहीं दे रहे हैं और जब मेरी जानकारी मे यह बात आयी तो मैंने सदन मे भी यह प्रश्न लगाया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिखकर इसके बारे मे सूचित किया और यह मेरी स्पष्ट जानकारी है कि जब विधान सभा में प्रश्न लगा तब उसके पश्चात् 21 अक्टूबर से पहले आपने बैठक बुलायी और जो फार्मासिस्टों पर प्रतिबन्ध लगाया था, उसको आपने हटाया। क्या यह बात सत्य है कि आपने प्रतिबन्ध लगाया था, या नहीं लगाया था ? यह जानकारी मैं चाहती हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे जानकारी का स्रोत भी मैं ही हूँगा, मैंने ही आपको बताया।

श्रीमती अमृता रावत–

आपने हमें नहीं बताया, आपसे मेरी कोई बात नहीं हुई।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, को दवाई वितरण पर कभी रोक नहीं लगाई गयी। उनको दवा लिखने पर, क्योंकि एक बार सूचना के अधिकार के तहत किसी ने सूचना माँगी थी। मूल बात यह है कि फार्मासिस्ट का काम क्या है, यह है दवा

वितरण करने का, दवा डॉक्टर लिखेगा और उस दवा का वितरण फार्मासिस्ट करेगा। लेकिन चूँकि उत्तराखण्ड में डॉक्टरों की बेहद कमी रहती है, इसलिए यह व्यवस्था चली आ रही थी, परम्परा चली आ रही थी कि वे दवा लिखते थे, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत किसी ने सूचना माँगी थी। उसके बाद एक आदेश के तहत इस पर रोक लगायी गयी के वे दवा नहीं लिखेंगे जबकि व्यवस्था पहले से ही यह भी वे नही लिखेंगे, वितरण करेंगे, मरहम पट्टी करेंगे, यानि प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। यह ठीक बात है कि 21 तारीख पर कार्यवाही हुई। आज की तारीख में जो आदेश डी0जी0 के द्वारा जारी किये गये हैं कि फार्मासिस्ट दवा नही लिखेंगे। उस आदेश को निरस्त करके हमने यह कह दिया है कि हिमाचल में एक व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था का परीक्षण करा रहे हैं, उसी व्यवस्था के तहत यहाँ भी आदेश दिये जायेंगे, आगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि मेरे एक प्रश्न के जवाब में आपने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो चिकित्सालय हैं, उसमें चिकित्सक नही हैं, इस प्रश्न के उत्तर मे आपने उत्तर दिया है, जी हाँ। यह बात आपने भी मानी है और स्वीकार की है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के चिकित्सालयों मे चिकित्सक नही हैं। यह बात आपने भी मानी है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितनी जल्दी आप उन चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति कर देंगे ?

श्री बंशीधर भगत–

निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उत्तराखण्ड मे डॉक्टरो की कमी है हमने इस कमी को दूर करन के लिए बहुत से प्रयास किये हैं, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सालयों में संविदा पर रखा है। यह करीब 141 डॉक्टर होगें। हर मंगलवार को चिकित्सकों की भर्ती के लिए हमने आदेश दिया है, हर मंगलवार को हम डॉक्टरों की भर्ती करते हैं, जो कोई उचित माध्यम से आवेदन करता है, जो डॉक्टरी के लिए उपयुक्त होते हैं। मान्यवर, हमने आयोग से चिकित्सकों के पदो की माँग की है, पिछले वर्ष मे 875 पदों की माँग की थी, जिसमें 454 लोग पास होकर आये और जिसमे से 11 लोगों ने ज्वाइन भी किया।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मेरे बीरोंखाल विधान सभा क्षेत्र मे आपने कितने चिकित्सकों की नियुक्त की है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, बीरोंखाल की व्यक्तिगत जानकारी का प्रश्न भी आपने नही किया था, उसके लिए मैं अभी बता नही सकता हूँ, लेकिन मैं अतिशीघ्र आपको व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी दे दूँगा।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मसूरी, जो कि एक प्रमुख स्थल है और यहाँ पर मात्र एक सरकारी चिकित्सालय दो डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है, जबकि मसूरी में अगल–बगल के लोग भी वहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और यदि कोई इमरजेन्सी आ जाये तो वहाँ पर 2 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर कब तक पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था हो जायेगी ? दूसरा यहाँ पर 2 वर्ष से अल्ट्रासाउण्ड मशीन का लाभ वहाँ के लोगो को नही मिल पा रहा है, जबकि कोरोनेशन हॉस्पिटल में टैक्नीशियन स्पेयर में है तो मैं जानना चाहता हूँ कि मसूरी मे कब तक ऑपरेटरों की व्यवस्था हो जायेगी ? तीसरा वहाँ पर कोई आया न होने के कारण जब कोई महिला पेशेन्ट वहाँ पर इलाज के लिए आती है तो वार्ड ब्वाय को जाना पड़ता है, जिससे कि महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, तो मैं। यह जानना चाहता हूँ कि कब तक महिला आया की तैनाती वहाँ पर हो जायेगी ?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न के दायरे मे तो नहीं है, पर मै बताता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी जी को ? बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक डॉक्टरों का प्रश्न है तो थोड़ी दिक्कत हमको जरूर है, लेकिन हम पूरे प्रयासरत् हैं कि हम डॉक्टरों की संख्या पूरी करें। अतिशीघ्र आपकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि टैक्निशियन की कमी के कारण मशीन का कार्य नहीं चल रहा है, उसको मैं जिस तरह भी कराऊँगा, पर अतिशीघ्र कराऊँगा, सम्बद्ध कराके हम करायेंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, 'आया' तो एक छोटा सा बहुत महत्वपूर्ण पद है.....(व्यवधान) मसूरी मे महिला चिकित्सालय भी है, जहाँ तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, उस पर बहुत सटीक बात आई है कि "आया" नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आया की व्यवस्था तो आप तत्काल प्रश्नकाल के दौरान कर देंगे और दो अस्पताल वहाँ पर हैं और दोनो अस्पताल की स्थिति ऐसी है। सेंट मैरी बंद पड़ा है, इन्छोर बंद पड़ा है, सिविल हॉस्पिटल टूटा पड़ा हुआ है, जिसकी शुरूआत होने की उम्मीद भी आपके द्वारा मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि राज्य सरकार की स्थिति ऐसी लग रही है कि साढे तीन करोड़ रुपये 2 साल पहले तक स्वीकृत होकर कार्यदायी संस्था को डेढ़ करोड़ रुपये जा चुका है, लेकिन सरकार अभी तक पूछने को तैयार नहीं है, तो यह कार्य कब शुरू होना है ? उसके टूटे हुये 11 महीने हो गये है और कहते हैं कि नैनीताल और मसूरी प्रदेश का आईना है और उसकी स्थिति यह है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी हमारे बहुत सम्मानित सदस्य हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मसूरी के बारे में जो भी आपको या माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी जी को चर्चा करनी हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आप बता दें और मेरी पूरी बात हुई नहीं और आप कहने लगे तो जहाँ तक आपने ? चीजों टैक्निशियन और आया की बात कही है तो माननीय सदस्य जी ने टैक्निशियन की बात कही।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, जबकि मेरी जानकारी मे है कि कोरोनेशन हॉस्पिटल मे दो टैक्निशियन सरप्लस मे है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने कहा कि हम अतिशीघ्र टैक्निशियन और आया की व्यवस्था करेंगे, (व्यवधान) मेरा पूरा उत्तर तो आने दीजिए। मान्यवर, इनको उत्तर सुनने की क्षमता ही नहीं है। मैंने बता दिया है, मैं अतिशीघ्र आपके यहाँ भेज रहा हूँ।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखण्ड मे कितने चिकित्सालय ऐसे है, जिनमे चिकित्सक नही हैं, लेडी चिकित्सक नहीं हैं ? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि आपने जो उत्तर दिया है कि चिकित्सालयो के चिकित्सको द्वारा प्रेसक्रिप्शन उपलब्ध कराने पर शिड्यूल 'एच' की दवाईयाँ बांटे जाने की व्यवस्था है। मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि चिकित्सालयों में चिकित्सक नही हैं तो क्या मरीज देहरादून आकर, कोटद्वार आकर या श्रीनगर आकर के अपने चिकित्सकों के पास आकर प्रेसक्रिप्शन लिखायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का जवाब आ गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कुल कितने पद रिक्त है, यह बता दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, प्रेसक्रिप्शन के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि पहले डॉक्टर ने लिखा हो कि अमुक मरीज को अमुक–अमुक दवाईयाँ देनी है तो दे सकते हैं। जब नया कोई मरीज आता है तो हमारी बहुत सी सेवाएं है, सचल अस्पताल हैं, 108 सेवा है या कोई आस–पास का डॉक्टर है, इनसे टेलिफोन पर सम्पर्क करके डॉक्टर्स बता सकते है कि अमुक मरीज को ये–ये दवाएं देनी हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि कितने चिकित्सालयो मे चिकित्सक नही हैं ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, पी0एन0सी0–42 हैं, जहॉ पर डॉक्टर नहीं हैं और सी0एच0सी0–13 हैं, जहॉ पर डॉक्टर नही है।

कोटेश्वर बॉध से प्रभावित खतरे की जद में आये डोमालगॉव, मूलाणी, सौंटियालगॉव व सैण गॉव के वासियों का विस्थापन

*4. **श्री ओम गोपाल–**

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटेश्वर बॉध में पानी रोकने के कारण डोमालगॉव, मूलानी, सौंटियालगॉव व सैण के आवासीय भवनों एवं जमीन पर दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे उक्त ग्रामवासियों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है ?

यदि हॉ, तो क्या कोटेश्वर बॉध से प्रभावित खतरे की जद में आ चुके उक्त गॉवों को विस्थापित किया जाएगा ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हॉ। कोटेश्वर बॉध में जलभराव से डोमाल गॉव एवं मूलाणी की जमीन व मकानों में दरारें आई हैं। सौंटियालगॉव व सैण गॉव के आवासीय भवनों एवं जमीन में दरारें नहीं है।

मूलाणी ग्राम का पूर्णतः विस्थापन किया जा चुका है। डोमालगॉव एवं अन्य ग्रामों के भू–गर्भीय सर्वेक्षण हेतु भारतीय भू–गर्भीय सर्वेक्षण संस्थान एवं आपदा प्रबन्धन विभाग से अनुरोध किया गया है। भू–सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त विस्थापन के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि डोमाल गॉव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, वहॉ की भूमि, लोगों के घर रहने लायक नहीं हैं। मान्यवर, टी0एच0डी0सी0 के द्वारा कुछ लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टिन शेड उपलब्ध कराये गये हैं, लेकिन पिछले कई महीने बीतने के बावजूद अभी तक, हमारे पुनर्वास निदेशक, जो जिलाधिकारी, टिहरी हैं और टी0एच0डी0सी0 के लोकल लोगों के बीच गॉव की बैठक में तय हुआ था कि जल्दी से जल्दी हमारी भू–गर्भीय सर्वेक्षण टीम आयेगी

और यह क्षेत्र का सर्वे करेगी और उस सर्वे के आधार पर लोगों का विस्थापन होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज चार महीने बीतने के बाद भी न तो वहॉं पर कोई सर्वेक्षण की टीम आयी है। न ही हमारे पुनर्वास निदेशक द्वारा कोई कार्यवाही की गयी। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा कि जो टी0एच0डी0सी0 वाले हैं, बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया उन्होंने अख्तियार कर रखा है और माननीय मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद दूँगा, आपने स्वयं उस क्षेत्र का भ्रमण किया है। (व्यवधान) आपने वहॉं पर निर्देश भी दिए हैं लेकिन टी0एच0डी0सी0 भारत सरकार की संस्था है, यह राज्य सरकार को महत्व नहीं देती हैं सब कुछ यही कर रहे हैं, सारा पैसा यही कमा रहे हैं लेकिन जो लोग प्रभावित हैं, उनकी बात ये लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो सर्वेक्षण टीम है, यह कितने समय में डोभाल गॉंव, रौण और मूलाणी गॉंव में, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, टी0एच0डी0सी0 ने तीन–तीन, चार–चार किलोमीटर लम्बी टैरिलिंग सुरंगें बना रखी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिए।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने दिन में यह भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम इन गॉंवों में पहुँचेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं स्वयं डोभाल गांव, मूलाणी, रौण और सौंदियाल गॉंव गया और मैंने देखा कि वास्तव में वहॉं पर दरारें आयी हैं। अब वे दरारें अतिवृष्टि के कारण हैं या जलभराव के कारण आयी हैं, इसका पता तो जी0एस0आई0 की रिपोर्ट आने पर ही चलेगा। मैंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि इनको टीन शैड में रखिए, क्योंकि उनके मकान ढह गये थे, रहने लायक नहीं थे। जहॉं तक माननीय विधायक जी ने कहा कि कब तक टीम वहॉं चली जाएगी, तो लगभग 3 माह के अन्दर–अन्दर हम सर्वेक्षण करा देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरा पुनर्वास से सम्बन्धित एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको एक मौका और दूँगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोटेश्वर बॉध में जलभराव से डोभाल गॉव एवं मूलाणी की जमीन व मकानों में दरारें आयी हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कुल कितने रुपये की क्षति हुई है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इसमें जी0एस0आई0 की रिपोर्ट आएगी तभी इसका मूल्यांकन होगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्षति कितनी हुई है ? (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जब जी0एस0आई0 की रिपोर्ट आएगी, हम तो टैक्निकल आदमी हैं नहीं। (व्यवधान) जी0एस0आई0 की रिपोर्ट आने के बाद ही हम मूल्यांकन कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरा सटीक प्रश्न है। आपने कहा हमने गॉवों को रिहैब्लिटेड कर दिया। जब आपने गॉवों को रिहैब्लिटेड कर दिया तो क्या सरकार को यह जानकारी नहीं है कि कितने की क्षति हुई है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विद्वान माननीय विधायकगण से कहना चाहता हूँ कि यह मूल्यांकन जी0एस0आई0 की रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है, न कि मेरे द्वारा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, फिर आपने उनको विस्थापित कैसे कर दिया ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि मैं मौके पर गया और मैंने देखा कि उनके मकानों की दीवारें टूटी हुई थी, वहॉ पर नहीं रह सकते थे, (व्यवधान) इसका मतलब आप वहीं रखना चाह रहे थे। आपकी सरकार कुछ नहीं करती, हम तो कुछ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, यह काम तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा....................।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओम गोपाल जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय—

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि यह कोटेश्वर डैम टिहरी बाँध का ही एक हिस्सा है, कल मैंने सदन में अपनी बात भी रखी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से यहाँ से कुल कितने परिवार विस्थापित होंगे ? दूसरा सवाल यह है कि इसमें कुल कितने धन की आवश्यकता होगी और तीसरा प्रश्न यह है कि सरकार इन परिवारों को विस्थापित करने के लिये कहाँ पर व्यवस्था कर रही है ? यह तीन सवाल मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, यहाँ पर प्रभावित परिवारों की संख्या 837 है और जहाँ तक आपने कहा कि क्या—क्या दिया जायेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि...............।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, यह 837 क्या पूरे टिहरी डैम के हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, यह टिहरी बाँध का नहीं, बल्कि कोटेश्वर बाँध का है।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, कोटेश्वर बाँध भी टिहरी बाँध का ही हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष—

बात कोटेश्वर बाँध की हो रही है, कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, कोटेश्वर बाँध का ही बता दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, इस बाँध से प्रभावित परिवारों की संख्या 837 है और जहाँ तक इनको मुआवजा और धनराशि मिलने की बात है तो मैंने पहले भी कहा है कि जी0एस0आई0 की रार्वे के पश्चात् पी0डब्ल्यू0डी0 और पुनर्वास द्वारा क्षति का आकलन किया जाता है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने कोई नीति बनाई होगी कि एक परिवार को आप क्या देंगे, एक यूनिट को आप क्या देंगे ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह मैं बता सकता हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसे दो एकड़ और आधा एकड़ कृषि भू–भाग शहरी क्षेत्र में और पाँच लाख रुपये न्यूनतम धनराशि कृषि भूखण्ड न लेने वाले को दी जायेगी तथा आवासीय भूखण्ड 200 वर्ग मीटर दिया जायेगा। द्वितीय चरण में विस्थापित परिवारों को सात हजार रुपये भवन सहायता दी जायेगी। (व्यवधान) देहरादून और हरिद्वार में देंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, क्या आपने इसके लिये कहीं पर भूमि अधिग्रहीत की है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, पथरी में हमारे पास जमीन है, देहरादून में घमण्डपुर में जमीन है, वहाँ पर दे देंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कहीं पर एक इंच भी आपने इसके लिये भूमि अधिग्रहीत की हो तो बता दीजिये।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब टिहरी डैम बन रहा था तो हम लोग अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे तो इस समय भारत सरकार से एग्रीमेंट हुआ था कि 70 प्रतिशत पैसा भारत सरकार लगायेगी और 30 प्रतिशत पैसा उत्तर प्रदेश सरकार लगायेगी औ जब डैम बन जायेगा तो उससे उत्पादित जो बिजली होगी......।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये, आप तो कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ, बहुत ही जैनुइन प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ था कि डैम से जो भी इन्कम होगी, उसका 70 प्रतिशत भारत सरकार लेगी और 30 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। इसके बाद अलग राज्य बन गया, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि डैम तो उत्तराखण्ड में बना और फायदा उत्तर प्रदेश ले रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, हमको मात्र साढे बारह प्रतिशत रायल्टी मिलती है, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारा हक हमें मिलना चाहिये था, वह कब मिलेगा ? क्योंकि डैम की पीडा को लोग आज तक झेल रहे हैं और फायदा उत्तर प्रदेश ले रहा है। हमको पानी भी नहीं मिल रहा है और वह पानी और पैसा दोनों ले रहा हैं। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी क्या उत्तराखण्ड राज्य को दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, आप प्रश्न करिये, प्रश्न इतना बड़ा नहीं होता है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, कम से कम हिस्सेदारी तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, यही तो प्रश्न है कि हमे उसमे हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर,वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो रॉयल्टी मिल रही है। उसे आप स्थानीय, जो विस्थापित है, प्रभावित हैं, उन पर खर्च करेगे या नहीं करेंगे ? 700 करोड़ रूपये मिल चुका है, राज्य सरकार को अब तक। यही तो कहने का मतलब है। उसमें से आप टिहरी के लोगो को क्या देगे ? यह है विषय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 75 और 25 का शेयर है। 25 प्रतिशत मैंने कहा ये हमारा शेयर है, हम देते है। (माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी के बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर) नहीं तो किशोर उपाध्याय जी दे रहे है। मान्यवर, जितने भी पुल बन रहे हैं, डोबरी चांठी पुल बन रहा है या आपका पिन्यालीसौड़ पुल बन रहा है, जो भी पुल बनेगा, उसमे 25 प्रतिशत हम देगें। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, आपने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया, आपने कुछ नहीं किया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जरा आप मेरी बात सुन लीजिए। केन्द्र सरकार ने कह दिया कि 50 प्रतिशत आप देंगे और 50 प्रतिशत हम देंगे। आपको 50 प्रतिशत हमको देना पड़ेगा मान्यवर, आज केन्द्र सरकार मुकर गयी है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, पर जो यू0पी0 डबल लाभ ले रहा है, उसको आप (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का काम समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

देहरादून अन्तर्गत बीलियो नवाबगढ़ ढकरानी ढालीपुर कुल्हाल आदि गाँवों को यमुना नदी की बाढ़ से बचाने हेतु सरकार का प्रयास

1. श्री कुलदीप कुमार–

क्या बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत यमुना नदी द्वारा बीलियो–बाड़वाला–नवाबगढ़–डॉक्टरगंज–भीमावाला–ढकरानी–ढालीपुर–मटकमाजरी–कुल्हाल आदि गाँवों में मचाई गई भारी तबाही को रोकने के लिये प्रयास किये जा रहे है ?

यदि हाँ, तो क्या और कब तक ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के ग्राम कुहाड़ा (हरिपुर) की यमुना नदी से बाढ़सुरक्षा योजना (लागत ₹ 1043.01 लाख) भारत सरकार से अनुमोदित है, जिसके अन्तर्गत ग्राम बीलियों व बाड़वाला ग्रामों की यमुना नदी से बाढ़ सुरक्षा की जानी प्रस्तावित है। भारत सरकार से धनावंटन प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

नोट :–तारांकित प्रश्न सं0–4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत नवाबगढ़, ढॉकटरगंज, मीमावाला, ढकरानी, ढालीपुर, मटकमाजरी, कुल्हाल आदि गॉवों हेतु केन्द्र पुरोनिधानित बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ₹ 6048.04 लाख की योजना गठित कर ली गयी है, जिस पर स्वीकृति की कार्यवाही भारत सरकार के अन्तर्गत गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के विचाराधीन हैं स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण, बजट में उपलब्ध धन तथा कार्य का प्राक्कलन

2. श्री मयूख सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल के लिये कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ?

उक्त कार्य हेतु वर्तमान बजट मे कितना धन उपलब्ध किया गया है ?

क्या उक्त कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है ?

अगर हॉ, तो उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था कौन है ?

क्या उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गयी है ?

श्री बंशीधर भगत–

बेस चिकित्सालय के मुख्य भवनों का निर्माण हेतु 0.962 हैक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरित हुई है। आवासीय भवनो के निर्माण हेतु 0.985 हैक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

प्रस्तावित बेस चिकित्सालय हेतु वर्तमान मे ₹ 200.00 लाख का प्राविधान है।

जी हॉ।

बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 कार्यदायी संस्था है।

जी नही। प्रक्रियाधीन है।

पिथौरागढ़ में थरकोट झील हेतु सरकार की स्वीकृति तथा कार्य प्रगति

3. श्री मयूख सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ मे थरकोट झील के निर्माण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ?

यदि हॉ, तो उक्त कार्य हेतु कितनी धन की व्यवस्था की गयी है और उसमें कितना धन अवमुक्त किया जा चुका है ?

क्या झील निर्माण की प्रक्रिया हेतु टेण्डर आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं। केवल सर्वेक्षण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नही उठता।

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

प्रस्तावित शरकोट झील निर्माण की योजना स्वीकृत नही है। केवल झील के सर्वेक्षण कार्य हेतु पर्यटन विभाग से ₹ 15.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसका व्यय झील की डी0पी0आर0 तैयार करने मे किया गया।

जनपद टिहरी अन्तर्गत सौंटियालगॉव स्थित कोटेश्वर बाजार में सड़क विस्तारीकरण के कारण विस्थापित होने वाले व्यापारियों को मिलने वाली सुविधाएं

4. **श्री ओम गोपाल–**

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कोटेश्वर बॉध परियोजना के सन्निकट ग्राम सौंटियालगॉव मे स्थित कोटेश्वर बाजार को के0एन0ई0पी0, टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड, कोटेश्वर द्वारा सडक विस्तार एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबन्धित क्षेत्र होने के कारण हटाया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी, प्रभावित व्यापारियों को दुकान के स्थान पर दुकान अथवा नकद भुगतान दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

कोटेश्वर बाँध परियोजना के सन्निकट ग्राम सौंदियालगाँव में स्थित कोटेश्वर बाजार को के0एच0ई0पी0/टी0एच0डी0सी0, कोटेश्वर परियोजना द्वारा जिन क्षेत्रों को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है, उसमें सौंदियाल बाजार नही लिया गया है तथा सड़क विस्तार की वर्तमान में कोई योजना नही है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत विकासनगर में पुरानी सीवर लाइन का पुनर्निर्माण

5. श्री कुलदीप कुमार–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकास नगर मे 50 वर्ष पुरानी सीवर व्यवस्था को पुनः आज की आबादी के आधार पर फिर से बनाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

पेयजल मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में।

विकास नगर की जलोत्सारण योजना राष्ट्रीय गंगा बेसिन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 की कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है भारत सरकार से स्वीकृति धनावंटन के पश्चात् प्रस्तावित जलोत्सारण योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

सदन के बाहर नीतिगत विषयों पर घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अब क्या व्यवस्था आ गयी आपकी ?कृपया अखबार अन्दर रख दीजिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह अखबार से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अखबार से कोई सम्बन्धित नहीं है। आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री किशोर उपाध्याय (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, बात तो सुन लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ। आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

हाँ बताईये, क्या व्यवस्था आ गयी ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूँ। यह पूरे सदन का विषय है और विशेषकर पीठ का विषय है जब सदन आहूत है और सोमवार को सदन की बैठक होनी है। शनिवार को या शुक्रवार को मंत्रिमण्डल की बैठक हुई और जो सारे के सारे नीतिगत वक्तव्य सरकार को सदन में देने चाहिए थे, वो पहले सारे के सारे अखबारों के माध्यम से प्रकाशित करवा दिये गये। ये निश्चित रूप से मान्यवर, जो विधायी परम्पराएं हैं, ये सदन की अवमानना है, कुठाराघात है मान्यवर, और अगर आप (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, या तो कोई प्रेस कांफ्रेंस हुई होती या कि माननीय मंत्री ने, किसी अधिकारी ने इस विषय पर कहा होता तो बात समझ मे आती। श्रीमन्, अखबारों का संज्ञान नही लिया जा सकता।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के सभी माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन एवं माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस नियम में है, नियमावली के किस नियम में, संविधान के किस अनुच्छेद में है, अवगत कराए ना। संविधान के

किस अनुच्छेद में है ? नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत आप बात कर रहे हैं ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ये नियमावली के किस नियम के तहत कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते, किसी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय।

(पूर्व से 'वेल' में खड़े माननीय सदस्य जोर–जोर से अपनी बात उठाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद–19 के तहत हमको अधिकार प्राप्त है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस नियम में है ? आप यह अवगत करा दें कि यह नियमावली के किस नियम में है, संविधान के किस अनुच्छेद में है ? आप नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत बात कर रहे हैं ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते, तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

अगर समाचार–पत्र में छपा भी है तो नियमावली के किस नियम का उल्लंघन हुआ है, आप बतायें। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, पहले तो हमारे माध्यम से कोई प्रेस कान्फ्रेन्स नहीं हुई है, संविधान का अनुच्छेद–19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार प्रेस को है। प्रेस ने किसी सूत्र के माध्यम से लिया है तो यह प्रेस की स्वतंत्रता है। तो उसमें सदन की अवमानना कहाँ से हो गई ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री किशोर उपाध्याय, श्री बृजमोहन कोटवाल, श्री ओम गोपाल रावत, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री जोगा राम टम्टा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मनोज तिवारी तथा श्रीमती अमृता रावत की कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री किशोर उपाध्याय, श्री बृजमोहन कोटवाल, श्री ओम गोपाल रावत, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री जोगा राम टम्टा तथा श्री मनोज तिवारी की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना से सम्बन्धित कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशोर उपाध्याय–

[मान्यवर, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से सम्बन्धित कर्मी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर कि उन्हें सरकार संविदा पर नियुक्ति प्रदान करे, विगत कई दिनों से क्रमिक उपवास, अनशन एवं धरने पर बैठे हैं, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण योजना का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। सरकार की हठधर्मिता के कारण जहाँ एक ओर प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के अन्तिम छोर पर स्थित गरीब व्यक्ति की रोजी–रोटी पर भी गम्भीर असर पड़ रहा है और कई अति गरीब परिवार इस योजना के अन्तर्गत रोजगार न मिलने के कारण भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उपरोक्त एक सूत्री माँग को स्वीकार करने की माँग करता हूँ]

जनपद पौड़ी के ग्राम उरेगी, पट्टी पैडुलस्यूं में जंगल की आग बुझाने में मृतक गोदाम्बरी देवी के परिवार को मुआवजा व मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजमोहन कोटवाल–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम उरेगी, पट्टी पैडुलस्यूँ के अन्तर्गत दिनांक 20 मार्च, 2008 को जंगल में भयंकर आग लग गई। उक्त आग को बुझाने के लिए ग्रामीणों द्वारा सामूहिक प्रयास किये गये, जिसमें कि आग बुझाते हुए श्रीमती गोदाम्बरी देवी पत्नी श्री रघुनाथ सिंह, ग्राम–उरेगी, पट्टी पैडुलस्यूं की जलने से मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा श्रीमती गोदाम्बरी के परिवार को कोई भी मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया और न ही मृतक के परिवार के आश्रितों में से किसी को नौकरी ही दी गई है। जबकि दिनांक 01–05–2009 को ग्राम ल्वाली, पौड़ी गढ़वाल के अग्निकाण्ड के आठ व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा मृतकों के आश्रितों को नौकरी दे दी गई है, उक्त अग्निकाण्ड दुर्घटना में मृतक के परिवार के किसी भी सदस्य को आज तक नौकरी नहीं दी गई है मेरा सरकार से अनुरोध है कि पीड़ित परिवार के आश्रितों को रोजगार दिये जाने हेतु सरकार तुरन्त कार्यवाही करे।]

नोटः–[ ] से अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के पुलिस विभाग में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक के पदों वेतनमान एवं ग्रेड पे दिल्ली पुलिस, उ0प्र0 पुलिस तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के समान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री ओम गोपाल–

[उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा उप निरीक्षक एवं निरीक्षक पदों के वेतनमान एवं ग्रेड पे दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के समकक्ष न होकर उनसे काफी कम है, जबकि सभी के कर्तव्य समान हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं दिल्ली पुलिस के अनुरूप ही उत्तराखण्ड मे भी वेतनमान/ग्रेड पे निर्धारित करने हेतु पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसकी पत्रावली संख्या 01–3/2010, वर्ष, 2008 शासन मे लम्बित ह, जिस पर काफी समय से अभी तक निर्णय नहीं हो पाया हैं जिस कारण उत्तराखण्ड पुलिस का मनोबल बहुत गिरा हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तराखण्ड पुलिस विभाग मे वेतनमान/ग्रेड पे उन्नीकरण के लम्बित प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत किया जाय। मामला कानून व्यवस्था से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों से जुड़ा होने के कारण लोक महत्व का है। अतः सभी नियमो को निलम्बित कर उक्त प्रकरण पर अविलम्ब कार्यवाही की मॉग करता हूँ।]

पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्पष्ट स्टोन क्रेशर नीति घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

श्री गोपाल सिंह रावत–

[मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित निर्माण कार्य जैसे–सड़क, सरकारी भवन, नहर, पुल, बॉध मुख्यतः निर्माणाधीन हैं, किन्तु पर्वतीय जनपदों मे स्टोन क्रेशर नीति न होने के कारण पर्वतीय जनपदों में स्टोन क्रेशर कार्य नही कर रहे हैं। जिस कारण पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी विभाग हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी आदि मैदानी क्षेत्रो से उप खनिजों का क्रय करने को मजबूर हैं, जिस कारण निर्माण कार्य की लागत व गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रो में आपदा प्रबन्धन विभाग जनता को लाखों रूपये खर्च कर भूकम्परोधी भवन बनाने को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उप खनिज के दोहन पर प्रतिबन्ध लगा होने के कारण उप खनिज के दाम मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र की जनता को मनमाने मूल्य

नोटः–[ ] से अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर 5 से 7 गुना अतिरिक्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। यदि उप खनिजों के दोहन की अनुमति पर्वतीय क्षेत्र में देने हेतु कोई स्पष्ट नीति निर्धारित हो जाय तो विकास/निर्माण कार्यों की लागत व अवधि भी कम हो जाएगी तथा पर्वतीय क्षेत्र की जनता भी उप खनिजों का उपयोग कर सकेगी। विषय पर्वतीय क्षेत्र के विकास व निर्माण कार्यों की अवधि, लागत तथा गुणवत्ता से सम्बन्धित होने व पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्पष्ट स्टोन क्रेशर नीति घोषित किये जाने की माँग के कारण लोक महत्व का है।]

प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन की संरचना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0 10(1)/xxvii(7)4/2011 के संशोधन के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

[मान्यवर, माननीय सदन को अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश के अनुसार राज्य के सिर्फ राजकीय विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त शासनादेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उक्त शासनादेश में संशोधन किया जाये और उक्त तिथि से ही कर्मचारियों को दिया जाये।

अतः सम्मानित सदन से अनुरोध है कि यह अति लोक महत्व का प्रश्न है। मैं इस लोक हित के महत्वपूर्ण प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के छागामजरी से हबीबपुर निवादा मार्ग में छूटे 800 मीटर (मिस लिंक) मार्ग को बनाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्ग सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र में छागामजरी से हबीबपुर निवादा मार्ग एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्मित किया गया है। लेकिन इस मार्ग को पूर्ण नहीं बनाया गया है, इसमें 800 मी0 (मिस लिंक) छोड़ दिया गया है, गाँव की जनता इस मार्ग का उपयोग नहीं कर पा रही है। इसलिए जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया है मिस लिंक 800 मी0 का एस्टीमेट भी शासन में लम्बित पड़ा है। इसे तत्काल स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षित कर कार्यवाही की माँग करते हैं।]

नोट:–[ ] में अंश पढ़े हुये माने गये।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद टिहरी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त बूढ़ाकेदार तोली मोटर मार्ग व कोट घण्डियालसौड़ तितुर्णा मोटर मार्ग की मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलवीर सिंह नेगी–

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के पी0एम0जी0एस0वाई0 टिहरी की दैवीय आपदा से मई, 2011 से क्षतिग्रस्त बूढ़ाकेदार कोट–तोली मोटर मार्ग के कारण ग्राम सभा कोट, तोली, जखाणा, गेंवाली वासियों को आने–जाने में कठिनाई हो रही है तथा मोटर मार्ग बन्द होने से खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है। लो0नि0 विभाग, घनसाली, अस्थाई खण्ड के कोट–घण्डियाल सौड–तितुर्णा मोटर मार्ग भी दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। उक्त दोनो मोटर मार्ग जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, दैवीय आपदा प्रबन्धन से अभी तक धनराशि का आवंटन न होने से लोगों में गम्भीर रोष व्याप्त है और शासन पूर्ण तरह उदासीन है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, तात्कालिक व लोकमहत्व की सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत लेकर, सरकार को प्रभावी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।]

जनपद पिथौरागढ़ के ब्लॉक व तहसील गंगोलीहाट के ग्राम नागधूणा के प्राचीन कालसिन मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

***श्री जोगा राम टम्टा–**

[मान्यवर, मेरे द्वारा जनपद पिथौरागढ़, के ब्लॉक एवं तहसील गंगोलीहाट के ग्राम नागधूणा के प्राचीन कालसिन मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के लिये पूर्व में भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, किन्तु अभी तक कोई ठोस पहल नही हो पायी है। पर्यटन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों की श्रद्धा का केन्द्र होने के साथ–साथ पर्यटन की दृष्टि से भी एक रमणीय स्थान पर यह मन्दिर स्थित है। मन्दिर के पुरोद्धार तथा इसके चारों ओर चहारदीवारी किया जाना आवश्यक है, ताकि यहॉ पर पेड़ संरक्षित रह सकें।

लोक महत्व के इस प्रकरण पर मैं प्रभावी कार्यवाही के लिये सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

नोटः–[ ] में अंश पढ़े हुये माने गये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत गंगोलीहाट पव्वाधार चौरपाल मोटर मार्ग के शेष भाग का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोज तिवारी–

[मान्यवर, मैं जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग के अधीन मोटर मार्ग गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किलोमीटर 12 तक यह मोटर मार्ग डामरीकृत हो चुका है, किन्तु उसके आगे चौरपाल तक कच्चा मार्ग निर्मित है। कच्चे मार्ग के कारण बरसात में मार्ग अवरूद्ध हो जाता ह। इस मार्ग के कच्चे भाग मे बडे वाहन नही चल रहे हैं। जिससे इसके निर्माण का लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा ह। सीमान्त जिले के सुदूर का यह मार्ग क्षेत्रवासियों के लिये एकमात्र मार्ग है। इस मार्ग में पड़ने वाले विद्यालय, इण्टर कॉलेज, राजकीय चिकित्सालय तथा सरकार विभागो के कर्मचारी यहाँ कार्य करने में कठिनाई का सामना करते हैं।

अतः जनसामान्य की सुविधा से जुडे इस मार्ग को तत्काल पक्का कर डामरीकरण कराने की प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नियम 310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग

*श्री करन मेहरा–

[माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 के अन्तर्गत सूचना है, उस पर चर्चा कराई जाय।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य नियम–310 के अन्तर्गत अपनी–अपनी सूचनाओ पर चर्चा कराये जाने हेतु अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, तत्पश्चात् सभी सदस्य 'वैल' में आ गये और 'वेल' से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह अच्छी बात नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.30 बजे तक स्थगित करता हूँ।

नोटः–[ ] य अंश पढ़े हुये माने गये।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 1.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

श्री मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

***श्री शहजाद–**

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। बहुजन समाज पार्टी के सिम्बल पर जीत कर आये विधायक मंगलौर। पार्टी के खिलाफ आचरण है, उधर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अन्तर्गत लिख कर दे दें तो विचार कर लेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था रह गयी है ?

जनपद उत्तरकाशी के ग्राम साड़ा, सिरोर, नेताला, सिल्याणा, न्यू डिडसारी, क्यार्क आदि भूस्खलन प्रभावित ग्रामों को पुनर्वासित किये जाने विषयक याचिका

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के ग्राम साड़ा, सिरोर, नेताला, सिल्याण, न्यू डिडसारी, क्यार्क आदि भूस्खलन प्रभावित ग्रामों को पुनर्वासित किये जाने सम्बन्धी" श्री खुशपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, ग्राम–साड़ा, पोस्ट–मुस्टिकसौड़, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद उत्तरकाशी में सिलकुरा (मनेरी) ग्राम ओंगी से ग्राम मजगाँव होते हुए ग्राम जखोल तक लगभग 12 कि0मी0 मोटर मार्ग स्वीकृत करने विषयक याचिका

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी में सिलकुरा (मनेरी), ग्राम ओंगी से ग्राम मजगाँव होते हुए ग्राम जखोल तक लगभग 12 कि0मी0 मोटर मार्ग स्वीकृत करने के सम्बन्ध में" श्री गौर सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह, ग्राम जखोल, पोस्ट मोरी, जनपद उत्तरकाशी एवं निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी में सिलपड़ी से सिल्ला, पिलंग, जौड़ाव तक मोटर मार्ग निर्माण करने विषयक याचिका

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी में सिलपड़ी से सिल्ला, पिलंग, जौड़ाव तक मोटर मार्ग निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री अब्बल सिंह, ग्राम–जामक, पोस्ट–मनेरी, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

सदन में वाद विवाद की घटना पर श्री प्रीतम सिंह के विचार तथा संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

***श्री प्रीतम सिंह–**

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो घटना अन्दर घटित हुई है, यह बहुत गम्भीर विषय है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से हमारा सदन हमारी जो कार्य संचालन नियमावली से संचालित है और उसमें आचरण से सम्बन्धित प्राविधान किये गये हैं और सदन केवल मात्र संचालन नियमावली से ही नहीं वरन परम्पराओं से भी संचालित होता है आज जब पीठ ने सदन को स्थगित करने का निर्देश दिया था तो उसके पश्चात् जो कुछ भी घटना यहाँ पर हुई है, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना कही जा सकती है इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी हम सब लोग सदन के सभी माननीय सदस्य अपेक्षा करते हैं और इस घटना के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ और ऐसा भविष्य में न हो, इसकी अपेक्षा करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि माननीय किशोर उपाध्याय जी और सदन के समक्ष जो कुछ भी हुआ है, वह निश्चित रूप से निन्दनीय है। मैं सोचता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। जनता ने हमें बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, हम सब लोगो को, ऐसे आचरण करने की अपेक्षा जनता हमसे नहीं करती है। आपने स्वयं भी महसूस किया, पूरे सदन ने महसूस किया, जो कुछ हुआ वह निश्चित रूप से निन्दनीय है। मान्यवर, यह सदन हमेशा दया दिखाता रहा, क्षमा करता रहा। मैं अपने सम्मानित सदस्यो से यह जरूर विचार करना चाहता हूँ कि हम तर्क में चाहे जितनी बड़ी बाते कर लें, क्योंकि यह सदन डिबेट के लिए है, तर्क–वितर्क करने के लिए है, हम बातचीत मे हो सकता है कि कभी आक्रोश में आ जायें, लेकिन हमारा व्यवहार जैसे वकीलों का व्यवहार होता है कि एक पक्ष, दो पक्ष अलग–अलग वकीलों से लड़ते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर जाकर दोनो सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते है। इसी तरह हम सब भी जनता के वकील है, कोई हमारी खेती–बाड़ी का झगड़ा नहीं है, कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, हम सब अपने–अपने क्षेत्र से क्षेत्र की जनता की समस्याओं को यहॉ रखने के लिए आये हैं। हमारी किसी बात से किसी को, किसी समुदाय विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को आहत पहुँचती हो तो ऐसे आचरण से हमको बचना चाहिए और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपका मार्ग दर्शन निश्चित रूप से हमारे आचरण को ठीक करने में उपयोगी हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं यह अपेक्षा करता हूँ और हम सब अवगत हैं कि हमारे सदन की आयु मात्र 10–11 वर्ष की है और हम सब लोकतांत्रिक मूल्यो को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतान्त्रिक परम्पराओं को आगे बढ़ाने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने तर्को से, अपने विचारों से यहॉ प्रदेश की भावनाओं को रखते हैं और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य मे ऐसी घटना न घटे, जिससे कि आने वाले समय मे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई नुकसान पहुँचे। मैं इस बात के साथ इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना प्राप्त हुई है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 शैलेन्द्र सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 66 के अन्तर्गत पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

मान्यवर, नियम—65 के अन्तर्गत मैंने सदन की अवमानना का एक नोटिस दिया। मान्यवर, उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 नये जिलों के गठन की घोषणा सार्वजनिक रूप से की गई थी। मान्यवर, पिछले सत्रों में बार—बार मुद्दा आया और सरकार द्वारा वक्तव्य दिया गया कि सी0आर0सी0 के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें नये जिले के पुनर्गठन के लिए मानक तय किये जायेंगे और उसकी संस्तुतियां आने के उपरान्त ही नई इकाईयों का पुनर्गठन या नई इकाईयों का गठन होगा। इसके लिए दिनांक 17 अगस्त, 2009 को एक शासनादेश भी हुआ और समिति का गठन हुआ, जिसमे ये तमाम बिन्दु उसमें इंगित किये गये। यह मामला आश्वासन समिति के सामने भी आया और आश्वासन समिति ने इसमें एक आश्वासन भी दिया। सरकार की तरफ से जवाब आया और उसमे कहा गया कि जो भी नई इकाईयां होगी इस समिति की संस्तुतियां आने के उपरान्त ही उनका गठन होगा। यह आश्वासन संख्या—165 है, जिसमें यह आश्वासन बन गया।

मान्यवर, हमारा यह कहना है कि जब सदन की कार्यवाही का आश्वासन बन गया तो मान्यवर, उसकी बिना प्रतिपूर्ति किए हुए और बिना समिति की रिपोर्ट आये हुए, जब समिति ने अभी तक रिपोर्ट ही सरकार को नहीं दी है तो किस तरह से ये सरकार चार नये जिलों का गठन करने की घोषणा कर सकती है। यह क्या सदन की अवमानना नहीं है और अगर सरकार ऐसा कर सकती है तो सदन की आवश्यकता नही है, या फिर आश्वासन समिति की आवश्यकता नही है। मान्यवर, मूलभूत रूप से यह सदन की अवमानना हुई है, इसके खिलाफ मैं चाहता हूँ आपके द्वारा स्पष्ट निर्देश होने चाहिए और जिस व्यक्ति ने भी सदन की अवमानना की है, उसके खिलाफ आप जो भी न्यायोचित कार्यवाही हो, करें।

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, माननीय विद्वान सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और उसके जरिये अपनी बात को रखा और विशेषाधिकार हनन जैसा बड़ा ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ा है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहा गया कि सदन म आश्वासन बना है और हमने ये विगत सरकार के माध्यम से यहाँ पर सदन को आश्वस्त किया था कि हम एक समिति बनायेंगे और वह समिति जो भी वर्तमान इकाईया हैं, उनके पुनर्गठन के जितने भी प्रस्ताव आयेंगे, उनका मूल्यांकन करेगी। मान्यवर, इसके तहत हमने दि0 17 अगस्त, 2009 को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति का गठन किया, जिसमें मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, उसके अध्यक्ष हैं और अपर मुख्य राजस्व आयुक्त सदस्य सचिव है तथा सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी इसके सदस्य हैं।

मान्यवर, इस समिति के गठन का उद्देश्य, ऐसी प्रशासनिक इकाईयाँ, जहाँ की तहसील, जिले इत्यादि के क्षेत्र मुख्यालय से अत्यन्त दूर होते हैं और उनको इस समिति के माध्यम से मिले हुए प्रस्ताव का अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस समिति के माध्यम से जो भी प्रस्ताव समिति को प्राप्त हुए, उनकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। जहाँ तक आपने सदन की अवमानना का प्रश्न कहा है तो इससे कोई अवमानना का प्रश्न इसलिए नहीं पैदा होता है, चूंकि समिति अभी अपना कार्य कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वह घोषणा क्रियान्वित समिति की रिपोर्ट के पश्चात् ही होनी चाहिए। मान्यवर, घोषणा की है कि सुगम प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से जनपदों के आकार को कम करते हुए कोटद्वार, यमुनोत्री, डीडीहाट और रानीखेत जनपदों का सृजन किया जायेगा। (भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, यह घोषणा है और मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। घोषणा है कि सुगम प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदों के आकार को कम करते हुए कोटद्वार, यमुनोत्री, डीडीहाट तथा रानीखेत जनपदों का सृजन किया जायेगा। अर्थात् ये जो प्रस्ताव हैं और अन्य प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अपनी घोषणा में सम्मिलित किया। (भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यदि समिति कुछ और भी कहेगी तो उसको भी घोषणा करेंगे ? समिति तो कुछ भी कह सकती है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, समिति जो कहेगी, मंत्रि–परिषद् उस पर निर्णय लेगी। यह कोई ऐसा विषय नहीं है, यह अवमानना का विषय नहीं बनता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने विस्तार से बात रख दी है। (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन रहा था। इन्होंने दोनो विरोधाभाषी बातें कही हैं। सदन के सम्मुख आश्वासन बना था कि इस पर एक समिति बनेगी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

आप क्या चाह रहे है, जिले न बनाए जाएं ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

आप क्यों मेरे मुँह मे बात डाल रहे हैं। अभी मैं आपके मुँह में बात डालूँगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि गम्भीर विषय नहीं है। अभी मैं बताऊँगा न इसको गम्भीर विषय।

*श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, क्या आप सहमत नहीं हैं, इन जिलों के निर्माण के लिए ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन रहा था, इन्होंने आश्वासन के आधार पर एक समिति के गठन की बात कही, जिसका शासनादेश भी जारी हुआ। दूसरी बात इन्होंने कही है कि समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। मान्यवर, समिति इसलिए गठित की गयी थी, मैं समझता हूँ कि सदन के सम्मुख जब यह आश्वासन बना था, तो मंशा यह थी कि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और प्रशासनिक इकाईयाँ बढ़नी चाहिए। मान्यवर, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है और न ही इससे सदन की कोई अवमानना हुई है, लेकिन एक तरफ समिति अपना काम कर रही है, समिति के पास प्रदेश के विभिन्न कोनो से प्रस्ताव आ रहे हैं कि काशीपुर जिला बनाया जाय, रूड़की जिला बनाया जाय, प्रताप नगर जिला बनाया जाय, बीरोंखाल जिला बनाया जाय, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी की विधान सभा के लोग भी माँग कर रहे हैं कि धूमाकोट को जिला बनाया जाय, थराली के लोग भी माँग कर रहे हैं कि पिण्डर घाटी को जिला बनाया जाय, खटीमा के लोग भी माँग कर रहे हैं कि खटीमा को जिला बनाया जाय। कहने का मतलब यह है कि बहुत से प्रस्ताव आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ आपने समिति गठित की, इस आशय से कि प्रदेश के प्रस्ताव आएंगे, उनकी समीक्षा होगी और प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, विकास को देखते हुए समिति जो संस्तुति करेगी, उसका अध्ययन करने के बाद सरकार जिलों के गठन की घोषणा करेगी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ समिति का काम पूरा नहीं हुआ और दूसरी तरफ आपने यह घोषणा कर दी कि ये चार जनपद बनाए जाएंगे। तो क्या सदन के सम्मुख जो आश्वासन था, उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधीभाषी बात आपने नहीं की ? आप समिति पर दबाव डाल रहे हैं। या तो यह कह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा का कोई औचित्य नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आश्वासन यह बना है कि वर्तमान में इन इकाईयों को देखते हुए इन पर विचार किया जा सकता है, इसके लिए हम एक समिति बना कर इसका मूल्यांकन करेंगे। (व्यवधान) मान्यवर, समिति हमने बना दी, आश्वासन की पूर्ति हो गयी। इसका मूल्याकन करके जहाँ–जहाँ इस तरह की माँग आ रही है, उसका अध्ययन किया जाएगा कि वर्तमान परिदृश्य में किस तरह इसमें बेहतर व्यवस्था हो सकती है। इस प्रकार आश्वासन की पूर्ति हो गयी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, समिति की रिपोर्ट तो आयी ही नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, समिति का गठन हो गया, समिति ने कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार आश्वासन की पूर्ति हो गयी। (व्यवधान) विपक्ष इस तरह दबाव डाल कर किसी कार्य को करने से रोक नहीं सकता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, समिति की रिपोर्ट आयी ही नहीं। आपने समिति बनाई ही क्यों ? जब आपने बिना समिति की संस्तुति के जिलो के निर्माण की घोषणा कर दी है, तो समिति की आवश्यकता ही नहीं है। आश्वासन था कि समिति बनेगी। अब समिति क्या बनेगी, जब जिलो की घोषणा हो गयी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, समिति बनाने का अश्वासन दिया गया है, दिनांक 17 अगस्त, 2009 को समिति बन गई और उसी दिन आश्वासन की पूर्ति हो गई।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने फिर समिति क्यो बनाई, या तो आप समिति बनाते ही नही। मान्यवर, क्या सरकार भौगोलिक स्थिति की जानकारी लिये बिना ही जिले की घोषणा कर सकती है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सरकार ऐसा कर सकती है। जिलों के पुनर्गठन के लिये माननीय मुख्यमत्री जी ने उचित समझा कि चार जिले बनने चाहिये।.................

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने काशीपुर को उचित नहीं समझा, धूमाकोट को उचित नहीं समझा ?

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, जिले की सीमा में कौन—कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, यह समिति तय करेगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, तो फिर आप कह दीजिये कि रूड़की के लिये मुख्यमंत्री जी ने उचित नहीं समझा, काशीपुर के लिये उचित नहीं समझा। आप कह दो कि मुख्यमंत्री जी ने इनके लिये उचित नहीं समझा।..................................

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, डा0 हरक सिंह रावत और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं अपना निर्णय सुरक्षित रख रहा हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात आ गई है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

मान्यवर, यह क्या बात हुई, मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर अपना निर्णय सुरक्षित किया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के कई माननीय सदस्य अपने—अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी—अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था और उसकी पूर्ति हो गई है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई है, बिना रिपोर्ट के सी0आर0सी0 की एक भी मीटिंग इस बारे में नहीं हुई है, तो मूल्यांकन कहाँ से हो गया ?

(माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल अपनी बात को कहते हुये 'वैल' के समीप आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक माननीय सदस्य इतनी गम्भीर बात को सदन के सामने रख रहा है, क्या उसे पीठ का संरक्षण नहीं मिलेगा ?.........................

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंघल जी, आपका विषय आ गया है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

(शोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार के सम्बन्ध में निर्णय लेना मेरा अधिकार है, उसे मेरे तक सीमित रहने दीजिये।..........................

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि काशीपुर जिला बने, धूमाकोट जिला बने, बीरोंखाल जिला बने, रूड़की जिला बने।..........................

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पीठ से निर्णय आ गया है और उन्होंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। माननीय सदस्य की बात भी आ गई, अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह चाह क्या रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि काशीपुर जिला बने, धूमाकोट जिला बने, बीरोंखाल जिला बने, रूड़की जिला बने।..............................

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पीठ से निर्णय आ गया है और उन्होंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। माननीय सदस्य की बात भी आ गई, अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह चाह क्या रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम चाह रहे हैं कि काशीपुर जिला बने, धूमाकोट जिला बने, बीरोंखाल जिला बने, पिंडर घाटी को जिला बना दो।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 'वेल' के नजदीक खड़े होकर पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, काशीपुर के लिए समिति करेगी। आप कहें कि काशीपुर समिति की सिफारिश पर जिला बनाया जायेगा, धूमाकोट का जिला समिति की सिफारिश पर बनाया जायेगा, चकराता जिला समिति की सिफारिश पर बनाया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, हर विधान सभा को जिला बना दिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी बात आ गयी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आप सरकार को यह निर्देश दे दे कि जो घोषणा है, उसे अभी वापस ले लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका विषय सुन लिया है और निर्णय सुरक्षित करने का मुझे अधिकार है, इसके लिए आप मुझे बाध्य नही कर सकते कि अभी निर्णय दो। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरा वाला निर्णय तो बता दीजिए कि इसमे निर्णय आपका क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष–

कह तो दिया।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इसमें अवमानना का कुछ नही बनता ? मान्यवर, मुझे निर्णय का पता नही चल पाया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, जो आपने प्रश्न उठाया था, उसका दि0 28.09.11 को निर्णय हो चुका ह, सुना दिया गया है।

श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा के साथ घटित घटना के सम्बन्ध में

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मान्यवर, मैंने तो विषय विशेषाधिकार हनन का उठाया था। अगर विधायकों को बिना सुने हुए निर्णय हो जाता है तो मैं क्या कह सकता हूँ। जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया इस सरकार ने मान्यवर, 26 तारीख को मेरी पत्नी का स्वास्थ्य 3–4 साल से ठीक नही था। मैं उनको दिल्ली और फिर कोलकाता लेकर गया और 26 जून को................ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, दि0 28.09.11 को निर्णय हो चुका हैं इस सदन में निर्णय हुआ है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, बिना मेरी बात को सुने हुए कैसे निर्णय हो गया ?

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिले के मसले पर बोलना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, मैं बोलना चाहता हूँ, अपनी बात को रखना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बात रखना चाहूँगा इसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नही कि जिले बनाये जाने के लिए, जिले बनाये जाने की माँग इतने समय से चल रही है और कई बार यह मांग विधान सभा में उठी और विधान सभा में आयी कि पूरे प्रदेश में प्रशासनिक इकाईयों का परिसीमन किया जाय। विधान सभा मे पक्ष आया, सुनवाई हुई, लेकिन इसके बाद मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आज बात हुई है काशीपुर की। काशीपुर की माँग आज से 40 साल पुरानी है, ये कोई झूठ नहीं है। 40 साल पुरानी माँग है और 40 साल पुरानी माँग के बीच मे 05 साल तक कॉंग्रेस की सरकार भी रही। माननीय तिवारी जी ने दो शब्द कहे, माननीय तिवारी जी ने यह स्पष्ट कहा कि जैसे उत्तराखण्ड राज्य मेरी लाश पर बनेगा, काशीपुर जिला भी मेरी लाश पर बनेगा। (व्यवधान) अगर कॉंग्रेस नहीं बना सकी तो हमारी माँग है काशीपुर जिला बनना ही चाहिए, लेकिन इससे पहले (व्यवधान) मान्यवर, यह 30 साल पुरानी माँग है। (व्यवधान) इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः हाथ जोड़ कर करबद्ध निवेदन करता हूँ कि काशीपुर को जिला बनाया जाये। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अगर विधान सभा मे भी मुझे न्याय नही मिल पायेगा। बिना मेरी बात सुने और उस पर अगर निर्णय हो जायेगा। मान्यवर, मेरा सामान फेंक दिया गया और मैं वहाँ नहीं था। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप अवगत हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय का दो बार पत्र आया, उन्हें जवाब दे दिया गया। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं वहाँ नही था, मैंने जब माननीय नेता प्रतिपक्ष को फोन किया, तब वह वहाँ गये और वहाँ पर उनकी भी बात नहीं मानी गई। मान्यवर, बिना मुझे सुने हुए एकतरफा निर्णय दे दिया। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उनको सुना जाना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इस तरह का व्यवहार तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्यवहार किसी भी विधायक के साथ नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी इस सम्मानित सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और दूसरी बार इस सदन में चुन कर आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 28–09–2011 को पूरे सदन में आप लोगों की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया और महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस सम्बन्ध में दो–दो पत्र प्राप्त हुए, उन्होंने यह अपेक्षा की थी कि जल्द से निर्णय हो जाय, इसका उन्हें भी जवाब चला गया। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं चेयर पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुने बिना निर्णय सुना दिया। जो गरीब पार्टी है, उसकी बात आप नहीं सुनेंगे। (किसी सदस्य द्वारा कुछ कहने पर) इसको आप मजाक का विषय मत बनाओं। मान्यवर, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाय, तब तो धिक्कार है, इस सदन का सदस्य रहने पर। (व्यवधान) मान्यवर, इस पर एकतरफा निर्णय ले लिया गया। हमें भी सुनना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अब जब निर्णय हो गया और 5–6 महीने पहले उस पर सदन ने निर्णय दे दिया। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने तो अपनी बात रखी नही है आपके सामने और आपने निर्णय सुना दिया। मैं आप पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं, सुन तो लें।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

आपने इस विषय पर कोई सूचना नहीं दी है, इसलिए इस पर विचार नही किया जा सकता है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सूचना दे रखी है। बिना सूचना के निर्णय हो गया। बिना मुझसे पूछे निर्णय हो गया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या आपने आज सूचना दी है, जिससे इस पर चर्चा हो सके ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष का अपने साथियों पर कोई कंट्रोल नही है। (हँसी)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह कोई मजाक का विषय नही है। मेरे और मेरे परिवार के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। उस घटना के बाद मेरी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया। एक विधायक के साथ इस तरह का अनुचित व्यवहार किया गया, क्या इसे उचित कहा जा सकता है ? (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपस में बात मत करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक की क्या समस्या है, उसे तो सो सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मै तो सुनना चाहता हूँ, लेकिन आप सुनने नही दे रहे हैं। लेकिन किशोर जी, इस बात को ध्यान में रखिये कि इस पर निर्णय हो चुका है। (हँसी) आपने जो कहना है, कह दें। दुबारा लिखित मे दे दें, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, पुनः सुनवाई कर लेगें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी बात को सुना नहीं जा रहा है। मैं यहाँ 'वेल' मे आकर बैठ जाता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी 'वेल' में आकर बैठ गये)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सदन के सम्मुख विषय आया है, उनकी पत्नी बीमार है, हालत ठीक नहीं है। क्या आपको दया नहीं आ रही है ?

श्री अध्यक्ष–

सुन तो रहा हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री यशपाल आर्य एवं रणजीत रावत 'वेल' मे आकर 'वेल' में बैठे माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय को समझाने की कोशिश करने लगे, तत्पश्चात् माननीय किशोर उपाध्याय अपने स्थान में चले गये।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी के साथ जो घटना घटित हुई है, उससे आप भी भिज्ञ हैं और पूरा सदन भिज्ञ है। जो कुछ भी उनके साथ हुआ, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से बड़ा ही खेदजनक है, निन्दनीय है। इस तरह से बलपूर्वक मैं स्वयं मौजूद था घटना के समय। माननीय किशोर उपाध्याय जी उस समय अपने आवास पर नहीं थे, इनकी पत्नी और बच्चे भी आवास पर नही थे और जिस तरह से रविवार के दिन बलपूर्वक मान्यवर, इनका सामान बारिश मे सड़क पर फेंका गया था। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा कोई निर्दयी व्यक्ति होगा, जो ऐसे छोटे बच्चो के कपड़ों को बारिश मे भीगते हुए देखता और उसका भी दिल न पसीजता। लेकिन इस सरकार का दिल नही पसीजा, जिस तरह से इनके छोटे–छोटे बच्चो के कपड़ों को और खिलौनो को उठाकर सड़क पर फेंका गया। ऐसा हमारे अपराधियो पर भी, हमारे देश का कानून इजाजत नहीं देता।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी यहॉं नहीं थे, इस बारे में मैंने मुख्य सचिव को तथा डी0जी0पी0 को टेलीफोन किया कि विधायक जी हमेशा के लिए बाहर नही गये है। जिस दिन विधायक जी यहॉं आ जायेगें तो उनका आवास नियमतः खाली करा देना। लेकिन विधायक जी यहॉं नहीं है, उनके बच्चे यहॉं नहीं है और उनका सामान समेटने वाला कोई नहीं है। इतना ही नही उस दिन ऐसी घनघोर बारिश थी और ऐसी स्थिति मे आप उनका सामान सड़क पर फेंक दें, यह उचित नही है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार में मानवता भी खत्म हो गयी है और नियम की बात आप करते है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिनको मैं कहना नही चाहता हूँ। वैसे भी यह सत्र समाप्ति की ओर है और हम पॉंच साल पूरा कर रहे है। इसमें बहुत सारी कड़वी चीजे हुईं, जिनको मैं कहना नही चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकारें आती हैं और चली जाती है, कभी आप सरकार मे होगे, कभी हम सरकार मे होगे और कभी हम विधायक होंगे, कभी नही होगे। लेकिन हमारा इतना छोटा सा

प्रदेश है, इस 13 जनपदों के प्रदेश में यानी एक करोड़ की जनसंख्या के प्रदेश में, हम जनप्रतिधि अगर एक दूसरे का सम्मान न करें और एक दूसरे की समस्याओं को न देखें तो हम प्रदेश की जनता का क्या सम्मान करेंगे ?

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति माँ के पेट से बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, कॉग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में या यू0के0डी0 के कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुआ है। हम माँ के पेट से इस देश के नागरिक और उत्तराखण्ड के नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं। राजनैतिक रूप में आप बीजेपी के रूप में और हम कॉग्रेस के रूप में, कोई यूकेडी के रूप में और कोई बहुजन समाज पार्टी के रूप में हो सकता है, लेकिन हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। यदि जनप्रतिनिधि न भी हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यवहार चाहे वह चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो या अधिकारी हो ऐसा नहीं किया जाता है। मकान इनके भी खाली कराये जाते हैं और होने भी चाहिए नियम के तहत और नियम सबके लिए है, चाहे विधायक हो या मंत्री हो। अगर माना माननीय किशोर उपाध्याय जी, नियम के विरूद्ध रह भी रहे थे तो भी उनके आने का इंतजार किया जा सकता था, उनका इंतजार किये बिना और उनके परिवार का इंतजार किये बिना जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, यह निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के इतिहास में काले पन्ने के रूप में देखा जायेगा। एक सरकार ने, अपने ही विधायक को इस तरह से अपमान करने का प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष जी, हम भी उत्तर प्रदेश में विधायक रहे हैं और मंत्री जी रहे हैं और मंत्री पद से हटने के बाद यह आवास काफी समय तक हमारे पास रहा यहाँ उत्तराखण्ड में भी, जब मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब भी मंत्री आवास मेरे पास रहा था और हमारे बहुत सारे सत्ता पक्ष के मित्रों के पास, मंत्री पद हटने के बाद भी मंत्री आवास उनके पास रहा। यह जो दोहरा मापदण्ड है कि आने लिए आपका अलग से कानून है और विपक्ष के विधायकों के लिए अलग से आपका कानून है। यह तो दोहरा कानून कर रहे हैं, इस प्रदेश के अन्दर। यह जो बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है, अच्छी नसीहत नहीं है। इस बात को लेकर अगर आप अपनी पीठ थपथपाते रहे, हँसते रहे कि हमने बहुत बढ़िया बहादुरी का काम कर दिया तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कल आप भी सत्ता में आओ और हमारे साथ भी इस तरह का व्यवहार करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की तानाशाही और फासीवादी शक्तियाँ ही इस तरह का काम कर सकती हैं। अगर हम सरकार में होंगे तो कम से कम इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कॉग्रेस के शासनकाल में और कॉगरस के लोगों से नहीं की जा सकती। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मकान भी खाली करा लिया और आज जो सामान की हालत है आज तक पूरा सामान नहीं मिला। माननीय विधायक जी की पत्नी के जो जेवरात हैं, गहने हैं, जो महत्वपूर्ण कागजात हैं, आज तक वे नहीं मिले।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के सदस्य को अगर आपका संरक्षण नहीं मिलेगा, पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं, कार्यवाही करने को तैयार नहीं। आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो अगर एक विधायक इतना असहाय हो जाय कि खुलेआम उसकी पत्नी के गहने, उसके जेवरात आज तक नहीं लौटाये जाए, तो प्रदेश की जनता कितनी असुरक्षित होगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपसे कहना चाहते हैं कि आपका मार्ग दर्शन चाहिए कि माननीय किशोर उपाध्याय जी का जो घर का सामान है, उनका जो भी सामान है, वह सुरक्षित जिस हालत में इन्होंने कब्जे में लिया था, उसी स्थिति मे माननीय किशोर उपाध्याय जी को उपलब्ध कराया जाय। जो किराया आपने, चोरी भी और सीनाजोरी भी, जब आपने मकान खाली करा दिया, एक तरफ आप बिल ला रहे हो भ्रष्टाचार मिटाने का, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, अगर आप माननीय विधायक पर पाँच लाख रु0 का जुर्माना लगाओगे, उनकी कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही कि वे पाँच लाख रु0 जमा करेगा। इससे भ्रष्टाचार पनपेगा और आपके इस बिल का औचित्य खत्म हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम जब आपने मकान खाली करा दिया और बाजार भाव से किराया वसूल भी करोगे, तो फिर खाली क्यों कराया ? अगर आपने खाली करा दिया तो जो बाजार भाव का किराया है, जैसे माननीय विधायक को निःशुल्क मिलता है, विधायक जी ने विधायक निवास मे कोई अलग से आवास तो लिया नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सीमित कर रहा हूँ, लेकिन आपका संरक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से अगर आपका संरक्षण मिल जायेगा तो मैं बात खत्म कर दूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, जब तक हमारे विधायक उस आवास में रहे, विधायक के रूप में निःशुल्क आवास सुविधा मिलती है। उसी आवास को माननीय विधायक का आवास के रूप म मानते हुए कम से कम किराए की वसूली का नोटिस उनको दिया जा रहा है, यह सरकार वापस ले, आपका दिशा–निर्देश मिले, यह संरक्षण माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे चाहते हैं। यह निर्णय आपका, हमारे माननीय किशोर उपाध्याय जी को आपका संरक्षण मिले, विधायिका को संरक्षण मिले, हम सबको संरक्षण मिले।

श्री अध्यक्ष–

इसमे दो सूचनाएँ प्राप्त हुई थीं, एक आपके माध्यम से प्राप्त हुई थी, एक माननीय किशोर उपाध्याय के माध्यम से प्राप्त हुई थी और एक महामहिम राज्यपाल का पत्र प्राप्त हुआ था। इसका सब परीक्षण कराने के पश्चात् महामहिम राज्यपाल जी को भी उसका उत्तर चला गया और आपकी जो सूचना थी, उसका भी निस्तारण सदन में हुआ है। उस आधार पर, इन दोनों सूचनाओं

के आधार पर अग्राह्य कर लिया गया है, तो जो तथ्य आपने प्रस्तुत किये हैं, उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष ने समिति के समक्ष रखा है। मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग.................।

श्री अध्यक्ष–

तीनों का विषय एक ही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उसमें सरकार से अभिकथन लेने के पश्चात् आपका निर्णय हो गया है, उसके बाद उसमे कुछ कहने की कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि उसमें पीठ का मान और सम्मान रहता है, यह सभी विषय उसके अन्दर समाहित हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सामान तो वापस नही हुआ है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ये सभी विषय उसके अन्दर समाहित हैं, जैसा कि आपने कहा कि 5 लाख रुपये किराया भेजा गया, तो जो अनुमन्य आवास है, उस आवास में सीमा के बाद रहते हैं तो उसमें किराया लगेगा ही, उत्तर प्रदेश के समय मे भी हुआ है। जो बिन्दु आपने उठाये हैं, उनका हम परीक्षण कराते हैं कि कहां पर दिक्कत है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब दि0 9 नवम्बर, 2000 को राज्य बना तो तीन महीने तक आवास मिले, उसका किराया तो हमसे लिया गया। यह प्रक्रिया है और विधायक रहते हुये जो माननीय विधायक के लिए अनुमन्य आवास है, वह तो मिलेगा ही। माननीय श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी, जो यहाँ की सदस्य नहीं हैं, वो यू0पी0 में विधायक थी और उनसे किराया लिया गया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इस तरह से मेरा सामान फेंका गया, मेरे कब्जे में आवास था तो इसका मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने धमकी दी कि किशोर उपाध्याय को एल्युमिनेट कर दिया जायेगा, बिल्कुल यही मंशा उसमें साफ रूप से जाहिर होती

है। मान्यवर, मुझे आत्महत्या के लिए मुख्यमंत्री मजबूर कर दें और मुझे आपका संरक्षण भी न मिले, तो कितने दुःख की बात है। इस प्रदेश के लिए, इस विधान सभा के लिए दुःख की बात है। मान्यवर, इस तरह से क्या बदले की कार्यवाही की जायेगी, आप दस गुना किराया लगा देते, इस तरह से हमको बेईज्जत क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष–

दि0 17–7–2011 को सामान मिल गया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो इस प्रदेश में माननीय विधायकों को, जनता को किस संरक्षण मिलेगा, यह सोचने की बात है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरे वाले आश्वासन का निर्णय तो बता दें।

श्री अध्यक्ष–

निर्णय आरक्षित है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यहाँ प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों को कोई संरक्षण नहीं मिलगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यदि आपका निर्णय आरक्षित है तो हम यह मानें कि नये जिलों की घोषणा नही हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

निर्णय आरक्षित है, जो कुछ भी होगा, इसको देख लेंगे।

***श्री तिलक राज बेहड़–**

माननीय अध्यक्ष जी, एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि कल जो रूद्रपुर वाला मामला रखा था, दंगा हुआ है, उसमें जो पीड़ित लोग हैं, वे बाहर आकर बैठे हुये हैं और उनके लिए कल भी मुआवजे की बात कही थी। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 की बैठक में दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>नवम्बर, 2011</u>

01 मंगलवार

विधायी कार्य।

1–उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (दो घण्टा)

2–प0 दीनदयाल उपाध्याय, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ जी अनावश्यक परेशान हो रहे हैं। सरकार इस विषय पर गम्भीर है और हम सम्यक् विचारोपरान्त मुआवजे की धनराशि की घोषणा भी जल्दी ही करेंगे। इस पर जो सुसंगत नियम है, उसके आधार पर परीक्षण करवाया जा रहा है और उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इतना कह दें कि सरकार मुआवजा देगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें संसंगत नियमों के तहत परीक्षण हो रहा ह और उसके सम्यक् विचारोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

नियम 310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण में आरक्षण पूरा न होने से उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास तथा श्री प्रेमानन्द महाजन, दूसरी सूचना उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों की माँगों के सम्बन्ध में श्री सतबीर सिंह नेगी, तीसरी सूचना राज्य में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति को प्रमाण–पत्र न निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में काजी मो० निजामुद्दीन तथा चौथी सूचना ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एन०जी०ओ० के साथ मिलकर सरकार द्वारा गाड़ियाँ ऊँचे किराये पर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री करन मेहरा, श्री मनोज तिवारी, श्री प्रीतम सिंह, श्री रणजीत रावत तथा श्री राजेश जुवाँठा, पाँचवीं सूचना जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक के अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर गोठा सिन्धीआला, ननकुईंया, गुरू नानकनगरी व बैगुल डाम के किनारे पर बसे अन्य गाँवों के लोगों को उनके कब्जे की भूमि की भूमिधरी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल की प्राप्त हुई हैं। इनमें से पहली सूचना संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण में आरक्षण पूरा न होने से सम्बन्धित तथा दूसरी सूचना राज्य में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र न निर्गत किये जाने सम्बन्धित सूचना को, मैं नियम–58 के अन्तर्गत सुन रहा हूँ और शेष सूचनाओं को अग्राह्य करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत....................(घोर व्यवधान)

(राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत, श्री करन मेहरा, श्री मनोज तिवारी एवं श्री प्रीतम सिंह 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे और हाथ में अपनी सूचना को लहराने लगे।)

पहली सूचना श्री गोपाल सिंह राणा, दूसरी सूचना श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री दिनेश अग्रवाल, तीसरी सूचना श्री केदार सिंह रावत, चौथी सूचना श्री हरिदास तथा श्री सुरेन्द्र राकेश, पाँचवी सूचना हाजी तस्लीम अहमद, छठी सूचना श्री मयूख महर, सातवीं सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन, आठवीं सूचना श्री नारायण पाल, नौवी सूचना श्रीमती अमृता रावत, दसवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा ग्यारहवीं सूचना काजी मो० निजामुद्दीन की, कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से पहली सूचना श्री केदार सिंह रावत, दूसरी सूचना हाजी तस्लीम अहमद तथा तीसरी सूचना

श्रीमती अमृता रावत की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

जो सूचनाएं अग्राह्य की गयी है, उन सूचनाओं की ओर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

('वैल' में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहे जाने पर।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का ध्यान सूचना की ओर आकृष्ट करा दिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इस सूचना को ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

देख लूँगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वैल' में खड़े राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत, श्री करन मेहरा, श्री मनोज तिवारी एवं श्री प्रीतम सिंह अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमारी नियम–310 की सूचना पर नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, जब से उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुआ है, सन् 2000 से, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे सरकार कॉंग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जितनी भी सरकारे रही है, सभी ने नियम और कानून तोड़कर संविधान का उल्लंघन करते हुए दलितो की, पिछड़ो की अनदेखी करते हुए कर्मचारियों की नियुक्तियॉं संविदा पर की। पिछले 10 सालो में लगभग 24 हजार नियुक्तिया की गयी। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य का विषय यह है कि उसमे आरक्षण का ध्यान नही रखा गया। जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जो दलितो का, पिछड़ो का हक है, उसका ध्यान नहीं रखा गया और सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशो की भी अवहेलना करते हुए संविदा के कर्मचारियो का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया है।

हम यह चाहते हैं कि कर्मचारियों का नियमितीकरण तो हो, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो हमारा अधिकार है, अनुसूचित जाति का अधिकार है, बैकवर्ड का अधिकार है, संविधान में बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने हमें जो आरक्षण का अधिकार दिया था, हमें वह अधिकार मिलना चाहिए। इन नियुक्तियों में नियमितीकरण तब होना चाहिए, जब हमारा जितना आरक्षण संविधान द्वारा और सरकार द्वारा निर्धारित है, वह मिल जाए, उसके बाद नियमितीकरण होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बैकवर्ड से जुड़ा हुआ है, उत्तराखण्ड की समस्त अनुसूचित जाति की जनता से जुड़ा हुआ है, उत्तराखण्ड की समस्त अनुसूचित जाति की जनता से जुड़ा हुआ है इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जो दलितों का, अनुसूचित जाति के लोगों का अधिकार है, बैकवर्ड का जो अधिकार है, वह आरक्षण हमें मिलना चाहिए। मान्यवर, आप सरकार को यह निर्देशित करें कि इनका अधिकार मिलने के बाद ही नियमितीकरण हो और यहाँ पर जो भी नियुक्तियाँ हों, वह नम्बर एक की नियुक्तियां हों, बैकडोर से नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए और हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। बैकलॉग पूरा होना चाहिए। यह आप सरकार को निर्देशित करें, धन्यवाद।

श्री प्रेमानन्द महाजन—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम—310 की सूचना पर नियम—58 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं अपने आप को माननीय सुरेन्द्र राकेश जी के साथ सम्बद्ध करते हुए यही निवेदन आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ कि जो बैकलॉग है, आरक्षण में जितनी भी पोस्ट आती हैं, उनको भरा जाय और आरक्षण का ध्यान रखा जाय। हम नियमितीकरण के विरोध में नही हैं, हम इसके पक्ष मे है, धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री हरिदास का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नही थे।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी और माननीय प्रेमानन्द महाजन जी ने नियम—310 में सूचना दी थी, जिसे आपने कृपापूर्वक नियम—58 में ग्राह्यता पर सुना है। श्रीमन्, जब मैंने यह सूचना पढ़ी तो मुझे लगा कि जिस तरह से इन्होंने सदन को अवगत कराने का प्रयास किया और जो आपने ग्राह्यता पर बोलते हुए कहा, ऐसा लगा कि जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति की आरक्षित सीटों को भरने का प्रयास किया गया हो या ऐसा कोई प्रयत्न किया गया हो, जिससे वर्तमान में राज्य के अन्दर जो कार्मिक हैं, इनकी नियुक्ति में आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया, ऐसा विषय आप सदन के संज्ञान मे लाए। मैं विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से सदन से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार

भारत के संविधान के सुसंगत प्राविधानों के तहत और राज्य के अन्दर प्रचलित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पूरी तत्परता से कार्य कर रही है और कोई ऐसा विषय जिससे कहीं भारत के सुसंगत प्राविधान बाधित होते हों या मौजूदा प्रचलित व्यवस्थायें टूटती हों, ऐसा कोई निर्देश या आदेश न तो मंत्रि मण्डल ने किया है और न ही सरकार की कोई ऐसा मंशा है। श्रीमन्, विगत 29 अक्टूबर को माननीय मंत्रि–परिषद् ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, यह महत्वपूर्ण इसलिये है, क्योंकि अविभाजित उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से कार्य करते रहने वाले हमारे कार्मिक और राज्य गठन के पश्चात् जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवायें इस राज्य को दी है, यह बहुत सीमित धनराशि में अपनी सेवायें दे रहे थे।

चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को अपने एक निर्णय के माध्यम से तत्कालीन सरकारों को यह निर्देशित किया था कि इनके नियमितीकरण के निर्धारित मानकों के आधार पर यह प्रक्रिया सम्पादित की जाय। लेकिन दुर्भाग्य कि वर्ष, 2006 में यह प्रक्रिया सम्पादित नहीं हो पाई और उसके पश्चात् हमारी मंत्रि–परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 10 अप्रैल, 2010 के निर्णय के आधार पर और माननीय मंत्रि–परिषद् की उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर 01 अप्रैल, 2011 को, ऐसे कार्मिकों को, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व हुई हो, उन्हें नियमित करने के सम्बन्ध में एक नियमावली बनाई जाय।

श्रीमन्, माननीय मंत्रि मण्डल के अनुमोदन के पश्चात् कार्मिक विभाग द्वारा नियमावली तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रक्रियागत विषयों में आरक्षण की व्यवस्था का, सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्थाओं का निश्चित रूप से ध्यान रखा जायगा तथा जो बैकलाग है, उसको भरने के प्रति भी हम काफी प्रयासरत हैं। अभी समूह 'ग' की नियुक्तियाँ निकली थीं और जिन विभागों में ऐसे पदों की रिक्तियाँ हैं, उनको ध्यान में रखकर रिक्तियाँ निकाली जा रही हैं, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नियुक्तियाँ हो रही हैं। माननीय यशपाल आर्य जी भी इस बात से काफी प्रसन्न हो रहे हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, जो महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और ऐसे सभी कार्मिक, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के कालखण्ड से कार्यरत् रहे, उनके नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश के अन्दर विभिन्न विभागों में संविदा, तदर्थ, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन, इत्यादि अनेकों माध्यमों से जो कार्मिक सेवा कर रहे थे, हमारी सरकार ने पूरी तत्परता से इनके नियमितीकरण का मार्ग खोला है। मान्यवर, सदन को सरकार का निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना चाहिए। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर विषय पर अपनी बात रखता हूँ और चूँकि माननीय सुरेन्द्र राकेश जी ने जो संशय व्यक्त किया है, वैसे संशय करने की आवश्यकता नहीं है। आप अनावश्यक ही रूष्ट हो जाते हैं,

संशय करने लगते हैं तो ऐसा संशय करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी सहमत होंगे कि हम पूरी तत्परता से सेवा के भाव से कार्य कर रहे हैं और हर नागरिक के सेवा के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने इसी सदन के सामने यह कहा था, पिछले वर्ष माननीय कण्डारी जी ने कि हम विशेष अभियान चलाकर बैकलॉक पूरा करेंगे, आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि विशेष अभियान चलाकर यह भर्ती करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय प्रेमानन्द महाजन जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।) माननीय काजी मो0 निजामुद्दीन जी उपस्थित नहीं हैं, इनके स्थान पर माननीय करन मेहरा, माननीय मनोज तिवारी, माननीय रणजीत रावत तथा माननीय राजेश जुवाँठा अपनी बात कह देंगे। आप सबकी तरफ से कह दीजिए।

***श्री रणजीत रावत–**

धन्यवाद अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गयी है, खुशियों की सवारी। इसमें प्रसव वाली महिलाओं को 108 के द्वारा अस्पताल पहुँचाना है और अस्पताल से जच्चा और बच्चा को ले जाने के लिए खुशियों की सवारी के नाम पर एक ऑल्टो गाड़ी, जो बहुत छोटी गाड़ी होती है, जिसकी ग्राउण्ड फिलिंग बहुत कम है और पहाड़ों में जैसी रोड़ो की हालत है और जो पिछली आपदा में और इस बार की आपदा में सरकार अभी तक उनकी मरम्मत नहीं कर पायी है। उनमें ऑल्टो गाड़ी मान्यवर, चल नहीं सकती है। ऐसी गाड़ी को खुशियों की गाड़ी का नाम दे करके, पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ क्षेत्रों के जो जच्चा–बच्चा, जिनको ज्यादा सुविधा चाहिए, बढ़िया सस्पेंशन वाल, ज्यादा ग्राउण्ड फिटनेस वाली गाड़ी चाहिए, ज्यादा आरामदेह गाड़ी चाहिए, उनके लिए ऑल्टो गाड़ी लगा करके उनके साथ मजाक किया जा रहा है। मान्यवर, दूसरा इस योजना का जो पहलू है, वो यह है कि एक तरफ राज्य सरकार के कई विभागों में और कई अण्डरटेकिंग में सूमो और बुलेरो जैसी गाड़ियाँ 15 हजार रुपये महीने में अनुबन्धित की गयी है, लेकिन मान्यवर, इस गाड़ी को, ऑल्टो गाड़ी को 20 हजार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हजार से 23 हजार रूपये प्रति माह पर अनुबंधित किया गया है। जिसमें एक बहुत बड़ा घोटाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के पैसे से खेला जा रहा है और 20 हजार से 23 हजार तक अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग, इसकी विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं है, हम जुटा रहे हैं।

मान्यवर, इसमें करीब-करीब एक एन0जी0ओ0 के साथ मिलकर और उस एन0जी0ओ0 को निर्देशित किया जा रहा है कि फलॉ आदमी की गाड़ी लगाओ। कार्यकर्ता से कहा जा रहा है गाड़ी खरीद कर लाओ ऑल्टो और लगा दो। जो जच्चा और बच्चा है, उनको खुशियों की सवारी कार्यक्रम के तहत दुखियों की सवारी में बैठाकर ले जाओ ताकि वो घर जाने तक ज्यादा पीड़ित हो जाएं, ज्यादा परेशान हो जाए और पहुंच भी न पाएं। मान्यवर, जो हालत है रोड की, हम लोग स्कार्पियो, सूमो और बुलेरो से तो अपने क्षेत्रों में पहुँच नहीं पा रहे हैं, ये ऑल्टो गाड़ी कैसे लोगो को और वो भी जच्चा-बच्चा को, सबसे ज्यादा कमजोर होती है जच्चा मान्यवर, और वो बच्चा नवजात जिसने उसी-उसी समय दुनिया में पदार्पण किया होता है, कितना नाजुक होता है, कितना कमजोर होता है, हम सब समझते हैं, उसके लिए ऑल्टो जैसी गाड़ी दुखियों की सवारी माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सदन की कार्यवाही को स्थगित कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने जाने की मॉग करता हूँ। धन्यवाद।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री बंशीधर भगत)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जो सूचना दी गई है कि ऑल्टो गाड़ी से जच्चा-बच्चा को अस्पताल ले जाने का कार्य किया जा रहा हैं वास्तव में यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क तहत प्रसव की सवारी का अभी-अभी कार्यक्रम शुरू किया है जिसको 108 के साथ हमने मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू किया हैं आपका कहना है कि उच्च किराया लेकर ऑल्टो गाड़ी को लेकर जच्चा-बच्चा खुशियों की सवारी को लगाया है मेरी जानकारी के अनुसार हमने इसके लिए सब जगह टण्डर किये हैं, टेण्डर के अनुसार गाड़ियॉ ली हैं। जो गाड़ियॉ उपलब्ध थी, उन गाड़ियों को लिया है सीधे हम इसको नहीं करते हैं।

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, गाड़ी का रैट तो दिया होगा।

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, हमने गाड़ियों का टेण्डर कराये, जो गाड़ियॉ उचित रैट पर आईं, उनको हमने किया है। (व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया विस्तृत सूचना तो आने दीजिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह सूना हमें पहले से नहीं मिली, अभी–अभी आई है हमने टेन्डर से इसको किया है आपने कहा कि इसको आपने ज्यादा रेट में किया है तो मैं इस प्रकरण को दिखवा लूँगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। मेरी माननीय मंत्री जी से इस प्रकरण पर बात हुई थी, मैंने मंत्री जी से कहा कि निजी नम्बरो पर, आप कह रहे है कि निविदा आमंत्रित करके किया है, मेरी जानकारी है कि यह निविदा आमंत्रित करके नही किया है। चकराता मे निजी नम्बर की ऑल्टो गाड़ी है, उसको खुशियों की सवारी के नाम पर अनुबधित कर दिया गया। मै माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि यह आपकी जानकारी में है, आखिर किराये के नाम पर इस प्रदेश को लूटने का काम क्यों किया जा रहा है ? एन0जी0ओ0 के साथ मिलकर इस प्रदेश को लूटने का काम क्यों किया जा रहा है, यह गम्भीर विषय है, इस पर सरकार पुनर्विचार करे, जो ऑल्टो नाम की गाड़ी है, उसके बारे मे विस्तृत जानकारी एन0जी0ओ0 को दें। ऑल्टो गाड़ी तो पहाड़ में चढ नहीं सकती है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, इनको हमें धन्यवाद कहना चाहिए था, इस सरकार को धन्यवाद करना चाहिए था। जैसे ही इन्होंने कहा उसी समय हमने फोन किया कि अगर गलत है तो इसको बदले। फिर मैंने आश्वासन दिया है कि अगर कही गलत हुआ है तो उसको जरूर चैक करवायेगें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री रणजीत रावत, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

***श्री केदार सिंह रावत–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपेन मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मै आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, इस प्रदेश के पहाड़ी जिलों में विकास कार्य, चाहे भवन बन रहे हों, सड़के बन रही हों, पुल बन रहे हो, उसके लिए हम सबको पता है कि स्टोन क्रेशर से रोडी और डस्ट की आवश्यकता बहुत बड़ी मात्रा मे पड रही है पर्वतीय क्षेत्र में सरकार के द्वारा कोई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीति अभी तक घोषित नहीं की गई है, इस स्टोन क्रेशर को स्थापित करने की। मान्यवर, जो स्टोन क्रेशर काम कर रहे थे, उनको बन्द कर दिया गया है और देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी आदि मैदानी क्षेत्रों मे प्रभावशाली लोगो के द्वारा सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर के स्टोन क्रेशर लगाये गये हैं। उससे पर्वतीय क्षेत्रों में उसकी आपूर्ति की जा रही है, जिससे विकास कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री और उस पर लगने वाला भाड़ा 3–4 गुना दामों में उपलब्ध हो रहा है, भाड़ा बढ़ जाता है, जिससे विकास कार्यों की लागत बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र के उद्यमी बेरोजगार, नौजवान, जो इन कार्यों को करना चाहते हैं, वे भी इससे पीड़ित हो रहे हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र के लोगो के साथ एक किस्म का इस सरकार का सौतेला व्यवहार है।

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय ने एक रिट पीटिशन सं0–799/2008 को डिस्पोज ऑफ भी किया है, 16.7.2009 को और एक साल से अधिक का समय व्यतीत होने के बाद इस रिट पीटिशन में माननीय उच्च न्यायालय ने जो डायरैक्शन्स दिये हैं, जो इसके गाइड लाईन्स को कन्सीडर करके लाईसेन्सेज इश्यू करने के निर्देश राज्य सरकार को दिये हैं, अभी तक भी राज्य सरकार उन गाइड लाइन्स के अनुसार नीति निर्धारित नही कर पाई है और लाईसेन्सेज इश्यू नही हो रहे हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्र मे विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ के बेरोजगार उद्यमी है, नौजवान हैं, जो कार्य करना चाहते है, वह भी हतोत्साहित हो रहे हैं। इसलिए मै सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मॉग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत जी द्वारा प्रदेश के पहाड़ी जिलों मे स्टोन क्रेशर की स्थापना के लाईसेन्स न दिये जाने का विषय उठाया है। मै आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत करना चाहता हूँ कि 3 जुलाई, 2008 को प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट और प्लेवराइजर अनुज्ञा नीति, 2008 को प्रख्यापित की गयी थी। उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में मैसर्स हिमालयन युवा ग्रामीण विकास संस्था द्वारा एक वाद दायर किया गया था, जिसके क्रम मे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दि0 16.07.2009 को रोक लगा दी गई। इसके पश्चात् श्रीमन्, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका मे पारित एक अन्य आदेश दिनांक दि0 24.08.2009 द्वारा नई नीति के प्रख्यापन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के आदेश पारित किये गये। जिसके अनुपालन में दिनांक 9 सितम्बर, 2009 को प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता मे 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में गठित समिति द्वारा अपनी आख्या दि0 25.10.2010 को प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर नई स्टोन क्रेशर नीति के प्रख्यापन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नई स्टोन क्रेशर नीति के प्रख्यापन होने तक नये स्टोन क्रेशरों की स्थापना नहीं की जा सकती है। लेकिन श्रीमन्, पूर्व से कार्यरत स्टोन क्रेशरों के संचालन पर शासन द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। जहॉं तक पहाड़ी जिलो में स्टोन क्रेशर की स्थापना का लाईसेन्स दिये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हेतु पृथक से स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लॉन्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, वर्ष, 2011 को भी प्रख्यापित करने के सम्बन्ध मे कार्यवाही की जा रही है, ताकि पर्वतीय क्षेत्र मे पृथक से स्टोन क्रेशर की स्थापना के लिए नीति बन सके और उसके माध्यम से जन सामान्य को, स्थानीय व्यक्तियो को उस स्टोन क्रेशर की स्थापना मे विशेष प्रोत्साहन दिये जाने के साथ–साथ स्थानीय जनता को भी उसका लाभ मिल सके। यह प्रयास सरकार कर रही है। अतः पहले से ही हम इस विषय के बारे में गम्भीर हैं और इस समस्या के समाधान करने की ओर अग्रसर है। अतः यह सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करेंगे।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, समिति की रिपोर्ट आ गयी है और अभी तक इस पर निर्णय नही लिया गया। मान्यवर, इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय केदार सिंह रावत और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

***हाजी तस्लीम अहमद–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखण्ड प्रदेश में, हज कमेटी, उत्तराखण्ड के द्वारा जो हाजी जाते हैं, जिसमें उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री के वी0आई0पी0 कोटे से जो 29 लोगों की सूची प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा फाइनल कर मुम्बई हज कमेटी ऑफ इण्डिया को भेजी गयी, लेकिन वहॉं पता चलाए कि ये वी0आई0पी0 कोटे के हज यात्री पहले ही फर्जी तरीके से चेयरमैन, हज कमेटी द्वारा कुछ गोल–माल करके, घूस लेकर उन्होंने पहले ही भेज दिया गया है। मान्यवर, हज कमेटी में जो सदस्य हैं, उसमें, मैं भी एक सदस्य हूँ, लेकिन हज कमेटी के चेयरमैन ने पहले से ही एक तरफ से कार्यवाही कर, हज कमेटी की जो मीटिंग होती थी, टीकाकरण और जो सुविधा प्रदान करने के लिए, जो मीटिंग बुलायी जाती थी, वह मीटिंग नही की गयी है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जिस तरह से उत्तराखण्ड प्रदेश को हाजियों का यह कोटा मिला है, जिसमें पहले से कुर्रो द्वारा जो हज यात्रियों के नाम निकलते हैं या जिसने चौथी बार लगातार अपने आवेदन किये हैं, उन्हें पहले मौका दिया गया और मैं समझता हूँ कि दो साल पहले भी 29 हाजी का कोटा मिला था और उसमें मैं नहीं समझपाकहाँ–कहाँ पर लापरवाही हुई है ? उसमें कुल 12 आदमी हज पर गये थे, वह भी दो दिन पहले हमें कहीं से पता लगा। उसमें भाग–दौड़ करके हमारे समाज कल्याण मंत्री स्वजान दास जी थे और कण्डारी जी आये थे। लेकिन तत्काल ही उसमें कुल 12 आदमी गये थे और लोगों का बहुत नुकसान हुआ था और लोगो में बहुत रोष भी था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो कोटा उत्तराखण्ड को मिला था, वह कैसे गोल–मोल हो गया, इसकी जॉच भी होनी चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मैं भी लेना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि मैंने कल भी कहा था। घोटाला इतने में भी नही रूकता, जो लोग हज करने गये हैं, वहाँ रहने के लिए बिल्डिंग लेने का काम भी हज कमेटी का है, जो सबसे दूर और घटिया बिल्डिंग है, उसको लिया गया है वहाँ से फोन पर बात हुई तो पता चला कि 30 व्यक्तियों को एक टायलेट और बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है। इस प्रकार वहाँ जो हज यात्री गये हैं, बहुत ही परेशान हैं और जो धार्मिक काम है, जैसा कहा जाता है, कोई चार सौ बीस, कोई छप्पन घोटाला, लेकिन अगर धार्मिक काम में भी घोटाले होंगे, घूस ली जायेगी, वक्फ बोर्ड में घूस ली जायेगी, कुम्भ में घूस ली जायेगी और टू जी स्पैक्ट्रम में घूस ली जायेगी तो फिर इस देश में बचेगा क्या ? एक हजार आदमी मुश्किल से उत्तराखण्ड से वहाँ जाते हैं, उनमें से जो मुख्यमंत्री का कोटा है, उसको बेचने का काम किया गया है। मं मॉग करता हूँ कि क्या सरकार इसकी सी0बी0आई0 जॉच करायेगी ?

***समाज कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह भौर्याल)–**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हाजी तसलीम अहमद जी द्वारा जो नियम–58 के अन्तर्गत राज्य को बढ़े हुए वी0आई0पी0 कोटे के सापेक्ष हज यात्रा के सम्बन्ध मे सूचना दी है। उसके अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनॉक 2 अगस्त, 2011 द्वारा राज्य मे 29 हज यात्रियो का अतिरिक्त कोटा स्वीकृत के क्रम मे शासन के पत्रांक–837, दिनॉक 18 अगस्त, 2011 द्वारा हज समिति को निर्देशित किया गया कि विभिन्न महानुभावों से प्राप्त पत्रों की संकलित सूची तैयार कर उपलब्ध करायी जाय ताकि उच्चानुमोदन प्राप्त करते हुए अनुमोदित सूची हज समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके। इसके पश्चात् हज समिति के पत्राक–558, दिनाक 23 अगस्त, 2011 तथा पुनः दिनांक 08 सितम्बर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2011 द्वारा 146 नामों की संकलित सूची शासन को प्रेषित की गयी। माननीय अध्यक्ष जी, शासन द्वारा अनुमोदित सूची दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 को जारी की गयी तथा पुनः 24 अक्टूबर, 2011 को यह निर्देश दिये गये कि भारत सरकार हज कमेटी ऑफ इण्डिया से समन्वय करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिसके क्रम में उत्तराखण्ड राज्य हज समिति द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए बढ़े हुए कोटे के यात्रियों के पासपोर्ट इत्यादि विभिन्न औपचारिकताएं पूर्ण करायी गयी तथा अन्तिम तिथि समाप्त होने के कारण भारत सरकार द्वारा इन वी0आई0पी0 कोटे के यात्रियों को हज 2011 हेतु प्रस्थान नहीं कराया जा सका। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रारम्भ में आवंटित हज कोटा संख्या–889 थी, इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा सीधे लगभग 191 यात्रियों को हज हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार लगभग 1080 हज यात्री इस वर्ष पवित्र हज यात्रा में भेजे गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नगत प्रकरण पर जॉच करायी जा रही है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जॉच करायी जा रही है।

(माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश एवं श्री हरिदास 'वेल' के पास खड़े होकर पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि इसी जॉच करायेंगे, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश एवं श्री हरिदास अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हाजी तस्लीम अहमद और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

***श्रीमती अमृता रावत–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि पूरे उत्तराखण्ड के जो विद्यालय हैं, उनकी स्थिति बड़ी जीर्ण–शीर्ण बनी हुई है। ऐसे–ऐसे विद्यालय हैं जिसमें कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है और वहाँ के बच्चों को बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। बार–बार शिक्षा विभाग को सूचित करने के पश्चात्

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी विभाग इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। चार साल से मेरी बीरोंखाल विधान सभा क्षेत्र के जिन स्कूलों की मैं माँग करती आ रही हूँ, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि इन साढ़े चार वर्षों में इनमें से एक भी स्कूल के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए अभी तक पैसा उपलब्ध नहीं कराया गया है। बार–बार मैंने सदन में नियम–58 में इस बात को पहले भी लगाया है लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत निम्नलिखित जो जीर्ण–शीर्ण विद्यालय हैं, उनके भवनों के पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यालय परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उससे जो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, उसको व्यवस्थित किया जा सके। मान्यवर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाई, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दिवोलीखाल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिवई, राजकीय इण्टर कॉलेज, बैंजीखाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खितोलिया, राजकीय कन्या इन्टर कॉलेज, बीरोंखाल। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, इसलिए वहाँ के विद्यालयों की स्थिति क्या है, उससे भली–भाँति परिचित हैं। अतः मेरा आपसे यही अनुरोध है कि यह जो अति महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा की माँग करती हूँ। धन्यवाद।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मैं सहमत हूँ कि विद्यालय के भवन सही होने चाहिए, तभी शिक्षा का वातावरण सही होगा। आपने कहा कि बहुत सारे विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है और जीर्णोद्धार के लिए, मरम्मत के लिए कई बार लिखा है, विभाग को और उनकी मरम्मत नहीं हुई है तो मैं आपके विद्यालय के बारे में जहाँ–जहाँ कार्यवाही हुई उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। पहले आपने कहा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नाई तो इसमें 23 छात्र हैं, वर्ष 2002–03 में सर्व शिक्षा अभियान में 2 लाख 75 हजार रुपये नव निर्माण के लिए दिये।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, इस महंगाई के समय में क्या 2 लाख 75 हजार रुपये में भवन का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

उसमें छात्र संख्या कितनी है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उसमें छात्रों की संख्या 23 है और यह चिन्ता का विषय है कि हमारी छात्र संख्या कम है और मैं कह रहा हूँ कि और होनी चाहिए, इसलिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत इतना पैसा दिया गया। मान्यवर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दिवोलीखाल में छात्रों की संख्या 49 है और वर्ष 2012–13 के लिए कक्षा–कक्ष के निर्माण के लिए 3 लाख 70 हजार रुपये प्रस्तावित है, यह पैसा दिया जायेगा मान्यवर, यह स्वीकृत नहीं है, यह प्रस्तावित है, यह पैसा दिया जायेगा। मान्यवर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खिटोटिया, जहाँ पर छात्र संख्या 31 है, वर्ष 2009–10 में कक्षा–कक्ष निर्माण हेतु 1 लाख 85 हजार रु0 दिये गये और राजकीय उच्चतर महाविद्यालय, जिवई में 4 कक्ष ठीक है, 3 कक्ष जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है और लघु मरम्मत के लिए वर्ष 2011–12 में 25 हजार रु0 दिये गये हैं। राजकीय इण्टर कॉलेज, बीरोंखाल, जिसमें 13 कक्षा–कक्ष की मरम्मत होनी है, इस हेतु वर्ष 2011–2 में 25 हजार रु0 लघु मरम्मत हेतु दिये गये हैं। मान्यवर, राजकीय इण्टर कॉलेज, वेदीखाल के लिए वर्ष 2011–12 में 25 हजार रु0 दिये गये हैं। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो कुछ बोला है कि कोई पैसा नही दिया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये आँकड़े प्रस्तुत किये हैं। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, उसकी मैं जाँच करवा दूँगा। मैं प्रयास करूँगा, मगर यह कहना कि कुछ पैसा नही दिया गया, इसलिए यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है और हम प्रयास करेंगे कि इन विद्यालयों की स्थिति ठीक रहे।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2011–12 के लिए इन्होंने 25 हजार रु0 दिये हैं। क्या इन 24 हजार रु0 में माननीय मंत्री जी भवनों का पुनर्निमार्ण करा लेंगे, इन पैसों से तो विद्यालय की पुताई भी नहीं हो पायेगी। विद्यालयों के भवन जीर्ण–शीर्ण हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्या ने कहा कि एक भी पैसा नही मिला है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं पिछले तीन–चार साल से यह बात कह रही हूँ। अब आपने 25 हजार रु0 दिये हैं, इन 24 हजार में क्या हो पायेगा, वर्ष 2011–12 की महंगाई को देखते हुए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्या और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक सूचना मेरी थी, एक जनजाति का मामला था, जेलर का मामला है, जेलर की जो हत्या हुई है, उसी के सम्बन्ध में सूचना है। इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने बताया था कि जो सूचना आज अग्राह्य हुई है और जो नहीं ली जा सकी, उन पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चूंकि यह मामला अपने आप में बहुत गम्भीर है। यह सूचना नहीं आ पायी, आप अपनी सूचना बता दीजिए।

(माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा एवं श्री किशोर उपाध्याय जी द्वारा एक साथ अपनी–अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 के अन्तर्गत मेरी सूचना को ग्राह्य किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, श्री नरेन्द्र सिंह, भोटिया जनजाति से थे और वे रूड़की में प्रभारी, उप कारागार के पद पर तैनात थे। मान्यवर, दिनांक 12–09–2011 को प्रातः 07:45 बजे वे अपने परिजन को बस में बैठाने के लिए कारागार के गेट पर पहुँचे थे। तभी मोटर साईकिल पर सवार 03 अज्ञात हमलावरों द्वारा उन पर गोली चलायी गयी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। नरेन्द्र सिंह भोटिया जनजाति के व्यक्ति थे। मान्यवर, इसकी एफ0आई0आर0 कोतवाली, गंगनहर में की गयी और पुलिस द्वारा कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है परन्तु इसमें जो असली कातिल है, जिसने हत्या की है, वह अभी फरार है, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन और शासन ने कोई कारगर पहल नहीं की है।

मान्यवर, पुलिस प्रशासन सुस्त है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। सरकार को परवाह नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को इस प्रकार सरेआम सुबह–सुबह मार दिया गया और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिन्होंने गोली चलाई है, उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है मात्र दो लोगों को पकड़ कर इस घटनाक्रम में लीपापोती कर दी गयी है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकरण की सी0बी0आई0 जॉच की जाय और जो असली कातिल है,

उनको जेल मे भेजा जाय और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। मैं इस विषय पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रकरण गम्भीर था, इसीलिए तत्काल प्रभाव से इसमें कार्यवाही सम्पादित की गयी है और आपने निर्देशित किया है कि त्वरित गति से कार्यवाही की जाय, तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इसमे कार्यवाही कर रहे हैं और शीघ्र ही दोषी पकड़े जाएगें।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, कब तक पकड़ जाएंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011

मुख्य मंत्री [मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0]–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं आज माननीय सदन के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव रख रहा हूँ। मुझे खुशी भी है और गर्व भी है कि सदन मे मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ ह कि इस प्रकार का प्रस्ताव मैं सदन मे रखूँ, जो हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी साबित होगा। मान्यवर, उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011, जिसको मैं सदन के सामने रख रहा हूँ, इस उद्देश्य से यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि हमारे देश के अन्दर भ्रष्टाचार जो बराबर बढ़ रहा है और जनता भ्रष्टाचार को जीवन का अंग मान कर चल रही है, उस मानसिकता में, उस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाय और जनता के मन में यह भावना और विश्वास जागृत हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और सम्भवतः उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते है। मान्यवर, कई सालो से इस प्रकार की मानसिकता हमारे देश में बन गयी है और बराबर इस साल तक इस तरह की मानसिकता हमारी आम जनता मे थी कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दानव है, जिससे लड़ना तो दूर रहा, हम उसका सामना भी नहीं कर सकते हैं। समय–समय पर इस बात की भी चर्चा होती रही कि सरकारों द्वारा अनेकों प्रकार के कानून बनाए गए लेकिन उनका नतीजा जिस प्रकार से होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

यह साल 2011, सम्भवतः बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष हमारे देश के लिए है, जिसके अन्दर अन्ना हजारे जी ने एक आन्दोलन चलाया। उस आन्दोलन से देश भर के अन्दर एक जागृति पैदा हुई और अचानक आम आदमी सामने आया और उसने हिम्मत जुटाई कि वह इस विचार के साथ है और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अराजकता को खत्म करने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया। इसी उद्देश्य से उत्तराखण्ड में, जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश को यह गौरव प्राप्त है कि दुनिया में हमारी संस्कृति हमारे संस्कार, हमारे चरित्र, हमारी निष्ठा, हमारी ईमानदारी की वजह से, हमारे देश का इतिहास सात हजार-आठ हजार साल पुराना है और सदियों से दुनिया के अन्दर भारत विश्व गुरू के नाम से जाना जाता है और इस विश्व गुरू का जो सरताज है, जो मुकुट है, वह उत्तरॉचल की देवभूमि मानी जाती है।

मुझे यह कहने मे कोई शका नही है, कोई झिझक नहीं है कि पूरे देश और विश्व के अन्दर हमारे उत्तराखण्ड का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता था और आज भी भारतवर्ष के अन्दर यह प्रसिद्ध है कि यहाँ के लोग शरीफ हैं, ईमानदार है, चरित्रवान हैं, विश्वसनीय हैं, लेकिन धीरे-धीरे जिस प्रकार से वातावरण बन गया है, कहीं न कही हम लोग उसमें खो गये है, जो हमारी छवि बनी हुई थी, वह भी कहीं धूमिल हुई है। इन सब बातों को ध्यान मे रखते हुये और हम भ्रष्टाचार का मुकाबला कर सकें, लोगों को ईमानदारी से जनसुविधा दे सकें, जो उन लोगो का अधिकार है और सरकार का भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाने के लिय हम लोग आगे बढ सकें, इस दृष्टिकोण से यह विचार रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत नम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि पिछले डेढ महीने में हमने इस तरह की बाते की है और जिस दिशा मे हम जा रहे है, वह भी इसकी दिशा को इंगित करता है। हमने मुख्यमंत्री के अधीन एक नया विभाग खोला है, जिसका नाम सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा है, इसके नाम से ही इसका काम इंगित होता है। इसी प्रकार से समयबद्ध तरीके से जो जनता का अधिकार है, वह उन्हें मिले, इसके लिये हमने यह काम किया है। हमने मंत्रि मण्डल के सदस्यो और आई0ए0एस0 तथा आई0पी0एस0 अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने के लिये 15 अक्टूबर की तिथि दी थी, सभी लोगो ने अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर दी है और बहुत जल्द हम उसे वैबसाईट पर भी लगाने वाले हैं, जिससे पता चल सके कि जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास कितनी सम्पत्ति है।

मान्यवर, इसी प्रकार हम सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में तथा अन्य विभागो मे स्थानान्तरण करने मे काफी समस्यायें होती थीं, यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि भर्ती और स्थानान्तरण के मामलों मे बड़ी-बड़ी गड़बड़ियॉ हुई और इसके लिये हमने नीति ही नहीं एक कानून बनाया है, एक्ट बनाया है, जिसे

माननीय सदन ने पारित किया है। उसमें हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि किस कार्मिक का किस प्रकार से कहाँ स्थानान्तरण होगा और उसके अन्दर किसी प्रकार की हेरा–फेरी या भ्रष्टाचार नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पृष्ठभूमि में इसलिये जाना चाहता हूँ ताकि पता चल सके कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। मान्यवर, यह जो उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011, मैं माननीय सदन के समक्ष रख रहा हूँ, उसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं कुछ सूचनायें आपको दे रहा हूँ कि कौन–कौन लोग इसके नीचे जायेंगे। मुझे यह कहते हुये अच्छा लगता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इसके नीचे होगा, शायद देश के अन्दर कम ही राज्य ऐसे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री लोकायुक्त के नीचे है। इसके अतिरिक्त मंत्रि–परिषद् के सभी मंत्री इसमें होंगे, सभी विधायक, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद–194 के जो प्राविधान हैं, उसके नीचे होंगे, उत्तराखण्ड राज्य के सभी राज्य सेवक, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी सहित उसके नीचे होंगे। अधीनस्थ न्यायपालिका को भी उसके नीचे रखा गया है, हाईकोर्ट के जजों को इसमें नहीं रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। इसी प्रकार राजकीय सेवकों में जो–जो लोग इसमें आने चाहिये, उन सभी को इसमें रखा गया है।

लोकायुक्त का स्वरूप क्या होगा, लोकायुक्त एक पद ही नहीं होगा, इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने उसको एक संस्था बना दिया है, एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार दिये जायें तो हो सकता है भविष्य में उसका दुरूपयोग हो, इसलिये इस प्रस्ताव के अन्तर्गत लोकायुक्त एक संस्था है, जिसमें पाँच सदस्य होंगे, उनका चयन किस प्रकार से होगा, उसकी प्रक्रिया भी इसमें दी गई है। इस लोकायुक्त की इस संस्था में आधे लोग न्यायपालिका और विधि पृष्ठभूमि के होंगे और आधे लोग ऐसे होंगे, जिनकी सामान्य जीवन में बहुत प्रतिष्ठा हो, जिसकी ईमानदारी पर किसी को शंका नहीं होगी, इस प्रकार के लोग इसमें होंगे।

मान्यवर, लोकायुक्त के सदस्यों के चयन के लिये दो प्रकार की व्यवस्थायें हैं, इसमें जो सदस्य होंगे वह उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री होंगे, वह चयन समिति के अध्यक्ष होंगे और जो सदन के नेता प्रतिपक्ष होंगे, वह इसके सदस्य होंगे, उत्तराखण्ड हाईकोर्ट, नैनीताल का जो कालिजियम होता है, वह लोग दो जजों को अपने आप चुनेंगे और उनके नामों को भेजेंगे, वह इसके सदस्य होंगे। मान्यवर, भविष्य में जो हमारे आगे के लोकपाल के अध्यक्ष बनेंगे। भविष्य में उनको भी, उनमें से जो सबसे वरिष्ठ होगा, अभी भविष्य में हमारे पास एक होगा और जब रिटायर होंगे तो और होंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति उनके अन्दर होगा। इसके अलावा जो अन्य सदस्य अनेक क्षेत्रों से चुने जाएंगे। इसमें जो हमारा बिल है, उसमें श्रेणी दे दी गयी है, किन–किन स्थानों में से लोग चुने जा सकते हैं, जो लोग चुने जाएंगे, लेकिन सब की पृष्ठभूमि ईमानदारी

की, जनसेवा की और बिना किसी दाग की होगी। इसमें यह भी प्रक्रिया बनायी गयी है कि जब उनकी छांट होगी तो आम जनता से भी प्रतिक्रिया ली जायेगी कि कोई शंका तो नहीं है।

इसमें तलाश के लिए एक सर्च कमेटी बनी है, ये लोग तो छांटेगें ही लेकिन इसके बाद नाम शार्ट लिस्ट होकर आएंगे। उस सर्च कमेटी में कौन–कौन होंगे, इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है। इसमें 05 सदस्य होंगे और ये सदस्य किस प्रकार से बनेगे, इसका विवरण इसमें दिया गया है। इसमें यह बात है कि सर्च कमेटी 05 लोगों की होगी, जो भी नाम आएंगे उनके बारे में चर्चा–वार्ता करके और सब जगह से पता करके, वेबसाईट में सूचना दी जाएगी। आम जनता को यह अधिकार होगा कि वह सूचना ले और अगर किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा या वार्ता होती है और अगर 05 में से 02 सदस्य भी यह समझते हैं कि ये ठीक व्यक्ति नहीं है, अनुचित व्यक्ति हैं तो उनका नाम कंसीडर नहीं होगा। इसके बाद इसमें व्यवस्था दी गयी है कि वो कैसे काम करेंगे। ये जो संस्था है, यह देहरादून में होगी। उसमें फुल बेंच क्या होगी और बाकी कमेटियॉ क्या–क्या होंगी, इस बारे में व्यवस्था उसमें दी गयी है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो समय सीमा है 05 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो दिया गया। उनके वेतन वगैरह के बारे में दिया गया है।

लोकायुक्त की सरकार को पूर्ण स्वायत्ता दी जाय, इसकी इसमें अच्छी तरह से व्यवस्था दी गयी हैं उनके काम के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उनके धन के बारे में और इस प्रकार जैसा मैंने कहा कि आर्थिक और प्रशासनिक दोनों पूर्ण रूप से स्वतत्र है। किसी सरकार के ऊपर वो निर्भर न हो, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गयी है और इसमें उनके काम करने का अलग–अलग तरीका दिया गया है। उदाहरण के लिए उनका जो बजट होगा, हाउस मे तो आएगा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी, जैसी इस प्रकार की संस्थाओं के बारे मे होता है लोकायुक्त के अधिकार वगैरह इसमें दिये गये हैं और वो जल्दी से काम करें, इसके लिए विशेष न्यायालयों की भी व्यवस्था है। हमारे पास अभी एक विशेष न्यायालय ह, आवश्यकता पड़ने पर और भी बनेंगे। इसमें एक समय सीमा इनको दे दी गयी है, जो भी काम होगा, उसको 06 महीने के अन्दर इनको कर देना चाहिए। अगर उसके अन्दर कोई बहुत जरूरी बात होती है तो फुल बेंच की इजाजत लेंगे और जयादा से ज्यादा और 06 महीने यानी एक साल के अन्दर जो भी केस शुरू होगा, उसका निस्तारण किया जायेगा।

इसमें एक और व्यवस्था की गयी कि कभी ये कहा जाता रहा है कि जब इस प्रकार की इन्क्वायरी चलती है तो जिस आदमी के ऊपर आरोप होता है, उसको उस समय मौका नहीं दिया जाता है अपनी बात रखने का, तो इससे पहले कि आरोप तय हों और प्रक्रिया शुरू हो, उस व्यक्ति को, जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसको इनकी बेंच या सब कमेटी आपको मौका देगी और

उनसे पूछेंगी उसके बाद अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं कि केस आगे बढ़ाने लायक है, तो उसके बाद केस आगे बढ़ेगा। इसमें यह भी चर्चा समय-समय पर देश में होती रही है कि लोकायुक्त एक व्यक्ति हो या संस्था हो, इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि कहीं गलत रास्ते पर न चल पड़े। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोगों को खासकर अगर परेशान करना हो, उनको ब्लैकमेल करना हो तो इस प्रकार के लोग भी काम कर सकते हैं। इसमें उस प्रकार के लोगों को, जिनका समाज में सिर्फ आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर सीधे-सीधे इस प्रकार के काम न चले, उसके लिए ये बात की गयी है कि तीन श्रेणी के लोग हैं, जिन पर कार्यवाही शुरू करने से पहले एक जगह पूरी बेंच विचार करे।

इसका ये है खासकर राजनीति क्षेत्र में आरोप लगा दिया, उसके बाद सही हो या गलत हो, बदनामी जितनी होती है, वो हो जाती है। इसलिए इसके अन्दर ये व्यवस्था की गयी है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के विरूद्ध कोई अन्वेषण या अभियोजन लोकायुक्त के सभी सदस्यों की फुल बेंच बैठेगी, पीठ बैठेगी और वो उनकी सुनेगी और जब उनको लग होगा कि वास्तव में आरोप आगे बढ़ाने लायक है, तभी वो आरोप बढ़ाएगें। अगर वो समझते हैं कि बदनाम करने के लिए झूठा आरोप है तो आगे नहीं बढ़ाएगें। इस श्रेणी में तीन लोग हैं मुख्यमंत्री, मंत्रि-परिषद् के सदस्य और उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्य। ये दृष्टिकोण राजनीति में अक्सर होता है, आरोप लगा तो सही हो या न हो, उसकी बदनामी हो जाती है। मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें यह भी व्यवस्था की गइ है कि कोई भी आदमी किसी के ऊपर गलत आरोप लगायेगा तो उसको एक लाख रुपये का फाइन यह संस्था लगा सकती है। बजट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बजट उनका खुद व बनायेंगे, वह विधान सभा में आयेगा, लेकिन उस पर चर्चा-वार्ता नहीं होगी। भ्रष्ट राजकीय सेवकों के विरूद्ध 06 माह तक का कठोर दण्ड कम से कम दिया जायेगा। अगर भ्रष्टाचार सही पाया जाता है तो उनके लिए कम से कम 06 माह का कठोर दण्ड होगा और आजीवन कठोर दण्ड दिया जा सकता है।

इसी तरह लोकायुक्त के क्या अधिकार हैं, इसका भी वर्णन इसमें विस्तार से दिया गया है। लोकायुक्त की जवाबदेही, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि बहुत अधिकार मिलने पर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाय तो उसकी जवाबदेही तय की गई है। उसके लिए इसमें इसके रोक-थाम के लिए कुछ नियम कायदें बनायेंगे। लोकायुक्त अथवा लोकायुक्त के किसी अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्र के अधीन होगा, अगर कोई आदेश देते हैं तो हाईकोर्ट इसके अन्दर इसको देख सकता है। इस प्रकार हाउस जो है, उसकी माननीय समिति है, यह लोकायुक्त की वार्षिक समीक्षा करेगी। हर साल एक समिति माननीय अध्यक्ष जी के आदेश पर बनेगी, वह उसकी समीक्षा कर सकती है और उसके ऊपर वह अपने विचार हाउस में

स्वस्थापकर्ता है। लोकायुक्त का अध्यक्ष या उसके कार्यों की जो वार्षिक रूप में रिपोर्ट होगी, वह राज्यपाल को प्रस्तुत की जायेगी। लोकायुक्त प्रत्येक माह में अपने वैबसाइट पर क्या-क्या उसने काम किया है और क्या-क्या उसके निर्णय हैं, वह वैबसाइट पर दिया जायेगा, जिससे आम लोगों को इसका पता चल सकेगा।

पद से हटाने के लिए, अगर अध्यक्ष को या सदस्य को पद से हटाना हो तो उसके लिए भी प्रक्रिया दी गई है और वह प्रक्रिया यह है कि राज्यपाल के द्वारा अन्तिम निर्णय दिया जायेगा। इसमें प्रक्रिया है कि किस बात के लिए उनको हटाया जा सकता है, उसमें दुर्व्यवहार या कदाचार, मानसिक या शारीरिक अस्वस्थता, दीवालियेपन का होना या सदस्य रहते किसी दूसरे व्यापार या रोजगार में होना, आधार पर उनको हटाया जा सकता है। लोकायुक्त के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही, अगर कोई वहाँ पर अपने पद का दुरूपयोग करता या खुद उसी संस्था में रह करके गलत काम करता है तो उसके लिए इसमें प्रक्रिया दी गई है कि कैसे उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार उनके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनेगी। अगर कोई शिकायत आती है तो वह जो अलग संस्था है, वह उसको देखेगी, उसका भी गठन किया जायेगा। परिसम्पत्तियों के बारे में भी इसमें लिखा गया है कि हर साल 30 जून तक अपनी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा सभी राजकीय सेवकों को देना पड़ेगा और अगर जुलाई तक वह सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो फिर उनकी तनख्वाह रोक दी जायेगी।

शिकायतकर्ता को संरक्षण देने के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है किसी प्रकार शिकायतकर्ता का हैरेसमेंट न हो, लोगों को सच्ची शिकायत करने से डराया न जाय, उसकी भी इसमें व्यवस्था की गई है, उसके बारे में इसमें विस्तार से चर्चा दी गई है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई गलत शिकायत करता है और वह संस्था समझती है कि यह गलत शिकायत की जा रही है तो उस पर भी एक लाख तक के दण्ड की व्यवस्था है। यह प्रस्ताव सदन में पारित होने के बाद माननीय राज्यपाल जी को जायेगा और राज्यपाल जी से स्वीकृत होने के बाद 180 दिन के अन्दर हम इसको लागू करेंगे, अगर नहीं होगा तो यह 180 दिन के बाद इसे लागू समझा जायेगा। इसमें पुरस्कार योजना भी है, जैसे आम तरीके से देश में है। अगर कोई सूचना देता है, जैसे और विभागों में भी है, तो उनको पुरस्कार दिया जायेगा। जैसे किसी ने बड़े धन की घोषणा की है और वह प्राप्त हो गया सरकार को तो जैसे अभी तक कायदा है, उसका 10 प्रतिशत इनको मिलेगा, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। अवमानना के लिए भी, जिस प्रकार हमारे कोर्ट को अवमानना की शक्ति दी गई है, उसी प्रकार इसको भी अवमानना पर कार्यवाही करने की शक्ति दी गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह कुछ मुख्य बिन्दु थे। मेरी माननीय सदस्यों से पुनः प्रार्थना है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के और अपने प्रदेश के हित को

देखते हुए और उसके अन्दर यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, अच्छी बात कहना चाहते हैं तो उद्देश्य एक यह है कि इसको इतना सशक्त बनाया जाए कि यह किसी के प्रभाव में न आए, उसको आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए, संवैधानिक स्वतंत्रता दी जाए और इसमें ऐसे लोग शामिल किये जायें, जिन पर सबको विश्वास हो और मानते हों कि वे गलत काम नहीं करेंगे और जो गलत काम करता है या अपने अधिकारों से बाहर जाता है, उसके लिए भी इसमे व्यवस्था है। लेकिन बुनियादी बात और उद्देश्य यह है कि यह जो संस्था है, उसको किसी प्रकार से उसके कार्यों मे सरकार द्वारा हस्तक्षेप न किया जाए। अभी तक अनेक प्रकार की स्वायत्त संस्थायें बनी, लेकिन उनकें वास्तव में कार्य करने की स्वतंत्रता नही है। वे किसी न किसी तरीके से सरकार के अधीन रहती हैं और मौका पड़ने पर वे सरकार के अनुसार ही काम करती है। इस संस्था को ऐसा बनाया जाये, जो स्वतंत्र रहे, सरकार का उस पर कोई हस्तक्षेप न रहे, लेकिन यह भी व्यवस्था की गई है कि एक ऐसा बेकाबू वाली संस्था न बन जाए, जो गलत काम करे और जनहित के जो कम हैं, उसमें बाधा पैदा करे।

इन सब बातो को दृष्टिगत रखते हुए जो यह प्रस्ताव पेश किया गया है, इसको पास किया जाए। मैं समझता हूँ, विशेषकर यह देवभूमि के लिए और हम लोगो के लिए गर्व और श्रेय की बात होगी कि हमारे प्रदेश मे इस तरह का कानून बन रहा है, जिससे उत्तराखण्ड का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष, जो पूरे विश्व मे अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए अच्छा जाना जाता था, उस संस्कृति के अनुसार औऱ उन अच्छे संस्कारो के अनुसार इस काम को हम आगे बढ़ायें, इस प्रकार के विचारो को आगे बढ़ाये। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। देवभूमि उत्तराखण्ड के लोगो पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत बड़ा अधिकार भी है एवं सौभाग्य भी है कि हम अपने इन विचारों को पूरे देश मे आगे बढ़ा सके तो यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दो के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि इसको सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें। (मेजों की थपथपाहट)

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 को विधान सभा की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, लोकायुक्त विधयेक, 2011 जो इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है और आपके मार्गदर्शन मे इस पर चर्चा हो रही है। सम्मानित सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी ने जो संशोधित प्रस्ताव इस सदन के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्मुख प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जो प्रदेश की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जब इस सदन के सम्मुख माननीय मुख्यमंत्री जी लोकायुक्त विधेयक को रख रहे थे और जब कल इस सदन के सम्मुख लोकायुक्त विधेयक रखा गया। मैंने इस विधेयक का गहराई से अध्ययन किया है और गम्भीरता से वाचन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं और मेरी पार्टी शुरू से ही इस प्रदेश मे भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। मुझे आज भी याद है और पहले भी इस बात का उल्लेख किया है कि कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलन के दौरान चाहे मसूरी का काण्ड हो, जिसमें हंसा धनेई ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और बेलमती चौहान ने अपने प्राणो की आहुति दी थी और श्रीनगर का श्रीयंत्र टापू काण्ड, जिसमें भाई बेजपाल ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और खटीमा गोली काण्ड में जिसमें भाई राजेश ने अपनी जान दी थी।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज भी याद है जब उत्तराखण्ड राज्य का आन्दोलन चल रहा था। हमारी माता–बहिनें सड़कों पर नारा लगाती थी कि "आज दो, अभी दो, उत्तराखण्ड राज्य दो।" इससे भी बढ़कर जब कहती थीं कि "बद्री–केदार से आयी आवाज, जागेश्वर से आयी आवाज, हरिद्वार से आयी आवाज, उत्तराखण्ड दे सरकार।" जब हंसा धनेई ने गोली खायी थी और मसूरी, मुजफ्फरनगर काण्ड में मुझे भी जाने का अवसर मिला, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री खण्डूड़ी जी भी थे और मैंने देखा है कि हमारे वीर और वीरांगनाओं ने उन वीर सपूतों की तरह, जो भारत माँ की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, एक वीर सैनिक की तरह, उसी तरह इन्होंने उत्तराखण्ड राज्य क लिए अपने प्राणों की आहुति दी। माननीय अध्यक्ष जी, उनका एक सपना था, एक ऐसा सपना और एक ऐसा संकल्प कि हम तो इस दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा उत्तराखण्ड, जिस उत्तराखण्ड मे किसीवृद्ध और किसी विधवा के ऑंखो में ऑंसू न हों औ एक उत्तराखण्ड, जिस उत्तराखण्ड मे एक नौजवान के चेहरे पर बेरोजगारी की मुरझाहट न हो, ऐसा उत्तराखण्ड बनाने का सपना उन्होंने संजोया था।

उन्होंने मुलायम सिंह जी की सरकार को कह दिया था कि मुलायम सिंह जी, आपकी गोलियॉं कम पड़ जायेंगी और उत्तराखण्ड के माता–बहिनो के सीने गोली खाने के लिए कम नहीं पड़ेंगे, इस जज्बे के साथ उनकी विदाई हुई है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इन 11 वर्षों में उनकी कुर्बानी पर हमको तो राज्य मिल गया, हमने 11 वर्षों तक राज्य का स्थापना दिवस 9 नवम्बर को भी मना लिया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यह कड़वी सच्चाई है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है आज जब उत्तराखण्ड मे धारचूला जाते हैं, मंगलौर जाते हैं, जोशीमठ जाते हैं और पहाड़ तथा मैदान के गॉंवो मे जाते है तो विधवा बहिन के मुँह से बात निकलती है, प्रदेश के बेरोजगार युवकों के मुँह से यह बात

निकलती है कि हमसे कोई गलती तो नही हो गयी और राज्य माँगकर हमसे कोई भूल तो नहीं हो गयी, तो यह नकारात्मक सोच हमारी जनता के मन मे आ गयी है। निगेटिव थिंकिंग हमारे उत्तराखण्ड के जनमानस पर अंकित हो रही है। यह उत्तराखण्ड जैसे नये राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन 11 वर्षों में इस उत्तराखण्ड की चर्चा, मैं किसी राजनीतिक धर्म से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मै पूरे 11 वर्षों की बात कर रहा हूँ, इन 11 वर्षों में उत्तराखण्ड की चर्चा, उत्तराखण्ड प्रदेश की चर्चा, यह जरूर है, जहाँ हमारे वीर सैनिको की वीरता के कारण, उनके शहीद होने के कारण हुई हो, लेकिन वहीं माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तराखण्ड की चर्चा अगर देश और विदेश मे हुई है। हम जब [×××] के हिस्से थे, [×××] के सदन मे हम कहते थे कि हम बिहार की तर्ज पर जा रहे है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज हमें कहते हुए संकोच हो रहा है, दुःख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, हमारी आत्मा रो रही है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में [×××] की तर्ज पर जा रहे हैं, उन प्रदेशो की तर्ज पर जा रहे हैं, जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहाँ भ्रष्टाचार की सीमाएँ लाँघ दी है।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नाम वापस ले रहा हूँ। मैं बिना नाम के उल्लेख करते हुए कहना चाहता हूँ कि क्या उन प्रदेशो की तर्ज पर जिन्होने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए हैं, उनकी तर्ज पर उत्तराखण्ड जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हंसा धनाई की आत्मा देख रही होगी, बेलमती चौहान की आत्मा देख रही होगी तो वह आत्मा रो रही होगी कि क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानी दी है, क्या इस राज्य के लिए हमने कुर्बानी दी है, इन भ्रष्टाचारियो के लिए हमने कुर्बानी दी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अन्ना हजारे का जिक्र कर रहे थे और तमाम देश मे भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलनों का जिक्र उन्होंने किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आज खड़ी हुई है, लेकिन हम तो साढ़े चार सालो से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस प्रदेश की सड़कों पर लड़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, चाहे वह भ्रष्टाचार की लड़ाई हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में हो, चाहे ऋषिकेश के भूमि के घोटाले मे हो, चाहे सीफ गेम के घोटाले में हो, तराई बीज विकास निगम के घोटाले में हो, चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 के टैंको के घोटाले मे हो, चाहे माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस पर 56 घोटालों का फर्जी आरोप लगाया गया था और मान्यवर, जब वर्ष 2012 चुनाव का अवसर आ गया है तो हमारे साथी कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है।

नोटः– [×××] से अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, 5 साल तथ्य जुटाने में लग गये और उस रिपोर्ट में 5 साल विजिलेंस जॉच में लगेंगे और क्या इसी लिए जब इन्होंने हम पर 56 घोटाले के आरोप लगाये थे, तो 56 जल विद्युत परियोजना में घोटाला कर दिया, ये बराबरी करने की कोशिश की कि हमने जो कॉग्रेस पर फर्जी 56 घोटालों का आरोप लगाया था, उसके एवज मे वास्तव 56 जल विद्युत परियोजना मे घोटाला करने की कोशिश इन्होंने की है और इसलिए कॉग्रेस पार्टी उत्तराखण्ड की सड़कों पर, उत्तराखण्ड के सदन मे पिछले साढ़े चार साल मे इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है, संघर्ष करती रही है।

हिन्दुस्तान के संविधान में, सी0आर0पी0सी0 में इतनी ताकत है, इतना मजबूत कानून हमारे देश का है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा कानून है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के वरिष्ठ नेता हैं, मै नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तिहाड़ जेल में बन्द हैं। ये हिन्दुस्तान का संविधान, हिन्दुस्तान के कानून की ताकत है कि हिन्दुस्तान के बहुत बड़े नेता दीपावली के समय में आज तिहाड़ जेल मे बन्द हैं और यह कॉग्रेस पार्टी की सोच ह कि हमारी पार्टी का चाहे कितना वरिष्ठ नेता क्यों न हो, हमारी पार्टी का चाहे कोई मुख्यमंत्री ही क्यों न हो और उल्लेख करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस समय किसी न्यायालय या किसी जॉच एजेंसी के द्वारा उनको आरोपित नही किया गया था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी पीछे बैठे एक साथी ने कैग की रिपोर्ट के बारे मे कहा तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर उस कैग की रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेण्ट के मेम्बर, कॉग्रेस के वरिष्ठ नेता जेल मे हो सकते हैं तो कैग की एक रिपोर्ट उत्तराखण्ड में भी आई है, कुम्भ मेले के घोटाले के लिए कैग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के 500 करोड़ रुपये को कुछ नेताओं ने मिलकर, कुछ अधिकारियों ने मिलकर अपनी जेबें भरने का काम किया है, ठेकेदारों का अनुचित लाभ देने का काम किया गया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मान्यवर, मैं शुरू से कहता रहा हूँ और माननीय पं0 नारायण दत्त तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह जो लोकायुक्त का कानून है, जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तो वर्ष 1975 से लोकायुक्त की व्यवस्था उत्तर प्रदेश मे थी और जब हमारा उत्तराखण्ड बना तो पं0 नारायण दत्त तिवारी जी ने, कॉग्रेस की सरकार ने वर्ष 2002 में लोकायुक्त जैसी महत्वपूर्ण संस्था का गठन उत्तराखण्ड मे किया और इस उद्देश्य से किया कि इस देव भूमि को देव भूमि बनाना है, भ्रष्टाचारियों से इस प्रदेश को मुक्त कराना है, घोटालेबाजों से इस प्रदेश को दूर रखना है। यह कल्पना और यह उद्देश्य माननीय पं0 नारायण दत्त तिवारी का था, कॉग्रेस की सरकार का था।

कॉग्रेस के शासनकाल मे हर वर्ष लोकायुक्त की रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता रहा है, केवल वर्ष 2006–07 मे जब चुनावी वर्ष था और चुनावी वर्ष होने के कारण उस वर्ष विधान सभा के पटल पर कॉग्रेस के शासनकाल में रिपोर्ट को प्रस्तुत नही किया गया है, लेकिन जब से यह सरकार आई है, जो आज लोकायुक्त की बात करती है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, इस सरकार ने जहॉ मीडिया के माध्यम से सदन के सम्मुख प्रदेश की जनता की अदालत में, मान्यवर, हम लगातार इस बात को उठाते रहे कि पिछले चार सालों से लोकायुक्त की रिपोर्ट को सदन के पटल पर नही रखा जा रहा है, तब इस सरकार ने हमारे दबाव मे आकर, प्रदेश की जनता के दबाव में आकर एक साथ चार वर्षों की रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है मान्यवर, पिछले वर्षों में 285 ऐसे मामले है, इसमे लोकायुक्त ने अपनी संस्तुतियॉ दी है, लोकायुक्त ने अपने निर्णय दिये है, जो सरकार की धूल चाटती फाईलों मे, ठंडे बस्तो मे दबी पड़ी हैं। एक भी मामले मे सरकार ने किसी भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट लोकसेवक के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कोशिश नही की है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा भ्रष्टाचार के खिलाफ नही है, यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नही चाहती है। मान्यवर, कॉग्रेस पार्टी चाहती है सशक्त लोकायुक्त बिल आना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए, जिससे किसी भी भ्रष्टाचारी के बचने की कोई गुजाइश न हो, कोई पतली गली न हो। माननीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'। माननीय शहजाद जी, यही कहावत है ?

श्री शहजाद–

मान्यवर, मेरा नम्बर आयेगा तो मैं बता दूॅगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया समय का ध्यान रखे।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं समझता हूॅं कि आपको कहने का अधिकार नहीं है, घोटाले काफी हो चुके है। यह बात सिर्फ हम कह सकते है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया भाषण जारी रखें।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, मै आपको एक राय देता हूॅं, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई है। नपी–तुली बात कहनी चाहिए और शार्ट में कहनी चाहिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने तो हमेशा आपकी बात मानी है और इन्हीं की बात मानकर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और इन्हीं की बात मानकर मुझे यहाँ पहुँचने का मौका मिलेगा। अभी इन्होंने मेरे बर्थ डे पर भी मुझे आशीर्वाद दिया कि आप राजनीतिक उन्नति करें, आप बहुत तरक्की करें। अब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ ही, इससे बड़ी तरक्की क्या हो सकती है इससे बड़ी तरक्की तो तभी होगी, जब मैं उधर बैठ जाऊँ। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने कहा था आप मेरे छोटे भाई हैं, मगर नेता प्रतिपक्ष आप हमेशा बने रहें और चमकते रहें। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस समय आपको खुश करने के लिए कह रहे हैं। माननीय प्रेम सिंह जी, यदि ये ऐसी बात नहीं कहते तो आपको हँसी नहीं आती और माननीय खण्डूड़ी जी के चेहरे पर हँसी नहीं आती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो बहुत शार्ट मे बोलना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बीच में बोलते रहेंगे तो बात तो बढ़ेगी ही। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी होती और केवल मुझको नहीं और केवल हमारे सम्मानित कॉग्रेस के विधायकों को नहीं, केवल प्रदेश की जनता को नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता को खुशी होती। मान्यवर, पहले लोकपाल और लोकायुक्त मे अन्तर तो कर लो। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह लोकायुक्त कानून, जो उत्तराखण्ड में पहले से ही कॉग्रेस शासनकाल मे बना था, उसको सशक्त करने का कानून, उसको मजबूत करने का कानून, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का कानून, जब मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2007 में शपथ ली थी, प्रदेश की जनता ने इनको जनादेश दिया था, इन्होंने चुनाव घोषणा–पत्र में कहा था हम सरकार में आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देंगे, अगर उस दिन इन्होंने, इस सरकार ने सदन के पटल पर यह विधेयक वर्ष 2007 में रखा होता तो केवल हरक सिंह रावत ने ही नहीं, केवल कॉग्रेस के विधायकों ने ही नहीं, पूरे उत्तराखण्ड की जनता ने इसका स्वागत किया होता।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आज भी कर रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वर्ष 2012 बताएगा, स्वागत कर रही है या नहीं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2007–08, 08–09, 09–10, 10–11, 11–12, इन पाँच सालों में जो 420 घोटाले हुए हैं, भाजपा सरकार के उन घोटालों से, उस भ्रष्टाचार से यह प्रदेश बच जाता और जो हमारे बहुत सारे साथी इस सदन के

सदस्य हैं, बहुत सारे लोक सेवक, जो सचिवालय में बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, अगर यह लोकायुक्त कानून वर्ष 2007 में आ गया होता तो इनमें से बहुत सारे लोगों की जगह इस सदन में नहीं, सचिवालय में नहीं, सुद्धोवाला जेल में होती। (मेजों की थपथपाहट) इस प्रदेश की जनता इसका स्वागत करती। (व्यवधान) मैंने कहा 100 चुहिया खाकर बिल्ली हज को चली। साढ़े चार साल मलाई खाते रहो, जनता को लूटते रहो, मजे लो, भ्रष्टाचार करते रहो, घोटाले करते रहो। एल0टी0 की नियुक्ति में घोटाले, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ट्रांसफर में घोटाले ? यह ऐसी सरकार है जो, यह आरोप हरक सिंह रावत का नहीं है, पूरे प्रदेश की आम जनता का है कि टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी 2 लाख से लेकर 5 लाख तक रिश्वत लेती हो।

एल0टी0 की नियुक्ति में, यह बात हरक सिंह रावत नहीं कह रहा है, उत्तराखण्ड का यह बेरोजगार नौजवान, जिसने अपनी माँ के गहने बेचकर, अपने खेत और खलिहान को बेच कर 8-8 लाख रुपये रिश्वत दी है, एल0टी0 की नियुक्तियों में। आज यह आवाज है उसकी, हरक सिंह रावत की आवाज के रूप में। उसकी अभिव्यक्ति है, हरक सिंह रावत की अभिव्यक्ति के रूप में इस सदन के सम्मुख। आप लूटते रहे, इस प्रदेश के लोगों को ठगते रहे और अब माला जपने लगे राम-राम, हम तो सन्यासी हो गये। मैंने मदन कौशिक जी से कहा था।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

मान्यवर, इन्होंने घोटाले किये हैं या नहीं, इनकी जाँच हो जानी चाहिए।

डा0 हरक सिंह रावत-

सुरेन्द्र राकेश जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने कौशिक जी से वर्ष 2007 में हाथ जोड़कर कहा था कि कौशिक जी, तुम हरिद्वार के पण्डितों ने देश और दुनिया को बहुत ठगा है, इस उत्तराखण्ड पर रहम करना, लेकिन पिछले साढ़े चार सालों में इन्होंने रहम नहीं किया।

***गन्ना एवं पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)-**

मान्यवर, अभी 56 घोटालों में 9 मंत्री फंसे हैं। (व्यवधान) अब देखो कौन-कौन फंसा है ? रिपोर्ट सार्वजनिक हो गयी। वह तो टी0वी0 पर आ रहा है, मैंने टी0वी0 पर देखकर बताया।

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, 420 में कितने होंगे ? (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, यह तो पता नहीं कितने होंगे। (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह संसदीय परम्परा है कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य पर आरोप नहीं लगा सकता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन तो व्यवस्थित हो। मान्यवर, अगर सदन व्यवस्थित नहीं होगा और अगर कोई कुछ बोलेगा तो मुझे उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सीमा, अपने स्वास्थ्य और समय का भी ध्यान रखिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह तो समय की माँग है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि टाईम एण्ड टाईड वैट फॉर नन अर्थात समय और ज्वार–भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से है कि आप बहुत अच्छे पद पर बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद आपका नम्बर आता है और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। मगर जो झूठे आरोप आप लगाते हैं, उससे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि मेरे आरोप झूठे थे, (व्यवधान) आपने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, आपने सत्य से परे कहा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं तो संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सही बोल रहा हूँ, आई एम राईट।

श्री शहजाद–

मान्यवर, साढू भाई, दूसरे साढू भाई से कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर यह विधेयक वर्ष 2007 में आया होता, इस प्रदेश में जनता, जो साढ़े चार–पाँच साल से पिसती रही है, जो नुकसान प्रदेश को हुआ

है, उस नुकसान से प्रदेश बच सकता था। माननीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा सदन के अन्दर और सदन के बाहर सत्य बातें की हैं और हमारी सब बातों का हमेशा नतीजा निकला है। जब–जब हमने सच बोला है और अगर हमने घोटालों का पर्दाफाश नहीं किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी को पाँच साल में तीन मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, लोकायुक्त विधेयक पर चर्चा हो रही है, हम माननीय नेता प्रतिपक्ष के महत्वपूर्ण सुझाव लेना चाहते हैं। यह भाषण तो आप बाहर जाकर भी दे सकते हैं और यह सदन भी आपके महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत होना चाहता है आप कुछ ऐसे सुझाव दें, जिससे इसे और प्रभावी बनाया जा सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। जो चिन्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाहिर की है, उस पर भी यदि आप बोल लेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके आभारी रहेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, एक घंटा होने को आया है और 20 लोगों के नाम की सूची मेरे पास है, कृपया समय का भी ध्यान रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, सदन आपको प्रायश्चित कराना है।

श्री अध्यक्ष–

आप इधर देखकर बात कीजिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं तो उधर देख ही नहीं रहा हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह लोग जबरदस्ती इनकी तरफ देख रहे हैं, यह बेचारे क्या करें ? (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप इतने सौम्य हैं कि मेरा मन आपको ही देखने को होता है, लेकिन यह प्रेम अग्रवाल नहीं चाहते कि मैं आपको देखूँ। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

समय का भी ध्यान रखना है, अभी 20 लोगों की सूची मेरे पास है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ अक्टूबर–नवम्बर का हिसाब नहीं देना है, पूरे पाँच साल का हिसाब देना है और यह लोकायुक्त कानून, मैंने कहा है कि लोकायुक्त कानून सशक्त बने, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन अब चुनाव का समय है। आज पहली नवम्बर है, दिसम्बर के माह में किसी भी दिन आचार संहिता लग जायेगी, जनवरी मे नामांकन होंगे, फरवरी मे चुनाव होंगे और मार्च में नई सरकार बन जायेगी और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे कि 180 दिन के अन्दर इसका क्रियान्वयन होना है, अधिकतम 180 दिनो में इसका क्रियान्वयन होना है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा तुरन्त या ज्यादा से ज्यादा 180 दिन।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यही मैंने भी अधिकतम बोला। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अधिकतम 180 दिन से पहले इसका क्रियान्वयन होना है। अब माननीय अध्यक्ष जी, मार्च मे नयी सरकार बनेगी। आपका यह विधेयक जो, और बहुत सही शब्द कह रहा हूँ, माननीय खण्डूड़ी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जो राजनीतिक टोटका है, यह भाजपा सरकार इस प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यह कानून नहीं लाई या प्रदेश में जनता को राहत पहुँचाने को यह कानून नहीं लाई। चुनाव के समय मे केवल एक राजनीतिक टोटके के रूप मे प्रयोग करना चाहते हैं। राजनीतिक टोटका माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश की जनता के गले नहीं उतरने वाला है, क्योंकि आपसे पूरे 05 साल, 05 साल से एक दिन कम नहीं, एक दिन अधिक नहीं, पूरे 05 साल का हिसाब इस उत्तराखण्ड की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपसे मागना चाहती है। पूरे 05 साल का और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल बडी गहराई से अध्ययन किया है और यह विधेयक हमारे देश के कानून मे मैंने पहले भी कहा कि 20 से अधिक कानून हैं इस देश के संविधान में, इस देश की सी0आर0पी0सी0 मे जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। अगर देश की सी0आर0पी0सी0 व्यवस्था में कानून, मजबूत कानून नहीं होते तो कलमाडी तिहाड जेल में नहीं होते, राजा जी तिहाड जेल मे नही होते, मधु कोडा तिहाड जेल मे नही होता, करूणानिधि की लडकी तिहाड जेल में नही होती, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री तिहाड जेल में नही होते। 20 से अधिक कानून इस देश के संविधान में, सी0आर0पी0सी0 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए,

"मंजिलें उनको मिलती है, जिनके सपनो म जान होती है।

पखों से नही, ऊँचे हौसलों से उडान होती है।।"

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बैठे—बैठे कुछ कहे जाने पर) लेकिन कण्डारी जी ने कहा ही कहा है, इनमें हौसले होते तो यह प्रदेश इन 05 सालों मे भ्रष्टाचार मुक्त, जो घोषणा—पत्र आपका था, ये प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होता। लेकिन यह प्रदेश 05 सालो मे भ्रष्टाचारमुक्त के बजाय भ्रष्टाचारयुक्त बन गया, और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सड़क पर खड्डे नही, खड्डो मे सड़क बन गयी। ये सरकार का दृश्य है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमें राजनीतिक स्लोगन के लिए यह बात कह दी कि मुख्यमंत्री को भी इसके दायरे मे लाये, मंत्रि—परिषद् के सदस्य को इसके दायरे में लाया गया, विधान सभा के सदस्यों को इसके दायरे में लाया गया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, लोकायुक्त के सभी अध्यक्ष और सभी सदस्य जब तक सहमत नही होंगे, तब तक किसी के खिलाफ मुकदमा नही चलाया जा सकता, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मै डिफेंस स्टडी के विद्यार्थी हूँ, टीचर हूँ। सुरक्षा परिषद् का मैंने अध्ययन किया हैं आज तक दुनिया में जितने झगड़े हुए हैं, जितनी लड़ाईया हुई हैं, सुरक्षा परिषद् के सदस्य मे से अगर एक ने भी वीटो पॉवर यूज कर दिया तो कभी फैसला ही नहीं हो पाया और माननीय अध्यक्ष जी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर एक अपंग काउन्सिल के रूप मे दुनिया में पहचानी जाती है। जिस तरह माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष, सम्मानित सदस्य सब की एक राय नही होगी, किसी एक सदस्य को भी मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रियों ने मैनेज कर लिया तो उसके खिलाफ तो कभी कोई कार्यवाही ही नहीं हो पायेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसमे बहुत सारी खामियाँ हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई निर्णय हो जायेगा, वह जेल मे रहेगा, उसके खिलाफ स्टे नही मिल सकता, हाईकोर्ट से भी स्टे के आदेश की इसमें व्यवस्था नहीं है। एक विचाराधीन व्यक्ति, चाहे उसने गलती की हो या न की हो, वह बिना गलती के जेल मे रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें तमाम ऐसी खामियाँ हैं।

कर्नाटक के लोकायुक्त कानून का हमने अध्ययन किया है, सतर्कता विभाग जो विजिलेंस है, वह लोकायुक्त के अन्दर में नही है। अगर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी, चाहे पुलिस का है, चाहे विजिलेंस का है, उसको अगर लोकायुक्त कोई जाँच सौंपता है तो वह डी0जी0पी0 के खिलाफ क्या जॉच करेगा, एक सी0ओ0 रैंक का अधिकारी ? एक डी0एस0पी0 रैंक का अधिकारी, चीफ सेकेट्री के खिलाफ क्या जॉच करेगा ? होम सेकेट्री के खिलाफ क्या जॉच करेगा ? इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से तमाम खामियॉ इस विधेयक में हैं। यह विधेयक प्रदेश से भ्रष्टाचार रोकने के लिए, प्रदेश के भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सक्षम नही हैं इसमे तमाम ऐसे प्राविधान हैं जो उत्तराखण्ड की भौगोलिक, यहाँ की सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियो के हिसाब से न

अनुकूल हैं, न सक्षम हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि एक सशक्त लोकायुक्त बिल बने, लोकायुक्त कानून बने।

हम चाहते हैं प्रदेश भ्रष्टाचारमुक्त बने, हम चाहते है जो भी इस प्रदेश की गरीब लोगों को गाढ़ी कमाई खाने का काम करे, चाहे वह हरक सिंह रावत हो या कोई और हो। जब भी लोग कहते है, आपने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है तो मैंने हमेशा कहा है, अगर हरक सिंह रावत ने भी अपने हाथ में कानून लिया है, हमने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो हरक सिंह रावत की भी जगह लीडर ऑफ अपोजीशन की कुर्सी पर नहीं, विधान सभा में नहीं, जेल में होनी चाहिए। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इतना सशक्त कानून होना चाहिए, लेकिन सशक्त कानून बनाते हुए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि हम इतना सशक्त कानून न बना दें कि प्रदेश का लोकतंत्र कमजोर हो जाय। प्रदेश का लोकतंत्र और विधायिका जिस दिन कमजोर होगी, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान में कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, उस विधायिका द्वारा बनाये हुए कानून का क्रियान्वयन करने का अधिकार कार्यपालिका को है और जब विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है तो कार्यपालिका उसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसको एक्सप्लेन करने का अधिकार कार्यपालिका को है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है अगर वह विधायिका, लोकतंत्र कमजोर होगा तो यह प्रदेश विकास के रास्ते पर पीछे चला जायेगा।

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसको बड़ी गम्भीरता के साथ लिया जाना चाहिए, इसका कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं होना चाहिए और किसी कानून को बनाते हुए मान्यवर, राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से प्रदेश में कानून नहीं बनना चाहिए, प्रदेश के अन्दर कोई कानून बने या प्रदेश के अन्दर कोई व्यवस्था हो तो वह भारतीय जनता पार्टी, कॉंग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से नहीं, प्रदेश की जनता के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक मे और भी गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है और भी विचार–विमर्श करने की आवश्यकता है और चूँकि हम चुनाव के मैदान में जा रहे है और अच्छा हो हम अपनी बात को जनता के बीच मे कहें, आप हमारे खिलाफ जनसभा मे कहे कि कॉंग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और हम आपकी बात कहेंगे। जनता का फैसला आ जायेगा कि प्रदेश मे कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। प्रदेश की जनता का फैसला आयेगा फरवरी माह मे, कौन भ्रष्टाचार मुक्त इस प्रदेश को बनाना चाहता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रदेश के पत्रकारों से, इस प्रदेश के वकीलो से, बुद्धिजीवियों से, किसानो से, अल्पसंख्यको से, दलितो से, नवयुवको से, जब प्रवर समिति को यह विधेयक सौंपा जायेगा। प्रवर समिति प्रदेश के विभिन्न वर्गों से बात–चीत करे, उनके सुझाव ले कि प्रदेश का लोकायुक्त कानून कैसा बने, कितना मजबूत बने, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश

बने, सबके सुझाव लिये जाएं और जो देश के विभिन्न प्रदेशों में सशक्त लोकायुक्त कानून हैं, अच्छे कानून हैं, लचीले कानून हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई वाले कानून हैं, उन कानूनों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन कानूनों का अध्ययन करने के बाद मैं सोचता हू कि इस मन्थन के बाद, देश के विभिन्न प्रदेशों के लोकायुक्त कानूनों का अध्ययन करने के बाद, प्रदेश के विभिन्न कोनो मे समाज के विभिन्न वर्गों से बात–चीत करने के बाद, चर्चा करने के बाद प्रवर समिति जब इस सदन को अपना प्रतिवेदन सौंपेगी, उस मन्थन के बाद जो निकलकर आयेगा माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से समुद्र मन्थन के बाद जो निकलकर आयेगा माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से समुद्र मथन के बाद अमृत निकलकर आया था।

मुझे पूरा विश्वास है कि प्रवर समिति को जब यह विधेयक सौंपा जायेगा और प्रवर समिति जब इसकी गहराई में जायेगी और इस मन्थन के बाद जो अमृत निकलेगा, यह इस उत्तराखण्ड के भ्रष्टाचारी दानव को समाप्त करने के लिए सक्षम होगा, यह निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री शहजाद

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोकायुक्त विधेयक पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत ही अच्छे शब्दो में कई बाते कही, लेकिन उनकी कुछ बातें विचित्र भी लगी। जब भी हम इकट्ठे बैठते हैं। मेरे उनसे बहुत ही मधुर सम्बन्ध भी हैं। कई बार इन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है और कहा कि जब मैं बहुजन समाज पार्टी का सदस्य था तो उन्होंने मेरे एक लैटर पैड पर तीन जिले और इतनी तहसील बनाई और कई बार तारीफ की।

डा0 हरक सिंह रावत–

शहजाद जी, मैंने जो उत्तर प्रदेश की बात की है, यह मैं मायावती के शासनकाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पार्टी की लाईन पर बात नही की। मैंने केवल उत्तर प्रदेश की बात करी है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का नाम जब कार्यवाही से निकाल दिया गया है तो दो बारा उसकी चर्चा की क्या आवश्यकता है ?

श्री शहजाद–

मान्यवर, लेकिन आज जो माहौल पूरे भारत वर्ष में, चाहे अन्ना जी द्वारा आन्दोलन करके बना हो या बाबा रामदेव जी द्वारा आन्दोलन से बना हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बना है और देश के प्रधानमत्री जी ने भी कहा

है कि भ्रष्टाचार को चोट करने का समय आ गया है। इन दोनों ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने विचार–विमर्श किया। इसमे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को बुला करके लोकायुक्त के ड्राफ्ट के सम्बन्ध में बातचीत की, हमने उस समय भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि अच्छा होता कैबिनेट की मीटिंग होने से पहले विपक्ष को बुला करके विधेयक पर बातचीत होती और एक सहमति बनती, लेकिन ऐसा नही हुआ, फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कदम उत्तराखण्ड सरकार ने उठाये है, भ्रष्टाचार के नाते हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक चक्की है, उसमें हमेशा गरीब व्यक्ति पिसता आया हैं, उसमें कभी बड़े उद्योगपति नहीं पिसते हैं।

अक्सर देखने को मिलता है कि कई करोड़ रुपये के घोटाले सामने आते हैं, लेकिन यहाँ अच्छा यह भी हुआ होता, जो पिछले पाँच साल से 56 घोटाले की बात सुनते आये हैं, इसमें मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, उन 56 घोटालो की रिपोर्ट भी इस आखिरी सदन में रखी जाती। वास्तव मे ये 56 घोटाले हैं क्या ? और जो दूसरी पार्टी है, वह 420 घोटालों की बात करती है, कल को कोई 820 घोटालों की बात करेगा। लेकिन जो 56 घोआले पहले हुए हैं, उन 56 घोटालो का हिसाब–किताब हो जाय, फिर उन 420 घोटालों का हिसाब–किताब लेने का काम जनता बाद में करेगी। इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकायुक्त विधेयक लाया गया है और सिटीजन चार्टर लाया गया है यह एक अच्छी पहल कही जासकती हैं लेकिन इसको जमीन पर उतारना और कर्मचारियो और अधिकारियों का आचरण ठीक होना, एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति, यह सरकार दिखाये। अगर सरकार कहीं भी कमजोरी हुई तो मैं समझता हूँ कि फिर यह कागजो में और अखबारो की सुर्खिया ही बन जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार मे वे गरीब पिसते हैं, जिस गरीब ने सबसे ज्यादा बढ़–चढ़कर देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, सबसे ज्यादा मतदान करके, रैलियों में भीड़ करके, प्रोग्राम को सक्सेस करके, जो अपने सपनों की सरकार लाने का काम करते हैं। उस गरीब की, सत्ता मिलने के बाद कोई सुध लेने वाला नही होता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह एक बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योकि मै किसी राज परिवार मे पैदा नही हुआ हूँ, मै किसी राजनैतिक परिवार में पैदा नही हुआ हूँ। मैं जीरो से चल करके यहाँ आया हूँ, मैं हर उस भ्रष्टाचार से जूझता आया हूँ। हर उस पीड़ा से, सामन्तवादी व्यवस्था से जूझ कर यहाँ पहुँचा हूँ, जैसे हमारी नेता आदरणीय बहनजी ने जीरो से उठकर मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है, अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में न होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न ही शहजाद विधायक हो सकता था, न हरिदास विधायक हो सकता था और न तस्लीम विधायक हो सकता था। काजी विधायक हो सकता था, चौधरी विधायक हो सकता था, शहजाद विधायक नहीं हो सकता था। अगर मतदान करना किसी ने सिखाया है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ रहा है, अगर राजा और रंक को एक रास्ते पर, एक रोड पर

चलाने का कोई काम कर रहा है, अगर भेड़ और शेर एक घाट पर पानी पीने का काम कर रहे है तो वह सिर्फ हिन्दुस्तान में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जो एक रास्ते पर चलाने का काम करती है, चाहे वह राजा भैय्या रहा हो या बसपा का कोई मंत्री रहा हो, अनेक एम0एल0एच0 सासंद ऐसे होंगे, जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया और जेल भिजवाने का काम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया।

टिकट में कितने देने पड़ते है या लेने पड़ते हैं, सबसे ज्यादा पार्टी के टिकट आज की तारीख में कौन बेच रहा है, या इनके यहाँ बिकते होंगे या फिर तुम्हारी पार्टी मे बिकते होंगे। मेरी एक लाख रु0 की हसियत नही और हरिदास जी कोटे का काम करते थे, वह सस्ते गल्ले की दुकान होती है, हमारी जॉच करा लीजिए। अगर हमारी पैसे देने की औकात थी टिकट लेने के लिए तो हमने दिये होंगे। प्रेम जी, हम भू–माफिया नही हैं, आपको कह रहा हूँ। आपको कह रहा हूँ। बाजरी में जो आपने अत्याचार मचाया हुआ है, जो गरीबो की जमीन दाबी गयी है, जो ग्राम समाज की जमीन दाबी गयी है, जो ग्राम समाज की जमीन दाबी गयी है, उनका हमें दुःख है, अगर हम सत्ता मे आयेंगे तो छुड़वाने का काम करेगे। कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। भाषा का आचरण ये करें, जो सुनने में आपको दिक्कत न हो। यहाँ एक दूसरे को सब जानते हैं, कौन क्या करता है, सब जाने है। कुम्भ घोटालों का पता है तो हमे पटवारी घोटाले का भी पता है, दरोगा घोटाले का भी पता है। हम आपसे सीख कर आये हैं, लेकिन बात को धैर्य से सुनिये, पिसता कौन है, बिल्कुल अच्छी तरह हम बचपन से दोनो संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं। हमारे बाप दादा कोई रजवाड़े नहीं थे, हमने संघर्ष किया है, जो आज यहाँ पर पहुचे हैं। हम मंत्रियों और विधायकों को हराकर यहाँ पहुँचे हैं।

(सदस्यों के बात करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आपस में बात न करिये।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, एक घंटा नहीं लूँगा। मुझे पता है, कितना लेना है, लेकिन अपनी पीड़ा कह रहा हूँ। मैंने कल भी कहा है और मैं आज जानना चाहता हूँ, सदन के माध्यम से, कल नेहरू जी ने एक अपनी बात रखी और उसमें कहा कि 'समुदाय विशेष के साथ', तो समुदाय विशेष क्या है ? ये मैं भी पढ़ कर आया हूँ थोड़ा बहुत, मैंने लोगों से जानकारी ली है, अपने यारो, दोस्तों, पत्रकार दोस्तो से जानकारी ली कि भाई समुदाय विशेष क्या है, इसका कहीं हमे उल्लेख नही मिला। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि समुदाय विशेष कौन सी जाति बन गयी ? कौन सा धर्म बन गया, क्या हो

गया ? क्योंकि मैं जिस समाज से हूँ, जहाँ से हम आते है, हमारे साथ तीसरे चौथे दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ईमानदारी भारत में आए, अगर हिन्दुस्तान मे ईमानदारी होगी तो उत्तराखण्ड में भी ईमानदारी होगी। अगर दिल्ली ईमानदार होगी तो 100 प्रतिशत भारत के राज्य ईमानदार होंगे। यह मेरा मानना है, हम सुधरेंगे तो जमाना सुधरेगा, लेकिन हम सुधरने का काम नही कर रहे है, 60, 63 साल के राज मे किसने सबसे ज्यादा राज किया है, तो कोई पहले पर है, कोई दूसरे पर है।

हमे पॉच साल का मौका उत्तर प्रदेश में मिला है, तो वह राज वहाँ है कि मान्यवर, अगर आप ऑकड़े देखेंगे तो सब से कम क्राईम यदि कही है तो वह उत्तर प्रदेश में है और दूसरी पार्टियों मे दलितों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और प्रदेश संगठन मे पद मिल रहे है, तो वह देन भी बहुजन समाज पार्टी की है। अगर बहुजन समाज पार्टी न हो तो कुछ भी नहीं है। जैसा हाल श्री राजकुमार का हुआ है, वैसा ही दूसरे का होगा। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, जो ईमानदारी के मुद्दे पर ही पैदा हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे पर ही पैदा हुई है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सी0बी0आइ0 नहीं है, उसके पास अन्य चीजें नही हैं, उसे अनेक बार तोड़ने का प्रयास किया गया है सी0बी0आई0 के माध्यम से। दुरूपयोग होता है सी0बी0आई0 का, यह सब जानते हैं, क्योकि दूसरी पार्टियों के लोग थे, चाहे [×××] हो [×××] हो या दूसरे लोग हों, वे जेल मे हैं और [×××] जैसे बाहर है, ये क्या है ? तो एक कानून, एक समान राज पूरे देश में लागू हो और माननीय अध्यक्ष जी, मै माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूँ कि पहले इसको लाये है, इसलिए हमें लोकायुक्त का समर्थन करता हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जो माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम क्यों लिया गया ?

श्री अध्यक्ष–

जिन व्यक्तियों के नाम लिये गये है और वे हमारे सदन के सदस्य नहीं हैं और यहाँ पर उपस्थित नही है, उनके नाम कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

***श्री बिशन सिंह चुफाल–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, मै आपका आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया है तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक विधेयक है। उत्तराखण्ड राज्य एक स्वावलम्बी राज्य बने, एक शक्तिशाली राजय बने, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विधेयक यहाँ पर लाया गया, तो इस विधेयक को

नोटः– [×××] ये अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाने से निश्चित रूप से प्रदेश में पारदर्शिता होगी और समय सीमा के अन्तर्गत काम पूरे होंगे और समय की भी बचत होगी और साथ में उसका लाभ आम व्यक्ति को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद पहली निर्वाचित सरकार ने, प्रदेश में कॉग्रेस ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 5 साल के उनके कार्यकाल में 56 घोटाले हुये, लेकिन कॉग्रेस ने कभी यह नहीं सोचा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने कोई भी कानून इस सदन में लाने का प्रयास नहीं किया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कानून को यहाँ पर प्रस्तुत किया। मान्यवर, विपक्ष के बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से इसका समर्थन किया, उसी तरह मैं कॉग्रेस के भाई लोगों से भी कहूँगा कि इस विधेयक का आप समर्थन करें और आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता आपको याद करेगी।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, इसका विरोध नहीं किया है, इसके लिए सुझाव दिये हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, बहुत–बहुत स्वागत है आपका, आप सुझाव दे सकते हैं और चर्चा में भाग ले सकते हैं। दो घण्टे का समय दिया गया है, हम तो पक्ष की बात रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूँ कि मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, बहुत–बहुत धन्यवाद।

*श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यह चुनावी वर्ष ह और चुनाव बहुत नजदीक है और जल्दबाजी में आफरा–तफरी मे यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, इससे अच्छा होता कि सरकार एक स्वस्थ डिबेट करती, चर्चा होती एव परिचर्चा होती और विभिन्न फर्मों में इस बात पर बहस होती और जो हमारे प्रमुख न्यायविद् है और प्रबुद्ध जानकार हैं, इनसे निश्चित रूप से विचार किया जाता, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अधिकतम 180 दिन मे, यानि कि छः माह में इसको लागू कर सकेंगे। मान्यवर, इसमें मेरा यह मानना है कि इसमें कोई खुली डिबेट नहीं हुई है। इसमें कोई स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन एक चुनावी रणनीति के तहत यह एक जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार इस पर 116 वां संशोधन विधेयक लाने वाली है और इसमे सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, श्री जे0एस0 शर्मा और हमारे श्री एम0एम0 वैंकट चलैया, इस संशोधन का ड्राफ्ट भी तैयार कर रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें गहनता से अध्ययन भी हो रहा है, इसमें लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देकर इसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और क्या शक्तियाँ हैं, इसका निर्धारण कर, एक सशक्त, मजबूत लोकपाल विधेयक केन्द्र में आ रहा है मान्यवर, इस उत्तराखण्ड की सरकार ने इस लोकायुक्त विधेयक का किस तरह से प्रारूप हो और किस तरह से यह सदन में प्रस्तुत हो और किस तरह से पास हो, इसका भी इंतजार इस राज्य सरकार ने नहीं किया है। तो स्पष्ट है कि लोकायुक्त विधेयक को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गयी, इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है ? मैं तो समझता हूँ कि यह चुनावी दृष्टिकोण से लाया हुआ लोकायुक्त विधेयक है और इसके पीछे सरकार की नीयत राजनीतिक लाभ लेने की है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से दो–तीन सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार ने यहाँ पर लोकायुक्त के गठन में मौजूदा लोकायुक्त की पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार ने यहाँ पर लोकायुक्त के गठन में मौजूदा लोकायुक्त की राय ली है ? क्या उत्तराखण्ड में जो विधि आयोग है, उससे परामर्श लिया है ? क्या सरकार ने न्याय और गृह विभाग से क्या टिप्पणियाँ आयी हैं और अगर परामर्श और टिप्पणियों को न्याय और गृह विभाग से माँगा गया है तो क्या उन टिप्पणियों को सदन के सम्मुख लाया जाना चाहिए था या नहीं यह सवाल हमारे सामने है।

मान्यवर, मेरा मानना है कि यह विधेयक निश्चित रूप से बन्द कमरे में, जल्दबाजी में, चुनावी लाभ की दृष्टि से उठाया हुआ कदम है और बंद कमरे में इसका फैसला हुआ है मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय, भारत सरकार का अधिष्ठान है और यह संघीय सूची में आता है। इसके अधिकार, कर्तव्य और शक्तियाँ और अधिकारिता के सम्बन्ध में समय–समय पर संसद ही फैसला कर सकती है, यह सत्य है। मान्यवर, इस अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–9 में दो विद्वान न्यायाधीशों को इसमें चयन समिति में आपने रखा है। उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को आपने इसमें रखा है और इस अधिनियम की धारा–8 (1) में आपने लोकायुक्त को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की हैं। मान्यवर, आपने न्यायालय की शक्तियाँ भी उन्हें दी हैं। मान्यवर, एक ही संस्था को पुलिस और न्याय दोनों शक्तियाँ देना क्या विधिसंगत है, यह सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

मान्यवर, दूसरा सवाल है, न्यायालय के पास अधिकार है सर्च वारंट का, यह अधिकार न्यायालय के अधीन है। लेकिन धारा–90 में लोकायुक्त को यह अधिकार दे दिया गया है, मान्यवर, लोकायुक्त एक अभियोजन जाँच एजेन्सी है मेरा यह मानना है कि इसको न्यायालय की शक्तियाँ कैसे दी जा सकती है ? न्यायालय की शक्ति लोकायुक्त को कैसे दी जा सकती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद–251 में यह व्यवस्था है कि राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी विधि अथवा कानून किसी केन्द्रीय अधिनियम का

अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उसके विपरीत नहीं जा सकते । राज्य विधान सभा को यह अधिकार नहीं है, लेकिन लोकायुक्त विधेयक मे ऐसे प्राविधान किये गये हैं, जो संविधान की धारा–251 के प्रतिकूल हैं। उदाहरण स्वरूप लोकायुक्त को ऐसी शक्तियाँ दी गयी है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत गठित किये गये विशेष न्यायालयों मे निहित हैं। मान्यवर, आपने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा है, लेकिन जो निचली अदालत हैं, उनके न्यायिक अधिकारियों को आपने इसके दायरे में कर दिया हैं जो सब ऑर्डिनेट हैं, उनको तो लोकायुक्त की जाँच के दायरे मे ले आए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशो को इससे बाहर रखा है।

मान्यवर, संविधान के अध्याय–6 में दिये गये अनुच्छेदों मे धारा–233 से 237 तक स्पष्ट प्राविधान दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों को कार्यपालिका एवं विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखकर इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। मान्यवर, संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख है और कांग्रेस तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करने देने के लिए ज्यूडिशियल एकाउण्टबिलिटी बिल, न्यायिक उत्तरदायित्व विधेयक लाने जा रही है। मान्यवर, लोकायुक्त के अधिकारों में कटौती करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में, अफरा–तफरी मे, चुनावी लाभ लेने के लिए जो आपने कसरत की है, इससे आप लोगों को ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखण्ड की भारतीय जनता पार्टी सरकार सही मायनों मे ईमानदार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है तो पिछले पाँच सालो मे जो घोटाले हुए है, पूरी सरकार कटघरे मे खड़ी दिखाई देती है।

कैग की रिपोर्ट मे सारे मामले आ चुके है, 230 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला साबित हो चुका है, तो क्या राज्य सरकार को पहले उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी या नही ? 56 घोटालो की बात, हमारे माननीय पोखरियाल साहब कहते हैं कि 56 घोटाले, 56 घोटाले, 5 साल के 56 घोटाले। एक भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार साबित नहीं कर पाई, पिछले 5 सालों में। अब फिर चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप एक शिगूफा, एक झूठ का पुलिन्दा जनता के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। निश्चित रूप से यह लोकायुक्त विधेयक एक प्रकार से बन्द कमरे में किया गया फैसला है, जल्दबाजी मे किया गया फैसला है। इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, कानूनी राय ली जानी चाहिए थी। आपके पास विधि विभाग है, न्याय विभाग है, उनकी टिप्पणियाँ क्या आयी है ? न्याय विभाग और विधि विभाग ने क्या टिप्पणियाँ दी हैं, सदन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यह जल्दबाजी में और अफरा–तफरी में लाया गया है।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, है ये भी इसके दायरे में आएंगे, लेकिन इसमें यह

भी कहा गया है कि जो हमारी एक कमेटी होगी, लोकायुक्त का जो परिवार होगा, वह सर्वसम्मति से फैसला करेगा कि यह दागी है या बेदागी है या इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये। इसके लिये बहुमत का आधार बनाना चाहिये थे, इससे मतैक्य नहीं होगा और भ्रष्टाचारी खुलेआम घूमता रहेगा। इसलिये मेरा यह कहना है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना ही बेहतर होगा।

*श्री राजेश उर्फ राजेश जुवाँठा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूँ। मान्यवर, प्रदेश सरकार जो लोकायुक्त विधेयक आज लाई है, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहूँगा कि सरकार को सबसे पहले जो विधायक आज विधान सभा में रखा गया, इसकी जानकारी विधान सभा के सभी सदस्यों को पहले ही देनी चाहिये थी और जो हमारे प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग है, उनसे भी सुझाव लिये जाने चाहिये थे तथा इस प्रदेश की जनता के सामने इस विधेयक को रखना चाहिये था। जब प्रदेश की आम जनता से सुझाव सरकार को प्राप्त हो जाते, उसके बाद इस विधेयक का ड्राफ्ट फाइनल होता तो ज्यादा अच्छा होता। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तराखण्ड प्रदेश भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो चुका है कि आज प्रदेश की जनता इससे बहुत परेशान है। जो ड्राफ्ट आज हमारे सामने रखा गया है, मैं समझता हूँ कि सरकार और चन्द आई0ए0एस0 अधिकारियो के बीच मे ही बैठकर यह ड्राफ्ट तैयार किया गया होगा। आज प्रदेश की जनता जो भ्रष्टाचार से परेशान है और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा विभाग नही होगा, जहाँ बिना कमीशन के कोई काम हो रहा होगा, बिना पैसा दिये कोई काम हो रहा होगा।

मान्यवर, आज आप चाहे किसी भी विभाग को ले लीजिये, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, या चाहे सिंचाई विभाग हो, वहाँ पर 40–40 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है, सिंचाई विभाग मे 30 से 35 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है। अभी हमारे प्रदेश मे दैवीय आपदा आई थी और भारत सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये सरकार को दिये गये, मैं समझता हूँ कि आज तक भी उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया है, वह पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि इस समय पाँच साल मे इस सरकार मे जो भ्रष्टाचार हुये हैं, सरकार सबसे पहले उनकी जाँच करे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्हे सजा दी जाय। मान्यवर, प्रदेश की जनता जानती है कि दो महीने बाद चुनाव है औऱ दो महीने पहले यह विधेयक लाया गया। यदि यह विधेयक सरकार के गठन के समय जब खंडूड़ी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब इस विधेयक को लाते तो ज्यादा अच्छा होता, आज जब दो महीने चुनाव के रह गये तो विधेयक लाया जा रहा हैं इसलिये प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि यह मात्र एक चुनावी रणनीति है, मात्र सस्ती लोकप्रियता हासिल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय और प्रदेश के बुद्धिजीवियों की इसमें राय ली जाय, तब जाकर इस ड्राफ्ट को फाईनल किया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

*श्री खड़क सिंह बोहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकायुक्त विधेयक, 2011 पेश करके एक ऐतिहासिक कार्य किया है। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा कि देवभूमि उत्तरॉचल, जो देवताओं की भूमि के नाम से जानी जाती है, यहॉं से देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक सराहनीय पहल हुई है। इससे पूर्व सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट और भ्रष्टाचार से कमायी गयी सम्पत्तियों को जब्त करने के जो तीन विधेयक इस सम्मानित सदन ने पिछले समय पास किये, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज पूरे देश की निगाहें इस देवभूमि पर लगी हुई हैं, क्योंकि देवभूमि हमेशा एक आस्था, श्रद्धा का केन्द्र रहा है और भारत के मुकुट के रूप में कार्य करता रहा है, तो यहॉं से इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मिटाने का कार्य इस देवभूमि से प्रारम्भ हुआ, निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे होंगे। जहॉं तक हमारे कुछ विपक्षी सदस्यों का कहना है कि अब क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि विधेयक पास हो गया, जो सदन की सम्पत्ति होगा, मान्यवर, दूसरी सरकार उस विधेयक को लागू नही करेगी, ऐसा नहीं है। यो तो सदन की सम्पत्ति बन गया। एक ऐसी सराहनीय पहल हुई है इस उत्तराखण्ड की देवभूमि से कि यह सदन की सम्पत्ति बनेगा और सबसे बड़ी बात यह है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं और अधिकारी गैलरी में कोई एक भी अधिकारी नही है। यह क्या हो रहा है ? आप देखें मान्यवर।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, इस विधेयक की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें तमाम कार्यपालिका के अधीकारी, छोटे–बड़े सभी प्रकार के अधिकारीगण, पूर्व और वर्तमान इस सदन के सदस्य, मंत्रिमण्डल के सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री आदि सभी रखे हैं। इसके पूर्व भी देश मे कई कानून हैं, मैंने नहीं कहा, मैं इत्तफाक करता हूँ कि साथियों से, मगर कोई ऐसा सख्त कानून नही था। जिनमें कई बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जॉच आयोग बनते थे, जॉच आयोगो की रिपोर्टें आने मे वर्षों लग जाते थे। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि इनके समय के 56 घोटालों की जॉच के लिए जो कमीशन बना था, उसको 05 साल लग गये, मगर इस सशक्त लोकपाल बिल में केवल एक साल के अन्दर दोषी के खिलाफ 06 माह के अन्दर ट्रायल और अधिकतम एक साल के अन्दर जॉच कर उसके खिलाफ परिणाम, उसके रिजल्ट मिलने का एक सशक्त प्राविधान इसमे किया गया है मान्यवर, आज हम सभी चाहे इधर के लोग बैठे हो, चाहे उधर के लोग बैठे हों,आज हम सभी लोगो के लिए जो भी हम राजनीतिक जीवन के लोग है, लोग शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। आज सारे देश में भ्रष्टाचार की इतनी जबरदस्त लहर है कि करोड़ो, हजारो नही, लाखों, अरबों के घोटाले होने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री घोटालो से आजिज आ करके कहते है कि भ्रष्टाचार पर चोट करने का यही एक सही समय है और वो अवसर आ गया है, जब उत्तराखण्ड की इस सरकार ने सराहनीय कार्य करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर चोट करने का जो पहला काम इस उत्तराखण्ड से किया है, वो सारे देश मे नजीर बनेगा। अधिक न कहते हुए माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, हो सकता है कि हमको रातभर बैठना पड़े। हमको, मेरे विचार से इस पर मंथन करना चाहिए, जो सदस्य इस पर अपना विचार रखना चाहते हैं, भाषण नही देना चाहते हैं, विधेयक पर बात करना चाहते हैं, उनको अवसर देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधेयक यहॉ पर प्रस्तुत किया है, जो उसकी तर्कसंगत धारायें है, उनके बारे मे बोलूँगा। मै यह नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार कर दिया और कॉग्रेस ने नही किया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अब तक जो है सीधे–सीधे, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम एक दूसरे को तब से जानते है, जब हम राजनीति मे भी नहीं थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो पिछला चार साल का कार्यकाल रहा है, उसमें जो डर्टी लेयर है, उसको धोने का काम खण्डूड़ी जी को दिया गया है, उनकी छवि को देखते हुए। इस जल्दबाजी में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया ह।

सबसे पहले मुख्यमत्री जी ने खुद स्वीकार कर लिया, आपने इसमे व्यवस्था रखी है कि इसमें पॉच से ले करके सात तक सदस्य होंगे, उनकी बैंच भी होगी, दो–दो की भी होगी, सात अगर होंगे, इसका मतलब तीन बैंच होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया है कि आपको तीन–तीन बैंच स्थापित करने की आवश्यकता यहॉ पर पड़ गई। इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमत्री जी के संज्ञान में होगा,

उनके पास बहुत से साधन है सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। पूरा का पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार से व्याप्त हो गया है, इसमें तीन-तीन पीठ बना दी जायें, जिससे जल्दी इसका निवारण हो सके। दूसरा मान्यवर, इसमें आपने जो चयन की व्यवस्था रखी है, आपने चयन की व्यवस्था यह रख दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे। जिसके माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष होंगे या नेता प्रतिपक्ष की भी मैं बात कर रहा हूँ और वो जिनका चयन करेंगे। कल मान लीजिए जब उन मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला आता है, जिन्होंने इसको चयन किया है, वह क्या न्याय कर पायेंगे उस शिकायत के खिलाफ।

आप यह कर दें ठीक है माननीय मुख्यमंत्री नहीं रहें, नेता प्रतिपक्ष उसमें नही रहे। आप विधान सभा की एक कमेटी बना दीजिए, हमारे ऊपर भी आपका विश्वास नहीं था तो आप उच्च न्यायालय से निवेदन कर लेते, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे यह बात कहने का मौका देंगे। आपको खाली यह लग रहा है कि जो लोग पढ़े-लिखे हैं, उन्हीं को जानकारी होती है। आपने इसमें बाध्यता कर दी कि 20 साल तक इसमे वो लोग, जिसको विशेषज्ञ राय होगी। इस प्रदेश का गरीब आदमी, किसान आदमी, महात्मा गाँधी जी कहते थे कि अगर आपके पढ़े-लिखो की समझ मे बात न आये तो आप सबसे गरीब आदमी के पास चले जाइये। क्या गरीब आदमी इस प्रदेश मे लोकायुक्त नही हो सकता, क्या दलित आदमी इस प्रदेश मे लोकायुक्त नहीं हो सकता ? क्या अल्पसंख्यक नही हो सकता है, क्या महिला नहीं हो सकती ? जिस तरह से इस विधेयक को लाया गया है। मेरे ख्याल से जो उच्चतम न्यायालय है, उसके न्यायाधीश की भी रिआयरमेंट की उम्र भी 70 साल नही हुई है, आपने जो लोकायुक्त है, उसकी रिटायमेंट की उम्र 70 साल रख दी, शायद आपने कोई कैलकूलेशन किया हो, इसलिए 70 साल रख रहे हों।

आपने जब तक लोकायुक्त, इसमे अगर अन्वेषण और अभियोजन में आप जायें 06 में, जब तक लोकायुक्त अन्वेषण शाखा का गठन नहीं कर लेते, अगर मान लीजिए 10 साल तक उसने अन्वेषण शाखा का गठन नहीं किया तो पूरी तरह से सरकार लोकायुक्त के ऊपर हावी रहेगी। मान्यवर, इसके अलावा आपने सारी की सारी जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसको आपने ध्वस्त कर दिया है। आपने जो संविधान की धारा-124, संविधान की धारा-214 और संविधान की धारा-223, उनमे आपने सीधे-सीधे अतिक्रमण करने का काम कर दिया। लोकायुक्त को पद से हटाया जाए, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं कि लोकायुक्त के खिलाफ यदि कुछ होगा तो उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही विद्वान हैं, बड़ा उनका अनुभव है। उच्चतम न्यायालय के पास आज कितने मामले पैन्डिंग हैं, उसके पास खाली उत्तराखण्ड के ही मामले नही है कि आप उच्चतम न्यायालय के पास जायेंगे और उनसे आप कहेंगे कि हमारे यहाँ के लोकायुक्त को हटा दीजिए। उसके लिए आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि आप उसके लिए विधान सभा को अधिकृत कर देते जैसे

संसद में न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग आता है तो क्या आपको विधान सभा के सदस्यों पर विश्वास नहीं है, विधान सभा पर विश्वास नहीं है ? यहाँ पर जो चुन करके प्रतिनिधि आ रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं है और मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय को आप डिक्टेट करेंगे, क्या यह आपके अधिकार क्षेत्र में है ?

इसके अलावा मान्यवर, उच्चतम न्यायालय ऐसे ही इसके अध्यक्ष और सदस्य के निलम्बन के लिए भी निर्देश दे सकता हैं कौन जायेगा उच्चतम न्यायालय के पास, सरकार जायेगी या आम आदमी जायेगा ? इस तरह की व्यवस्थायें इस विधेयक में कर दी गई हैं और मान्यवर, उच्चतम न्यायालय इसमें बाध्यता कर दी गई है। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय को बाध्य कर दिया गया है, ऐसा सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से इसी प्रदेश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बुरा न माने, आपने क्या बाध्यता कर दी है कि किसी ऐसी कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय ऐसे अध्यक्ष और सदस्य के निलम्बन के लिए भी निर्देश दे सकता है। क्या आप उच्चतम न्यायालय को निर्देश दे सकते हैं, उसको डिक्टेट करने का काम कर रहे है ? उसके बाद उच्चतम न्यायालय यथा सम्भव इस धारा के अधीन शिकायत की प्राप्ति के तीन माह के भीतर अपनी संस्तुति देगी। मेरे ख्याल से इतनी ताकत तो भारत के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय को आप निर्देश दे सकें। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतने शक्तिशाली हैं और यदि शिकायत गलत पाई जाती है या विद्वेषवश की गई है तो उच्चतम न्यायालय ऐसे शिकायतकर्ता को अर्थदण्ड अथवा कारागार की सजा, जो एक वर्ष तक हो सकेगी अथवा दोनों हो सकेगी, यह उच्चतम न्यायालय को निर्देश है, हमारे।

मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ कि इतने शक्तिशाली मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखण्ड की धरती पर जन्म लिया है, मैं इस धरती का आभारी हूँ। उसके बाद जैसा अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा मुख्यमंत्री, मंत्रि परिषद, विधायक, जब तक सातों के सातों और पाँचों के पाँचों यहाँ नहीं होंगे और एकमत नहीं होंगे, तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसमें आप व्यवस्था कर देते कि ठीक है दो लोगों की पीठ बैठेगी और यदि उनको लगता है...............।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, आप तो बड़े विद्वान शास्त्री हैं। पहले ठीक से पढ़ तो लें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं तो यही पढ़ रहा हूँ जो इसमें लिखा है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, चश्मा लगाकर ठीक से पढ़ें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, चश्मा लगा रखा है, मै नहीं पढ़ रहा हूँ जो हमें सर्कुलेट किया गया है। मान्यवर, शिकायतकर्ता का संरक्षण, जो धारा–22 है, उसमे लोकायुक्त शिकायतकर्ता को किसी शारीरिक क्षति अथवा उत्पीडन से पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु समुचित निर्देश दे सकेगा। यदि शिकायतकर्ता यह चाहता हो कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाय तो उसे सुनिश्चित किया जायेगा। आपने इसमे यह व्यवस्था नहीं रखी है। मैं इसमे निवेदन करना चाहता हूँ कि शिकायतकर्ता की पहचान लोकायुक्त के यहाँ गोपनीय नहीं रही तो उसमें उसके लिए दण्ड का क्या प्राविधान है, इसमे होना चाहिए था। इसमें एक और बड़ी बात कही गयी है कि लोक सेवकों की परिसम्पत्ति का विवरण, जो धारा–29 में है, इस धारा मे लोक सेवक के परिवार से पत्नी और ऐसे बच्चे तथा लोक सेवक के माता–पिता और ऐसे अन्य व्यक्ति, जो उन पर आश्रित हैं, अभिप्रेत हैं। ऐसा इसमे दिया गया है इसमे परिवार की सार्वभौमिक परिभाषा होगी, आपने उस परिभाषा को तोड–मरोड दिया है। (व्यवधान) परिवार मे और कौन हो सकता है, आप ही बता दो। इसी धारा में यदि कोई लोक सेवक के कब्जे में कोई ऐसी सम्पत्ति पाई जाती है अथवा किसी सम्पत्ति का वह उपभोग करता है, जिसे उसने अपने आस्तियों के विवरण में नहीं दर्शाया है, तो वह उसकी सम्पत्ति मान ली जायेगी, यह अच्छी बात है जब तक कि वह इसके विरूद्ध सबूत साबित न कर दे। आपने इसमें क्यों नही लिखा कि वह सरकारी सम्पत्ति हो जायेगी, आप भ्रष्टाचार को और बढावा देने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, किशोर उपाध्याय जी, अभी से बदोबस्त कर दिया गया है, जो आप कह रहे है। बेनामी सम्पत्ति, सरकार की सम्पत्ति हो गयी है, यह व्यवस्था पहले से ही हो गयी है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अब तक कितनी सम्पत्ति सरकार के पास आयी है ? मेरे विचार से यह विधेयक बनने के बाद भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। (व्यवधान) मान्यवर, जो यह विधयेक हे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हे, अभी इसको ठीक करने का हमारे पास समय है। इस अधिनियम में यह बात होते हुए भी अगर कोई शिकायतकर्ता फर्जी शिकायत करता है तो उससे एक लाख रुपये तक का दण्ड लिया जायेगा। (व्यवधान) मान्यवर, इतना पैसा किसी भी मंत्री के पास या अधिकारी के पास हो सकता है। अगर किसी ने फर्जी शिकायत की है तो आप उसको कहिये कि वह क्षमा माँगे, आप इसको संशोधित करिये, जिससे इस प्रदेश में लोग डरे नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, आपस में बातचीत न करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं एक और बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आप रिश्वत को कैसे नहीं बढ़ावा देने जा रहे हैं। इसमें आपने जो विशेष न्यायालय द्वारा रिश्वतदाता को दी जाने वाली छूट है, जो धारा–33 में है कि कोई रिश्वतदाता, यदि वह स्वयमेव समय के भीतर लोकायुक्त को रिश्वत दिये जाने के बारे में सम्पूर्ण साक्ष्य के साथ रिश्वत लेने वाले लोक सेवक की सूचना देता है, पकड़वाता है और दोष सिद्ध कराता है तथा सभी कदाचारी लाभ, जो कि उसने रिश्वत के द्वारा प्राप्त किया था, समर्पित करता है तो उसे विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन से छूट दी जा सकेगी। यदि रिश्वत देने वाले व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो विशेष न्यायालय द्वारा छूट को वापस लिया जा सकता है तो इसमें रिश्वतदाता के लिए क्या व्यवस्था की है ? जो रिश्वत दे रहा है, उसको क्या दण्ड मिलेगा ? आपने तो लेने वाले के लिए व्यवस्था की है। देने वाले के लिए क्या किया आपने, वह तो ज्यादा गुनहगार हैं तो मान्यवर, यह जो मैंने अभी कहा, यह सारा का सारा जो है, जैसे हमारे साथियों ने कहा, मैं उस पर बल देते हुए, इस विधेयक को प्रवर समिति को इसलिए भी सुपुर्द कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, उनकी ईमानदारी और जो सत्यनिष्ठा है, उस पर कोई उँगली नहीं उठा सकता, यह मैं मन से कहना चाहता हूँ, लेकिन यह उस मन, कर्म और वचन में पवित्रता भी होनी चाहिए।

आप ही देखते कि 10–15 दिन के बाद आचार संहिता लग जायेगी। आप ये सारा ले करके इस प्रदेश की जनता के समक्ष आए और यह कहते हैं। कि यह हमारा लोकायुक्त विधेयक है, हम लायेंगे, अगर सरकार में आयेंगे। जाती हुई सरकार का कोई पब्लिक मेन्डेट नहीं होता है, एक महीने के लिए, अब आप जनता के पास जाते, चुनाव में जाते, उनको कहते कि हम ये ले करके आए हैं, जिस पर हमको वोट दे दीजिए और जिताया दीजिए और जिससे इस विधेयक को पवित्रता मिलती, शांति मिलती। इन्हीं शब्दों के बाद मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

***श्री यशपाल बेनाम–**

महोदय, आपने मुझे लोकायुक्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लोकायुक्त विधेयक पर निश्चित रूप से शुरू में जो शंका व्यक्त की जा रही है, वह स्वाभाविक भी है, क्योंकि देश आजाद होने के लगभग 65–70 साल बाद भ्रष्टाचार जिस चरम सीमा से बढ़ा है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उससे ये शंकाएँ तमाम लोगों के द्वारा, विशेषकर जनता के द्वारा व्यक्त की जा रही हैं कि जो लोकायुक्त टीम बनेगी उसकी क्या गारन्टी है कि उसमें सारे ईमानदार व्यक्ति होंगे और दूसरी तरफ यह भी है, यह कहा जा रहा है कि क्या गारन्टी है कि ये सारे लोग ईमानदार नहीं होंगे। कुल मिलाकर महोदय, मेरा यह कहना है कि यह प्रदेश के अन्दर एक नया प्रयोग है और इस नये प्रयोग में सबसे बड़ी चीज की अगर जरूरत है तो विश्वास की जरूरत है। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इसमें प्रदेश के अन्दर लोकायुक्त विधेयक पास किया है। पिछली बार भी कॉंग्रेस के तमाम साथियों द्वारा यह कहा गया था, जब मैंने डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी, जिन्होंने 108 प्रारम्भ की थी, मैंने कहा था गम्भीरता के साथ, चाहे यह केन्द्र सरकार की योजना है, लेकिन इसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी ने यहाँ पर लागू किया, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। आज तमाम देश में अन्ना के आंदोलन के बाद जो आन्दोलन चला है महोदय, निश्चित रूप से यह सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि यह पहला राज्य लोकायुक्त बिल को प्रस्तुत करने वाला बन रहा है।

महोदय, मैं तमाम सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें इसके तकनीकी रूप में न जाकर इसके व्यवहारिक रूप में जाना चाहिए क्योंकि मैंने पिछली बार बजट सत्र के दौरान गम्भीरता के साथ कहा था कि इस भ्रष्टाचार को न अन्ना हजारे खत्म कर सकते हैं और न खण्डूड़ी जी खत्म कर सकते हैं, भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा, जब हम अपने व्यवहार में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। यहाँ पर 70 माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम तमाम लोग, राजनीतिक लोग, यह सौगंध खा लें कि न हम कमीशन लेंगे और न देंगे और न किसी को कमीशन देने के लिए प्रेरित करेंगे तो मैं यह समझता हूँ कि इस लोकायुक्त की कोई जरूरत नहीं है और आज ही यह उत्तराखण्ड इसी समय से भ्रष्टाचार से मुक्त हो जायेगा। महोदय, मैं एक बात को गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो बात है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वह एक गाना था कि पहला पत्थर वही मारे, जिसने कोई पाप न किया हो, तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार की बात वे ज्यादा करें, जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार न किया हो।

मैं यह कहना चाहूँगा महोदय, कि तमाम तरह की बातें इस विधेयक में आयी हैं और मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें तीन चीजों को विशेष रूप से छोड़ा गया है। मान्यवर, भ्रष्टाचार यानि कि गन्दगी और गन्दगी जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी तो तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, आपने इसमें जब विधायिका को इसके दायरे में ला दिया, कार्यपालिका को इसके दायरे में ला दिया तो मैं चाहता हूँ कि न्यायपालिका को भी, हाईकोर्ट के जज भी इस दायरे में आने चाहिए, मीडिया लोकायुक्त के दायरे में आना चाहिए, एन0जी0ओ0 लोकायुक्त के दायरे में आना चाहिए और इसमें निश्चित रूप से ये परिवर्तन करने चाहिए,

क्योंकि गन्दगी तभी समाप्त होगी जब हम पूरी तरह से इस गन्दगी को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें कई लोगों को शंका है, महोदय, यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

4:50 बजे पर इसकी कार्यवाही शुरू हुई थी और इसमें दो घण्टे का समय निर्धारित था और दो घण्टे हो गये हैं, इसलिए मैं इस मद में एक घण्टे की अवधि और बढ़ा रहा हूँ।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, धन्यवाद। मान्यवर, मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का भी इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम लोगों को शंका है कि चुनाव होने वाले हैं और इसको जल्दीबाजी में प्रस्तुत किया गया ह। यह ठीक है। मैं इस बात को गम्भीरता के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव होने के बाद भी जब यह लागू होगा तो इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे, लेकिन मैं इतना निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करना चाहता हूँ कि कम से कम ईमानदारों और बेईमानो मे फर्क महसूस होना चाहिए, आज जो ईमानदार है, वह हाथ उठा रहा है कि अन्ना हजारे जिन्दाबाद और जो बेईमान है, वह जोर से कह रहा है कि अन्ना हजारे जिन्दाबाद, तो निश्चित रूप से बेईमानो और ईमानदार मे अन्तर होना चाहिए। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब होंगे, यह चार लाईन मैं बोल रहा हूँ कि–

मन खुश तो खुश सारा चमन होता है, नियत साफ हो तो पहले वतन अपना प्यारा होता है।

ईमानदारों के लिए बता तो सही खुदा क्या ईनाम रखा है तूने, हर मुर्दा तो यहाँ बेईमानों की तरह दफन होता है।

मान्यवर, जो ईमानदार है, वह भी दफनाया जा रहा है और जो बेईमान है, वह भी दफनाया जा रहा है और मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप अन्ना हजारे को निश्चित रूप से इस समय याद कर रहे हैं तो जो ईमानदार आदमी है, उनको, राज्य सरकार को अन्ना पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, ताकि ईमानदारो को बल मिले, इन्ही शब्दों के साथ मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर वर्ष, 2007 मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोगों ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मे दिया और माननीय मुख्यमंत्री श्री खण्डूड़ी जी इस प्रदेश के माननीय

मुख्यमंत्री बने। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर कॉंग्रेस सरकार वर्ष, 2002 से वर्ष, 2007 तक थी, उसमें बहुत आरोप लगे और कहा गया कि सरकार ने बड़े घोटाले किये, घपले किये और 56 घोटाले कर दिये और हमको आशा थी कि जो 56 घोटाले तत्कालीन सरकार में हुये यह सरकार पर्दाफाश करेगी। मान्यवर, वर्ष, 2007 में श्री खण्डूड़ी जी ने शपथ ली थी, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बड़ा अच्छा होता, क्योंकि श्री खण्डूड़ी जी का इस प्रदेश का और इस देश का बड़ा लम्बा अनुभव था, उनको यह मालूम होना चाहिए था कि वर्तमान में जो यहॉं पर लोकायुक्त हैं, जैसा कि अभी कहा गया कि न तो उनके दॉंत थे, न उनमें नाखून थे, न उनमें शक्ति थी तो यह ज्ञान तो होना चाहिए, इस प्रदेश सरकार के मुखिया को और प्रदेश सरकार को ज्ञान होना चाहिए कि हमारे यहॉं कैसा लोकायुक्त है। उसके पास क्या शक्तियॉं हैं, वह क्या कर सकता है, वह क्या नहीं कर सकता है, इस बात का ज्ञान यदि प्रदेश सरकार को या प्रदेश सरकार के मुखिया को नहीं है तो मैं समझता हूँ कि यह बड़ी चिन्ताजनक बात है।

आपको 56 घोटाले, जो कॉंग्रेस ने किये थे, उनको लाना चाहिए था, 5 साल तक आपने इतने आरोप बना के इतना सरकारी धन का अपव्यय किया, इतने लोगों मे चर्चा कराई और आज आपको नजर आ रहा है, जब चुनाव में एक महीने बाद आप जाने वाले हैं। आप लोकायुक्त लाते और मजबूत लोकायुक्त लाते और कहते कि 56 घोटाले हुये हैं और जिन-जिन लोगो ने घोटाले किये हैं, हम उनको जेल मे डालने का काम करेगे। आप उसी दिन लाते, आपकी नियत मे खोट था, आपकी मंशा ठीक नहीं थी और आज जो आपकी मंशा है, वह राजनैतिक मंशा है, आप राजनैतिक लाभ के लिए इसको लाना चाहते है, अगर आपकी मंशा इस बात की होती कि प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार दूर हो, प्रदेश के अन्दर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको हम दूर करेगे, तो निश्चित रूप से आप इसको पहले लाते।

मान्यवर, जो 2007 से 2009 तक मुख्यमंत्री रहे, इस प्रदेश की जनता ने पॉंचों लोक सभा की सीटें जिताकर इस बात का सबूत दिया और उसी का प्रतिफल आपको भुगतना पड़ा कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद से हटाकर, दूसरे को उस पद पर बैठाया और जब पूरी सरकार को लगा और आपकी पार्टी को लगा कि बहुत भ्रष्टाचार हो गया है तो पुनः आपको स्थापित कर दिया। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर इस पौने चार-पॉंच साल मे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा और यही आपको लगा कि इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सशक्त लोकायुक्त की आवश्यकता हैं आप लोकायुक्त लाये हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोकायुक्त सशक्त होना चाहिए। लोकायुक्त ऐसा होना चाहिए जो पूरे भ्रष्टाचार को मिटाने में पूर्ण सशक्त हो, इसमें कहीं भी कॉंग्रेस पार्टी बाधक नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हम जब बिल बनाये, यह कोई एक दिन के लिए नहीं है। जो कानून हम बनाते है, इस प्रदेश की किस्मत का फैसला करते है और इस प्रदेश

की बहुत सारी चीजों का फैसला करते हैं। क्या जल्दबाजी की जरूरत है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।

आप एक महीने के अन्दर प्रवर समिति बना दीजिए और निश्चित कर दीजिए कि एक महीने के अन्दर हम प्रवर समिति की सभी बातो का संज्ञान लेते हुए, जनता की राय लेते हुए, जनता से सुझाव लेते हुए, विद्वान लोगो की राय लेते हुए, यह होता है, इसमें कोई कष्ट की बात नही है। आज एक तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि कॉग्रेस पार्टी इस लोकायुक्त के खिलाफ है। हम कोई खिलाफ नही हैं, हमारी कोई खिलाफत नही है, हम बिल्कुल पूर्णतया से एक सशक्त लोकपाल बने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, कॉग्रेस के लोग इसमे आपके साथ हैं, आप हमें भ्रष्टाचार की लड़ाई मे अपने साथ पायगे। एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक ऐसा कानून बनाकर इस प्रदेश के अन्दर ला रही है, जिससे सारी दिक्कतों का समाधान हो जायेगा और सारे कष्ट दूर हो जायेगे और सारी चीजो के लिए कोई जादू की छड़ी लायी जा रही है और कॉग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है।

हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं और यह हमारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी है कि हम विपक्ष में रहते हुए सत्तापक्ष को अपने सुझाव देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मान्यवर, हम आप से कह रहे हैं, आप इसको लाइये और सशक्त बनाकर लाइये, लेकिन जो प्राविधान, जिनमें हमको लगता है कि चिंता की बात है, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं अपने अध्यक्ष माननीय यशपाल जी, किशोर उपाध्याय जी और हमारे अन्य साथी बोले हैं, मै उन्ही की बातो से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ और उन्होंने बहुत सारी बातो की ओर ध्यान इंगित किया है। मान्यवर, आपने कल बिल दिया, कल प्रस्तुत हुआ और आज आपने कहा, इस पर चर्चा कर दीजिए। कितना अच्छा होता आप इस पर एक महीना चर्चा कराते, 15 दिन चर्चा कराते। एक दिन आपने राजनीतिक दलो की बैठक बुलाती और कहा कि हम यह प्राविधान कर रहे हैं, यह ऐसा नहीं है। यदि आपकी मशा राजनीति नहीं है और आप इससे रानीतिक फायदा नहीं लेना चाहते है तो आप बैठिये, इस पर विचार–विमर्श करते हैं।

यदि आप चाहते है कि एक दिन मे और दो घंटे में विचार–विमर्श हो जाय, जोकि इतने बड़े राजनीतिक तौर पर जो पुलिंदा है, इसका निर्धारण हो जाय और इसकी सारी धाराओ को हम देख लें कि इसके लाभ–हानि आज और कल क्या होगे। इसका क्या कानूनी पक्ष ठीक बैठेगा या नही बैठेगा, यह एक घंटे की चर्चा में सम्भव नही है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी मंशा ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार दूर हो, यदि इस प्रदेश मे इस सरकार की मशा ठीक है तो क्यों नही लोकायुक्त विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करते है, इसमें दिक्कत क्या है? मान्यवर, यह आज तो लागू नही हो रहा है, आप इसको भविष्य के लिए लागू

करना चाहते हैं। जो भी सरकार भविष्य में चुनकर आयेगी, यह तो जनता तय करेगी कि कौन चुनकर आयेगी, कौन इधर बैठेगा और कौन उधर बैठेगा, यह आज तय नहीं हो रहा है। तीन–चार महीने का समय है, प्रदेश सरकार बन जायेगी। इन महीनो में यह लोकायुक्त कहीं लागू नही होता है, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यह किसी भी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति मे नहीं आ सकता है।

मान्यवर, जब हम एक अच्छा कानून बनाना चाहते हैं और हमारी मंशा बहुत साफ है और हम साफ मंशा के साथ जनता के बीच मे यह कहना चाहते हैं कि देखो हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस प्रदेश के अन्दर तरह–तरह के कानून लाकर सामने आ रहे थे। इसमें सब लोग आपका सहयोग कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दल इसमें विरोध करने की बात सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि यह जनता में यह सदेश देना नहीं चाहता हैं कि वह भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किसी बात के लिए साथ नहीं हैं परन्तु क्या कारण हैं कि हम इस पर व्यापक विचार–विमर्श नही करना चाहते हैं ? मान्यवर, मेरा आप से बहुत विनम्र आग्रह है कि इसको एक राजनीतिक तौर पर मुद्दा न बनाकर कि नहीं, हमको यह आज ही पास कराना है, क्योंकि यदि आज पास नहीं करेंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना बड़ा माहौल बनाया है कि हम प्रदेश के अन्दर चैम्पियन हो गये हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तो यह नहीं हो पायगा।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप एक विद्वान व्यक्ति है और मान्यवर, इस आग्रह के साथ कि बहुत संजीदगी के साथ, बहुत गम्भीरता के साथ इस बिल पर चर्चा करने की आवश्यकता हे, इस बिल पर बहुत व्यापक विचार–विमर्श की आवश्यकता है। बहुत खामियाँ इस बिल के अन्दर हैं। एक अच्छा और सशक्त लोकायुक्त बिल बने, इसके लिए आवश्यक है कि हम निश्चित रूप से इसको प्रवर समिति के समक्ष भेजे। आप डे टु डे बैठक करिए प्रवर समिति की, आप बैठाईये लोगो को। माननीय अध्यक्ष जी, इसमे कहें कि हम इसको लेकर आएगें 15 दिन मे, एक महीने में। एक महीने बाद फिर हाउस बुला लीजिए। आचार संहिता तो 15 दिसम्बर के बाद लगेगी, आप सदन बुलाईये। आप बैठकर विचार–विमर्श तो करिए। आपकी मंशा तो होनी चाहिए विचार–विमर्श की। आपकी मंशा ये क्यों हो कि कल बिल लाएं और परसो पास हो जाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपनी मंशा को ठीक कीजिए। मान्यवर, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मै पुनः इस बात का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति के समक्ष भेजने में कोई अड़चन पैदा न करे, इसको प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाय।

श्री बृजमोहन कोटवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोकायुक्त बिल पर बोलने का मौका दिया है, मै आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी सरकार की तहेदिल से भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता

हूँ। मान्यवर, यह दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए, यह एक ऐतिहासिक दिन है और आज जो यह लोकायुक्त बिल लाया गया है, यह मकान की पक्की नींव है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जिस विधेयक की जरूरत थी, वह जरूरत पूरी हुई है। इस उत्तराखण्ड के लिए जिन भाईयों ने, जिन बहनों ने कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ कि उनके सपने साकार होंगे। मै कहना चाहता हूँ कि जो लोकायुक्त बिल लाया गया है, सभी को इसका पालन करना चाहिए, इसका सहयोग करना चाहिए। हमने इस देव भूमि के लिए जो सपने देखे थे और सोचते आए हैं कि इस देव भूमि को अच्छी तरह से बनाएंगे और विकास की ओर अग्रसारित करेंगे। इसे लोकायुक्त बिल से सशक्त बनाया जाय। इस लोकायुक्त बिल से हमारे उत्तराखण्ड का सर्वांगीण विकास होगा। उत्तराखण्ड भ्रष्टाचार मुक्त होगा औ उत्तराखण्ड की सम्मानित जनता के लिए लोकायुक्त विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इसके लिए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी राय देने के लिए अनुमति प्रदान की, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों के अन्वेषण के साथ–साथ व्याप्त भ्रष्टाचार के त्वरित अन्वेषण और अपराधियों को अभियोजित करने, लोकहित के कतिपय प्रकार की शिकायतों को दूर करने तथा शिकायतकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने हेतु राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। प्रस्तावित विधेयक द्वारा सशक्त लोकायुक्त के गठन, त्वरित अन्वेषण, त्वरित अभियोजन, लोकहित के शिकायतों के निराकरण तथा शिकायतकर्ताओं को भरपूर संरक्षण प्रदान करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, आज समय–समय पर राज्य सरकार मे ही नहीं, केन्द्र सरकार भी और अन्य राज्यों की सरकारें भी इस पर चिन्तित हैं कि यह जो भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त है, इसका समग्र उन्मूलन कैसे किया जाय और इससे कैसे छुटकारा मिल सके।

मान्यवर, विधायिका ही एक ऐसा सदन होता है, जिसमें समय–समय पर विधेयकों के रूप में, संशोधनों के रूप में कानून का परिदृश्य लाया जाता है और समय–समय पर संशोधन किया जाता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का ही यह संशोधित स्वरूप है, इसमें सशक्त लोकायुक्त की बात की गई है मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं भी नये अधिनियम की बात नहीं है, इसमे कहीं नये लोकायुक्त की बात नहीं है, इसमें कहीं भी नई व्यवस्था की बात नहीं है। अगर इसमें कोई बात है तो सशक्त लोकायुक्त संस्था को बनाने की बात है और इस संस्था के रूप मे भ्रष्टाचार निवारण के लिये लोकायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक संस्था होगी, जिसमें सम्मानित सदस्य भी होंगे। इसके प्रारूप में यह भी आया कि हमारे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंत्रीगण और

सम्मानित विधायकगण, सरकार में विभिन्न पदों पर बैठे दायित्वधारी, इसकी परिधि में होंगे, लेकिन एन0जी0ओ0ए कारपोरेट हाऊस, निगम, उप निगम, इनको भी इस परिधि में आना चाहिये, एन0जी0ओ0 इसकी परिधि में परिलक्षित नहीं है। (व्यवधान)

मान्यवर, यह विधेयक और सशक्त बने, इसलिये हम सुझाव दे रहे हैं कि आज एन0जी0ओ0 को इसकी परिधि में आना बहुत आवश्यक है, जो हमारे प्रदेश में कारपोरेट हाऊस कार्यरत ह, जिनके उद्योग इस प्रदेश में संचालित हैं, उनको भी इसकी परिधि में लाना बहुत आवश्यक है। विधायक तो आपके पास हैं, मंत्री जी आपके पास हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास हैं, क्योंकि यह सदन की प्रोपर्टी है और सदन ही कानून बना रहा हैं लेकिन इन पर न तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लागू हो रहा है, न ये कहीं पर आन्सरेबल हैं, न ये लोकायुक्त की परिधि में आ रहे हैं, यदि हमें एक सशक्त लोकायुक्त विधेयक बनाना है तो इन सबको इसमें समाहित किया जाय, क्योंकि समाहित करना बहुत जरूरी है। आज सम्मानित राज्य सरकारों के पैरलल सरकारें चल रही हैं, जिनको एन0जी0ओ0 चला रहे हैं और कहीं पर भी यह अपने लेखे-जोखों को उसकी परिधि में नहीं लाते हैं। मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है, इसको सशक्त (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहे जाने पर।) अरे भाई बोलने दो। ऐसा न करो, फिर मेरा फ्लो टूट जायेगा, तो फिर बैठ जाता हूँ। (व्यवधान)

आज आवश्यकता इस बात की है मान्यवर, शिकायतकर्ता की शिकायत पर सम्बन्धित तथाकथित आरोपी, क्योंकि आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक तथाकथित आरोपी कहा जा सकता है। तथाकथित आरोपी को, शिकायतकर्ता की उस शिकायत पर मंथन करने के लिए एक पीठ, संवैधानिक पीठ की बात की गई है। लोकायुक्त और एक उनके साथ सम्मानित 05 सदस्यों की एक लोकायुक्त पीठ होगी जो परीक्षण करेगी कि अमुक शिकायतकर्ता की शिकायत सही पायी गयी या नहीं। तब उस पर अग्रिम कार्यवाही होगी। जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेदों की बात करते हैं, सदन की बात करते हैं, क्योंकि यह सदन उनको पारित करता है। सदन में माननीय अध्यक्ष जी, एक शब्द आता है बहुमत। मैं समझता हूँ कि उस पीठ में भी अगर आप सम्पूर्ण पीठ की बात न करते हुए, बहुमत शब्द उसमें इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा सार्थक होगा, ज्यादा तार्किक होगा, बजाए सम्पूर्ण पीठ के। यह एक सुझाव है, क्योंकि बहुमत से सरकारें चलती हैं, निर्णय लिया जाता है, परिवर्तन होते हैं, कानून बनता है। इसलिए बहुमत संवैधानिक शब्द है, इसका प्रयोग होना चाहिए।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि एक पीठ और उसकी संरचना, इतने लोग एक साथ कभी-कभी किसी बद पर इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। मैं समझता हूँ उस

पर भी जो है, पीठ की जो संरचना हो, दो तिहाई सदस्य उस पर उपलब्ध हों और फिर उसको बहुमत से पारित करें, वो उस परिधि में संवैधानिक स्थिति बन सकती है। क्योंकि यह सुझाव इसलिए दिये जा रहे हैं कि इसको सार्थक और समग्र बनाने की बात की जा रही है। हमारा उद्देश्य खाली इसको राजनीतिक अमलीजामा पहनाना नहीं है, हमारा इसका यह उद्देश्य नहीं है कि खाली य लोकायुक्त कानून बने और ये किसी लाईब्रेरी में, किसी विधान सभा की लाईब्रेरी में किसी अलमारी में सुसज्जित रहे, बल्कि इसको अमलीजामा पहनाने का हम लोग काम करें। हम चाहते हैं कि ये बहुत ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, भ्रष्टाचार का निवारण करता है। अच्छा होता एक शब्द इसमें और जोड़ दिया जाता मान्यवर, इस पर अधिकारी और कर्मचारी, आऊट सोर्सिंग वाला जो नया सिलसिला पूरे राज्यों में, केन्द्र सरकार में और वर्ल्ड बैंक से आधारित परियोजनाओं में चल रहा है। एक शब्द आऊट सोर्सिंग का आ गया है। सरकारें भी आऊट सोर्सिंग पर आएंगी, कर्मचारी भी आऊट सोर्सिंग पर आएगें। इसमें कहीं भी आऊट सोर्सिंग का शब्द परिलक्षित नहीं होता है। इस आऊट सोर्सिंग के शब्द को भी जोड़ना उतना ही आवश्यक है।

हमारे यहॉ तमाम समय–समय पर आयोगों का गठन होता है, कमीशन बनते हैं, तमाम अधिकारी रिटायर होकर उन कमीशनों में जाते हैं, वो कमीशन भी इस परिधि के अन्दर आने चाहिए मान्यवर, इसलिए आने चाहिए क्योंकि वो इसकी परिधि के अन्दर कहीं भी मेंशन नहीं हैं। उनका भी इस परिधि में होना अति आवश्यक है। मैं इसलिए कह रहे हैं कि उसको और सार्थक बनाने की बात है, मान्यवर, इसको और तार्किक बनाने की बात की जा रही है। आपने इसके 70 बिन्दुओं में यह दर्शाने का प्रयास किया। कभी–कभी यह गलती उस पद पर लोकायुक्त की नियुक्ति में और लोकायुक्त के सम्मानित सदस्यों की नियुक्ति में कभी–कभी यह संशय हो सकता है, किसी को ऐसा नहीं लगता है, जब समय खराब होता है, मति पर ढाप पड़ जाता है तो अच्छा से अच्छा इन्सान अच्छे रास्ते से भ्रष्टाचार की ओर मुड़ जाता है। कभी–कभी ऐसा होता है, उस लोकायुक्त के ऊपर भी एक और लोकायुक्त की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी कि यह सुप्रीमों नहीं है। अगर आपने उसको सुप्रीमो बना दिया, कहीं आपने उसको नाखून दिये और ऑख और कान नहीं दिये, अगर आपने ऑख और कान इस विधेयक के मार्फत उसको नहीं दिये तो कभी–कभी ऐसे लोगों को भी यह पंजा मारना शुरू कर देगा, जो दूर–दूर तक उस परिधि में नहीं होंगे, उनको बुलाकर पंजा मारेगा।

मेरा कहने का आशय यह है कि यह अधिनियम ऑख, कान, नाक सब तरह से सजग हो, इस तरह की आवश्यकता हमको पड़ेगी। एक थोड़ी सी आवश्यकता इसमें इस बात की आ रही है, आज हम लोग चाहे पक्ष में हों या विपक्ष में हो, सब लोग चिन्तित है, चिन्तित होना स्वाभाविक है कि आधे से

ज्यादा व्यवस्था व्यक्ति भ्रष्ट नहीं हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है, व्यवस्था भ्रष्ट हो रही है। व्यवस्था भ्रष्ट हो रही है तो उसका पूरा प्रदूषण वातावरण मे फैल रहा है। आज आवश्यकता उस वातावरण को भ्रष्टाचार मुक्त करने की है। आवश्यकता इस बात की है कि भ्रष्टाचार मुक्त अगर वातावरण होगा तो अच्छा बेहतर हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ इसका और विस्तृत विश्लेषण करने के लिए यदि आप सहमत हों तो इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, ताकि हम यहाँ पर अच्छा और बेहतर अधिनियम बनाने में सहयोग करके सार्थक हो सकते है, ऐसा हमारा सुझाव है, इन सुझावों को अपने विधेयक में इनकार्पोरेट कर दें। धन्यवाद।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोकायुक्त विधेयक सदन मे पेश किया है, आपने पूरे देश के अन्दर एक नजीर पेश की, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज पूरा देश भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा है, उससे निजात दिलाने के लिए आपने एक सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति की है, उसके लिए मैं पूरे प्रदेश की ओर से इस प्रशंसनीय और अविस्मरणीय कार्य के लिए बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए एक शेर बनाकर लाया हूँ :–

"जिन्दा वही रहते हैं जो मौसम के सितम को सहते हैं, वरना पत्ते तो झड़ जाते है, लेकिन पेड़ खड़े रह जाते हैं।"

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इसमे कहीं विपक्षी साथियों के तर्कों से कही पर भी थोड़ा से संशोधन की जरूरत नहीं है। इनकी तो 'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे' वाली स्थिति है। इनको तो वैसे लोकायुक्त के बारे में बोलने का अधिकार नही रह गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग चाहते हैं कि देश के अन्दर भ्रष्टाचार मुक्त न हो। अगर यह चाहते कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो तो अन्ना हजारे जी को 13 दिन तक भूख हड़ताल पर नहीं रहना पड़ता। अगर यह चाहते कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाए तो बाबा रामदेव जी ने जो काला धन वापसी की बात को लेकर जो बिगुल फूँका था, वहाँ पर रात के एक बजे सोये हुए पुरूषों और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और लाठी–चार्ज और आँसू गैस के गोले न छोड़े जाते, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरा देश इस बात को जानता है कि चाहे वह एक लाख 76 हजार करोड़ रूपये का 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाला हो, चाहे घोटाला हो, चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, चाहे कॉमन वैल्थ गेम्स घोटाला हो या खाद्यान्न घोटाला हो, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री ईमानदार होते, अगर इनकी सरकार ईमानदारी होती तो बाबा अन्ना हजारे को सम्मान देते हुए उनको संसद

में बुलाते कि जो माँग बाबा अन्ना हजारे जी द्वारा सशक्त लोकपाल लाने की माँग कर रहे थे, वह सदन में पास करते।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य देश के प्रधानमत्री जी की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं कि यदि देश के प्रधानमत्री ईमानदार होते, (व्यवधान) यह गलत परम्परा है। थोड़ा सा संसदीय ज्ञान भी होना चाहिए। मर्यादा और शालीनता से अपनी बात कहनी चाहिए। ऐसे तो हर कोई एक दूसरे पर आक्षेप और आरोप–प्रत्यारोप लगाता रहेगा। यह गलत परम्परा है, अच्छी परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ओम गोपाल जी, इस बात का ध्यान रखें और यह बात बार–बार आ भी रही है कि जो माननीय व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं हैं और जो अपनी सफाई नहीं दे सकता तो कृपया उनका उल्लेख न करें तो अच्छी बात है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, देश के प्रधानमंत्री जी [×××] थे तो उन्होंने कहा था कि एक रुपये में से 10 पैसा जनता तक पहुँचता है, 90 प्रतिशत खा जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, जो देश का प्रथम व्यक्ति है, उस पर अनावश्यक रूप से आरोप लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी का नाम कार्यवाही से निकाल दें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कॉंग्रेस के साथी इससे घबराये हुए हैं, इसमें बस एक कमी रह गई कि हमारी सुद्धोवाली जेल है, वह छोटी पड़ेगी। 56 लोग तो घोटाले वाले हो गये और उसमें कुछ अधिकारी भी हैं, उसमें शामिल होंगे, तो एक नई जेल बनाने की आवश्यकता होगी। इनको स्वयं आशंका हो रही है कि 56 घोटालो की जॉच होगी तो इन्हें जेल मे जाना पड़ेगा। एक नई जेल बनाने की आवश्यकता होगी। हमारे विपक्ष के साथियों को कष्ट हो रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोटालों की जॉच और भ्रष्टाचार की जॉच के मामलों में जो भी दोषी हैं, उसे जेल में डालने का संकल्प ले लिया है और इसका श्रेय भी ले लिया है। इससे यह लोग घबराये हुए हैं, यह जनता के बीच में जाकर जवाब देने लायक नहीं रहे।

आज जो यह बिल पेश हो रहा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे पहाड़ की जनता छोटी–छोटी

नोट:– [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

चीजों के लिए परेशान है, उसके छोटे-छोटे काम भी समय पर नहीं हो पाते थे। इसके लिए जो सरकार द्वारा सिटीजन चार्टर लागू करके लोगों मे इस सरकार के प्रति पहले से और अधिक भरोसा बढा है, कि अब हमारे काम समयबद्ध तरीके से होंगे। इसके लिए मैं पर्वतीय क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष के साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार को आइना दिखाये, लेकिन इनके आइने मे तो छेद ही छेद हैं। यह अपने आपको भी आइने में देखने लायक नहीं समझते तो दूसरे को क्या आइना दिखायेगे। जब आप चुनाव मे जनता के बीच में जायेगे तो जनता से क्या कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सशक्त लोकपाल बिल सदन के अन्दर ला रहे थे तो हम उसको लटकाने का काम कर रहे थे और एक प्रवर समिति को दे दें, जो इसे एक माह के अन्दर पुनः सदन मे प्रस्तुत करने की बात कह रहे थे।

आज तक इतनी समितियाँ बनाई गई, चाहे वह लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो या आश्वासन समिति हो, सब का काम केवल मामले को देर तक लटकाने का ही है। हमारे विपक्ष के साथी नही चाहते हैं कि लम्बे समय तक यह बिल पेश न हो। हमारे विपक्ष के साथी इस बिल को यहाँ पास करना नही चाहते हैं। मै माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मान्यवर, आज ही इस विधेयक को पास कर दिया जाय। (व्यवधान) (मेज पर तालियों की गड़गड़ाहट) अन्त में, मैं कहना चाहता हूँ कि "निकल पड़े हैं राहों पर तो काँटों से डरना क्या, हम पाषाणों से खेले हैं, तूफानों से डरना क्या।" जय हिन्द, जय भारत, जय उत्तराखण्ड।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, आपने मुझे उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक पर चर्चा मे भाग लेने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जिस तरह से यह अधिनियम आया है, उस पर कुछ बिन्दुवार बातें करना चाहूँगा और यह प्रकरण का उठाना, इसलिए जरूरी है कि हमारी माँग है, इस प्रकरण को प्रवर समिति को दिया जाय। मान्यवर, यह नहीं हो जाय कि इस बिल को यह विधान सभा आनन-फानन में पास कर दे और माननीय राज्यपाल जी के पास जाय और जो शक्तियाँ विधान सभा के पास नही है, उन शक्तियो का प्रयोग हमने इस बिल के अन्दर किया है, यानी हमने संविधान के अनुच्छेदों को उल्लंघन किया है। जो शक्तियाँ हमारे सी0आर0पी0 में है, उनको हमने बहुत ज्यादा ओवर राईड किया, इतनी सारी शक्तियों को ओवर राईड किया, जो ओवर राईडिंग इफैक्ट है, उससे क्या यह बिल मूल रूप ले पायेगा ? यह विचार करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा यह राजनैतिक रूप से एक दस्तावेज बनकर रह जायेगा, इसका कोई फायदा उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों को नहीं मिल पायेगा।

मैं आपनी बात इसके नम्बर 30 बिन्दु से शुरू करूँगा। जिसके अन्तर्गत आपने लिखा है कि एप्लिकेबिलिटी एण्ड मॉडिफीकेशन ऑफ प्रोविजन सहने

ऑफ अदर एक्ट, उसमें इतने सारे एक्ट का मॉडिफिकेशन कहा, मतलब इसमें सी0आर0पी0 की 389(3), जिसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को स्टे लेने का पॉवर है और इसमें आपने विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय को बनाया, उसे अन्दर अपील ऑथारिटी है। अब इसके अन्दर अगर कोई व्यक्ति, लोकायुक्त किसी को जेल कर देता है या सस्पैंड कर देता है या डिसमिसल हो जाता है तो उसके अन्दर स्टे लेने की शक्ति आपने उस व्यक्ति की खत्म कर दी है, वह स्टे नहीं ले सकता। जब तक पूरी रूप से उस मुकदमे का निपटारा हाईकोर्ट से नही हो जाता है, तब तक उसको स्टे लेने की पॉवर नही होगी, इसमें आपने यह किया है। इसी प्रकार से आपने 197 कोर्ट ऑफ क्रिमीनल प्रोसीजी के अन्तर्गत, इसमें स्टेट के कर्मचारी को स्टेट गवर्नमेंट के अन्दर और सेन्टर के कर्मचारी को सेन्टर गवर्नमेंट से परमीशन लेने का हक दिया गया है तो आपने 197 को ओवर रूल कर दिया है। क्या 197 को ओवर रूल करना हमारी सरकार के अन्तर्गत आता है ? तो मैं समझता हूँ कि नही आता है।

इसी प्रकार से आपने सेक्शन 8 के एक (क) मे कहा कि भारत के किसी भी व्यक्ति को समन करने का अधिकार लोकायुक्त को है। अगर कोई व्यक्ति अंडमान–निकोबार में रहता है तो क्या उसको समन हमारा उत्तराखण्ड का लोकायुक्त कर सकता है ? उसको इतनी बड़ी ज्यूडिशियल पॉवर है ? क्योंकि यह जो एक्ट बना है, वह पूर्ण रूप से ज्यूडिशियल ऑथारिटी नही बन रहा है। माननीय राहुल गॉधी जी ने कहा, अगर लोकपाल बने या लोकायुक्त बने तो पूर्ण रूप से संवैधानिक संस्था बननी चाहिए। चूँकि आप जो ओवर राइडिंग कर रहे हैं, उसमें इसका निस्तारण होना चाहिए, यानी यह अर्द्धन्यायिक बन रहा है। क्या भारत के किसी भी व्यक्ति को कहीं भी समन करने का अधिकार होगा ? यह भी अपने आप मे एक प्रश्न आता है। अब प्रॉपर्टी एटैच करने का मामला आया, इसके अन्दर सेक्शन 105 (सी) से 105 (आई) तक जो सी0आर0पी0 की है, उसको आपने ओवर रूल करा। इसके अन्दर आपने यह कहा कि ट्रांसनेशनल प्रॉपर्टी एटैच कर सकता है, उस व्यक्ति को जो भ्रष्टाचारी है, वह ट्रान्सनेशनल इन नेचर भी अगर है, यानी अन्तर्देशी है, अगर यहाँ के किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी मारीशस के अन्दर है। तो मारीशस की प्रॉपर्टी अटैच करने की पॉवर क्या लोकायुक्त को हो सकती है ? यह बहुत गम्भीर है।

इसी प्रकार से जैसाकि अभी किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि लोकायुक्त को हटाने का उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया, उसको डायरेक्शन दी गयी है और उसको भी टाईम बॉण्ड किया गया, उसके अन्दर सजा का प्राविधान भी हम अपने यहाँ के एक्ट से उच्चतम न्यायालय को दे रहे हैं। उच्चतम न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था है, हम क्या अपने एक्ट से, उच्चतम न्यायालय के अपने प्राविधान हैं, वह कहेगा कि हम क्यो सुने, आप अपने यहाँ हाईकोर्ट में जाइंये, या फिर लोअर कोर्ट मे जाईये। मेरे पास क्यों आ रहे हैं आप ? क्या हम उसको कम्पेल कर सकते हैं कि यदि लोकायुक्त के मामले में कोई शिकायत

है तो उच्चतम न्यायालय को कैसे हम कम्पेल कर देंगे कि आप इसको हटाने की डायरेक्शन दीजिए। यह तो संविधान की किसी धारा के अन्तर्गत नहीं आता, यह हमारी विधान सभा से पारित होकर मान्यवर, जब तक प्रेसीडेंट से वैट नहीं होगा, यह बिल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल की संस्तुति हो जायेगी, कैसे संस्तुति हो जायेगी ? उच्चतम न्यायालय को विधान सभा से कोई एक्ट पास करके क्या हम संविधान की विभिन्न धाराओं को ओवर रूल इतना ज्यादा कर लेंगे ?

एक और इसमें आया है कि एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट का गठन करेगा। जो इसके मामले सुनेगा जो इसकी अपील होगी। भारत के अनुच्छेद–247 में यह है कि किसी भी नये न्यायालय का गठन, उसकी पॉवर पार्लियामेन्ट के पास है न कि विधान सभा के पास। हम हाईकोर्ट को कैसे डायरेक्शन देंगे कि वह एक स्पेशल कोर्ट बनाए, हम उसको डायरेक्श्न दे रहे हैं कि ये आप सजा करोगे तो मैं समझता हूँ कि किसी भी संविधान में ऐसा नही होगा जो आपने प्रोसिक्यूशन करा और उसके अन्दर सजा दी जिसके अन्दर 6 महीने से 7 साल की, अब यह शायद 10 साल होने जा रही है। आप उसमें लिखते हैं आजीवन कारावास, मैं यह पूछना चाहूँगा कि ये आजीवन कारावास, देखिये जब हमें अगर कोई सजा होती है तो वह किसी आई0पी0सी0 के अन्तर्गत होती है या किसी एक्ट के अन्तर्गत होती है। आजीवन कारावास, करप्शन के किस एक्ट के अन्दर है कि आजीवन कारावास का प्रोविजन है, इसमें 10 साल की सजा है करप्शन की, अभी 7 साल थी, अब 10 साल होने जा रही है, आजीवन कारावास इसमें आप ले रहे हैं, इस एक्ट के अन्दर कि आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास किस एक्ट के अन्दर आप दे देंगे ? क्या आप इस तरह की शक्ति दे देंगे कि जो आई0पी0सी0 से ऊपर हो, वह किसी कानून के अन्तर्गत तो होगा। करप्शन के मामले मे आजीवन कारावास दे देंगे। कोई भी न्यायालय आजीवन कारावास दे देगा, आई0पी0सी0 की कौन सी धारा है कि आप करप्शन का मामला सुन रहे हैं, करप्शन के मामले मे आजीवन कारावास का प्राविधान नहीं है, यह कैसे लीगली स्टैण्ड करेगा ?

इसी प्रकार जो आपने इसमें कहा कि 30 जून तक सम्पत्ति का ब्यौरा देना आवश्यक है, इसमें लीगल प्रॉब्लम है। एक प्रोफेशनल आदमी जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, उसको इनकम टैक्स के अन्तर्गत 30 अगस्त तक रिटर्न भरने का अधिकार है, जो कोई कम्पनी से लिंक करता है, उसको 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरने का अधिकार है, उसके बाद ही कितनी मेरे पास आय आई है, तभी तो वह ब्यौरा दे सकता है। आप 30 जून तक कैसे कर सकते हैं ? जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे 30 अगस्त तक का टाईम है और यहीं सीमा जी एक फैक्ट्री ओनर हैं, इनके पास 31 अक्टूबर का समय है, उसके बाद ही कि कितनी मेरे पास आय है, कितना मेरे पास धन है, तभी तो वह ब्यौरा देगा। आपने 30 जून कर दिया। हमने इनकम टैक्स दाखिल करा नही तो उससे पहले आपको कैसे

ब्यौरा दे देंगे ? यह भी एक परेशानी है, ऐसे तमाम मामले है, सबसे मुख्य मामला यह आता है कि आप किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट को या हाईकोर्ट को अपने इस एक्ट के माध्यम से कोई डायरेक्शन नही दे सकते। मान्यवर, आप इसमे इसको भी कर रहे है।

मान्यवर, मामले और भी है, जैसे कि अभी मुद्दा उठा कि मुख्यमंत्री तथा और लोगों के खिलाफ बैंच की सहमति, तो बैंच की सहमति किस तरह से होगी, क्या दो–तिहाई बहुमत से होगी सहमति या पूर्ण रूप से सहमति होगी, इसका उल्लेख नहीं है। यह खुलना चाहिए कि यह सहमति किस आधार पर होगी दो–तिहाई पर होगी या शत–प्रतिशत होगी, यह इसमें नहीं आया है। मान्यवर, आपने इसमें सेक्शन 2(ड) में यह कहा कि शिकायतकर्ता का उत्पीड़न अगर होता है तो वह लोकायुक्त में एक्ट कर सकता है, अब शिकायतकर्ता कोई है, किसी की शिकायत करेगा तो किस तरह का उत्पीड़न होगा, यदि वह कह देगा कि 5 बार इन्होंने फोन किया और मुझे धमकी दी कि मैं तुझे देख लूँगा, तू अपना केस वापस ले या कोई गवाही न दे तो क्या उसको भी आप उत्पीड़न मानेगें। एक तरफ तो उसके खिलाफ शिकायत हो गयी और उत्पीड़न करके ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी, तो शिकायतकर्ता की किस तरह के उत्पीड़न पर लोकायुक्त एक्ट करेगा, यह इसके अन्दर खुलासा नही है।

मान्यवर, इसी प्रकार से आपने एन0जी0ओ0 के बारे मे कहा और उसमें लिखा है मुख्यतः सरकार द्वारा वित्त पोषित, अब उसमे कितनी वित्त पोषित होगी, कितना सरकार का उसके अन्दर अनुदान होगा या उसमें 50 प्रतिशत का अनुदान होगा या कितना होगा, इसका खुलासा इसमे नहीं हुआ है। मुख्यतः वित्त पोषित करके आपने एन0जी0ओ0 या कॉर्पोरेट की बात की है, इसमें कितना वित्त पोषण होगा, कितना वह वित्त पोषण के दायरे मे आयेगा, इसका कही इसमे उल्लेख नहीं है। मान्यवर, दूसरा इसमे आपने चयन प्रक्रिया की बात की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से बताया, उसमे हमारा यह कहना है कि इसमें जो सर्च कमेटी बनेगी, उसमें आपने कहा कि दो मनोनीत होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, दो न्यायधीश होंगे और एक–एक अलग–अलग क्षेत्र से होंगे तो 5 सदस्य 2 को मनोनीत करेंगे, तो पहली प्रक्रिया मनोनीत की आई तो इसकी क्या आवश्यकता है कि पहले 2 मनोनीत करेंगे, तो आप जो 5 मे से मनोनीत करेंगे तो क्या उसमें आप पारदर्शिता ला पायेंगे, मनोनीत करने मे वह नही होगा।

दूसरी बात फिर आती है कि उस समिति मे से एक लघु सूची बनाई गई, समिति के 5 सदस्य टीम मे से दो व्यक्ति यदि किसी को कहते है कि ये सही नही है तो उसका मनोनयन खत्म हो जाता है तो क्यों नहीं इसको बहुमत के आधार पर करते है, इसमें दो की क्या आवश्यकता आ रही है ? आप इसमें यह कहे कि यदि समिति के तीन सदस्य यह कहते हैं कि यह सही नहीं है तो इसको लघु सूची से हटाया जाए, उसमे दो की बजाए बहुमत के आधार पर होना चाहिए था, क्योंकि यह भी आंशिक मनोनयन हो गया है।

पहले तो 2 व्यक्ति का आपने मनोनयन किया और फिर आंशिक मनोनयन किया और फिर सर्च कमेटी के बाद चयन समिति में जाता है चयन समिति के अन्दर 7 सदस्य हैं, उसमें आपने कहा कि 3 सदस्य यदि लिख देते हैं कि यह गलत है तो वह सूची से आऊट हो जायेगा, तो तीन सदस्य म एक मुख्यमंत्री हो जायेंगे, एक नेता प्रतिपक्ष होंगे, जो कि राजनैतिक आदमी हो गये और एक उनके द्वारा कोई मनोनयन सदस्य होगा तो चयन समिति के तीन आदमियों ने कह दिया कि यह लोकायुक्त नहीं होगा और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्टरवेंशन नहीं होगा, बल्कि इसमें सीधे–सीधे इन्टरवेंशन है। इसमें 7 में से 4 यदि कह दें कि लघु सूची से बाहर होना चाहिए, नहीं तो यह लोकायुक्त पूर्ण रूप से राजनैतिक लोगों के हाथ में खेलेगा, यह हमारा कहना है, इसमें आप क्यों नहीं चेंजेज लाते।

आपने हटाने की शक्ति दी, हटाने की शक्ति मे आप क्यो सुप्रीम कोर्ट मे जाना चाहते हैं, क्यों नहीं विधान सभा के अन्दर दो तिहाई बहुमत से महाभियोग चलायें, सबके सामने लायें, जनता के सामने लायें। जो शिकायतकर्ता होगा, लोकायुक्त में जिसके खिलाफ शिकायत होगी तो क्या आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आर्थिक रूप से क्या सक्षम है कि वह सुप्रीम कोर्ट मे मुकदमा लड़े कि इसको हटाया जाय। मान्यवर, इसका पैसा एक साधारण आदमी को कौन देगा ? मान्यवर, यदि एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, यदि उसके पास कम से कम पाँच लाख रु0 नहीं होगा तो वह सुप्रीम कोर्ट मे नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की, एक पेशी की फीस कम से कम एक से डेढ़ लाख रु0 है। आप सदन को अधिकार क्यों नहीं दे देते हैं, जब सदन एक्ट बना सकता है तो उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं कि दो तिहाई बहुमत से उसके खिलाफ महाभियोग चला सकते हैं और इस महाभियोग को भी उसी तरह गवर्नर एक्ट करे, जिस तरह से एक न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का काम प्रेसीडेंट करता है, उसी तरह क्यों नहीं गवर्नर उस लोकायुक्त को हटाने का काम करे। मान्यवर, क्यों किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में डाला जाय कि वह उच्चतम न्यायालय मे चला जाय और उच्चतम न्यायालय सुनेगा या नहीं सुनेगा, अभी यह पता नहीं है।

मान्यवर, इस एक्ट से हम कोई पॉवर उसे डेलीगेट नहीं करते, तब तक यह बाध्यकारी नहीं है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट लोकायुक्त को हटाने के लिए जायेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बाध्य नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, यह कोई छोटा–मोटा एक्ट नहीं है, मान्यवर, हम चाहते है एक्ट आये और सशक्त रूप में आये। मान्यवर, जो इसमें कमियाँ हैं, उनको दूर किया जाय। कल को यह एक्ट किसी कोर्ट में चैलेंज होगा तो इस विधान सभा की कितनी बड़ी किरकिरी होगी। मान्यवर, अभी एक भू–अध्यादेश गया और उसमें सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया, इसमें कितनी बड़ी किरकिरी

इस हाऊस की हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्या यह स्थिति इस बिल की भी बनेगी ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, यह रद्द हो गया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यही तो मैं कह रहा हूँ, हम कोर्ट में तो गये हैं, कितनी बड़ी किरकिरी इस हाऊस की हुई है ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, यह आप कैसे कह सकते हैं कि निर्णय कोर्ट आपके पक्ष में देगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, हम यह नहीं कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा बिल पास करें, जिसको चैलेंज न किया जा सके, जो हमारे ओवर राईडिंग इफेक्ट्स और जजमेंट्स हैं, और जो संविधान के अनुच्छेदों पर हम ओवर राईडिंग न करें। हम सदीय शक्तियों को ओवर राईडिंग इफेक्ट्स कर रहे हैं, सी0आर0सी0 पर हम ओवर राईडिंग इफेक्ट्स कर रहे हैं, आई0पी0सी0 पर हम ओवर राईडिंग इफेक्ट्स कर रहे हैं या तो उन सारे के सारे ओवर राईडिंग इफेक्ट्स पर पहले आप राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करें, तब विधान सभा के अन्दर इसे पारित करें। मान्यवर, बिना ऐसा करे, यह चैलेंज हो जायेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी–बड़ी भावनाए आ रही हैं, जब यह चैलेंज हो जायेगा, तब क्या होगा ? मैं चाहता हूँ कि आपका राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण हो गया है, आपने एक राजनीतिक दृष्टि से बहुत जल्दबाजी में इसे पुटअप किया है। मैं चाहता हूँ इस सदन की गरिमा बनाये रखें और हम संविधान का उल्लंघन भी न करें। यह आवश्यक है कि आप इसे कुछ समय के लिए प्रवर समिति को दे दे, ताकि इसका गहनता से अध्ययन किया जा सके और तभी यह सही रूप में पारित हो पायेगा।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोकायुक्त बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, यह अच्छी बात है कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकायुक्त बिल लायी है। इसकी हमारे नेता जी ने भी सराहना की है, लेकिन इसमें जो कमियाँ हैं, उन्हें दूर करने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूँ। जैसे अभी डा0 सिंघल साहब ने बिन्दुवार बात की है, यह बिल्कुल सही है। हमारी जो विधान सभा है, इसको लोकायुक्त के विरूद्ध महाभियोग चलाने की पॉवर मिलनी चाहिए, न कि सुप्रीम कोर्ट को। मान्यवर यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात भी सही है कि जो हमारे विधान सभा के हाथ में नहीं है और इसको सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी जगह चैलेंज किया जाय। हम जिस कानून को ला रहे हैं, उस कानून को कोई चैलेंज न करे, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा।

मान्यवर, भ्रष्टाचार आज हर जगह व्याप्त है। अधिकारियों द्वारा इस भ्रष्टाचार को जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मान्यवर, 40–60 प्रतिशत तक बिलों टेंडर डाले जाते हैं तो यह पहले ही क्यो नहीं तय किया जाता है कि जो टेण्डर डाले जायेंगे, वे इतने डाले जायेंगे। बीच–बीच मे एस्टीमेट बनाया जाता रहता है, यदि पहले ही एस्टीमेट बना दिया जाय तो भ्रष्टाचार ज्यादा नही होगा। मान्यवर, यदि इस तरह से हम भ्रष्टाचार को मिटायेंगे तो हर जगह में हमें सोचना पड़ेगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश की जो आय है, जो निधि है, जो हमारे प्रदेश के पास पैसा है, वह सही जगह पर लगे, अधिकारियो के हाथ मे न जाय, इसमे बहुत सी कमियॉं हैं, उन कमियों को हम प्रदेश स्तर पर ही दूर कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष और अन्य साथी कह रहे हैं, ये भी घोटालेबाज हैं, आप भी घोटालेबाज हैं। 56 घोटालों की जॉच इनकी की जाय, जब इनकी सरकार आए तो आपके घोटालों की जॉच की जाय। जॉच करने के लिए कोई तैयार नही हैं और विधान सभा में बोलने के लिए सब तैयार हैं। 56 घोटालो की बहुत चर्चा सुनी थी, लेकिन उन 56 घोटालों की कोई जॉच नहीं हुई। अब बता रहे हैं 420 घोटाले हो गये, लेकिन उनकी कोई जॉच नहीं हो रही।

अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार मिटाना ही चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी को वर्ष, 2007 में ही लोकायुक्त कानून बना देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लोकायुक्त बिल बनाने में विलम्ब किया। वर्ष, 2007 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन थे, अगर उस समय यह बिल लाते तो बहुत अच्छी बात होती। आज इस कानून को बना रहे हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए बना रहे हैं। मेरा कहना है कि यह कानून तो बनना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। भ्रष्टाचार से अगर कोई पीड़ित है, तो गरीब लोग हैं। अगर भ्रष्टाचार न हो तो जो पैसा अमीरो के पास जा रहा है, वह पैसा गरीब लोगो के पास जाएगा और हमारा विकास भी अच्छा होगा, हर चीज मे विकास होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह अच्छा कानून है, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार को हमे मिटाना चाहिए लेकिन इस पर अंकुश भी विधान सभा को ही रखना चाहिए। मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री कुलदीप कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसरदिया मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जब पूरे देश के अन्दर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अन्ना का आन्दोलन चल रहा था तो पूरे देश के छोटे–बड़े हर व्यक्ति की एक ही आवाज थी कि केन्द्र के अन्दर लोकपाल और राज्यों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्दर लोकायुक्त अधिनियम लाया जाय। इससे प्रदेशों के अन्दर और देश के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त होगा। मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तराखण्ड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने पूरे देश के अन्दर इस राज्य को यह गौरव प्रदान किया कि सबसे पहले हमारे प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में मुख्य रूप से धारा–4 के अन्तर्गत लोकपाल के स्थान पर एक लोकायुक्त संस्था का गठन करने की जो व्यवस्था है, यह निश्चित रूप से एक अनूठी पहल हैं इसमें अध्यक्ष के साथ में 5 से 7 सदस्यों की संस्था हो सकती है, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति के भ्रष्ट होने की सम्भावना रहती है, लेकिन संस्था के रूप में जब 5 से 7 सदस्य काम करेंगे तो वे भ्रष्ट नहीं हो सकते। इस प्रकार से भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की यह एक पहल है। इसके साथ ही साथ इनका चयन एक समिति के माध्यम से, समिति की अनुशंसा पर, राज्यपाल द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी है, यह भी एक अनूठी पहल है।

लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य रूप से ज्यूडीशियल पॉवर्स लोकायुक्त को दी गयी है, उससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। अपराध के अन्वेषण व पर्यवेक्षण और अन्वेषण अधिकारी को निर्देश देने की व्यवस्था धारा–5 के अन्तर्गत की गयी है, जो कि अपने आप में एक अनूठी पहल है। इसके साथ ही साथ पक्षकार को सुनवाई का अवसर देना और गुण दोष के आधार पर यह निर्णय करना कि वह कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह समादेश इसमें दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त लोकायुक्त का आदेश सक्षम लोक अधिकारी पर बाध्यकारी होगा, इसकी व्यवस्था धारा–8 के अन्तर्गत की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकायुक्त के विरूद्ध जो रिट का अधिकार दिया गया है, निश्चित रूप से उससे कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसके साथ गलत हुआ है, उसे अपील में जाने का अधिकार धारा–12 के अन्तर्गत दिया गया है।

इसके साथ ही साथ धारा–18 में माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रि–परिषद् के सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को इसकी परिधि में लाया गया है और पूरे देश में यह अपने आप में एक अनूठी पहल है और इसे एक नजीर के रूप में देखा जायेगा। मान्यवर, इस विधेयक की धारा–21 में अन्वेषण को छः माह में पूरा करने का समयबद्ध प्राविधान है और जरूरत पड़ने पर उसे 12 माह करने का समय देने का भी प्राविधान किया गया है, यह भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष जी, धारा–22 में शिकायतकर्ता को संरक्षण देने का अधिकार दिया गया है और साथ ही साथ उसकी पहचान को गोपनीय रखने का प्रस्ताव किया गया है, यह भी अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुलदीप जी, कृपया समाप्त करें।

श्री कुलदीप कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी धारा–28 में वसूली और जब्तीकरण करने का प्राविधान है, जो कि बहुत अच्छा है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस मद पर चर्चा के लिये मैं एक घण्टे का समय बढ़ाता हूँ।

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोकायुक्त बिल, 2011 पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पूरे प्रदेश मे पिछले पौने पॉच वर्षों में बच्चा–बच्चा भ्रष्टाचार से त्रस्त था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय केदार सिंह जी, कृपया पॉच मिनट पर मुद्दों पर अपनी बात को रखें।

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह मानना है कि, हालॉकि शासन, सरकार और राजनीति मे रहने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि वह किसी अपराध के लिये शास्ति और दण्ड की व्यवस्था करें, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से अपराध समाप्त नहीं हो जाता है और जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच पिछले पॉच सालो मे इस प्रदेश के अन्दर हो रहा था, यह सरकार यदि चाहती तो जो मौजूदा कानून हैं, चाहे एंटी करप्शन एक्ट है या आई0पी0सी0 के अन्तर्गत प्राविधान है, उन मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत भी प्रोसीक्यूट करने की और सजा दिलाने की पर्याप्त व्यवस्थायें हैं। मान्यवर, यह तो शासन और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिये कि यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उसको किस प्रकार से टेकअप किया जाय और किस तरह से उसको प्रोसीक्यूट किया जाय तथा किस प्रकार से उसको सक्षम न्यायालय में पहुँचाकर सजा दिलाई जाय, सिर्फ कानून बनाने से यह समाप्त नही होने वाला है और इस वर्तमान कानून के लिये जो यह लोकायुक्त बिल लाया गया है, बहुत शोर–शराबा इस सरकार के द्वारा किया गया, बहुत राजनीतिक स्टंटबाजी की गई और विभिन्न समाचार माध्यमों से जनता के बीच में यह प्रदर्शित किया गया कि यह लोकायुक्त कानून आने से प्रदेश मे भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो लोकायुक्त कानून आया है, इसमे विभिन्न खामियॉं हैं, जिनको हमारे वरिष्ठ साथियों ने आपके समक्ष रखा है, उनको मैं। नही दोहराऊँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक मे जो विधि शास्त्र का जो प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेन्स है, आधिकारिक रूप से उसका उल्लंघन हुआ है। क्योंकि यह जो संस्था बन रही है, वह प्रासीक्यूटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग और ज्यूडिशियल नेचर की है। क्योकि इसमे कुछ सजा देने का भी प्राविधान किया गया है। एक ही एजेंसी, वही इन्वेस्टिगेट भी करे........। मान्यवर, वही प्रोसीक्यूट भी करे और कन्विक्शन भी करे। तो यह जो प्रिन्सिपल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंश है, उसके टोटली अगेंस्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा इसके कान्स्टीट्यूशन के अल्ट्रावायरस नेचर का भी उल्लेख किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी केन्द्र सरकार मे लोकपाल विधेयक आने वाला है, आगामी शीतकालीन सत्र में और जो केन्द्रीय कानून बनेगा उसके तहत राज्यो को भी

उसमें प्राविधानित किया जायेगा कि राज्य में भी लोकपालों की नियुक्तियॉ की जाए और ये जो नुच्छेद–251 है, माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान का, उसके तहत भी अल्ट्रावायरस भी होगा और उस कानून के साथ वो सगत भी नही होगा माननीय अध्यक्ष जी, जो आने वाला है।

तीसरा, जो बहुत इसका हल्ला मचाया गया कि लोकपाल बिल ला रहे हैं, लोकपाल बिल ला रहे है, लोकपाल कानून ला रहे हैं, जो पेश किया गया है, इसमें ऐसा लगा कि शायद लाते ही सब कुछ हो जायेगा और सब सेक्शन–2 के, जो सेक्शन–1 का सब सेक्शन–2 है, माननीय अध्यक्ष जी, इसको प्रवृत्त करने का जो समय है, वो 180 दिन अधिकतम रखा गया है। तो क्यों नहीं उसको तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किया गया। अभी लगभग एक माह का समय इसमें महामहिम गवर्नर की असेंट लेने में लगेगा, उसके बाद कितना समय लगने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, नई सरकार आने वाली है, तो मात्र ये ऐसा लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए ही, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नही, बल्कि इसका उद्देश्य चुनाव को देखते हुए जनता के बीच में यह मैसेज देने का है।

मान्यवर, उसी तरह से सेक्शन–9 मे जो यह कहा कि बहुत सख्त, सशक्त, बहुत प्रभावशाली हम लोकायुक्त बना रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी बाध्यकारी नही है। सेक्शन–5 के (ढ) में वहॉ भी जो संस्तुति वो कर रहे हैं, वो बाध्यकारी नहीं है। उन्होने खारिज कर दी अगर, फिर लोकायुक्त को हाईकोर्ट का मुँह देखना पड़ेगा और जो संस्तुति सेक्शन–9 मे भी कर रहे हैं, वो भी बाध्यकारी नहीं है। लोक प्राधिकारी ने अगर पब्लिक ऑथारिटी ने, किसी ऑफीसर ने खारिज कर दी तो फिर लोकायुक्त को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। तो ऐसा सशक्त लोकायुक्त जिसका बहुत प्रचार–प्रसार किया गया तो इतना कमजोर लोकायुक्त बिल पास किया गया मान्यवर, जिनकी संस्तुतियॉ बाध्यकारी नहीं की गयी। तो फिर अभी जो वर्तमान में जो लोकायुक्त कार्य कर रहे है, उसमे क्या हर्ज है ? जब उनकी संस्तुति बाध्यकारी नहीं है तो भारी खामियॉ इसमे माननीय अध्यक्ष जी, है। मैं समझता हूँ कि यह भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए नही, बल्कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐन चुनाव के समय पर लाया गया है। धन्यवाद।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपने लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर विचार रखने का मुझे अवसर दिया है, आपका मैं आभारी हूँ और विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज देश की नहीं, प्रदेश की भी नही, बल्कि आज समय की क्या मॉग है, आज के समय की मॉग को ध्यान में रखते हुए कम से कम इस अधिनियम को लाने की हिम्मत जुटाई है, जो पूरे भारत मे आज की उसी आवाज के लिए पहला प्रदेश साबित होगा, जिसने यह अधिनियम लागू किया। जहॉ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, वहीं आज का जो सत्र है, उसमें विपक्ष ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। पहले तो हल्ला–गुल्ला ही होता था, जिन्दाबाद, मुर्दाबाद, ये है, वो है। कम से कम उससे ऊपर उठ करके विपक्ष ने

अपनी जिम्मेदारी को समझा कि इसके लिए उनकी भी जिम्मेदारी है सुझाव देने की, बहुत अच्छी बात है, आज पहली बार मैं चार साल के समय में लगा कि हमारी विधान सभा सुचारू रूप से चल रही है।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक–दो ऐसे बिन्दुओं की तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा, हालांकि मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे। लेकिन मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं उस बात को रखूं। विधान सभा के सदस्य जनता के चुने हुए सदस्य होते हैं और जनता से विश्वास प्राप्त करके विधान सभा में आते हैं। मान्यवर, विधान सभा में मुख्यमंत्री इन सारे विधान सभा सदस्यों के बहुमत से मुख्यमंत्री के पद पर वह नियुक्त होते हैं और उनको प्रदेश भर की जनता का विश्वास प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 के दायरे में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाया जाना, विधान सभा के सदस्यों को भी लाया जाना, जो विधायिका सर्वोच्च है एक प्रदेश के लिए, उसको ला करके मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले समय में शायद कुछ डिमॉरलाइजेशन आ जाय, जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी विधायिका उदारतापूर्वक कोई निर्णय नहीं दे सके, ऐसी कमी इसमें आ सकती है। मैं इसकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए यह कहना चाहूँगा कि इसके प्रति विचार व्यक्त किये जायें।

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े इम्पार्टेन्ट बिन्दु हैं, अभी–अभी हम और आप सब जानते हैं कि पूरे देश में सूचना का अधिकार आया, विचार था कि सूचना के अधिकार से पारदर्शिता आयेगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस सूचना के अधिकार की इतनी तगड़ी ब्लैकमेलिंग हो रही है कि बहुत सारे आदमियों ने ब्लैकमेलिंग की दुकानें खोल दी हैं और यह ब्लैकमेलिंग के माध्यम से हमारा जो सारा सिस्टम है, जिसमें हमारे सारे ऑफिसर भी हैं, सबको ब्लैकमेलिंग करके यह एक धन्धा बनकर रह गया है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो यह एक्ट आ रहा है, कहीं ऐसा न हो जाय कि यह भी एक ब्लैमेलिंग का धन्धा बन कर रह जाय। आज एक लाख रुपये अगर देखा जाय तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक लाख रुपये अदा करके किसी आदमी को ब्लैकमेलिंग के लिए खड़ा करके एक विधायक की छवि खत्म कर दी जाय और एक माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को खत्म कर दिया जाय, यह उचित नहीं होगा। हालाँकि किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि एक लाख रुपये भी ज्यादा हैं, मैं तो यह कहूँगा कि एक लाख रुपये भी कुछ नहीं हैं। एक लाख रुपये एक ब्लैकमेलिंग का साधन बन जाय, इससे बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग होगी।

श्री अध्यक्ष–

श्री चीमा जी, कृपया समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर विचार होना चाहिए, जिससे कम से कम यह ब्लैकमेलिंग का साधन न बन पाये। मान्यवर, ऐसा हो सकता है कि इस एक्ट के आने से विधायिका और कार्यपालिका में शिथिलता आ सकती

है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसके उन बिन्दुओं पर पुनः विचार कर लिया जाय, जिसके कारण कार्यपालिका और विधायिका मे शिथिलता आने की सम्भावना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत करना चाहूँगा। मैं यह चाहूँगा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो और इसमे इन बिन्दुओं को और जो विपक्ष की तरफ से बिन्दु आये हैं, उनका संज्ञान लेते हुए इसकी रूपरेखा सही कर ली जाय।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ, माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत लोकायुक्त विधेयक पर हमारे सम्मानित साथी श्री महेन्द्र सिंह मेहरा जी द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रवर समिति के सुपुर्द देने के लिए रखा है, उसके समर्थन मे मैं खड़ा हुआ हूँ। श्रीमन्, उत्तराखण्ड में 8 साल पहले जब लोकायुक्त का गठन हुआ था तो उम्मीद जगी थी कि यह सूबा भी भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, लेकिन यह कवायद भर रह गई। ऐसा नहीं है श्रीमन्, कि लोकायुक्त संगठन में आये प्रकरणो मे कार्यवाही की संस्तुति नहीं की गई हो। कार्यवाही की संस्तुति की गई लेकिन इसे अमल मे लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपना हाथ झाड़ लिया और श्रीमन्, मतलब साफ है चहेतों को बचाने और राजनीतिक कारणो से दिलचस्पी नहीं ली गई। श्रीमन्, उत्तरकाशी के करूणागत ट्रीटमेंट मे घोटालो मे जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने की संस्तुति की, लेकिन उसका आज तक क्या हुआ, इसका किसी को पता नहीं। श्रीमन्, ताज्जुब की बात यह है कि पिछले तीन सालो में लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजती रही है लेकिन प्रदेश सरकार है कि इसे विधान सभा के पटल पर रखने से लगातार कतराती रही है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, विषय तक ही सीमित रहे तो ठीक रहेगा।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

जी श्रीमन्, अगर ऐसा नहीं होता तो लोकायुक्त को आज राजभवन में दस्तक नहीं देनी पड़ती। श्रीमन्, आज कमजोरियाँ कहाँ हैं और इलाज कहाँ हो रहा है। चौकीदारों पर चौकीदार बिठाने से भला होने वाला नहीं है। सवाल यह भी है कि इस लोकपाल की चौकीदारी कौन करेगा ? श्रीमन्, पिछले 8–9 महीने पहले हरिद्वार के एक बाबा ने हरिद्वार में एक मंत्री के ऊपर दो करोड़ रुपये की माँग का आरोप लगाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री को लपेटा था। यह जरूर है कि श्रीमन्, बाबा के बंदूक के छर्रे हरिद्वार के मंत्रियों पर जरूर लगे हों, पर गोली जनरल को निशाना बनाकर चलाई गई थी। सवाल यह भी है कि जिस लोकपाल के अन्तर्गत मुख्यमंत्री जी, मंत्रि–परिषद् के सदस्य और विधायक आयेंगे तो लोकपाल के कामकाज किसके दायरे में आयेगें, यह भी स्पष्ट नहीं है। श्रीमन्, संविधान मे संस्थाओं के बीच पारस्परिक नियंत्रण और संतुलन का सिद्धान्त पहले से ही संचालित है मान्यवर, यह व्यवस्था तो बहुत पहले से चलती आ रही है। हम तो देख रहे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, अपनी बात को समाप्त करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, इस समय इस प्रदेश में भाँति–भाँति के चोरों की प्रजातियाँ पायी जाती हैं। पुराने जमाने में एक चित चोर भी होता था, लेकिन आज इतने किस्म के चोर हैं कि चित के साथ वित्त को लेकर भी भागते हैं और अच्छे खासे कानून को पित्त रखने की ताकत रखते हैं। श्रीमन्, अभी पाँच मिनट भी नहीं हुआ। (व्यवधान) (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, अपनी बात को यहीं पर समाप्त करें, नहीं तो मुझे विवश होकर आपकी बात को अंकित न करने के निर्देश देने पड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, आप औरों को 10 से 15 मिनट का समय देते हैं। इस समय लोकपाल बिल की इस बहस में सुधार के लिए चाणक्य के प्रसंग से सीख ली जा सकती है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रि–परिषद् की टीम चाणक्य से एक प्रेरणा ले सकती है। एक बार चाणक्य के पास चीन से एक मेहमान आया था। मान्यवर, उन्होंने अपने कक्ष में जल रहे दीपक को बुझाकर एक दूसरा दीपक जला दिया। जब चीनी मेहमान ने उनसे इसका कारण पूछा तो चाणक्य ने कहा कि आपके साथ मेरी यह व्यक्तिगत भेंट है। मान्यवर, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है और इसलिए मैं शासन द्वारा दिये गये दीपक और तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। चाणक्य का यह आदर्श देखकर विदेशी मेहमान यह कहने के लिए विवश हो गया कि जिस देश में ईमानदारी का स्तर इतना ऊँचा हो तो उसे फलने–फूलने से कोई नहीं रोक सकता है। आज इस चाणक्य धर्म पर हमारे नौकरशाहों और राजनेताओं को चलने की जरूरत है। श्रीमन्, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष देना। यह सिर्फ कहावत ही रह गई है। अब तो लोग खुद खोटे होते हैं और दूसरों का खोट ढूँढते फिरते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, आपकी बात आ गयी है। माननीय नेगी जी जो बात कह रहे हैं, अब उनका संज्ञान न लिया जाय। किसी बात का संज्ञान न लिया जाय। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, बहुत सारे सुझाव आये हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री यानी सरकार इन पर विचार करेगी, निश्चित तौर पर एक अच्छा विधेयक बनकर आयेगा, ऐसा न हो

कही बहुमत के आधार पर या जल्दीबाजी में यह विधेयक पास कर दिया जाय। जिससे जो खामियाँ इस विधेयक में है, जो कमजोरियाँ इस विधेयक में, जैसे बहुत सारे साथियो ने इसमे बात बतायी है। सी0आर0पी0 से ले करके आई0पी0सी0 तक बहुत सी धाराएँ गिनायी गयीं। मै विस्तार मे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए, जिससे कि फिर सारे सुझाव आये, जैसे आज बड़े अच्छे–अच्छे सुझाव आए, इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। क्योंकि यह विधेयक लागू तो होगा नही इस सरकार मे, यह अगली सरकार में ही होगा, इसलिए प्रवर समिति को दे दिया जाए। क्योंकि ऐसा न हो कि आपस में लोकायुक्त को इतनी पॉवर, इतनी शक्ति हम दे दे कि इस विधान सभा का हर मेम्बर जेल की सीखचो के पीछे हो। जो इस तरह की शक्तियाँ इसमे दी गयी हैं, मै देख रहा हूँ कि कही पर भी विधायक को या इस विधायिका को हटाने की पॉवर कहीं नही है, सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है।

निश्चित तौर पर कुछ साथियों ने जैसे कहा कि एक लाख रू0 देकर किसी भी विधायक को कोई भी विरोधी आदमी फसा सकता है तो इस पर विचार करना चाहिए कि कम से कम जो पॉवर है, उसमे विधायिका और लोकायुक्त मे टकराव न हो। इसमें व्यवस्था दी जानी चाहिए, इसमे व्यवस्था नही दी गयी है कि अगर लोकायुक्त गलत काम करता है, उसको किस तरह हटाया जाए। ऐसा न हो कि हमने उसको भस्मासुर बनाकर रख लिया और वह सारी विधायिका को अपने चंगुल में फॉस ले और सारे मुख्यमत्री से लेकर मत्री तक इसके चंगुल मे फस जाए। इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। वास्तव में यह जो विधेयक लाए हैं, यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया है, क्योंकि यह इस सरकार में लागू नहीं हो सकता, इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए। इस पर गम्भीरता से विचार हो, फिर इसको लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ पर पूरे देश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना है, उसमें लोकायुक्त बनाने की पहल हमारे राज्य में हुई है, यह कदम स्वागत योग्य है इसलिए इस देश की जनता को, अन्ना हजारे जी को और आने वाले चुनावों को और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मै धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने इस बात को महसूस किया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सशक्त कानून बनाने की जरूरत है। मान्यवर, वैसे तो सभी कानून बने हुए हैं, लेकिन व्यवस्था के आधार पर अगर उनका पालन किया जाए तो निश्चित रूप से पूरे देश को जो भ्रष्टाचार मे डूबा हुआ है, उससे निकलने में आसानी होगी। मैं सारी चीजे नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बिन्दु अगर सम्भव हो सके, क्योंकि इसको पारित होना भी बहुत जरूरी है, उसमें विचार हो सके, क्योंकि उसको रोके जाने की आवश्यकता नहीं

है, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कमियाँ हैं, बहुत सारे हमारे साथियों ने सुझाव दिये। क्योंकि बहुत जल्दबाजी में यह विधेयक लाया गया है, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से यह पहला राज्य बना है, उसी तरीके से उसमें सेवानिवृत्त थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के अध्यक्षों को, जिनको आज तक कहीं न हमारे देश में ही, न दुनिया मे कहीं सेवानिवृत्त के बाद पूछा जाता था, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, मैं इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

दूसरा मान्यवर, इसमे जो अन्वेषण का समय रखा गया, वह 6 माह कुछ अधिक है, अगर इसको घटाकर कुछ कम किया जा सके तो और ज्यादा बेहतर और ज्यादा इसकी सार्थकता होगी। 180 दिनों का जो प्रोविजन इसमे राज्यपाल की सहमति से रखा गया है, वह तत्काल प्रभाव से करें तो और ज्यादा प्रभावी होगा। तीसरा मान्यवर, चयन समिति में एक तरीके से इसको राजनैतिक संरक्षण से मुक्त करने की बात कही गयी है, क्योंकि चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके दायरे में हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष से ले करके सभी सम्मानित सदस्य इसमे हैं, अगर इसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस या उच्च न्यायालय के जजों को इसमें प्रोविजन किया जा सकता तो शायद यह और ज्यादा बेहतर हो जाता, इसकी मंशा बेहतरीन हो जायेगी, क्योंकि इससे लगता है कि इसमें थोड़ी पॉवर मे कमी दिखाई देती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उत्तराखण्ड मे लाया जा रहा है, उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार की जो परिभाषा ह, उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में यह केवल लोक सेवकों और राजनेताओं के आधार पर नही है, उसमें पूरे तरीके से उनके हिसाब से काम किया गया है, आज उत्तराखण्ड मे 40 हजार एन0जी0ओ0 काम कर रहे हैं और इससे पहले, यह बाहर से पैसा लेकर जनता के लिए काम करते हैं, गांव मे और उनकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नही है और आज के समय में सरकारी संस्थान मे भी, सरकार के बजट मे भी, राज्य मे उनकी घुसपैठ पूरे तरीके से हुई है।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने इसी सदन में आज उदाहरण दिया था कि एक एन0जी0ओ0 ने जो गाड़ियॉं लगाई हैं, तो इस तरीके से चाहे वह कृषि विभाग हो तो सभी में, एन0जी0ओ0 सेक्टर को इसमे सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए इसमे लगता है कि जन लोकपाल की एक तरीके से कही न कही कॉपी है। एन0जी0ओ0 सेक्टर को इसमे स्वय सेवी संस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए उसको सम्मिलित किया जाना बहुत आवश्यक है। दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर, भ्रष्टाचार आज कहॉं से पनपता है, कॉर्पोरेट सेक्टर मे जिस तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर अपने हितों के लिए वो सारी चीजे करते हैं। राजनेता ब्यूरोक्रेट्स को भ्रष्टाचार की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, 2 स्तम्भों कार्य पालिका और विधायिका को सम्मिलित

किया है तो मीडिया को भी इसमें सम्मिलित किया जाना बहुत आवश्यक है। उत्तराखण्ड क परिप्रेक्ष्य में ही, जिस तरीके से पिछले दिनो मीडिया ने जनपक्षीय बातो को करना छोड़ दिया है और पेड न्यूज का माहौल सा बन गया है, उस हिसाब से मीडिया को भी इसमे सम्मिलित होना चाहिए था। मान्यवर, इसके बाद लोकायुक्त के प्रतिनिधि के तौर पर प्रत्येक जिले में, उनका एक प्रतिनिधि प्रत्येक जिले मे हो, पहले तो यह तहसील स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रो से हर व्यक्ति देहरादून नही पहुँच सकता है, तो इसे तहसील स्तर पर करे, नहीं तो जिला स्तर पर होना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। इन सारे बिन्दुओं के साथ–साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले भी आपने एक बार डण्डा चलाया था, लेकिन उस समय गाडी मे डण्डा लगा तो लोग खाली फार्मेलिटी करते थे, लेकिन अब मारहाय मे यह लगा है कि आपका डण्डा चला है और इससे पूरे राज्य को आगे बढने मदद मिलेगी।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्मंत्री जी इस सदन मे सशक्त उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक अपनी इच्छा शक्ति से लाये, मैं उनको बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, आज एक संयोग भी है कि आज 1–11–11 तारीख भी है और उत्तराखण्ड को बने हुये भी 11 साल हो गये हैं और 11 आपने आप मे शुभ तिथि मानी जाती है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बाबा रामदेव जी ने एक आन्दोलन किया था, तो जब वे आन्दोलन दिल्ली के अन्दर कर रहे थे, तो डरा–धमका के उनको जबरदस्ती जौलीग्राण्ट अस्पताल भेजा गया था, संयोग से मुझे वहॉ जाने का मौका मिला, क्योंकि जौलीग्राण्ट मेरे विधान सभा क्षेत्र मे है और वैसे ही उनके पतंजलि में मुझे जाने का मौका मिला, उसी दौरान मैंने लोगों के जज्बे को देखा।

उसके बाद 16 अगस्त को अन्ना हजारे जी ने दिल्ली मे आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और आन्दोलन चलाया और मुझे वहॉ भी जाने का मौका मिला। जिस प्रकार से लोगो में बहुत बड़ा उत्साह भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश के अन्दर था, जुनून था, एक आन्दोलन जिस प्रकार से चला और उसके बाद पूरे देश के अन्दर ही नहीं मान्यवर, पूरे विश्व के अन्दर एक क्रांति जैसी आ गयी कि हिन्दुस्तान के अन्दर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलायी जा रही हैं ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो हमारा प्रदेश संस्कृति की भूमि कहा जाता है, ऐसे में यहॉ विधेयक लाकर एक नजीर पेश की है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। मान्यवर, उत्तराखण्ड के अन्दर जहॉ गंगोत्री है और गंगोत्री से पवित्र गंगा बहकर पूरे देश के अन्दर एक संदेश देती है, उसी प्रकार से लोकायुक्त बिल पूरे देश के अन्दर एक संदेश देने का काम करेगा। माननीय खण्डूडी जी अपने आप में एक देशभक्त, ईमानदार प्रशासक रहे

हैं और है और इसी आधार पर इन्होंने बिल को यहाँ लाने का प्रयास किया है। मैं पुनः उनका धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा बिल को यहाँ लाने का कार्य किया गया। मान्यवर, इससे पहले जो सदन आहूत था उससे लग रहा था कि इन पाँच सालों का यह आखिरी सदन होगा। दुबारा सभी विधायकों को मिलने का मौका इस लोकायुक्त विधेयक के साथ मिला, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँगा और सभी माननीय सदस्यों को वर्ष, 2012 की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार द्वारा जो लोकायुक्त विधेयक पारित करने के लिए चर्चा मे भाग लेने के लिए मुझे भी मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा–पत्र में भी यह बात कही थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। मान्यवर, पाँच साल पूरे होने में मात्र दो महीने शेष हैं और इस सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत देर से याद आया, जब सब लूट गया, तब याद आया कि हमें लोकायुक्त बिल को लेकर भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहिए। मान्यवर, 56 घोटाले पहल सरकार ने किये और इस सरकार में भी पूरा मौका दिया गया, साढे चार साल घोटाले करने का मौका दिया गया और आज लोकायुक्त बिल पास कर रहे हैं। मान्यवर, देर आय दुरस्त आय, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि कम से कम आपने सशक्त लोकायुक्त बिल बनाने का निर्णय लिया।

मान्यवर, मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि लोकायुक्त बनाने मात्र से भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। संविधान मे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ऐसे बहुत से कानून बनाये हैं, जिनसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। मान्यवर, बहुत सी ऐसी सरकारें रही हैं, यदि इन सरकारों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नीयत से कार्य किया होता तो भ्रष्टाचार स्वयं समाप्त हो जाता। आज मंत्रि मण्डल में बहुत से ऐसे मंत्री साथी बैठे है, जिन्हें भ्रष्टाचार के अलावा कोई और काम ही नहीं है, उन पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। मै इस पर भी सुझाव देना चाहता हूँ कि जो आपने लोकायुक्त को विधायिका से बड़ा, सबसे ज्यादा अधिकार दे दिया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज उत्तराखण्ड के अन्दर ही क्या पूरे हिन्दुस्तान का कोई आई0ए0एस0 ईमानदार नहीं है, कोई विधायक ईमानदार नहीं है, कोई मंत्री ईमानदार नही है, कोई मुख्यमंत्री ईमानदार नही है, कोई कर्मचारी ईमानदार नहीं है तो मात्र क्या जो लोकायुक्त होगा, वह कहाँ से राम का अवतार पैदा होगा और उसके पाँच सदस्य ईमानदार होंगे और सब बेईमान होंगे। आखिर वे भी तो हिन्दुस्तान में पैदा हुए व्यक्ति होंगे, वे भी तो हिन्दुस्तान के व्यक्ति होगे।

अगर वे भी अपनी सीट पर बैठने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जायेंगे, तो उन पर अंकुश लगाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है, केवल उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है। जो उसमें प्रार्थना–पत्र देगा, कब प्रार्थना–पत्र देगा और कब उस पर सुनवाई होगी। मेरा इसमे यह सुझाव है कि

इसमें यह अधिकार बहुमत से पारित करके लोकायुक्त और उसके सदस्यों को हटाने का अधिकार विधान सभा को होना चाहिए। मान्यवर, विधायक लोक सेवक नहीं है। विधायक तो जनता के वोट से जीत कर आता है। विधायक के पास कोई वित्तीय पॉवर नहीं है, लेकिन उसे बन्दिशों में बॉधा जा रहा है। क्यों बांध रहे हैं विधायक को ? मंत्री को बांध रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी वित्तीय पॉवर रखते है, उन्हें इसमें रखा जा रहा है, यह भी ठीक है, लेकिन विधायक कौन सी वित्तीय पॉवर रखता है ? कौन सा भ्रष्टाचार विधायक कर रहा है, इसमें विधायक को क्यों रखा जा रहा है, मेरे विचार से यह सही नहीं है, इसको निकाला जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें 5 सदस्यीय संस्था बनाने का प्राविधान है, मैंने इस बिल को पढ़ा है। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इसमें जगह दी जाएगी, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए इसमें कोई प्राविधान किया जाएगा, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है, जबकि यह किया जाना चाहिए था। अनुसूचित जाति के लोग भी उत्तराखण्ड में रहते हैं, अनुसूचित जाति के 19 प्रतिशत लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका भी ध्यान इसमें रखा जाना चाहिए था, अनुसूचित जाति के कम से कम 2 सदस्य इसमें होना चाहिए थे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कर्मचारी होंगे, जो अन्वेषण अभियोजन शाखा का गठन किया गया है, इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि वह समयबद्ध होगा। लोकायुक्त कितने समय में इसका गठन कर देगा ? हमारी सरकार के अन्दर जो सतर्कता विभाग है, उसके माध्यम से जॉच कराएगा या किसी और संस्था से। अन्वेषण अभियोजन शाखा का गठन समयबद्ध होना चाहिए कि लोकायुक्त इतने समय में इस शाखा का गठन करेगा। इसमें विधान सभा की एक समिति बनाई गयी है, जो पूरे साल में लोकायुक्त द्वारा लिये गये निर्णयों पर विचार करेगी। इसमें मेरा कहना यह है कि जो विधान सभा की समिति होगी, वह जो संस्तुतियॉं करे, वह लोकायुक्त के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए। इसमें बाध्यकारी होने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यह उसकी मर्जी पर है कि वह विचार करे या न करे। विधान सभा की समिति को पूर्ण अधिकार होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि शिकायत प्राधिकरण को भी ताकतवर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जो प्राधिकारी होंगे, जो अन्वेषण अधिकारी होंगे, वे भी हम में से होंगे, वे भी भ्रष्ट हो सकते हैं, लोक सेवक की तरह ही उन्हें भी दायरे में लाना चाहिए। उसे भी उसी प्रकार से दण्ड देने का प्राविधान इसमें नहीं किया गया है। वह तो हम सबकी जॉच करेगा, आई0ए0एस0 ऑफीसर की जॉच करेगा, लेकिन यदि वह भ्रष्ट हो जाता है तो इसमें कहीं भी उसको दण्ड देने का प्राविधान नहीं किया गया है, उसे भी उसी प्रकार से सजा होनी चापहिए। लोक सेवक की तरह उसे भी सजा होनी चाहिए, उसे भी सस्पेंड करने का अधिकार होना चाहिए।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह कहना चाहता हूँ कि एक लाख रुपये मंत्री या विधायक को बदनाम करने के लिए उसका कोई भी विरोधी खर्च कर सकता है। इसमें अधिक से अधिक दण्ड होना चाहिए और कम से कम 10 साल

के कारावास का भी प्राविधान इसमें होना चाहिए। जो झूठी शिकायत करता है, उसके लिए निश्चित रूप से यह प्राविधान किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लोकायुक्त द्वारा बनाए गये नियम पहले ही उत्तराखण्ड विधान सभा में रखे जाने चाहिए। इसमें लिखा है बाद में रखे जाएंगे। जब वे नियम बन जाएंगे, तब बाद में उन्हें विधान सभा में रखने का क्या औचित्य है, यह औचित्यहीन हो जाएगा। इसलिए यह जो भी नियम बनाए, वह पहले विधान सभा मे रखे जाएं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपका धन्यवाद करते हुए पुनः यह कहना चाहूँगा कि मैं आपने आपको अपने दल के नेता श्री शहजाद जी से जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी यह चाहती है कि भ्रष्टाचार न हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह बिल लाया गया है, इसलिए हम इस बिल का समर्थन करते है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रीमन्, सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन लोकायुक्त के पुनर्गठन की बात इस दस्तावेज के माध्यम से कही गयी है। सशक्त लोकायुक्त के माध्यम से इस प्रदेश के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करने की मंशा सरकार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, इस बात के लिए कि आपने इसकी पहल की। अगर यह पहल आपने वर्ष, 2007 मे की होती तो शायद सदन का प्रत्येक सदस्य इस बात को कहता कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और यह सरकार इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपने बहुत विलम्ब से यह कदम उठाया है और यह भी तब किया जब जनान्दोलनों के माध्यम से पूरे देश मे जनता जागरूक हुई।

आपने जिस लोकपाल को आज सदन के सामने रखा है, मैं उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आप स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि अगर यह विधान सभा मे पारित भी हो जाता है तो इसको लागू करने के लिये अधिकतम 180 दिन की आवश्यकता है। जब यह अगली सरकार मे लागू होगा तो मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दबाजी में इस बिल को यहाँ पर रखने की आवश्यकता नही थी। मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये बड़ी–बड़ी बाते यहाँ पर कही गई, हमने भी कहा और ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने भी कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये। हमने एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप करने का भी काम किया, आपने भी कहा कि 56 घोटाले हुये, हमने भी कहा कि सरकार ने घोटाले किये हैं, लेकिन हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, इस पर निश्चित रूप से सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये, किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप तभी लगाना चाहिये, जबकि वह स्वयं इससे अछूता हो,

अन्यथा उसे आरोप नहीं लगाना चाहिये। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के दलदल में फँसा हो, वह दूसरे पर आरोप लगाये कि अमुक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है।

मान्यवर, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब देश के अन्दर आन्दोलन चल रहे थे और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बातें हो रही थी तो उस समय विकीलीक्स के माध्यम से भी कई बातें कही गई, उनकी कई रिपोर्ट्स आइ, जिनका संज्ञान इस देश के अन्दर लिया गया, लेकिन उत्तराखण्ड के बारे में जो बात कही गई है, मैं इस पर भी इस सदन का ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूँगा। विकीलीक्स ने अपनी रिपोर्ट के पैरा पाँच में कहा कि "बीजेपी रन स्टेट गवर्नमेंट एज आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट एण्ड ऑनली फोकस्ड ऑन मेकिंग मनी।" और इसी के पैरा छः मे कहा गया कि "नाउ दि स्टेट हैज ए गवर्नमेण्ट दैट इज करप्ट, बट इज नॉट फॅालो थ्रू ऑन व्हट इट हैज बीन ब्राइब्ड टू डू।" यह बातें इस रिपोर्ट में कही गईं।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि क्या आप इसे ऑथन्टिकेट कर टेबल पर रखेंगे ? आपने इसे हाउस में रखा है तो क्या आप इसे ऑथन्टिकेट कर टेबल पर रखेंगे ? क्या विकीलीक्स ने इसे एक्सेप्ट किया है ?

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, विकीलीक्स ने एक्सेप्ट किया है या नही, यह अलग बात है, लेकिन यह बातें उनके द्वारा कही गई, मैंने तो इसको कोट किया है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0—

माननीय प्रीतम सिंह जी, आप वरिष्ठ विधायक है और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन यह कहना चाहता हू कि विकीलीक्स के नाम पर कई चीजे आई हैं और विकीलीक्स ने कई पर मना किया है कि यह हमने नहीं भेजा है।

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, मैंने तो यह नही बोला कि उन्होने यह बोला है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0—

मान्यवर, आपने यह बात यहाँ पर रखी है, यदि आप उसको ऑथन्टिकेट कर दें तो मैं आपका आभारी रहूँगा।

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, इसे तो मैं कोट कर रहा हूँ, यह मैं नही कह रहा हूँ.............।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, विकीलीक्स की रिपोर्ट्स तो हम भी बहुत सारी ला सकते हैं और अगर हम लायेंगे तथा नाम लेंगे तो आप उछल जायेंगे।

गन्ना एवं पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, इसी रिपोर्ट का पहला पैरा भी पढ़ लीजिये, पाँच साल का तिवारी जी का भी दिया हुआ है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, मेरा सभी से निवेदन है कि वातावरण को खराब न करें, एक अच्छे विषय पर यहाँ पर बात हो रही है और जिस चीज पर आप हन्ड्रेड परसेन्ट श्योर नहीं है, उस बात को यहाँ पर नहीं रखा जाना चाहिये।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बात आपने कही, अगर आपको यह लगता है कि यह रिपोर्ट फॉल्स है, जो बात मैंने कही हैं वह गलत है तो मुझे अपने शब्दों को वापस लेने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन माननीय मदन कौशिक जी ने कहा कि आप इस पैरे को भी पढ़ लीजिये, तो आप भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, जब आप अपनी बात को कहेंगे तो निश्चित रूप से इस बात को भी कहिये मान्यवर, आप जो भी पैरा पढ़ना चाहें, आप पढ़िये, आप पढ़िये उस पैरे को, उस पैरे को भी आप देख लीजिए।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विकीलीक्स के बारे में काफी बातें कही हैं, ये शरारतपूर्ण है। उस विषय को न उठाएं तो अच्छा है। मेरी प्रार्थना है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्योंकि इसकी देश में बहुत चर्चा हुई और बहुत सारे नेताओं ने इसका संज्ञान लिया है समय–समय पर, इसलिए मैंने इसकी रिपोर्ट को सदन के सम्मुख रखने का काम किया है। श्रीमन्, जो यह विधेयक लाया गया है, इस विधेयक के अध्याय–1 में जो 'ट' है लोक सेवक के रूप में, लोक सेवक जो इसमें परिभाषित किया गया है, उसमें कहा गया है कि लोक सेवक से कोई व्यक्ति, जो लोक पदधारक है अथवा लोक पदधारक रहा है और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–2 के खण्ड–ग के अर्थान्तर्गत में लोक सेवक है या रहा हो, अभिप्रेत है। श्रीमन्, इसमें मैं कहना चाहता हू कि आपने

विधायिका और कार्यपालिका को इसमें सम्मिलित किया है और न्यायपालिका को आपने इससे अछूता रखा है।

मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–2 के खण्ड–ग के पैरा–4 में कोई भी जज लोक सेवक की परिधि में आता है और श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो कांस्टीट्यूशनल बेंच थी, जिसमें के0वी0 राम स्वामी वर्ष, 1991 में जज को लोक सेवक की परिधि में लिया गया। इससे बड़ी आथेन्टीसिटी कोई दूसरी हो नहीं सकती। जिसमें यह कहा कि न्यायपालिका जज भी लोक सेवक की परिधि में आयेगा और श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात और हरियाणा के लोकायुक्त में लोक सेवक का अर्थ आई0पी0सी0 की जो धारा है, धारा–21 में उसमें से कहा गया है कि न्यायपालिका को जो जज होगा, वह लोक सेवक की परिधि में आयेगा और जब लोक सेवक की परिधि में आयेगा तो निश्चित रूप से न्यायपालिका के जो सम्मानित न्यायाधीश हैं, उनको भी इस परिधि में लिया जाना चाहिए था। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्याय–2 लोकपाल की स्थापना के बारे में कहा गया है। लोकायुक्त का कार्य है कि प्रदेश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार की जाँच करना। लेकिन लोकायुक्त को आपने अधिकार दे दिया कि लोकायुक्त, लोकायुक्त के सचिव का चयन और नियुक्ति करेगा। मैं समझता हूँ कि लोकायुक्त को यह अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है कि वो सचिव का चयन करे, उसकी नियुक्ति करे। यह अधिकार तो सरकार में निहित होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें भी यह विधिसम्मत भी नहीं है और न्यायसम्मत भी नहीं है। श्रीमन्, लोकायुक्त की जवाबदेही के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि लोकायुक्त की जवाबदेही में जो धारा–5 है, यदि शिकायत असार पायी जाती है अथवा किसी विद्वेष आशय से की जाती है तो उच्चतम न्यायालय ऐसे शिकायतकर्ता को अर्थदण्ड अथवा कारावास की सजा, जो एक वर्ष तक हो सकेगी अथवा दोनों से दण्डित कर सकेगा। यह व्यवस्था आपने लागू की है, अगर लोकायुक्त के खिलाफ कोई व्यक्ति जायेगा तो उसको दोनों ही एक में एक वर्ष का कारावास भी होगा और एक लाख रुपये का अर्थदण्ड की व्यवस्था भी आपने की।

श्रीमन्, मैं चाहता हूँ कि जब यह व्यवस्था आपने फास्ट कोर्ट आने पर लोकायुक्त के बारे में की है तो ऐसी व्यवस्था, जो अन्य लोगों, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हों, चाहे विधायक लोग हों, चाहे लोकसेवक हो, यदि इनके खिलाफ भी फाल्स रिपोर्ट पायी जाती है तो उसमें भी इसी तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। यह दोहरा मापदण्ड नहीं होना चाहिए। आपने दोहरा मापदण्ड किया है, दोनों ही मामलों में। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका

दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन यह बात जरूर है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूँ कि अगर इतनी जल्दबाजी में इसको पारित कराना ही है तो न तो हम इस पर अपने पूरे विचार रख पा रहे हैं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लोकायुक्त जो विधेयक है, इस पर हम अपनी पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि 10 मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर दें। तो मैं समझता हूँ कि जब आप ये चाहते हैं कि इस पर व्यापक चर्चा हो, ये सशक्त लोकायुक्त बने तो उसके लिए ये नितान्त आवश्यक है कि आप इस पर व्यापक चर्चा कराने का इन्तजाम करें और इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। यह मैं आपसे आग्रह करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

दो घंटे समय निर्धारित है और चार घंटे हो गये हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, अगर आप बहस कराना चाहते हैं, हम लोग तैयारी करके आए और आप कहें कि 10 मिनट में अपनी बात कह दो तो फिर तो बात नहीं हो पाती है, फिर तो हैफजर्ड मे बात होगी। हम हर बिन्दु पर अपनी बात कहना चाहते हैं। मान्यवर, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव मे सरकार चाहती है कि यह विधेयक पारित हो तो इसमे और समय मिलना चाहिए। दो घण्टे में सरकार लोकायुक्त विधेयक पर चर्चा कराके इसको पारित कराना चाहती है तो यह सरकार सिर्फ चुनावी लाभ के लिए कार्य कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, इसके लिए दो घण्टे का समय कार्य–मंत्रणा समिति ने निर्धारित किया है। इसको सर्वसम्मति से आपने भी स्वीकार किया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरे कहने का आशय यह नहीं था। मेरे कहने का आशय यह था कि अगर सरकार प्रदेश में लोकायुक्त को लागू करना चाहती है तो दो घण्टे का समय इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इस पर पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य हर बिन्दु पर अपनी बात को विस्तारपूर्वक कह सके।

श्री अध्यक्ष–

इस पर दो घण्टे का समय निर्धारित था, इस पर चार घण्टे का समय दिया गया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर चर्चा में भाग लेने का समय दिया। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आपने बड़ी हिम्मत से, साहस से, जनहित में एक अच्छा लोकायुक्त विधेयक सदन में पेश किया। उससे ज्यादा बधाई मैं आपको देता हूँ कि मैं पाँच बार विधायक रह चुका हूँ, आज तक चार घण्टे की चर्चा मैंने कहीं नही देखी, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप सबकी बात सुन रहे हैं और शायद इससे लाभ भी मिलेगा। इस अवसर पर मैं इतना कहता हूँ कि यह लोकायुक्त ही नही एक सशक्त लोकायुक्त है, मजबूत लोकायुक्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हित मे और जनता के हित मे यह कदम उठाया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना को व्यक्त करता हूँ–"ललक है मेरे दिल में कब कैसे इस भ्रष्टाचार को मिटाऊँ।" अर्थात् आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं और जनता को राहत देना चाहते हैं।

यहाँ पर बात आई कि आपने कहा यह जल्दबाजी मे बनाया गया। इसमे चिन्तन किया गया और मन्थन किया गया, फिर यह विधेयक बनाया गया। आपने कहा कि यह चुनावी स्टन्ट है, यह चुनाव का स्टन्ट नहीं है, बल्कि यह समय की पुकार है। हमारे कुछ साथी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे है। मेरा समय तो ऐसा आता है कि बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि समय बहुत हो गया है। मै यह कहना चाहता हूँ कि–"दुनियाँ झुक सकती है, झुकाने वाला चाहिए, इनक्लाब लाया जा सकता है, लाने वाला चाहिए"। आप तो ऐसा इन्कलाब ले आये कि आज प्रातःकाल मैं अपने आवास पर बैठा था, कुछ महानुभाव आये, कुछ वकील थे, उसमें कुछ बुद्धिजीवी थे और कुछ प्रबुद्ध नागरिक थे, तो उन्होने कहा कि कण्डारी जी, आपको बधाई। मैंने कहा आप किस चीज की बधाई दे रहे है ? उन्होंने कहा आप लोकायुक्त विधेयक ला रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई दे रहे है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी तरफ से बधाई दे देना। अर्थात् जनता चाहती है कि एक सशक्त लोकायुक्त विधेयक बने, एक सशक्त कानून बने। (विपक्ष की तरफ से कुछ कहने पर) आप तो महानुभाव है, मैं कुछ कहूँगा तो आपको अखरेगा, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि–"दुविधा में दोनो गये, माया मिली न राम।" आखिरकार आप क्या इसके पक्ष में हैं या विरोध में ह, आपने स्पष्ट नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम लोकायुक्त के पक्ष मे हैं, लेकिन लोकायुक्त में जो कमियाँ थी, उन्हे उजागर करना विपक्ष के रूप मे यह हमारा दायित्व है। हमने कोशिश की समझाने की कि लोकपाल बिल में ये–ये कमियाँ है, इन कमियो को दूर करके एक मजबूत लोकपाल बिल लाये तो अधिक उचित होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, कभी—कभी ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे माननीय शहजाद जी ने स्वयं कहा कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं तो यह दिलेरी हुई। लेकिन आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो आपके बारे में मैं थोड़ा सा कहता हूँ, दो पंक्तियाँ।

श्री अध्यक्ष—

मैं चर्चा का समय आधा घण्टा और बढ़ा रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मुझे मेरे साथियों ने कन्फ्यूज कर दिया। मैं यह कह रहा था कि आज सुबह कह रहा था मैं कि कुछ इन्सान कुछ करके दिखाने वाले होते हैं और कुछ इन्सान हिम्मत रखते है और कुछ इन्सान हिम्मत के साथ—साथ कुछ करके भी दिखाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में एक बात कहता हूँ कि "एक ही लक्ष्य है मन मस्तिष्क का कि मैं दीप जलाता जाऊँगा, हजार बार बुझा दे आँधी, हर बार नया चिराग जलाऊँगा।" मेरे ख्याल से ऐसा लगता ह कि आप लोग बहुत थक गये हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा विधेयक हमारे सामने रखा और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास कर देना चाहिए। इसी में उत्तराखण्ड की जनता की भलाई है और इसी में हमारी भलाई है, इस प्रदेश को हम भ्रष्टाचार से मुक्त रखें और उत्तराखण्ड का बहुँमुखी विकास करें। जनता हमको शाबाशी देगी और आपको भी शाबाशी देगी। धन्यवाद।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0—

धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई, 24 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत ही अच्छे सुझाव आये है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरू में कोशिश की कि मैं राजनीति में न आऊँ, राजनीति में आरोप—प्रत्यारोप में न लगूँ। क्योंकि मैं समझता था कि राजनीति एक ऐसा सारी भात है, जिसको सब लोग चाहते हों, यह बात आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया कि इस देवभूमि के लिए क्या करना चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने याद दिलाया कि उत्तराखण्ड का आंदोलन कैसे चला, लेकिन मैं बुनियादी चीजों के बारे में कह रहा था कि आज की क्या स्थिति है और उत्तराखण्ड के ऊपर क्या विशेष जिम्मेदारी है, उसके लिए मैंने अधिक चर्चा की, लेकिन बाद में मैंने देखा कि काफी राजनीतिक बातें आ गई हैं। मेरी भी श्री हरक सिंह रावत जी की तरह ही आदत है, जोश भी है, लेकिन होश भी है। उन्होंने काफी बम के गोले इधर फेंके, काफी आरोप—प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन मैं समझता हू कि सब सद्भावना से आरोप—प्रत्यारोप लगे, किसी

की बुरी मंशा नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं उनका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। शायद सीधे–सीधे इस बिन्दु से इन बातों का सम्बन्ध नहीं है। मान्यवर, 56 घोटाले की बहुत चर्चा होती है, यह सही बात है कि हमने वर्ष, 2007 के चुनाव में अपने घोषणा–पत्र में यह बात लिखी थी। यह भी सही है कि मैं मुख्यमंत्री बना, लेकिन मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ विलम्ब हुआ, लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ और आप निर्णय ले कि जानबूझकर इसको ढिले नहीं किया और न ही जानबूझकर हम इसको वर्ष, 2012 के चुनाव में पुनः इस मुद्दे को लायेंगे, यह सही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो यह मुद्दा था, बहुत आरोप लगे और बहुत आसान होता कि मैं एक सरकारी कमेटी बना देता, सरकार पर आरोप लगा देता। हमने बहुत कोशिश की कि हम कोई ऐसा जज ढूँढे, जो हमारी बात भी न सुने और न्याय करे। चूँकि यह विषय आया है, इसलिए मैं अपनी बात को आपके माध्यम से रख रहा हूँ। मैंने भारतवर्ष के रिटायर्ड चीफ जस्टीस, जो बहुत जाने–माने जज थे, उनसे कहा कि आप नाम दीजिए, उसी में दो–चार महीने लग गये। मान्यवर, उस आदमी को हमने नियुक्त किया, उन्होंने काम शुरू किया और 6–7 महीने उन्होंने काम किया और दुर्भाग्य से वे बीमार पड़ गये और थोड़ी समय बाद उनकी मृत्यु हो गयी। फिर दूसरे जज की नियुक्ति की, उन्होंने एक साल काम किया। जो पहले जज थे, बिना कोई काम करें, उनकी मृत्यु हो गयी। दूसरा जज ने अपनी कुछ रिपोर्ट दी, उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गयी। अब बतायें इसमें हमारा क्या कसूर है ? (हँसी) आपने इसमें किसी ने टोटका किया है तो मुझे मालूम नहीं (व्यवधान) आप यह दोष लगा रहे हैं कि जब उत्तराखण्ड में वर्ष, 2012 के चुनाव होंगे, तब लायेंगे, यह सही बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसमे देर हुई है, इस बात को बार–बार दोहराना कि 56 घोटाले हुए हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इसमे किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं है। इसलिए मैंने इसमें कहा और कोशिश की है कि भारतवर्ष से ऐसा आदमी चुने, नही तो क्या परेशानी थी, अपने किसी एक आदमी को लगा देते, एक साल में यह सब कुछ खत्म कर देता। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर।)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते है तो जो जस्टिस वर्मा है, जो पहले आये थे, उनके बार मे आप जानकारी कर लीजिए और जो 56 घोटाले की बात कही है, दूसरी बात आप लोगों ने, बार–बार कहा कि जल्दीबाजी हो रही है, शायद आप इसमे सही भी हैं। यह एक तुलनात्मक शब्द है। जल्दी कैसे है, हमने इसको एक दो महीने में कर दिया है। मैं माननीय

सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि लोकपाल बिल पर चर्चा वर्ष, 1968 से चल रही है। 43 वर्षों में सात बार यह बिल लोकसभा में आया है और राज्य सभा में आया और इतनी ही बार यह स्टैंडिंग कमेटी में गया है, उसमें नतीजा शून्य हुआ है। क्या आप यह चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय और ठन्डे बस्ते में डाल दिया जाय और यह लागू न हो ? (व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मैं इतिहास बता रहा हूँ वर्ष, 1968 से सात बार आया है। इसमें आपकी सरकार भी रही और हमारी सरकार भी रही, लेकिन नहीं हो पाया।

मान्यवर, इस प्रकार के आरोप न लगायें, इस विषय पर एक वर्ष से चर्चा चल रही है। केन्द्र में कितने प्रकार के प्रस्ताव चले गये और शिकायत रही, सुझाव चले गये। उन सब बातों का हमने संज्ञान लिया है, लेकिन इसमें यह कहना कि जल्दी है, जल्दी है, इसे मैं भी मानता हूँ जल्दी एक दुर्भावना से नहीं है, इसमें एक उद्देश्य है। इसमें आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि एक शक्तिशाली, प्रभावशाली और स्वतंत्र लोकायुक्त संस्था बनायी जाय, इसलिए हमने इस विषय में काम किया, इस दिशा में हम आगे हैं, इसलिए इस विषय को आप समझें। इसमें एक बात किसी माननीय सदस्य ने कही है कि मुख्यमंत्री जी और लीडर ऑपोजिशन को ले लिया, कुछ ने कहा यह नहीं होना चाहिए, कुछ ने यह भी कहा की सी0एम0 और लीडर ऑपोजिशन आपस में मिल जायेंगे चूँकि बहुमत हो जायेगा। इस प्रकार यह तथ्य के आधार पर सही नहीं है। क्योंकि यह सोच विचार के किया जाता है। सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि केन्द्र में जिस प्रकार से एक सुझाव चला और केन्द्र ने जिनको सिलेक्शन कमेटी में रखा था, उनके नाम पढ़ रहा हूँ। हमने कोशिश की है कि सरकार का कम से कम उसमें हस्तक्षेप हो। केन्द्र ने एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री चेयरमैन थे, होम मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन, लोकसभा, लीडर ऑपोजिशन ऑफ राज्य सभा, एक जज सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक आदमी है, जो बाहर का है, इसमें सब राजनैतिक लोग हैं और हम पर आप आरोप लगायें कि आपने इसमें राजनीतिकरण कर दिया, यह ठीक बात नहीं है।

इसके बाद बहुत सारे बिन्दु आये, जिनको मैंने नोट किया है, उनको मैं आपको बताता हूँ। उसमें माननीय यशपाल आर्य जी ने बहुत अच्छे-अच्छे बिन्दु कहे हैं, शायद वे यहाँ पर नहीं है, उस पर मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने कहा कि सबसे पूछा नहीं गया है, इसमें हमने सबसे पूछा इसमें जो वर्तमान में लोकायुक्त है, उनसे सुझाव पूछे गये हैं, पूछने का मतलब सहमति नहीं है, उसमें हमने जाँच की, कई माने और कई नहीं माने और न्याय विभाग से विस्तृत से चर्चा हुई है और विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री शर्मा जी से भी उस पर चर्चा हुई है और जिन लोगों से हम पूछ सकते थे, उन लोगों से हमने पूछने की कोशिश की है। इस पर कहीं पर कोई शंका हुई कि बहुमत दे दिया, बहुमत के लिए, विधायकों के लिए या मंत्रियों के लिए तब तक इजाजत नहीं दी जायेगी जब तक सर्वसम्मति। सर्वसम्मति नहीं है, इसमें इजाजत

होती है और यह प्रक्रिया सब जगह चलती है। निर्णय कैसे लिया जाता है हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग नहीं होती है वहाँ पर, आपस में बातचीत करके निर्णय लिया जाता है, फिर भी यह सर्वसम्मति नहीं है। उनकी इजाजत से कमेटी बैठेगी और वह अपनी इजाजत देगी, इसलिए सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से हमने कहा है। इसलिए कहा है कि कभी-कभी लोग गलत आरोप लगा देंगे, इसलिए कुछ ऐसी कैटेगिरी है, जिनके लिए कुछ सुरक्षा होनी चाहिए, गलत आरोप न लगे। हमने यह तो नहीं कहा कि इन पर आरोप नहीं लगेगा, यह तो नहीं कहा कि मुख्यमंत्री आरोप से बाहर हैं। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था की है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आरोप लगा दो बाद में देखा जायेगा इसलिए वह यह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे मैंने कहा कैसे निर्णय लेते हैं, वहाँ पर वोटिंग नहीं होती, वे आपस में बातचीत करके सब अपना निर्णय लेते हैं और जो बिन्दु आये हैं कि लोकायुक्त न्यायालय में कन्टैम्प्ट का अधिकार यह बताया गया कि उनको दे दिया गया है, उनको सिर्फ अपने कन्टैम्प्ट का अधिकार, उनको सीमित दिया गया है और उनको सामान्य कन्टैम्प्ट, जो हाईकोर्ट का है, वह नहीं दिया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में वे सिर्फ तय करने वाले नहीं हैं, उनको एक दफा आरोप सिद्ध हो गया, स्पेशल कोर्ट जो बनाये जायेंगे, एक उनमें से बनाया गया और बनाये जायेंगे तो कोर्ट में जो लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, वे करेंगे। संविधान के बारे में लोगों ने उदाहरण दिये हैं, इसमें विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, हमने कोशिश की है, हम भी जानते हैं कि हम संविधान से बाहर जायेंगे तो कोई इसको देखने वाला नहीं है।

हमने अपनी तरफ से जिस प्रकार संविधान में जो-जो गुंजाइश है, उसी में सीमित रहे हैं और ये गवर्नर जी के पास जायेगा, वे देखेंगे और कुछ इसमें करेन्ट सबजेक्ट है, वह केन्द्र में भी जायेगा और उनकी अच्छी तरह जाँच पड़ताल होगी। अगर हमने कहीं पर कुछ किया है तो वह नहीं माना जायेगा, हमने पूरी कोशिश की है, किसी प्रकार का कान्स्टिट्यूशन वायलेट करने का तो सवाल है ही नहीं। एक बात जो और आई है कि एन0जी0ओ0 के बारे में, अब यह कायदा जो है बुनियादी तरीके से लोक सेवकों के लिए है, लेकिन अगर कोई लोक सेवक एन0जी0ओ0 के माध्यम से भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो वह उसमें आयेगा। हालाँकि हमने कहा कि जो एन0जी0ओ0 प्रदेश सरकार के पैसे से कार्य करती है, उसकी भी जाँच हो सकती है लेकिन जो हमारे अधिकार में नहीं है, वह हम नहीं कर सकते।

डा0 हरक सिंह रावत-

जो मैं कह रहा था कि एन0जी0ओ0 हमारे प्रदेश में हजारों की तादाद में हैं और सबको प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐड मिलती है,

जिसकी निगरानी प्रदेश सरकार के हमारे विभाग करते है, बहुत सारे समाज कल्याण करता है। हमारा यह कहना है कि जो सरकारी पैसा है, जिस भी एन0जी0ओ0 को सरकारी पैसा जा रहा है, उसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको इसमे जोड़ा जाना चाहिए।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0—

इसमे हमने कहा न, देखिये दो चीजें हैं, एक तो यह लोक सेवकों के बारे में है, लेकिन कोई लोक सेवक इसमें एन0जी0ओ0 के माध्यम से लिप्त है, वह इसमे आता है, लेकिन अभी एन0जी0ओ0 इसमें शामिल नही कर रहे हैं। भविष्य मे हो सकता ह। एक बात और उठी है कि सबोर्डिनेट जूडीशियल को हमने रखा, प्रीतम सिंह जी, आपने कहा कि हमने जूडीशियरी को छोड़ दिया है, पहले यहाँ आपके आने से पहले यह था, आपने कैसे छोड़ दिया, यह तो आपके अधिकार में है नही। हमने हाईकोर्ट के जजेज को छोड़ा है, सबार्डिनेट जूडीशरी संविधान के अनुच्छेद, 233, 234 तहत उसकी अपाइंटिंग अॅथारिटी हम हैं, इसलिए हमने उनको शामिल किया है, इसलिए आप यह कह रहे है कि नही किया, जिनके ऊपर हमारा अधिकार है, उनको शामिल किया हैं कुछ यह बात कही जैसा कि कहा था कि मुख्यमंत्री या मिनिस्टर को इस बिल मे लाने की जरूरत नहीं हैं ऐसा है, इसमें हमने एक सशक्त अॅथारिटी बनायी है, मुख्यमंत्री या प्रधानमत्री किसी दायरे मे नही है, ऐसा नही है। आज भी जो प्रीविन्शियल करप्शन एक्ट, 1988 है, उसके अन्दर सब लोग शामिल है। उसमें सब लोग है तो ऐसा नही है।

एन0जी0ओ0 को हमने बता दिया, देखिये अन0जी0ओ0 (व्यवधान) सिर्फ पूरे समाज के अन्दर करप्शन की बात कर रहे है, हम सिर्फ लोक सेवक की बात कर रहे है। यह लोक सेवकों के लिए है। यह पहला चरण है, बाद मे जरूरत होगी तो उनको भी लाया जायेगा, देखा जायेगा। हम यह समझते हैं कि इस समय इसको लाने से मान्यवर, इसमें विलम्ब होता और जिस उद्देश्य से हम चले हैं कि पहले हम लोक सेवको को इसमें लाये और उसके बाद आगे करेंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, अभी केजरीवाल कह देंगे कि हमको लोकपाल के दायरे में न लाये, यह जो कुछ एन0जी0ओ0 का खेल है, देश में कि वे चाहते है कि वे लोकपाल के दायरे में न आयें।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0—

मान्यवर, मैं लोक सेवक हूँ, हम जिसना कर सकते थे, हमने किया और हम नहीं करते तो आप कहते कि हम संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, यह बिल जनसेवको के लिए है, इसमें हम एन0जी0ओ0 को नहीं ला सकते हैं, इसमें प्राईवेट इंडस्ट्रीज को नहीं ला सकते है। कल को आप कहेंगे कि प्राइवेट

इन्डस्ट्रीज को क्यों नहीं लाये तो उनके लिए व्यवस्था हमारे अधिकार मे नहीं है, स्पेश कोर्ट के बारे में मैंने दे दिया है प्रोपर्टी रिटर्न के बारे में बात आई थी कि 30 जून का समय कहा था तो एक समय तय किया गया है तो जो चीज इस साल छूट गई है, वह अगले साल के रिटर्न मे आ जायेगी, जो भी आप डेट तय करें, इन्कम टैक्स के अनुसार तो जो 30 जून को हमारे पास सूचना होगी, उसके आधार पर वह दी जायेगी और बाकी जुलाई के बाद की रिटर्न अगले साल मे आ जायेगी।

बाकी मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर शंका की बात आई है कि यह क्यो होगा, ये कैसे होगा, इसके बाद रूल्स बनेंगे, जो एक्ट बनता है, वह सीमित होता है, उसके अन्दर सब बातों को नहीं शामिल किया जाता है। कोई भी एक्ट बने, यहाँ बने, केन्द्र में बने, उसके कुछ समय के अन्दर एक रूल बनता है, जो विस्तार से बात करता है कि ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी तो जो कार्यशैली है, उसमे वर्णन होता है, इसमे बहुत सारी चीजें हैं, जो नही है, और होनी भी नहीं चाहिए, जब रूल्स बनेंगे तो उस रूल्स के आधार पर इसके ऊपर काम होगा। मान्यवर, आप लोगो ने इतनी बातें उठाई हैं, उसमें मेरा कहना है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है और आपने आरोप लगाया है कि राजनीति से प्रेरित है, मैं कितना ही कहूँ कि ऐसा नहीं है पर आप नहीं मानेंगे। आप लोग भी मेरी प्रवृत्ति को थोड़ा–बहुत जानते है, मैं यह कहता हूँ कि ये इसलिए हमने किया कि हमारी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी हो, इसमे चर्चा वार्ता बहुत हो गई है, कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसके बारे में चर्चा वार्ता नही हुई है। इसमे डा0 हरक सिंह जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है, किस तरह से उत्तराखण्ड बना है, हम लोग भी दूसरे प्रदेशो की तरह चले गए ? हमारे देव भूमि के लोग हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं, जो आन्दोलनकारी शहीद हो गये हैं, मैं भी उसमें शामिल था और ये भी थे तो मेरा कहना था कि यहॉ हम इसलिए नही रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि आपने हर चीज के लिए उत्तराखण्ड राज्य की बात की है तो क्या हर चीज देहरादून मे होगी ? आप लोकायुक्त का कार्यालय बना रहे है, एक पीठ बना रहे है, यह इसमे लिखा है, अगर आप लोकायुक्त कार्यालय बना रहे हैं तो क्या एक पिथौरागढ में नहीं बन सकता है या टिहरी में नही बन सकता है, क्या हर चीज देहरादून में बनेगी ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, मैंने आपसे कहा कि ये चीजें बाद में आयेंगी और रूल्स तो बनने दीजिए। हमने मना तो नहीं किया कि देहरादून के अलावा कहीं और नहीं बनेगी, क्या उसमें ऐसा लिखा है कि टिहरी में नही होगा, ये पीठ की बात है। ऐसा तो नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसकी पीठ कहीं और बन सकती

है, ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं बनेगा। ये बात ठीक नहीं है, इससे आर्थिक बोझ बिढ़ाना होगा। मान्यवर, मैं इसमें एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, राजनीतिकरण कर ईश्यू बना सकते हैं कि मैंने जल्दी किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं चाहता था और मेरे साथी चाहते थे कि जितनी जल्दी इसको कर सकते हैं, करें। क्योंकि समय बीतने पर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब आप कहते हैं कि इसको दो महीने में लगा दें यह भी कर सकते हैं, लेकिन इसे अभी हमने नहीं किया और इसलिए नहीं किया कि इसमें हम राजनैतिक फायदा लेना चाहते हैं और यदि राजनैतिक फायदा मिला तो ठीक है, यदि हम अच्छा काम करते हैं तो फायदा मिलेगा और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि इसको करें।

माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, वर्ष 2007 में जब हम आये तो मैंने उस समय भर्ती की प्रक्रिया लगाई थी, तो उस समय तो चुनाव नहीं हो रहा था तो मैंने उस समय क्यों लगाई यह प्रक्रिया जिसमें कोई घोटाले की बात नहीं होती थी, अभी हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर पर रोक भी लगाई, हम तो बड़े अच्छे होते कि 3 महीने में खूब भुनाते, ट्रांसफर जहाँ चाहे करते पर हमने नहीं किया, तो यह हमने अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाये हैं, आपके ऊपर तो नहीं लगाया, अपनी ओर प्रतिबन्ध लगाया है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपको महसूस हुआ कि ट्रांफर पोस्टिंग में घपला हुआ।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, वर्ष 2005–06 में क्या हुआ ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने वर्ष, 2006 की बात भी की है और हमने वर्ष 2009–2010 की भी बातें की हैं। (व्यवधान)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, वर्ष 2006 में कितने लिये गये, यह भी आप बतायेंगे ? (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो जाँच का विषय है, आप जाँच करा दीजिए। आप सरकार में हैं। (व्यवधान)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, आप आरोप–प्रत्यारोप में क्यों जाते हैं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2007 तक हमने अच्छा किया है या बुरा किया है। हम जनता की अदालत में चले गये, जनता ने अपना फैसला दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि जनता की अदालत में जाकर जनता आपके भी खिलाफ फैसला दे। मान्यवर, जो आपने इन पाँच सालों में किया है, आपको उसका हिसाब देना चाहिए। हमने जो किया था, अच्छा किया था या बुरा किया था, हमें तो जनता की अदालत ने हिसाब दे दिया।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0—

मान्यवर, वर्ष, 2007 में हमने कुछ किया और अभी भी कुछ किया। यह इसलिए नहीं किया, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं किया। हमने इसलिए किया क्योंकि जनता का भला चाहिए, इसलिए हमने किया। मान्यवर, दूसरी बात जो आपने पाँच साल की की है। माननीय हरक सिंह जी, मैं बराबर कह रहा हूँ कि हम पाँच साल अपने काम पर और पाँच साल आपके काम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। (ताली की गड़गड़ाहट)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, हम इसके लिए तैयार हैं।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0—

मान्यवर, मैं आपको सदन में चुनौती देता हूँ, आप भी अपने काम पर जोर डालिये और हम भी अपने काम पर जोर देते हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, ऐसा है आप अगर पाँच साल का कार्य गिनायेंगे तो हम शुरूआत करेंगे भर्ती प्रक्रिया से और 108 से, महिला आरक्षण से, गौरा देवी, कन्या देवी योजनाओं से (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, बिल्कुल हम आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आप जनता में आपने पाँच साल के कार्यकाल को लेकर जाए और हम दोनों कार्यकाल को लेकर जायेंगे। हम आपके कार्यकाल को लेकर भी जायेंगे और अपने कार्यकाल को लेकर भी जायेंगे और जनता का जो फैसला होगा वह शिरोधार्य होगा। (घोर व्यवधान)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0—

मान्यवर, हम यही नहीं लेकर जायेंगे, कॉग्रेस के 64 में से 54 साल केन्द्र में और माननी अटल बिहारी बाजपेयी के साढ़े पाँच साल केन्द्र में, यह भी लेकर जायेंगे। (घोर व्यवधान) मान्यवर, हम लेकर जायेंगे माननीय अटल बिहारी बाजपेयी के 10 को जो इण्डस्ट्रीयल पैकेज था और आपने जो वर्ष 2004 में कम

कर दिया, उसको लेकर जायेंगे। मान्यवर, आपने उत्तराखण्ड के साथ क्या किया है, वह हम आपको दिखायेंगे। मैं। इसके ऊपर चुनौती देता हूँ, आपके पॉच साल और हमारे पॉच साल, केन्द्र मे माननीय अटल बिहारी बाजपेयी के साढे पॉच साल और आपके केन्द्र में 54 सालो। का हिसाब लेकर जायेगे। (तालियो की गडगडाहट)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्यमत्री जी ने कहा कि अपनी–अपनी उपलब्धियो को लेकर हम चुनाव मैदान में जायेंगे। इसमे कोई दो राय नही है, इसमें कोई सशय नही है। जब हम चुनाव मैदान में जायेगे तो अपनी–अपनी उपलब्धियो को लेकर जायेगे। आप हमारी जो नाकामियॉं थीं, उसको जनता के बीच में उजागर करेंगे और जो आपकी नाकामियॉं है, उनको हम जनता के बीच में उजागर करेगे। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। यह तो प्रजातंत्र का तकाजा है और मैं समझता हूँ कि इसको सदन में इस तरीके से नही कहना चाहिए। यदि मैंने कोई गलत बात की है तो मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, मै। माननीय प्रीतम सिंह जी का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ और मैं माननीय हरक सिंह जी का सम्मान तो क्या पर, उनको बहुत प्यार करता हूँ। इन्होंने कहा आप अपने पॉच साल और हमारे पॉच साल, इसलिए मैंने उनको यह जवाब दिया। मैं तो अपना भाषण समाप्त करने वाला था। बीच में यह टीका टिप्पणी हुई इसलिए मुझे कहना पडा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिस तरह से प्रीतम सिंह जी ने कहा, आप कहते कि नहीं कहते ? जब आप जनता की अदालत में जाएंगे तो कुछ तो कहेंगे। यह तो कहेंगे नही कि हरक सिंह जी की पार्टी बहुत अच्छी है। (व्यवधान) मैं वैसे तो आपका सम्मान करूँगा लेकिन जब मैं जनता के सामने जाऊँगा तो मै आपको भ्रष्ट कहूँगा ही कहूँगा और आप में कमियॉं निकालूँगा।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

माननीय हरक सिंह जी, मेरा यह कर्तव्य है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो भी बात कही है, उसे गौर से सुनूँ और जितना उसके ऊपर अपने डिफेंस मे जवाब दे सकूँ, दूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं अन्त मे सबसे यही निवेदन करता हूँ कि सर्वसम्मति से इसे पास कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय महेन्द्र सिंह जी, क्या आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि प्रस्ताव महेन्द्र सिंह माहरा जी ने रखा है, इसलिए वापस लेने का अनुरोध भी उन्ही से किया जाएगा। (व्यवधान)

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रस्ताव में आपका नाम भी नही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने चर्चा मे तो भाग लिया ही है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जिस माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव रखा होता है, प्रस्ताव वापस लेने के लिए भी उन्हीं से अनुरोध किया जाता है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे बोलने पर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है ? (व्यवधान) मेरे बोलने पर कोई आपत्ति है तो बताईये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपत्ति नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है, वह बताई जा रही है। आप सर्वज्ञ हैं, आप विद्वान हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा। माहरा जी बोलेंगे। मैं तो बोलने के लिए माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति ले रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जिन्होने प्रस्ताव रखा है, वही वापस भी लेगें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव वापस नही ले रहा। मै माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। (व्यवधान) मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से दो मिनट बोलना चाह रहा हूँ। आप कह दें कि विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपको तो विशेषाधिकार है। लेकिन जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, वही वापस भी लेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव पर तो कुछ बोल ही नहीं रहा। आप कह दो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय देना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरक सिंह जी, अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो मांग लीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बड़े उदार हृदय से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के बड़े विरोध के बावजूद बोलने का मौका दिया।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, विरोध नहीं है। मेरा काम आईना दिखाना है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप नियमों के तहत आईना दिखाओ न।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, पूरी तरह से नियम के तहत आईना दिखाया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सशक्त लोकायुक्त विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया और उस पर लगभग साढ़े चार घण्टे चर्चा हुई है। मैंने जब अपनी बात को सदन के सम्मुख रखा था और हमारे तमाम सदस्यों ने यह जिज्ञासा इस लोकायुक्त बिल में जाहिर की थी कि लोकायुक्त बिल जिस रूप में लाये जाने की पूरे सदन की मंशा है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिये, इस सदन की मंशा है कि इस प्रदेश की आम जनता को न्याय मिल सके और प्रदेश आगे बढ़ सके और प्रदेश ऊँचाईयों पर जा सके। यह हम सब की मंशा है, इस सदन

की मंशा है, जिसमें मैं आपको भी पीठ होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते सम्मिलित कर रहा हूँ। हम यह जरूर चाहते थे कि जो महत्वपूर्ण सुझाव हमारे माननीय सदस्यों की तरफ से आये हैं, उन महत्वपूर्ण सुझावों को इस बिल में समाहित किया जाता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उससे ऐसा नहीं लगा। वह तभी सम्मिलित हो सकते थे, जब यह विधेयक प्रवर समिति को जाता।

भले ही भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप से यह कार्य किया हो, मैं किसी राजनीतिक भावना से ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई भी है, भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी लाख स्वीकार करें कि उनकी मंशा राजनीतिक नहीं है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से लाई हो या चुनावी दौलके के लिये लाई हो, लेकिन कॉग्रेस ईमानदारी के साथ, इस प्रदेश मे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को चाहती है। हम चाहते हैं कि एक सशक्त लोकपाल बिल बने, एक कानून प्रदेश में ऐसा बने जो प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोक सके। इसलिये हमने जो प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का किया था, उसके पीछे भी हमारी मंशा लोकायुक्त विधेयक का विरोध करने की नहीं थी। उसके पीछे भी हमारा यही उद्देश्य था कि इस प्रदेश के अन्दर बहुत अच्छा लोकायुक्त कानून बने, लेकिन सरकार ने हमारी इस मंशा को, हमारी अच्छी नीयत को स्वीकार नही किया।

मान्यवर, फिर भी सरकार की जो भी राजनैतिक नीयत हो, लेकिन कॉग्रेस की नीयत इस प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की है। हमारी नीयत इस प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाने की है, चूँकि जो बातें आज सदन मे हमने कही है, क्योकि यह सदन तो हमेशा रहेगा, हममें से कई माननीय सदस्य अगले सदन मे होंगे या नही, लेकिन यह सदन रहेगा और उस समय हम यह उम्मीद करेंगे कि जो कुछ खामियॉं इस बिल में रह गई है, उनको भावी में जब नई विधान सभा आहूत होगी, तो उन खामियों को हम उस समय पूरा करेंगे। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मै और मेरा दल इस प्रदेश के लोकायुक्त कानून का, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, एक अच्छी नीयत से और इस उम्मीद के साथ, राजनैतिक विचारधारा से ऊपर उठकर हम इस लोकायुक्त विधेयक का समर्थन करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) इस उम्मीद के साथ कि आगे चलकर यह कानून इस प्रदेश के लिये एक अच्छा कानून बने।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और उनकी पार्टी का आभारी हूँ कि उन्होंने इसे सर्वसम्मति से पारित करने का प्रस्ताव दिया। मैं पूरे सदन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि राजनीति से लाभ–हानि अलग बात है, लेकिन कोशिश की गइ है और ईमानदारी से प्रदेश के हित मे बातें की है। जो उदाहरण हमने यहॉं पर दिये है,

इससे हमको राजनीतिक लाभ क्या, पार्टी को नुकसान भी होगा, फिर भी हमने यह किया है। हम सब लोग मिल-जुलकर यह काम करेंगे तो एक अच्छा संदेश जायेगा, यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो रहा है, सारे देश के अन्दर यह संदेश जायेगा कि उत्तराखण्ड ने देवभूमि के अनुरूप कार्य किया है, इसके लिये मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ। (मेजों की थपथपाहट) हमारा उत्तराखण्ड जो विश्व गुरू का सरताज है, उसने एक अच्छी शुरूआत की है, यह सन्देश भी देश में जायेगा, इसके लिये मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस विधेयक पर चर्चा के लिये आपने हमें पर्याप्त समय दिया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011" को विधान सभा की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे, को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

<u>खण्डशः विचार</u>

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–6, इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

***श्री अनिल नौटियाल–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड–7 के उपखण्ड (6) के बाद निम्नलिखित उपखण्ड (7) जोड़ दिया जाय और वर्तमान उपखण्ड (7) को पुनः क्रमांकित करते हुए उपखण्ड (8) कर दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"(7) सरकार के सचिव एवं सरकार के सचिव से ऊपर के प्रकरण में अन्वेषण या अभियोजन केवल लोकायुक्त की बेंच, जिसमें न्यूनतम् दो सदस्य और अध्यक्ष हो, से अनुमति प्राप्त करके संस्थित होंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–7 के उपखण्ड (6) के बाद निम्नलिखित उपखण्ड (7) जोड़ दिया जाय और वर्तमान उपखण्ड (7) को पुनः क्रमांकित करते हुए उपखण्ड (8) कर दिया जाय।

"(7) सरकार के सचिव एवं सरकार के सचिव से ऊपर के प्रकरण में अन्वेषण या अभियोजन केवल लोकायुक्त की बेंच, जिसमें न्यूनतम् दो सदस्य और अध्यक्ष हो, से अनुमति प्राप्त करके संस्थित होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 से 36, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011
{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011}

अनुक्रमणिका

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1.	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार	
2.	परिभाषाएं	
3.	अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव	

अध्याय–दो
लोकायुक्त की स्थापना

4. लोकायुक्त संस्था की स्थापना

अध्याय–तीन
लोकायुक्त तथा उसके अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य

5. लोकायुक्त के कृत्य और शक्तियाँ

6. अन्वेषण शाखा का गठन

7. जाँच अथवा अन्वेषण की प्रक्रिया

8. अन्वेषण अधिकारी की शक्तियाँ

9. लोकायुक्त की लोक प्राधिकारी को संस्तुति करने की शक्ति

10. लोकायुक्त की किसी भवन में प्रवेश करने हेतु अनुमति दिए जाने की शक्ति

अध्याय–चार
लोकायुक्त की कार्यवाही

11. लोकायुक्त कार्यवाही

अध्याय–पाँच
लोकायुक्त की जवाबदेही

12. लोकायुक्त को पद से हटाया जाना

13. लोकायुक्त का आदेश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होना

14. लोकायुक्त की सम्परीक्षा

1 2 3

15. लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट

16. शिकायत प्राधिकरण की स्थापना

17. लोकायुक्त संगठन का पारदर्शिता

अध्याय–छः

उच्च कृत्यकारियों के विरूद्ध अन्वेषण और अभियोजन

18. उच्च कृत्यकारियों के विरूद्ध अन्वेषण और अभियोजन

अध्याय–सात

विनियम बनाने की लोकायुक्त की शक्तियाँ

19. विनियम बनाने की लोकायुक्त की शक्तियाँ

अध्याय–आठ

कठिनाईयों का निवारण

20. कठिनाईयों का निवारण

अध्याय–नौ

अन्वेषण का समय से पूरा किया जाना और भ्रष्टाचार के लिए परीक्षण

21. अन्वेषण का समय से पूरा किया जाना और भ्रष्टाचार के लिए परीक्षण

अध्याय–दस

शिकायतकर्ता

22. शिकायतकर्ता का संरक्षण

अध्याय–ग्यारह

भ्रष्ट लोक सेवक के विरूद्ध शास्ति और दण्ड

23. भ्रष्ट लोक सेवक के विरूद्ध शास्ति और दण्ड

24. शास्ति और दण्ड की मात्रा

25. अधिरोपित वित्तीय शास्ति का क्रियान्वयन

अध्याय–बारह

कतिपय मामलों में शिकायतों को दूर करना

26. कतिपय मामलों में शिकायतों को दूर करना

अध्याय–तेरह
लोकायुक्त की वित्तीय व्यवस्था

27. लोकायुक्त की वित्तीय व्यवस्था

अध्याय–चौदह
भ्रष्ट लोक सेवक से क्षतिपूर्ति की वसूली और सम्पत्ति का जब्तीकरण और अधिहरण

28. भ्रष्ट लोक सेवक से क्षतिपूर्ति की वसूली और सम्पत्ति का जब्तीकरण और अधिहरण

अध्याय–पन्द्रह
लोक सेवकों के परिसम्पत्ति विवरण

29. लोक सेवकों के परिसम्पत्ति विवरण

अध्याय–सोलह
कतिपय अन्य अधिनियमों के उपबन्धों का लागू होना और उपान्तरण

30. कतिपय अन्य अधिनियमों के उपबन्धों का लागू होना और उपान्तरण

अध्याय–सत्रह
विविध उपबन्ध

31. शिकायतकर्ता द्वारा उत्पीड़न के लिए की गई शिकायत पर शास्ति
32. लोक सेवक की पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबन्ध तथा अनुबन्धों में पारदर्शिता आदि
33. विशेष न्यायालय द्वारा रिश्वतदाता को दी जाने वाल छूट
34. अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति
35. नियम बनाने की शक्ति
36. निरसन एवं व्यावृत्ति

उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011

{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011}

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों के अन्वेषण के साथ–साथ व्याप्त भ्रष्टाचार के त्वरित अन्वेषण और अपराधियों को अभियोजित करने तथा लोकहित के कतिपय प्रकार की शिकायतों को दूर करने एवं शिकायतकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने हेतु :–

विधायक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2011 है।

(2) इस अधिनियम के प्राविधान तैयारियों के निमित्त तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, और अधिनियम श्री राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के 180 दिन के अन्दर प्रवृत्त हो जायेगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:–

(क) "बोर्ड" से संयुक्त रूप से लोकायुक्त का अध्यक्ष और अन्य सदस्य अभिप्रेत है ;

(ख) "शिकायत" से भ्रष्टाचार का कोई अभिकथन या शिकायतकर्ता द्वारा सुरक्षा के लिए कोई प्रार्थना या इस अधिनियम के अधीन किसी जन–समस्या के समाधान के लिए कोई प्रार्थना अभिप्रेत है ;

(ग) "लोकायुक्त" से :–

(एक) बोर्ड ;

(दो) इस अधिनियम के अधीन स्थापित और इस अधिनियम के अधीन सम्पादित करने वाली पीठ ;

(घ) "लोकायुक्त पीठ" से इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित विनियमों के अनुसरण में किसी मामले के सम्बन्ध में दो या उससे अधिक सदस्यों की लोकायुक्त की अध्यक्ष सहित अथवा अध्यक्ष के बिना पीठ अभिप्रेत है। प्रत्येक पीठ में एक सदस्य विधिक पृष्ठभूमि का होगा ;

(ङ) "भ्रष्टाचार के कृत्य" में :—

(एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कोई दण्डनीय कृत्य, जिसमें सिवाय "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–194 के अध्यधीन उत्तराखण्ड विधान सभा के किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा कारित कोई कृत्य भी सम्मिलित होगा ;

(दो) किसी व्यक्ति को किसी लोक सेवक द्वारा जानबूझकर दिया गया कोई अदेय लाभ अथवा किसी विधि या नियमों के उल्लंघन में किसी लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति से लिया गया कोई अदेय लाभ ;

(तीन) किसी शिकायतकर्ता अथवा किसी साक्षी का उत्पीड़न ;

(चार) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन द्वितीय अपील के पश्चात् भी सेवा को उपलब्ध न कराना, सम्मिलित है ;

(च) "पूर्ण पीठ" से अध्यक्ष के बिना अथवा सहित पाँच या सभी सदस्य, जो भी कम हो, की कोई पीठ अभिप्रेत है ;

(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) "सरकारी सेवक" से लोक सेवक, जो उत्तराखण्ड राज्य के मामलों के सम्बन्ध में सेवारत है, और इसमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जिनकी सेवायें अस्थाई रूप से केन्द्र सरकार के, अन्य राज्य

सरकार के, किसी स्थानीय निकाय या अन्य संस्था जो चाहे निगमित है या नहीं, के नियंत्रण पर रखी गई हैं य और केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार की सेवा में व्यक्ति या स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकारी की सेवा में व्यक्ति जिनकी सेवायें अस्थाई रूप से उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रण पर रखी गई हैं, भी अभिप्रेत है ;

(झ) "न्यायिक अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा–25 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ञ) "लोक प्राधिकारी" से कोई प्राधिकारी अथवा निकाय अथवा स्वसंचालित संस्था जो :–

(एक) संविधान या उसके अधीन ; या

(दो) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई कोई विधि या उसके अधीन ;

(तीन) सरकार द्वारा बनाए गए आदेश या जारी अधिसूचना के अधीन स्थापित या संचालित और इसमें सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित अथवा मुख्य रूप से वित्त पोषित कोई निकाय भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है य

(ट) "लोक सेवक" से कोई व्यक्ति, जो लोक पदधारक है अथवा लोक पदधारक रहा है और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–2 के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत में लोक सेवक है या रहा है, अभिप्रेत है यह स्पष्ट किया जाता है कि लोक सेवक के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री, मंत्रि–परिषद् के सभी सदस्य एवं विधान सभा के सभी सदस्य अभिप्रेत हैं। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक सेवक में उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के न्यायाधीश सम्मिलित नहीं हैं।

(ठ) "शिकायतकर्ता" से लोक प्राधिकारी में भ्रष्टाचार के बारे में सारवान तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध कराने वाला कोई व्यक्ति अथवा लोकायुक्त के समक्ष भ्रष्टाचार के मामले में साक्षी अथवा पीड़ित

व्यक्ति अथवा जो इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त को शिकायत करने अथवा भ्रष्टाचार को रोकने या उजागर करने के उद्देश्य से अन्य विधिक कार्यवाही करने के कारण :–

(एक) व्यवसाय सम्बन्धी क्षति, जिसमें विधि–विरूद्ध स्थानान्तरण, पदोन्नति प्रदान करने से इंकार, युक्तियुक्त परिलब्धियों से इन्कार, विभागीय कार्यवाही, विभेद सम्मिलित है, परन्तु उस तक सीमित नहीं है ; या

(दो) शारीरिक क्षति ; या

(तीन) वास्तविक रूप से की गई कोई क्षति सम्मिलित है य की धमकी का सामना करता है, अभिप्रेत है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

3. (1) किसी अन्य अधिनियम अथवा विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे और किसी अन्य अधिनियम अथवा विधि में कोई अन्य असंगत उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित समझे जायेंगे।

अध्याय–दो

लोकायुक्त की स्थापना

लोकायुक्त संस्था की स्थापना

4. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात तत्काल सरकार अधिसूचना द्वारा लोकायुक्त नाम से अनुज्ञात एक संस्था की स्थापना करेगी, जो प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यों की दृष्टि से सरकार से स्वतंत्र होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत पर लोक सेवकों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के किसी कृत्य की जॉच करेगा और इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य कृत्यों का सम्पादन भी करेगा।

(3) कोई प्रकरण जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त को कोई शिकायत की गयी है, को जॉच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जॉच के लिए सन्दर्भित नहीं किया जायेगा।

(4) भ्रष्टाचार के आरोप से सम्बन्धित कोई मामला या कार्यवाही, जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से या इस अधिनियम के प्रभावी होने के उपरान्त जाँच प्रारम्भ होने से पूर्व से जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लम्बित हो तो वह मामला या कार्यवाही, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष यथावत् जारी रखी जायेगी।

(5) लोकायुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों (सदस्यों की संख्या न्यूनतम 05 होगी और उसे आवश्यकता के अनुसार 07 की संख्या तक बढ़ाया जा सकता है), से संरचित होगा।

(6) लोकायुक्त का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति पर श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी।

(7) निम्नलिखित लोकायुक्त का अध्यक्ष या सदस्य हेतु अर्ह नहीं होगा :–

(क) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नही है ; या

(ख) कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध चारित्रिक अधमता के किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा कभी कोई आरोप अधिरोपित किया गया हो ; या

(ग) कोई व्यक्ति, जिसकी आयु 45 वर्ष से कम है ; या

(घ) कोई व्यक्ति, जो उत्तराखण्ड राज्य मे सरकारी सेवक था और जिसने (चयन समिति की बैठक की तिथि से) पिछले दो वर्ष के भीतर या तो त्याग–पत्र से अथवा सेवानिवृत्ति से पदभार छोड़ा हो।

(8) लोकायुक्त के आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होंगे और वे सर्वोच्च सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट योग्यता के होंगे।

स्पष्टीकरण–"विधिक पृष्ठभूमि" से व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है अथवा रहा हो अथवा व्यक्ति जो 20 वर्षों से उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता हो, अभिप्रेत है।

लोकायुक्त के शेष आधे सदस्य सर्वोच्च सत्यनिष्ठा के व्यक्ति, जिसके पास लोक सेवा अथवा अन्वेषण या सतर्कता अथवा भ्रष्टाचार के विरूद्ध अथवा शासन अथवा वित्त प्रबन्धन अथवा पत्रकारिता अथवा जन–संचार में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव हो, होंगे। ये व्यक्ति लोक जीवन में स्थापितलब्ध होने के साथ–साथ उत्कृष्ट योग्यता के होंगे।

(9) चयन समिति निम्नलिखित से संरचित होगी :–

(एक) उत्तराखण्ड का मुख्यमंत्री, जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(दो) उत्तराखण्ड की विधान सभा में प्रतिपक्ष का नेता ;

(तीन) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों से गठित चयन निकाय द्वारा चयनित उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश ;

(चार) उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के अधीन नियुक्त लोकायुक्त के पूर्व अध्यक्षों में से एक (जो कि ज्येष्ठतम पूर्व अध्यक्ष हो) ;

(पाँच) भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष या सेवानिवृत्त नौ सेनाध्यक्ष या सेवानिवृत्त वायु सेनाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सेवानिवृत्त केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, सेवानिवृत्त अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, सेवानिवृत्त कैबीनेट सचिव, भारत सरकार और सेवानिवृत्त नियंत्रक तथा महालेखाकार, जो सर्वोच्च सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति हों एवं जिन्होंने सेवानिवृत्त के पश्चात् किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण न की हो और किसी सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं किया हो, में से चयन समिति के अन्य सदस्यों {उपर्युक्त (एक) से (चार)} द्वारा चयनित दो सदस्य।

(10) अध्यक्ष असाधारण योग्यता धारण करने वाला लोक जीवन में ख्यातिलब्ध तथा सर्वोच्च सत्यनिष्ठा का व्यक्ति होगा। वह विधि के उत्कृष्ट और विशद ज्ञान वाला व्यक्ति भी होगा।

(11) चयन समिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को तलाश समिति द्वारा तैयार की गई लघु सूची में से चयन करेगी।

(12) तलाश समिति, पाँच सदस्यों से संरचित होगी। चयन समिति के खण्ड 9 के उपखण्ड (एक) से (पाँच) तक के सदस्य धारा 4(9)(पाँच) में अंकित वर्ग के व्यक्तियों में से तलाश समिति के सदस्यों को, जो लोक जीवन में ख्यातिलब्ध एवं सर्वोच्च सत्यनिष्ठा के हों, नामित करेंगी। तलाश समिति की अवधि, उसके सदस्यों को दिए जाने वाला शुल्क और भत्ते, ऐसे होंगे, जैसे नियमों के अन्तर्गत विहित किए जायं।

(13) तलाश समिति, लघु सूची तैयार करने से पहले ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों अथवा ऐसे वर्ग अथवा संस्थाओं के व्यक्तियों से नामांकन आमंत्रित करेगी, जो लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्य के पद के नामांकन करने के लिए वह उपयुक्त समझे।

(14) नामांकन के लिए केवल सर्वोच्च सत्यनिष्ठा के व्यक्ति विचार करने हेतु अर्ह होंगे।

(15) नामांकनों की संस्तुतियों में नामित व्यक्ति के विरूद्ध विधि के अधीन किसी आरोप सम्बन्धी विवरण, पूर्व में भ्रष्टाचार के विरूद्ध उसके किए गए कार्य, व्यक्ति की उपयुक्तता के कारण और कोई अन्य सामग्री, जैसा तलाश समिति द्वारा निश्चित किया जाय, सम्मिलित करेगी।

(16) तलाश समिति, सभी सम्भव स्रोतों का उपयोग कर इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि और पूर्व उपलब्धियों के बारे में अधिक से अधिक सम्भव सूचना संकलित करेगी।

(17) ऐसे नामांकन, जो प्राप्त हों, के सम्बन्ध में जन–साधारण से सूचना आमंत्रित करने के लिए नामांकनों को वेबसाईट में प्रदर्शित किया जायेगा।

(18) तलाश समिति, सभी स्रोतों से प्राप्त सूचना पर विचार करने के पश्चात् यथासम्भव सभी सदस्यों की सहमति से लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के चार गुना व्यक्तियों की लघु सूची तैयार करेगी।

(19) कोई नामांकन, जिसके सम्बन्ध में तलाश समिति के किन्हीं दो सदस्यों द्वारा आपत्तियॉ उठाई गई हो, को लघु सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(20) चयन समिति को लघु सूची भेजने से पूर्व तलाश समिति लघु सूची के व्यक्तियों के नाम वेबसाइट पर जन–साधारण के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के बारे में कोई प्रासंगिक सूचना/मत उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शित करेगी।

(21) चयन समिति, लघु सूची के व्यक्तियों के बारे में सभी सम्बन्धित सूचनाओं पर विचार करने के पश्चात् यथासम्भव सभी सदस्यों की सहमति से लोकायुक्त के अध्यक्ष और आवश्यक संख्या में सदस्यों का चयन करेगी। किसी व्यक्ति को, जिसे चयन समिति के तीन सदस्यों द्वारा अननुमोदित कर दिया जाय, चयन नहीं किया जायेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति लोकायुक्त के सदस्य चयनित हों, उस दशा में, सूची तैयार करते समय लोकायुक्त के चयनित सदस्यों को वरीयताक्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा और इसे सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता के लिए प्रयोग किया जायेगा। सदस्य, जो पहली चयन प्रक्रिया से चयन हुए हैं, उन सदस्यों, जो बाद में चयन हुए हैं, से ज्येष्ठ समझे जायेंगे।

(22) चयन समिति, लोकायुक्त के सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन के पश्चात् श्री राज्यपाल को उनके नाम की संस्तुति करने से पूर्व सदस्य अथवा अध्यक्ष, जैसी स्थिति हो, के रूप में सेवा करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करेगी।

(23) सरकार सेवानिवृत्ति से सदस्य अथवा अध्यक्ष के पद पर होने वाली रिक्ति को सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व भरने की कार्यवाही करेगी। यदि रिक्ति किन्हीं आकस्मिक कारणों से उत्पन्न होती है तो ऐसी रिक्ति, रिक्ति होने की तारीख से तीन माह के भीतर भरी जायेगी।

(24) लोकायुक्त का अध्यक्ष अथवा सदस्य सांसद अथवा विधायक नहीं होगा और वह कोई लाभ के पद को धारण नहीं करेगा (अध्यक्ष अथवा सदस्य के पदभार के अतिरिक्त) अथवा कोई व्यापार अथवा किसी व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा। तद्नुसार, लोकायुक्त का अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद का पदभार ग्रहण करने के पूर्व :–

(एक) यदि वह किसी पद या लाभ का पद धारण कर रहा हो तो वह ऐसे पद से त्याग–पत्र देगा ; अथवा

(दो) यदि वह किसी व्यापार में संलग्न हो तो वह ऐसे व्यापार के कार्य और प्रबन्धन से विरत करेगा ; अथवा

(तीन) यदि वह किसी व्यवसाय में व्यवहार कर रहा हो तो ऐसे व्यवहार को निलम्बित करेगा ; अथवा

(चार) यदि वह ऐसी किसी अन्य गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हो, जिससे लोकायुक्त के दायित्वों को सम्पादित करने में उसके हित में टकराव होने की सम्भावना हो तो वह ऐसी गतिविधि से अपनी सम्बद्धता को निलम्बित करेगा :

परन्तु यह कि यदि सम्बद्धता निम्मित करने के पश्चात् भी उस व्यक्ति की गतिविधि से पूर्ण सम्बद्धता से लोकायुक्त के दायित्वों का निर्वहन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना सम्भावित हो तो ऐसे व्यक्ति को लोकायुक्त के सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में चयन समिति द्वारा संस्तुत नहीं किया जायेगा।

(25) लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो पदधारण करेगा :

परन्तु यह कि :—

(क) लोकायुक्त का अध्यक्ष अथवा सदस्य, स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा श्री राज्यपाल को सम्बोधित करके अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेगा ;

(ख) अध्यक्ष अथवा सदस्य का इस अधिनियम में दी गई रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(26) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पदभार को ग्रहण करने से पूर्व अनुसूची में उल्लिखित प्रारूप में श्री राज्यपाल के समक्ष शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेगा।

(27) अध्यक्ष का पद, पदधारक की मृत्यु, पद–त्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होने की दशा में श्री राज्यपाल अधिसूचना द्वारा ज्येष्ठतम सदस्य को ऐसी रिक्ति पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

जब अध्यक्ष अवकाश के कारण अनुपस्थित होने अथवा अन्य किसी दशा में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सक्षम न हो, तब श्री राज्यपाल अधिसूचना द्वारा ज्येष्ठतम उपलब्ध सदस्य को अध्यक्ष द्वारा अपने पद पर कार्यभार पुनः ग्रहण करने की तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

(28) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को क्रमशः उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जायेगा :

परन्तु यह कि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य उसकी नियुक्ति के समय पर राज्य सरकार के अधीन अथवा केन्द्र सरकार के अधीन किसी पूर्ववर्ती सेवा के सम्बन्ध में पेन्शन प्राप्त कर रहा हो (अक्षमता पेन्शन को छोड़कर), उसके वेतन से अध्यक्ष के रूप में अथवा सदस्य के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, में :–

(क) पेन्शन की वह धनराशि ; और

(ख) यदि उसके द्वारा इस नियुक्ति से पूर्व पेन्शन के किसी भाग को ऐसी पूर्ववर्ती सेवा के सम्बन्ध में एक मुश्त धनराशि क रूप में विनिमय किया गया हो, तो पेन्शन का वह भाग घट जायेगा।

(29) अध्यक्ष अथवा सदस्य की पेन्शन तथा अन्य सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय :

परन्तु यह कि अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में मिलने वाली पेन्शन तथा अन्य सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(30) लोकायुक्त का अध्यक्ष और सदस्य, अपने पद से अलग होने के पश्चात् भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा कोई ऐसा निकाय, जो कि किसी सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, मे नियुक्ति अथवा सांसद, राज्य विधान मण्डल अथवा स्थानीय निकायों का कोई चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

(31) लोकायुक्त, लोकायुक्त के सचिव का चयन और नियुक्ति करेगा जिसका स्तर उत्तराखण्ड सरकार के प्रमुख सचिव के समकक्ष का होगा।

(32) लोकायुक्त के अधिकारियों की स्थायी अथवा अस्थायी नियुक्ति बोर्ड के द्वारा अथवा विनियमों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामित किसी अन्य प्रधिकारी द्वारा की जायेगी।

अध्याय–तीन

लोकायुक्त तथा उसके अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य

लोकायुक्त के कृत्य और शक्तियाँ

5. लोकायुक्त की निम्नलिखित कृत्य और शक्तियाँ होंगी :–

(क) भ्रष्टाचार के किसी कृत्य में समाहित अपराध के अन्वेषण का पर्यवेक्षण करना ;

(ख) ऐसे अपराध के समुचित अन्वेषण के प्रयोजन के लिए अन्वेषण अधिकारी को निर्देश देना ;

(ग) किसी मामले में अन्वेषण के पूर्ण होने के पश्चात्, जो कि भ्रष्टाचार के कृत्य के अभिकथन से सम्बद्ध हो, में पूर्ण सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकारी सेवक के विरूद्ध पद से हटाने, पदमुक्त करने अथवा पदावनत करने के दण्ड की संस्तुति करना। ऐसी संस्तुति सरकार के नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगी। किसी कार्रवाई की संस्तुति के समय लोकायुक्त सद्भावना के साथ की गयी कार्यवाही और विद्वेषपूर्ण नीयत तथा निर्णय करने में त्रुटि के निष्कपट और कपटपूर्ण होने के मध्य भेद करने के सम्बन्ध में समुचित विचार करेगा।

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय के समक्ष वाद अभियोजित करना ;

(ङ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय के समक्ष मामले के समुचित अभियोजन को सुनिश्चित करना ;

(च) लोकायुक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले भत्तों और पेन्शन सहित सेवा की शर्तों और निबन्धनों के लिए विनियम बनाना ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले के सम्बन्ध में लम्बित अन्वेषण के सम्बन्ध में विदेश के न्यायालय को पत्र जारी किये जाने हेतु लोकायुक्त की पीठ को अधिकृत करना ;

(ज) शिकायतकर्ताओं से शिकायत प्राप्त करना ;

(झ) लोकायुक्त के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त करना ;

(ञ) अन्वेषण अधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों को भर्ती करना और वैज्ञानिक अन्वेषण की वर्तमान रीति में उन्हें प्रशिक्षित करना ;

(ट) न्यायिक अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करना ;

(ठ) समुचित अन्वेषण के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों को अधिप्राप्त करना ;

(ड) भ्रष्ट आचरण द्वारा अर्जित सम्पत्ति और आस्तियों को कुर्क करना तथा कतिपय मामलों में इस अधिनियम के अधीन दिए गए प्राविधानानुसार उन्हें जब्त करना ;

(ढ) यदि भ्रष्ट रीति से पट्टा, अनुज्ञा, अनुमति, संविदा अथवा करार, प्राप्त किया गया हो, के निरस्तीकरण अथवा उपान्तरण की संस्तुति करना और किसी फर्म, कम्पनी, ठेकेदार अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार में संलग्न हो, को काली सूची में डालने के लिए संस्तुति करना। लोक प्राधिकारी या तो संस्तुतियों का अनुपालन करेगा अथवा संस्तुति की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसे निरस्त करेगा। संस्तुतियों के निरस्त करने की दशा में लोकायुक्त लोक प्राधिकारी को समुचित निर्देश दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में आवदेन कर सकेगा ;

(ण) इस अधिनियम के अधीन दिए गए आदेश के अनुपालन न करने वाले व्यक्ति पर दण्ड अधिरोपित करते हुए अपने आदेश के अननुपालन को सुनिश्चित करना ;

(त) किसी भ्रष्टाचार के बारे में किसी स्रोत से कोई सूचना के प्राप्त होने पर इस अधिनियम के अधीन स्वतः समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करना ;

(थ) लोक प्राधिकारियों को उनके साथ परामर्श करके, भ्रष्टाचार के क्षेत्र को कम करने के लिए तथा शिकायतकर्ताओं का उत्पीड़न न होने देने के लिए, उनकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन हेतु संस्तुति करना। सम्बन्धित प्राधिकारी जहाँ उसकी संस्तुति स्वीकार न करना चुनता है, उसके कारणों को विस्तार से इंगित करते हुए लोकायुक्त को उसकी अनुपालन आख्या दो माह के भीतर भेजेगा ;

(द) इस अधिनियम में उल्लिखित समय–सीमा का कठोरता से पालन सुनिश्चित करना ;

(ध) अपने कार्मिकों की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और पदच्युत करने, हटाए जाने तथा पदावनत करने सम्बन्धी दण्ड अधिरोपित करना ;

(न) लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित कोई विशिष्ट सहायता किसी लोक प्राधिकारी से प्राप्त करना ;

(प) सरकार के बाहर और भीतरी से भ्रष्टाचार की शिकायतों के साक्ष्य एवं कृत्यों की सूचना देने को प्रोत्साहित किए जाने के लिए समुचित पुरस्कार योजना तैयार करना :

परन्तु यह कि ऐसे पुरस्कार का कुल मूल्य, वसूली गई क्षति या रोकी गई क्षति के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(फ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जो इस अधिनियम में दिए गए हों अथवा अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो।

अन्वेषण एवं अभियोजन शाखा का गठन

6\. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी लोकायुक्त, लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण को करने के उद्देश्य के लिए अन्वेषण शाखा गठित करेगा।

(2) जब तक लोकायुक्त अन्वेषण शाखा का गठन नहीं कर लेता, तब तक राज्य सरकार द्वारा राज्य सतर्कता विभाग एवं अपने अन्य विभागों से ऐसी संख्या में अन्वेषण अधिकारी और ऐसे कर्मचारीवृन्द, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण को करने के लिए लोकायुक्त के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराये जायेंगे।

कोई अन्वेषण शाखा के किसी पुलिस उपाधीक्षक या उसके समकक्ष पद के किसी अन्य अधिकारी के नीचे के स्तर द्वारा नहीं किया जायेगा।

लोकायुक्त एक अभियोजन शाखा का गठन करेगा और अभियोजन का एक निदेशक तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा किसी शिकायत के सम्बन्ध में लोक सेवक के अभियोजन के प्रयोजन के लिए अभियोजन के निदेशक की सहायता के लिए आवश्यक हो, नियुक्त करेगा। अभियोजन का निदेशक, लोकायुक्त द्वारा अभियोजन हेतु अनुमोदन दिए जाने के पश्चात् विशेष न्यायालय के समक्ष वाद योजित करेगा तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में लोक सेवक के अभियोजन के बारे में सभी आवश्यक कदम उठायेगा।

जाँच अथवा अन्वेषण की प्रक्रिया

7. (1) लोकायुक्त शिकायत प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से प्रारम्भ किए गए मामले में ऐसी शिकायत पर अन्वेषण कराने से पूर्व इस विनिश्चय के लिए कि अन्वेषण कराने के लिए सम्यक् आधार हैं, ऐसी प्रारम्भिक जाँच कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को प्रारम्भिक जाँच के लिए निदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। यदि ऐसी प्रारम्भिक जाँच म, वह पाता है कि ऐसा कोई आधार नहीं है, वह इस निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा और उस पर मामला बन्द कर दिया जायेगा ; और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर दिया जायेगा।

(2) शिकायत के सत्यापन की प्रक्रिया उप धारा (1) के अन्तर्गत ऐसी होगी जैसा लोकायुक्त मामले की परिस्थितियों मे युक्तियुक्त समझ और विशेष रूप से, लोकायुक्त यदि इसे आवश्यक समझे, सम्बन्धित लोक सेवक की टिप्पणी आमंत्रित कर सकता है।

(3) जहाँ लोकायुक्त प्रारम्भिक जाँचोपरान्त, यह उचित पाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्वेषण किया जाय, वह, :–

(क) सम्बन्धित लोक सेवक को शिकायत की प्रति भेजेगा ;

(ख) सम्बन्धित लोक सेवक को टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा ;

(ग) अन्वेषण से सम्बन्धित अभिलेखों की अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे।

(4) लोकायुक्त, अपने विवेक से, किसी शिकायत में अन्वेषण कराना अस्वीकार कर सकता है अथवा अन्वेषण रोक सकता है, यदि उसकी राय में, :–

(क) शिकायत आधारहीन या परेशान करने के लिए की गई है अथवा सदाशयता से नहीं की गयी है ;

(ख) अन्वेषण करने के लिए या अन्वेषण बनाये रखने के लिए, जैसी स्थिति हो, पर्याप्त आधार नहीं है ;

(ग) शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष उपलब्ध हैं तथा प्रकरण की परिस्थितियों में शिकायतकर्ता के द्वारा अन्य अनुतोष का उपयोग करना अधिक सम्यक् है।

(5) जिस प्रकरण में लोकायुक्त यह निर्णय करता है कि शिकायत पर विचार नहीं किया जाय या शिकायत का अन्वेषण रोक दिया जाय, वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और उन्हें शिकायतकर्ता और सम्बन्धित लोक सेवक को संसूचित करेगा।

(6) बिना नाम की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा। शिकायतकर्ता को अपनी पहचान लोकायुक्त को खोलनी होगी, यद्यपि वह अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध कर सकता है।

(7) इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबन्धित हो,

उसके सिवाय किसी जाँच या अन्वेषण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा विनियमों में विहित किया जाय।

अन्वेषण अधिकारी की शक्तियाँ

8. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध के अन्वेषण के लिए अधिकृत लोकायुक्त के अन्वेषण अधिकारी को वे सभी शक्तियाँ होंगी, जो किसी पुलिस अधिकारी की दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी अन्वेषण अधिकारी के रूप में निहित होती हैं।

(2) लोकायुक्त के सदस्य अथवा कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन जब किसी शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं, और विशेषतया निम्नलिखित मामलों में :—

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने तथा उसका शपथ पर परीक्षण करने ;

(ख) किसी अभिलेख की खोज एवं प्रस्तुतीकरण करने ;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने ;

(घ) किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करने अथवा उसकी प्रति किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से प्राप्त करने ;

(ङ) गवाहों के परीक्षण के लिए कमीशन अथवा अन्य अभिलेख जारी करने ;

(च) कोई अन्य मामले, जो विहित किए जाय ;

उनमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन दावे का परीक्षण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होंगी।

(3) लोकायुक्त के सभी सदस्य और अन्वेषण अधिकारी के श्रेणी से उच्चतर लोकायुक्त के सभी अधिकारी, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे, जिनका ऐसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाता है।

(4) शिकायत के अन्वेषण के दौरान यदि लोकायुक्त यह महसूस करे कि सरकारी सेवक के पद पर बने रहने से अन्वेषण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है अथवा सरकारी सेवक साक्ष्य नष्ट कर सकता है अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है अथवा गवाहों को प्रभावित कर सकता है अथवा लगातार भ्रष्टाचार कर सकता है तो लोकायुक्त समुचित निर्देश दे सकता है, जिसमें ऐसे सरकारी सेवक के स्थानान्तरण अथवा उस सरकारी सेवक को सेवा से निलम्बित करने के निर्देश सम्मिलित हैं।

(5) लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के किसी स्तर पर अन्तरिम आदेश द्वारा सम्यक प्राधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट आचरण से अर्जित आस्तियों को छिपाने अथवा अन्तरण से लोक सेवक को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे।

(6) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के अन्वेषण के समय उस मामले में लोकायुक्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के अन्वेषण को करने के लिए सक्षम होगा।

लोकायुक्त की लोक प्राधिकारी को संस्तुति करने की शक्ति

9. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के दौरान यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि भ्रष्टाचार के किसी चल रहे विषय को रोकने के लिए लोकहित में आवश्यक कदम उठाया जाना आवश्यक है तो वह सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को किसी निर्णय के प्रवर्तन को स्थगित करने अथवा किसी ऐसी कार्यवाही, जो कि लोकायुक्त उचित समझे, करने की संस्तुति कर सकेगा। लोक प्राधिकारी या तो लोकायुक्त की संस्तुति का अनुपालन करेगा अथवा संस्तुति को खारिज करने की दशा में लोकायुक्त लोक प्राधिकारी को समुचित निर्देश दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में आवेदन कर सकेगा।

लोकायुक्त की किसी भवन मे प्रवेश करने हेतु अनुमति दिए जाने की शक्ति

10. (1) जहाँ किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके पास उपलब्ध सूचना से लोकायुक्त को विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि :–

इस अधिनियम के अधीन, जिसे समन या नोटिस निर्गत किया गया अथवा किया जा सकता है, उसके द्वारा किसी कार्यवाही अथवा किसी जॉच से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति, अभिलेख अथवा कोई आवश्यक वस्तु प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो वह तलाशी वारण्ट के द्वारा किसी अधिकारी को, जो कि पुलिस इस्पेक्टर की श्रेणी से नीचे का न हो, को तलाशी एवं जांच करने के लिए और विशेषतया ऐसे भवन और स्थान पर, जहॉ ऐसी सम्पत्ति अथवा अभिलेख रखे गए हो, मे प्रवेश कर तलाशी करने हेतु अधिकृत कर सकता है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, जहॉ तक सम्भव हो, उपधारा (1) के अधीन जॉच और जब्तीकरण किए जाने के सम्बन्ध मे लागू होगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी कोई वारण्ट सभी प्रयोजनों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–93 के अधीन न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट समझा जायेगा।

अध्याय–चार

लोकायुक्त की कार्यवाही

लोकायुक्त की कार्यवाही

11. (1) लोकायुक्त, उसके तथा अधिकारियो के कार्यों क व्यवहरण के लिए प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगा तथा लोकायुक्त की विभिन्न पीठों के मध्य कार्य का बंटवारा कर सकेगा।

(2) लोकायुक्त की पीठें देहरादून मे बैठेगी।

(3) लोकायुक्त का कोई कार्य या कार्यवाही इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि :–

(क) लोकायुक्त में कोई रिक्ति अथवा गठन में कोई त्रुटि है ;

(ख) लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) मामले के गुणावगुण को प्रभावित न करने वाली कोई अनियमितता विद्यमान है।

(4) सभी नीतिगत स्तर के निर्णय, जिसमें विनियमों का गठन, कृत्यों और शक्तियों का सौंपा जाना और प्रतिनिधायन सम्मिलित है, विनियमों के अनुसरण में बोर्ड द्वारा लिए जायेंगे।

(5) किसी मामले में कोई अन्वेषण, अन्वेषण अधिकारी द्वारा बिना कारण अभिलिखित किए बन्द नहीं किया जायेगा। अन्वेषण बन्द करने हेतु लोकायुक्त द्वारा विनियमों में प्राधिकृत प्राधिकारी का भी अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(6) लोकायुक्त के समक्ष किसी कार्यवाही की सुनवाई सिवाय, आपवादिक परिस्थितियों में, जहाँ ऐसा करना लोकहित में नहीं है और उसके कारण लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए कि ऐसी कार्यवाही कैमरे में की जा रही है, खुले में होगी। खुले में सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और प्रतिलिपि मूल्य के भुगतान पर जन–साधारण को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

अध्याय–पाँच

लोकायुक्त की जवाबदेही

लोकायुक्त को पद से हटाया जाना

12. (1) लोकायुक्त का अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य को उसके पद से किसी व्यक्ति की शिकायत पर उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात् ऐसे आधार पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर श्री राज्यपाल द्वारा केवल निम्नलिखित आधारों में से किसी एक आधार पर हटाया जायेगा :–

(क) कि वह दुर्व्यवहार अथवा कदाचार का दोषी है ; या

(ख) कि वह मानसिक अथवा शारीरिक अस्वस्थता के कारण अपने पदभार को नियमित रूप से संचालित करने के लिए अनुपयुक्त है ; या

(ग) कि वह दिवालिया घोषित हो गया है ; या

(घ) कि वह अपने कार्यकाल के अवधि के दौरान अपनी पद के दायित्वों के बाहर किसी रोजगार में संलग्न है।

(2) किसी ऐसी कार्यवाही मे उच्चतम न्यायालय ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य के निलम्बन के लिए भी निर्देश दे सकता है।

(3) उच्चतम न्यायालय की संस्तुति के प्राप्त होने पर श्री राज्यपाल अध्यक्ष अथवा सदस्य को, जैसी स्थिति हो, तत्काल उसके पद से हटा देगा।

(4) उच्चतम न्यायालय यथासम्भव इस धारा के अधीन शिकायत की प्राप्ति के तीन माह के भीतर अपनी संस्तुति देगा।

(5) यदि शिकायत असार पायी जाती ह अथवा किसी विद्वेष आशय से की गई है तो उच्चतम न्यायालय ऐसे शिकायतकर्ता को अर्थदण्ड अथवा कारागार की सजा, जो एक वर्ष तक हो सकेगी अथवा दोनों से दण्डित कर सकेगा।

लोकायुक्त का आदेश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होना।

13. लोकायुक्त अथवा लोकायुक्त के किसी अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होगा।

लोकायुक्त की सम्परीक्षा

14. (1) लोकायुक्त का वार्षिक वित्तीय और दक्षता अंकेक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(2) उत्तराखण्ड विधान सभा की सम्यक् समिति लोकायुक्त के कृत्यों की वार्षिक समीक्षा कर सकेगी। लोकायुक्त द्वारा समिति की संस्तुतियों पर, जहाँ समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार नही की गयी हैं, के विस्तृत कारणो को उल्लिखित

करते हुए अनुपालन रिपोर्ट श्री राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। इसे उत्तराखण्ड के विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट

15. (1) लोकायुक्त का अध्यक्ष, विहित प्रारूप में लोकायुक्त के कार्यों पर वार्षिक रूप में समेकित रिपोर्ट श्री राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर श्री राज्यपाल उसकी प्रति व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित उत्तराखण्ड के विधान सभा के पटल पर रखवायेगा।

(3) लोकायुक्त प्रत्येक माह में उसकी वेबसाइट पर गत माह के दौरान प्राप्त प्रकरणों, प्रत्येक मामले के संक्षिप्त विवरण के साथ निस्तारित प्रकरणों की सूची परिणाम और उस मामले में की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही, लम्बित मामलों की सूची और बोर्ड के बैठक का कार्यवृत्त और अभिलेख को प्रकाशित करेगा।

शिकायत प्राधिकरण की स्थापना

16. (1) लोकायुक्त के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध किसी शिकायत को विचार करने के लिए लोकायुक्त मेंएक या एक से अधिक शिकायत प्राधिकारी, स्थापित किये जायेंगे।

(2) ऐसा शिकायत प्राधिकारी, कुल दो सदस्यों से गठित होगा और इस अधिनियम की धारा–4 के अनुसार उसी रीति से चयनित होगा, जिस प्रकारलोकायुक्त के सदस्य चयनित किए जाते हैं।

(3) शिकायत प्राधिकरण के सदस्य विधि की विशद जानकारी वाले व्यक्ति होंगे।

(4) लोकायुक्त के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत को शिकायत प्राधिकारी द्वारा खुले में सुना जायेगा और शिकायत की प्राप्ति के दो माह के भीतर निर्णीत किया जायेगा। लोकायुक्त के अधिकारी या कर्मचारी को अपने बचाव के लिए समुचित अवसर दिया

जायेगा। यदि कोई अधिकारी या सदस्य दुर्व्यवहार अथवा अन्वेषण में बेईमानी अथवा भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो प्राधिकरण उसे सेवानिवृत्त, सेवा से हटाए जाने अथवा पदावनत किए जाने के लिए आदेश कर सकेगा।

(5) शिकायत प्राधिकारी द्वारा पारित अन्तिम आदेश उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अध्यधीन होगा।

(6) यथोचित मामलों में शिकायत प्राधिकारी के लिए यह विकल्प होगा कि वह लोकायुक्त के अधिकारी अथवा कर्मचारी को निलम्बित करने के निर्देश दें।

(7) शिकायत प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसारण में पीठों में कार्य करेगा।

लोकायुक्त संगठन में पारदर्शिता

17. लोकायुक्त अपने कृत्यों में पूर्णतया पारदर्शिता बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अन्वेषण के पूर्ण अभिलेख अथवा इस अधिनियम के अधीन संचालित जाँच के पश्चात् उसके निष्कर्ष सार्वजनिक करने के लिए वेबसाइट में प्रदर्शित हों। लोकायुक्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के प्रभावी क्रियान्वयन, ऐसे मामलों को छोड़कर जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–8 से आच्छादित हो, को भी सुनिश्चित करेगा।

अध्याय–छः
उच्च कृत्यकारियों के विरूद्ध अन्वेषण और अभियोजन

उच्च कृत्यकारियों के विरूद्ध अन्वेषण और अभियोजन

18. निम्नलिखित व्यक्तियों के विरूद्ध कोई अन्वेषण या अभियोजन लोकायुक्त के सभी सदस्यों की अध्यक्ष के साथ पीठ से अनुमति प्राप्त किए बिना प्रारम्भ नहीं की जायेगी :–

(एक) मुख्यमंत्री और मंत्रि–परिषद् के कोई अन्य सदस्य ;

(दो) उत्तराखण्ड विधान सभा के कोई सदस्य।

अध्याय–सात
विनियम बनाने की लोकायुक्त की शक्तियाँ

विनियम बनाने की लोकायुक्त की शक्तियाँ

19. (1) लोकायुक्त, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए, जो इस अधिनियम से असंगत न हो, विनियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और उपधारा (1) में उल्लिखित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी अथवा किसी मामले में विनियम बना सकेगा, अर्थात् :–

(क) अन्वेषण, अभियोजन और अन्य मामलों को व्यवहृत करने के लिए लोकायुक्त में विभिन्न शाखाओं का सृजन ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रतिनिधायन और उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत सहित किसी जॉच के लिए प्रक्रिया निर्धारण ;

(ग) अन्वेषण और जॉच, जिसके भीतर उसे पूरा किया जाय, कि अवधि का निर्धारण ;

(घ) लोकायुक्त की समुचित पीठों द्वारा केवल परिचालन से निर्णय लेने की प्रक्रिया ;

(ङ) लोकायुक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रत्येक श्रेणी के लिए कार्य मानक ;

(च) लोकायुक्त संगठन के सभी स्तरों के लिए आचरण संहिता।

(छ) अन्य कोई विषय जिसको लोकायुक्त विनियम बनाने हेतु उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन लोकायुक्त द्वारा बनाए गए इनके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उत्तराखण्ड की विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

अध्याय–आठ
कठिनाईयों का निवारण

कठिनाईयों का निवारण

20. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने मे किसी प्रकार की कठिनाई हो तो राज्य सरकार लोकायुक्त की संस्तुति पर आदेश द्वारा, जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, कठिनाई का निराकरण कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर नही किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उत्तराखण्ड की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

अध्याय–नौ
अन्वेषण का समय से पूरा किया जाना और भ्रष्टाचार के लिए परीक्षण

अन्वेषण का समय से पूरा किया जाना और भ्रष्टाचार के लिए परीक्षण

21. (1) प्रत्येक अन्वेषण अधिकारी छः माह की अवधि के भीतर अपराध के अन्वेषण को पूरा करने का प्रयास करेगा, किन्तु जब आवश्यक हो, वह लोकायुक्त की पीठ से समय का विस्तार प्राप्त कर सकेगा। किसी मामले मे अन्वेषण की सम्पूर्ण अवधि यथासम्भव बारह माह से अधिक नहीं होगी।

(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के परीक्षण को विशेष न्यायालय द्वारा छः माह की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने के हर सम्भव प्रयास किए जायेगे और यदि अधिक समय अपेक्षित हो तो अधिकतम बारह माह की अवधि मे पूर्ण किया जायेगा।

(3) त्वरित परीक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोकायुक्त विशेष न्यायालयों की अपेक्षित संख्या का वार्षिक ऑकलन तैयार करेगा और सरकार को विशेष न्यायालयों की विशिष्ट संख्या में सृजन करने के लिए संस्तुति करेगा। ऐसी संस्तुति सरकार पर बाध्यकारी होगी।

(4) उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड का मुख्य न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन मामलों को सुनने के लिए ऐसी संख्या में विशेष पीठों को स्थापित कर सकेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि कोई अपील यथासम्भव छः माह में निस्तारित हो जायेगी।

(5) इस अधिनियम के अधीन मामलों को सुनने के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश यथासम्भव केवल इस अधिनियम के अधीन मामलों को व्यवहृत करेंगे।

अध्याय–दस
शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता का संरक्षण

22. (1) किसी लोक सेवक या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक प्राधिकारी में विद्यमान किसी भ्रष्टाचार की सूचना गोपनीय रूप से लोकायुक्त को भेजने को प्रोत्साहित किया जायेगा और लोकायुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सूचना पर जाँच करे तथा यदि आवश्यक हो तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अन्वेषण करायें।

(2) लोकायुक्त शिकायतकर्ता को किसी शारीरिक क्षति अथवा प्रशासनिक उत्पीड़न से पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु समुचित निर्देश दे सकेगा। यदि शिकायतकर्ता यह चाहता हो कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाय तो उसे सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोकायुक्त, राज्य सरकार को सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ–साथ किसी अन्य प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे शिकायतकर्ता का किसी प्रकार उत्पीड़न न हो, के निर्देश देगा।

(4) इस धारा के अधीन शिकायत की प्राप्ति पर त्वरित रूप से किन्तु किसी भी दशा में पन्द्रह दिनों के अन्दर, आदेश पारित किया जायेगा। शारीरिक उत्पीड़न की धमकी से सम्बन्धित मामलों में तत्काल कार्यवाई की जायेगी।

(5) शारीरिक अथवा व्यावसायिक उत्पीड़न का सामना करने वाले शिकायतकर्ता की शिकायत के अन्वेषण को त्वरित रूप से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे मामलों को शिकायत प्राप्ति के तीन माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा।

अध्याय–ग्यारह
भ्रष्ट लोक सेवक के विरूद्ध शास्ति और दण्ड

भ्रष्ट लोक सेवक के विरूद्ध शास्ति और दण्ड

23. (1) किसी लोक सेवक के विरूद्ध किसी अन्वेषण के पूर्ण होने के पश्चात लोकायुक्त का समाधान हो जाय कि अपराध कारित हुआ है, तब लोकायुक्त या तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध अभियोजन प्रारम्भ करेगा अथवा सेवा से हटाने, पदच्युत करने अथवा स्तर के अवनयन सम्बन्धी शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करेगा अथवा दोनों कार्रवाई प्रारम्भ करेगा।

(2) लोकायुक्त, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा विनियमों में उपबन्धित किया जाय, ऐसे अधिकारी नियुक्त करेगा, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त राजकीय सेवक अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति हों, जिसे लोकायुक्त इस धारा के अधीन जाँच के प्रयोजन के लिए न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उचित समझे।

(3) एक अथवा एक से अधिक न्यायिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध सेवा से हटाने, पदच्युत करने अथवा पदावनत करने विषयक किसी शास्ति के अधिरोपण हेतु जाँच सम्पादित करेंगे और ऐसे सरकारी कर्मचारी को कारण बताने का पूर्ण अवसर दिया जायेगा। जाँच का कार्य तीन माह में पूर्ण किया जायेगा। जाँच के पूर्ण होने के पश्चात् न्यायिक अधिकारी/अधिकारीगण सेवा से हटाने, पदच्युत करने अथवा पदावनत करने की शास्ति अधिरोपण की संस्तुति करेंगे। न्यायिक अधिकारी/अधिकारीगण की संस्तुति पर अन्तिम निर्णय लोकायुक्त द्वारा किया जायेगा।

(4) उप धारा (3) का निर्णय नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

शास्ति और दण्ड की मात्रा

24. (1) भ्रष्टाचार के किसी कृत्य के लिए दण्ड छः माह के कठोर कारावास से न्यून नहीं होगा और उसे दस वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा। विरल से विरलतम प्रकरण में आजीवन कारावास का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय, किसी अभियुक्त की उक्त श्रेणी का संज्ञान अधिक कठोर दण्ड दिए जाने हेतु ले सकती है।

(3) यदि अपराध से लाभान्वित होने वाला कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, तब इस अधिनियम तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दिए जाने वाले दण्डों के साथ ऐसे प्रतिष्ठान की आस्तियों से कारित क्षति के पाँच गुने तक अर्थदण्ड की वसूली की जायेगी और यदि अभियुक्त की आस्तियाँ पर्याप्त न हों, तब वसूली व्यावसायिक प्रतिष्ठान की आस्तियों तथा प्रबन्ध निदेशक/निदेशकों की व्यक्तिगत आस्तियों से की जायेगी।

(4) यदि किसी कम्पनी अथवा उसके किसी अधिकारी अथवा निदेशक का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध में दोष सिद्ध होता है तो उस कम्पनी और ऐसी सभी कम्पनियाँ, जो उस कम्पनी के संचालकों में से किसी के द्वारा चलाई जा रही हो, काली सूची में डाली जायेंगी तथा भविष्य मे किसी सरकारी कार्य अथवा संविदा लेने के लिए वह पात्र नहीं होगी।

(5) यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दोष सिद्ध होता है तो ऐसे लोक सेवक को उसके पद से हटा दिया जायेगा।

अधिरोपित वित्तीय शास्ति का क्रियान्वयन

25. जहाँ इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त किसी अधिकारी पर वित्तीय शास्ति का अधिरोपण करने का निर्देश दे, वहाँ उसके वेतन से कटौती करने का दायित्व विभाग के आहरण-वितरण अधिकारी का होगा और ऐसा करने में असफल होने पर उक्त आहरण-वितरण अधिकारी स्वयं उसी शास्ति के लिए दायी होगा।

अध्याय-बारह

कतिपय मामलों में शिकायतों को दूर करना

कतिपय मामलों में शिकायतों को दूर करना

26. (1) जब किसी मामले में कोई व्यक्ति जिसकी क्षुब्धता, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी दूर नहीं होती है तो वह लोकायुक्त में शिकायत कर सकता है।

(2) लोकायुक्त सुनवाई के पश्चात् शिकायत को खारिज कर सकता है अथवा इसे स्वीकार कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी को लोकायुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी शिकायत को दूर करने का निर्देश जारी कर सकता है।

(3) लोकायुक्त ऐसे मामलों में, जहाँ शिकायत स्वीकार की गयी है, शिकायत दूर न करने के लिए उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन नियुक्त पदाभिहित अधिकारी और/अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी और/अथवा द्वितीय अपीलीय अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए समुचित शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो कि न्यूनतम ₹ 5,000/– व अधिकतम ₹ 50,000/– प्रति शिकायत होगी।

(4) शास्ति अधिरोपित करने के साथ–साथ लोकायुक्त जाँच के पश्चात् नियुक्ति/अनुशासनिक अधिकारी को अपचारी कर्मचारी पर समुचित दण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति भी कर सकता है। ऐसी संस्तुति नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगी।

(5) लोकायुक्त ऐसे व्यक्ति, जिसकी शिकायतें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन दूर नहीं हुई हैं, को क्षतिपूर्ति के रूप में समुचित धनराशि के भुगतान का आदेश भी कर सकता है।

(6) इस अध्याय के अन्तर्गत लोकायुक्त के कर्तव्यों का निर्वहन धारा–23 के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

अध्याय–तेरह
लोकायुक्त का आय–व्ययक

लोकायुक्त की वित्तीय व्यवस्था

27. (1) लोकायुक्त के समस्त व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

(2) लोकायुक्त अपना बजट तैयार कर उसे सरकार

को भेजेगा। सरकार द्वारा बजट स्वीकृत कर दिए जाने के पश्चात् वह अपने व्यय सरकार के (अथवा लोकायुक्त द्वारा गठित) वित्तीय नियमों के अनुसार करेगा और इस हेतु उसे सरकार से अग्रेतर वित्तीय अथवा प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न होगी।

अध्याय–चौदह
भ्रष्ट लोक सेवक से क्षतिपूर्ति की वसूली और सम्पत्ति का जब्तीकरण और अधिहरण

भ्रष्ट लोक सेवक से क्षतिपूर्ति की वसूली और सम्पत्ति का जब्तीकरण और अधिहरण

28. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध हेतु विशेष न्यायालय द्वारा किसी लोक सेवक के दोष सिद्ध पाये जाने के पश्चात् न्यायालय ऐसे अभियुक्त द्वारा अपने भ्रष्ट आचरण से जो आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ अर्जित की गई हैं, उनका निर्धारण भी करेगी।

(2) विशेष न्यायालय, दोष सिद्ध लोक सेवक के भ्रष्ट कृत्य द्वारा अर्जित सभी आस्तियों और सम्पत्तियों के साथ–साथ इन आस्तियों पर प्रोद्भूत उपलब्धियों के जब्तीकरण के लिए आदेश पारित करेगा।

(3) विशेष न्यायालय, उपर्युक्त के अलावा अभियुक्त के भ्रष्ट आचरण से राजकोष अथवा अन्य व्यक्ति को हुई क्षति का निर्धारण भी करेगी। न्यायालय सम्पूर्ण क्षति की वसूली के लिए अभियुक्त, जिसके भ्रष्ट आचरण से क्षति कारित हुई है, पर अर्थदण्ड आरोपित करेगा और एक से अधिक दोष सिद्ध व्यक्तियों में अर्थदण्ड का उनमें अंश विभाजन कर वसूली का आदेश करेगा।

(4) अन्वेषण की अवधि के दौरान, यदि अन्वेषण अधिकारी यह पाए कि कोई सम्पत्ति या आस्ति, उस व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अन्वेषण किया जा रहा है, के भ्रष्ट आचरण द्वारा अर्जित है तो ऐसी आस्तियों की कुर्की का आदेश देगा ताकि ऐसे अभियोजित व्यक्ति के दोष सिद्ध होने पर आस्तियाँ जब्तीकरण के लिए उपलब्ध रहे। यदि किसी मामले में अभियुक्त पर दोष सिद्ध न हो तब ऐसी कुर्कशुदा आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ उसमें पुनः समाहित हो जायेगी।

अध्याय—पन्द्रह
लोक सेवक के परिसम्पत्ति विवरण

लोक सेवक के परिसम्पत्ति विवरण

29. (1) प्रत्येक लोक सेवक, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के पश्चात् और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष की 30 जून को उस लोक प्राधिकारी के मुखिया के पास, जहाँ उक्त लोक सेवक कार्यरत हो या किसी अन्य प्राधिकारी को, जैसा विहित किया जाय, अपनी अस्तियों और दायित्वों का लोकायुक्त द्वारा लोक सेवकों की श्रेणियों हेतु विहित प्रारूप में उसके परिवार के सदस्यों सहित, जिसमें उनकी आय के स्रोत सम्मिलित हैं, का वार्षिक विवरण (वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक से सम्बन्धित) प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "लोक सेवक के परिवार" से पत्नी और ऐसे बच्चे तथा लोक सेवक के माता—पिता और ऐसे अन्य व्यक्ति, जो उन पर आश्रित हैं, अभिप्रेत है।

(2) यदि लोक सेवक द्वारा, ऐसा विवरण उस वर्ष के 31 जुलाई तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो लोक प्राधिकारी को उसके वेतन/भत्तों का भुगतान वांछित विवरण उपलब्ध होने तक तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया जायेगा।

(3) प्रत्येक लोक प्राधिकारी का मुखिया अथवा ऐसा अन्य प्राधिकारी जैसा कि विहित किया जाय, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी वार्षिक विवरण उस वर्ष की 31 अगस्त तक वेबसाइट में प्रदर्शित कर दिए गए है।

(4) यदि यह पाया जाता है कि किसी लोक सेवक के द्वारा अपने नाम की कुछ सम्पत्ति अपनी आस्तियों के विवरण में प्रदर्शित नहीं किया गया है तो एसी सम्पत्ति लोकायुक्त द्वारा जब्तीकरण के योग्य होगी।

(5) यदि कोई लोक सेवक के कब्जे में कोई ऐसी सम्पत्ति पाई जाती है अथवा किसी सम्पत्ति का वह उपभोग करता है, जिसे उसने अपने

आस्तियों के विवरण में नहीं दर्शाया है, तो वह उसकी सम्पत्ति मान ली जायेगी, जब तक कि वह इसके विरूद्ध साबित न कर दे।

अध्याय–सोलह

कतिपय अन्य अधिनियमों के उपबन्धों का लागू होना और उपान्तरण

कतिपय अन्य अधिनियमों के उपबन्धों का लागू होना और उपान्तरण

30. (1) लोकायुक्त द्वारा प्रदत्त स्वीकृति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 के अधीन दत्त स्वीकृतियाँ समझी जायेगी।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 105–ग से 105–ञ तक के उपबन्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों पर लागू होंगे, चाहे वे अन्तर्देशीय प्रकृति के हों अथवा नहीं।

(3) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–389 की उपधारा (3) लागू होगी।

(4) लोकायुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–377 अथवा 378 के अधीन अपील योजित करने की शक्ति का प्रयोग किया जायेगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–372 के अधीन शिकायतकर्ता को भी अपील योजित करने का अधिकार होगा।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–397 में किसी बात के होते हुए भी साधारणतया कोई न्यायालय विशेष न्यायालय द्वारा किसी परीक्षण के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अपराधों के परीक्षण से सम्बन्धित अभिलेख नहीं मंगायेगा :

परन्तु यह कि यदि न्यायालय द्वारा अभिलेख मगाए जाते हैं तो उसे एक माह की अवधि के भीतर वापस कर दिया जायेगा।

(7) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अभियोग के लिए अभियोजन या अन्वेषण प्रारम्भ करने की लोकायुक्त द्वारा दी गई स्वीकृति किसी अधिनियम के अधीन, किसी अन्वेषण के प्रारम्भ करने अथवा अभियोजन प्रारम्भ करने के लिए किसी विधि के अधीन

अपेक्षित अनुमति समझी जायेगी।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, कोई विशेष न्यायालय किसी मामले को दिन–प्रतिदिन के आधार पर विचारित करेगा तथा किसी प्रयोजन के लिए स्थगन स्वीकृत नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा स्थगन न्याय के हित में उसकी राय में आवश्यक न हो और इसके लिखित में कारण अभिलिखित किए जायेंगे।

अध्याय–सत्रह

विविध उपबन्ध

शिकायतकर्ता द्वारा उत्पीडन के लिए की गई शिकायत पर शास्ति

31. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसी कोई शिकायत करे, जो किसी आधार अथवा साक्ष्य की कमी के कारण लोकायुक्त को यह लगे कि वह किसी प्राधिकारी के उत्पीडन मात्र के लिए की गयी है तो लोकायुक्त, शिकायतकर्ता पर ऐसा अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेगा जो वह उचित समझे, किन्तु किसी एक मामले में अर्थदण्ड की धनराशि एक लाख से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि शिकायतकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना किसी प्रकार का अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि अन्वेषण के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को साबित न किए जा सकने कि स्थिति को इस धारा के प्रयोजन के लिए शिकायतकर्ता के विरूद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

(2) ऐसा अर्थदण्ड भू–राजस्व के अवशेष बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन एक बार की गई कोई शिकायत अथवा अभिकथन को प्रत्याहरित करने की अनुमति नहीं होगी।

लोक सेवक की पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबन्ध तथा अनुबन्धों मे पारदर्शिता आदि।

32. (1) कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति अथवा त्याग–पत्र के पश्चात् दो वर्ष तक किसी व्यक्ति, कम्पनी अथवा संगठन, जिससे सम्बन्धित विषयों को उसने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के अन्तर्गत व्यवहृत किया है, के साथ कोई कार्य, समनुदेशन, परामर्श सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) किसी लोक प्राधिकारी द्वारा सभी संविदाएं, लोक–निजी सहभागिताएं, विक्रय द्वारा कोई अन्तरण, पट्टा और किसी प्रकार का सरकारी अनुदान सम्बन्धी कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जायेगा और जब तक कि कोई आपातकालीन अवसर न हो अथवा ऐसा किया जाना सम्भव न हो, जिसके कारण लिखित में अभिलिखित किए जायेंगे, को छोड़कर सभी कार्य लोक निविदा/नीलामी/ठेके के द्वारा किए जायेंगे। इसका किसी प्रकार से उल्लंघन संविदा/सरकारी अनुदान को अविधिमान्य करेगा। ऐसे व्यवहरण के सभी विवरण लोक प्राधिकारी द्वारा लोक वेबसाइट में रखे जायेंगे।

(3) प्राकृतिक संसाधनों के अन्तरण से सम्बन्धित सभी संविदाएं, करार अथवा समझौता ज्ञापन, चाहे वह किसी भी लाभ के रूप में अनुज्ञात हो, जिसमें भूमि और खान को किसी निजी प्रतिष्ठान को किसी रीति से यथा लोक निजी सहभागिता, भागीदार, विक्रय, पट्टा अथवा किसी अन्य प्रकार से किसी लोक प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया है, को हस्ताक्षरित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट में रखा जायेगा।

विशेष न्यायालय द्वारा रिश्वतदाता को दी जाने वाल छूट

33. कोई रिश्वतदाता, यदि वह स्वयमेव समय के भीतर लोकायुक्त को रिश्वत दिए जाने के बारे में सम्पूर्ण साक्ष्य के साथ रिश्वत लेने वाले/लोक सेवक की सूचना देता है, पकड़वाता है और दोष सिद्ध कराता है तथा सभी कदाचारी लाभ जो कि उसने रिश्वत के द्वारा प्राप्त किया था, समर्पित करता है, तो उसे विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन से छूट दी जा सकेगी। यदि रिश्वत देने वाले व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो विशेष न्यायालय द्वारा छूट को वापस लिया जा सकेगा।

अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति

34. लोकायुक्त, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अधीन इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों अथवा अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अवमानना के सम्बन्ध में शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस उपान्तरण के अध्यधीन प्रभावी होंगी कि उसमें उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में सन्दर्भ लोकायुक्त के सम्बन्ध में सन्दर्भ समझे जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति

35. (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करते हुए इस अधिनियम के प्राविधानों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसे बनाने के उपरान्त शीघ्रताशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि, जो कि किसी एक सत्र या दो अथवा अधिक अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो, कि लिए सत्र में हो, के समक्ष रखा जायेगा। सत्र, जिसमें यह रखा जाय, के दौरान अथवा उसके समाप्त होने पर उसके तुरन्त बाद आहूत सत्र के दौरान यदि सदन नियम में कोई संशोधन करने को सहमत हो अथवा सदन का यह मत हो कि ऐसा नियम न बनाया जाय, ऐसा नियम तदोपरान्त संशोधनों के साथ लागू अथवा निरस्त, जैसी भी स्थिति हो, होगा य परन्तु ऐसा कोई संशोधन अथवा निरस्तीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी कार्यवाही को अविधिमान्य नही करेगा।

निरसन एवं व्यावृत्ति

36. (1) उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त्स अधिनियम, 1975, जो कि राज्य के सृजन के पश्चात् उत्तराखण्ड में लागू किया गया था, को एतदद्वारा जहॉं तक उत्तराखण्ड राज्य का सम्बन्ध है, के लिए निरसित किया जाता है।

(2) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–12 से 18 निरसित हो जायेंगे।

अनुसूची

{धारा 4 (26) देखें}

मैं, ... जो लोकायुक्त का अध्यक्ष (अथवा सदस्य) नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित 'भारत का संविधान' के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी दक्षता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा।

विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन।

उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 को अधिनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित की जा रही हैं।
2. विधेयक के खण्ड 2 में परिभाषा उल्लिखित किया जाना प्रस्तावित हैं।
3. विधेयक के खण्ड 3 में अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव हेतु उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
4. विधेयक के खण्ड 4 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना के उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
5. विधेयक के खण्ड 5 मे लोकायुक्त के कृत्य एवं शक्तियों के बारे मे उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
6. विधेयक के खण्ड 6 मे अन्वेषण शाखा के गठन हेतु उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
7. विधेयक के खण्ड 7 में जाच अथवा अन्वेषण की प्रक्रिया के बारे मे उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
8. विधेयक के खण्ड 8 मे अन्वेषण अधिकारी की शक्तियो के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
9. विधेयक के खण्ड 9 में लोकायुक्त की लोक प्राधिकारी को संस्तुति करने की शक्ति के सम्बन्ध मे उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
10. विधेयक के खण्ड 10 में लोकायुक्त की किसी भवन में प्रवेश करने हेतु अनुमति दिए जाने की शक्ति सम्बन्धी उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
11. विधेयक के खण्ड 11 में लोकायुक्त की कार्यवाही का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
12. विधेयक के खण्ड 12 में लोकायुक्त को पद से हटाये जाने हेतु उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
13. विधेयक के खण्ड 13 में लोकायुक्त के आदेश का उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होने विषयक उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
14. विधेयक के खण्ड 14 में लोकायुक्त की सम्परीक्षा हेतु उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित है।
15. विधेयक के खण्ड 15 में लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

16. विधेयक के खण्ड 16 में शिकायत प्राधिकरण की स्थापना के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

17. विधेयक के खण्ड 17 में लोकायुक्त संगठन में पारदर्शिता हेतु उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

18. विधेयक के खण्ड 18 में उच्च कृत्यकारियों के विरूद्ध अन्वेषण और अभियोजन के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

19. विधेयक के खण्ड 19 में विनियम बनाने की लोकायुक्त की शक्तियों के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

20. विधेयक के खण्ड 20 में कठिनाईयों के निवारण के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

21. विधेयक के खण्ड 21 में अन्वेषण को समय से पूरा किये जाने और भ्रष्टाचार के लिए परीक्षण सम्बन्धी उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

22. विधेयक के खण्ड 22 में शिकायतकर्ता को संरक्षण देने के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

23. विधेयक के खण्ड 23 में भ्रष्ट लोक सेवक के विरूद्ध शास्ति और दण्ड के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

24. विधेयक के खण्ड 24 में शास्ति और दण्ड की सीमा के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

25. विधेयक के खण्ड 25 में अधिरोपित वित्तीय शास्ति के क्रियान्वयन करने के लिएउ पबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

26. विधेयक के खण्ड 26 में कतिपय मामलों में शिकायतों को दूर करने हेतु उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

27. विधेयक के खण्ड 27 में लोकायुक्त की वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

28. विधेयक के खण्ड 28 में भ्रष्ट लोक सेवक से क्षतिपूर्ति की वसूली और सम्पत्ति के जब्तीकरण एवं अधिहरण के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

29. विधेयक के खण्ड 29 में लोक सेवकों के परिसम्पत्ति के विवरण के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

30. विधेयक के खण्ड 30 में कतिपय अन्य अधिनियमों के उपबन्धों को लागू करने और रूपान्तरण के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

31. विधेयक के खण्ड 31 में शिकायतकर्ता द्वारा उत्पीडन के लिए की गई शिकायत पर शास्ति के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

32. विधेयक के खण्ड 32 में लोक सेवक की पुनर्नियुक्ति तथा अनुबन्धों में पारदर्शिता आदि के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

33. विधेयक के खण्ड 33 में विशेष न्यायालय द्वारा रिश्वतदाता को दी जाने वाली छूट के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित है।

34. विधेयक के खण्ड 34 मे अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति के बारे में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

35. विधेयक के खण्ड 35 में नियम बनाने की शक्ति के बारे में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

36. विधेयक के खण्ड 36 मे निरसन एवं व्यावृत्ति के सम्बन्ध मे उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

अनुसूची में शपथ/प्रतिज्ञान की व्यवस्था उपबन्धित की गई है।

मेजर जनरल (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी,

मुख्यमंत्री।

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 को अधिनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विधेयक के खण्ड 4 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने की शक्ति प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।
2. खण्ड 5 में लोकायुक्त को कृत्य एवं शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।
3. खण्ड 8 में अन्वेषण अधिकारी को शक्तियाँ प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।
4. खण्ड 9 में लोकायुक्त की लोक प्राधिकारी को संस्तुति करने की शक्ति प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।
5. खण्ड 10 में लोकायुक्त को किसी भवन में प्रवेश करने हेतु अनुमति दिए जाने की शक्ति प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।
6. खण्ड 16 में शिकायत प्राधिकरण को स्थापित करने की शक्ति प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।
7. खण्ड 19 में विनियम बनाने की लोकायुक्त की शक्ति प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।
8. खण्ड 25 में नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।

मेजर जनरल (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी,

मुख्यमंत्री।

<u>मद संख्या–14</u>

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, यह छोटा सा विधेयक है। चूँकि माननीय सदन ने दिनाँक 22 सितम्बर, 2010 को इस बिल को पुरःस्थापित किया था और उसके पश्चात् दिनांक 23 सितम्बर, 2010 को इसको पारित किया गया। चूँकि इस समय तात्कालिक आवश्यकता इस बिल को पुनः पास करने की इसलिए पड़ी कि वर्तमान में अभी हमारे पास तीन महाविद्यालयों के संबद्धता के प्रस्ताव लम्बित हैं और दिनांक 15 जनवरी, 2009 को हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने के दृष्टिगत गढ़वाल मण्डल के निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों, राजकीय अशासकीय महाविद्यालयों को सम्बद्धता दिये जाने हेतु एक नया सम्बद्धता विश्वविद्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन रहा और जिसे इस सदन ने पारित किया था और महामहिम ने अपने पत्र दिनांक 04 अप्रैल, 2011 को उक्त विधेयक में प्रस्तावित प्रावधानों में उन पर चयन, महाविद्यालय की सम्बद्धता और कार्यपालिका के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 अक्टूबर, 2011 को महामहिम राज्यपाल को पत्र लिख करके इस विधेयक की कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने हेतु इस विधेयक को वापस किये जाने का अनुरोध किया था। इसलिए धारा 10–1, जो कुलपति के चयन से सम्बन्धित है, धारा–25–1, जो कार्य परिषद् से सम्बन्धित ह और धारा–33–1 जो सम्बद्धता से सम्बन्धित है। श्रीमन्, इन धाराओं में आँशिक संशोधन किये गये हैं। इसलिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे पं0 दीन दयाल विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा में अपनी बात कहने का अवसर दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया है और इस पर काफी चर्चा सदन के अन्दर हुई भी थी। निश्चित रूप से जब यह विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक सदन के सम्मुख आया था, उस समय भी हमने, जो आपत्तियाँ महामहिम राज्यपाल महोदय ने लगायी हं, उनका उल्लेख किया था। लेकिन उस समय उन आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पाया था, लेकिन पुनः निस्तारण के बाद यह विधेयक आया है, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इसलिए स्वागत योग्य है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय महामहिम राज्यपाल के अधीनस्थ हैं और इन विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त करने का, कुलपति के चयन का अधिकार महामहिम राज्यपाल के पास है। जब यह विधेयक सदन के सम्मुख रखा गया था, उस समय कुछ त्रुटियाँ हुई थीं और उनका संशोधन करने के बाद यह विधेयक आ रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज अगर यह विश्वविद्यालय बना है, इसके लिए माननीय सदस्य किशोर उपाध्याय जी का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनके बहुत लम्बे संघर्ष, उनके उपवास का ही यह नतीजा है। मैं समझता हूँ कि पहले प0 नारायण दत्त तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फिर खण्डूडी जी आये, बीच मे 'निशंक' जी आये, अब फिर खण्डूडी जी आये हैं। चार मुख्यमंत्रियो के कार्यकाल में संघर्ष के बाद आज अगर विश्वविद्यालय मिला है तो मैं किशोर उपाध्याय जी का हृदय से, केवल टिहरी की जनता की ओर से नही, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से, विशेषकर गढ़वाल की जनता की ओर से, उन हजारों लाखों छात्रों की ओर से, जिनको इस विश्वविद्यालय से लाभ मिलेगा, उन अभिभावकों की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं किशोर उपाध्याय जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, इससे जो एक अधर की स्थिति बन गई थी पूरे गढ़वाल मण्डल मे, गढ़वाल विश्वविद्यालय सेन्ट्रल विश्वविद्यालय हो गया, कभी बी0एड0, की परीक्षायें करा रहा है, कभी नही करा रहा है। मैनेजमेंट विद्यालयो की स्थिति और महाविद्यालयों की स्थिति पिछले 2–3 सालो से ऐसी हो गई थी, जब से गढ़वाल विश्वविद्यालय सैन्ट्रल विश्वविद्यालय बना तो ऐसा लगने लगा कि हमारे गढ़वाल की उच्च शिक्षा की स्थिति चरमरा सी गई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और चारों मुख्यमत्रियों ने भी, 'निशक' जी को तो मैं इसलिए धन्यवाद नहीं देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने तो इसमें गड़बड़ कर दिया था। लेकिन बाकी तिवारी जी, जिन्होंने घोषणा की इस विश्वविद्यालय की। माननीय अध्यक्ष जी, हम तो सच कहते हैं चाहे कोई भला माने या बुरा। जो करता है उसको कहते हैं। तिवारी जी को धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने घोषणा की, आपको इसलिए कि आपने अपने पिछले कार्यकाल मे कुछ आगे बढ़ाया। पिछले कार्यकाल में जो गलती 'निशंक' जी न कर दी थी।

*कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, आप किस विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं ? आपको किसी याद आ रही है ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खण्डूडी जी के समय में सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आ गई न बात, अभी त्रिवेन्द्र जी ने कहा कि मैं सवालों का समर्थन करता हूँ। अरे जब गाड़ी चल रही थी तो चलने देते। (हँसी) यह तो मुझे भी मालूम था कि गढ़वाल विश्वविद्यालय और सैन्ट्रल विश्वविद्यालय जब खण्डूडी जी मुख्यमंत्री बन गये थे, तब बना। क्योंकि इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए मैं श्री नगर गोला बाजार में धरने पर बैठा था। गढ़वाल विश्वविद्यालय को सैन्ट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए मैं गोला बाजार में धरने पर बैठा था, छात्रसंघ के उद्घाटन के अवसर पर मैंने घोषणा की थी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय सैन्ट्रल विश्वविद्यालय बनाया जायेगा। माननीय खण्डूडी जी से, महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ एक कार्यक्रम था, तो मैंने वहाँ पर भी खण्डूडी जी से निवेदन किया था और उसके लिए फिर मैंने अपनी ओर से भी दिल्ली तक माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी से कोशिश की और जो सतपुली के रहने वाले, जो उनके सुरक्षा अधिकारी थे, उनका भी सहयोग लिया गया। यह एक अलग विषय हो जायेगा, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आप राजनीतिक श्रेय लेना चाहते हैं तो ले, ठीक है, यह चुनाव का वक्त है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने तो माननीय तिवारी जी को धन्यवाद ही दिया, अन्य कोई बात तो नहीं कही। इसमें बुरी बात क्या है ? धन्यवाद मैं सबको दे रहा हूँ तो इसमें आपको क्या दिक्कत है ? अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य 10 बजे दुकान बंद होने की बात भी कह रहे हैं। (हँसी)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आबकारी तो आपके पास ही है। दुकान का समय बढ़ा दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आबकारी की दुकान 10 बजे बंद होती है, लेकिन फौजियों की दुकान 10 बजे बाद भी खुलती है और हमारे मुख्यमंत्री जी फौजी हैं और कोटा मुख्यमंत्री निवास में मिल सकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, हरक सिंह जी इस बात को अच्छी तरह से जानते है, क्योंकि इनके पिता भी फौजी थे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसीलिए तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। खण्डूड़ी जी के यहाँ मिलने की सम्भावना इसलिए है, क्योंकि वे खुद नहीं लेते हैं। इसलिए इनका कोटा बचा हुआ होगा।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, आप सभी लोगों ने इस पर प्रयास किया है, बिना नाम लेते हुए, क्योंकि इसमें किसी का नाम छूट न जाय, यहाँ त्रिवेन्द्र रावत जी कहेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया। मैं सबका और इस सदन का भी, जिन्होंने यह विधेयक पास किया, सर्वसम्मति से और विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आप सब लोगो ने प्रयास किया है। इसलिए गढ़वाल की जनता की ओर से और उन हजारों–लाखों छात्रो की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने इस विधेयक पर मुझे दो शब्द कहने का मौका दिया और मैं अन्दर से बहुत गदगद हूँ और हो सकता है मैं अन्दर से अपनी बात को स्पष्ट न कह पाऊँ। इस सारे आन्दोलन मे चाहे टिहरी की उपेक्षा का आन्दोलन है, उसमे हमारे माननीय हरक सिंह रावत जी और कॉंग्रेस के जो सारे सदस्य हैं। मुझे यह लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकारो मे या मुख्यमंत्रियो में संवेदनशीलता बची हुई है। क्योंकि दिनांक 04 अप्रैल, 2011 को माननीय राज्यपाल जी ने अपना कमन्यूकेट भेज दिया था और 04 अप्रैल से 25 अक्टूबर तक का समय लगा। जैसे निवर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में माननीय रावत जी ने कहा है, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ। दूसरा मैं पूरे सदन को अन्तर्मन से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि यह पहला विश्वविद्यालय देहरादून मे, हल्द्वानी में या जगह–जगह पर बहुत से विश्वविद्यालय बने, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जब से उत्तराखण्ड का गठन हुआ है, जो यह पहली संस्था पर्वतीय क्षेत्र मे गयी है। इसलिए मैं आप सब लोगों का अन्तर्मन से धन्यवाद करता हूँ। (व्यवधान) टिहरी के लोगों ने इतना बाँध बनाकर सब कुछ दे दिया है। आपने पहली बार पर्वतीय क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है और माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

{विधेयक संख्या   वर्ष, 2011}

विषय–सूची

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय–1	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार	
2.	परिभाषाएं	
	अध्याय–2	
	विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य	
3.	विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन	
4.	शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग	
5.	राज्य सरकार की अधिसूचना जारी करने की शक्ति	
6.	विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा	
7.	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कर्तव्य	
	अध्याय–3	
	विश्वविद्यालय के अधिकारी	
8.	विश्वविद्यालय के अधिकारी	
9.	कुलाधिपति	
10.	कुलपति	
11.	कुलपति की सेवा–शर्तें	
12.	कुलाधिपति की शक्तियाँ और कर्तव्य	
13.	वित्त अधिकारी	
14.	कुलसचिव	
15.	कुलसचिवों, उपकुलसचिवों और सहायक कुलसचिवों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण	
16.	परीक्षा नियंत्रक	
17.	अन्य अधिकारियों की शक्तियां के निबन्धन और शर्तें, रिक्तता, कर्तव्य और सेवा	
18.	विश्वविद्यालय के अधिकारीगण कार्य परिषद् के सदस्य	
19.	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी	
20.	संकायाध्यक्ष	
	अध्याय–4	
	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	
21.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	
22.	सभा (कोर्ट)	
23.	सभा (कोर्ट) की शक्तियाँ तथा कर्तव्य	
24.	सभा का अधिवेशन	
25.	कार्य परिषद् का गठन	

1	2	3
26.	कार्य परिषद् की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	
27.	बैठकों की बारम्बारता, सूचना अवधि तथा गणपूर्ति	
28.	शैक्षिक परिषद्	
29.	वित्त समिति	
30.	परीक्षा समिति	
31.	अन्य प्राधिकारी	
	अध्याय–5 **निरीक्षण और जाँच**	
32.	निरीक्षण/भ्रमण	
	अध्याय–6 **सम्बद्धता**	
33.	सम्बद्धता	
34.	प्रबन्ध तंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता	
	अध्याय–7 **परिनियम, अध्यादेश और विनियम**	
35.	परिनियम	
36.	अध्यादेश	
37.	विनियम	
	अध्याय–8 **वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा**	
38.	वार्षिक प्रतिवेदन	
39.	लेखा और लेखा–परीक्षा	
40.	अधिभार	
	अध्याय–9 **विविध**	
41.	प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति	
42.	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	
43.	रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना	
44.	विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना	
45.	कुलाधिपति को सन्दर्भ	
46.	वाद का वर्जन	
47.	विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	
48.	अपील करने का अधिकार	
49.	कठिनाईयां दूर करने की शक्ति	

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

{विधेयक संख्या , वर्ष 2011}

पं0 दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु :–

विधायक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार राज्य के ऐसे भाग पर है, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो य

(ख) "अनुमोदित संस्था" विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उच्च शिक्षा की संस्था अभिप्रेत है ;

(ग) "स्वशासी महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्राविधानों द्वारा सम्बद्ध अथवा सहयुक्त घोषित महाविद्यालय अभिप्रेत है ;

(घ) "महाविद्यालय" से इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है ;

(ङ) "विद्यमान महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है, जो उच्च/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर रही है और राज्य मे स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित और अनुरक्षित की जा रही हो ;

(च) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचितजातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है ;

(छ) "शैक्षिक परिषद्" से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् से अभिप्रेत है ;

(ज) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(झ) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है ;

(ञ) "निदेशक" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है ;

(ट) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है ;

(ठ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(ड) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है ;

(ढ) "कुलसचिव" से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है ;

(ण) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है ;

(त) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम अध्यादेश तथा विनियम अभिप्रेत है ;

(थ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(द) "विहित" से विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) "प्रधानाचार्य" से महाविद्यालय के प्रधान अभिप्रेत है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाय और उसके अन्तर्गत जहाँ कोई प्रधानाचार्य न हो, वहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति और प्रधानाचार्य या कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति मे इस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप प्रधानाचार्य भी सम्मिलित है ;

(न) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत है ;

(प) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम की धारा–3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(फ) "संघटक महाविद्यालय" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो और जिसे विनियमों के अधीन ऐसा घोषित किया गया हो ;

(ब) "अनुरक्षण अनुदान" से किसी महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान अभिप्रेत है ;

(भ) "प्रबन्धन" से किसी सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्थान के सम्बन्ध मे ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिस पर उस महाविद्यालय या संस्थान के कार्यकलाप के प्रबन्ध का भार है और जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप मे मान्यता प्राप्त हो ;

(म) "विश्वविद्यालय के अधिकारीगण" से अधिनियम की धारा–8 मे उल्लिखित अधिकारी अभिप्रेत है ;

(य) "सम्पत्ति" से किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में, ऐसी समस्त चल या अचल सम्पत्ति अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय की हो या महाविद्यालय के लाभार्थ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रदत्त हो, जिसमें भूमि, भवन

(छात्रागार सहित), कार्यशाला, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, औजार, फर्नीचर, लेखन सामग्री, स्टोर, स्वचालित वाहन या अन्य वाहन, यदि कोई हो व सम्मिलित हैं और महाविद्यालय से सम्बद्ध वे सभी वस्तुएं, जैसे हस्तगत धन, बैंक में जमा धनराशि, निवेश और अर्जित ऋण एवं ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त अधिकार एवं हित, जो महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रणाधीन हो और लेखा पंजिका और अन्य सभी अभिलेख, जो किसी भी प्रकृति के हों और महाविद्यालय की सभी विद्यमान देनदारियाँ, दायित्वएवं वैधानिक अनुग्रह भी इसमें सम्मिलित समझे जायेंगे, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों ;

(र) "पंजीकृत स्नातक" से इस अधिनियम एवं उसके द्वारा निरसित अथवा अधिक्रमित किसी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत विश्वविद्यालय को कोई स्नातक अभिप्रेत है ;

(ल) "स्ववित्त पोषित संस्था" से ऐसा महाविद्यालय या संस्थाएँ अभिप्रेत हैं, जिनको इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये अध्यादेश एवं परिनियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में सम्बद्धता प्रदत्त हो व

(व) "शिक्षक" से शिक्षण प्रदान करने, या/और अनुसंधान तथा विस्तार कार्यों मे संचालन एवं मार्गदर्शन हेतु किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रचार्य भी है।

अध्याय—दो
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3. (1) प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय नाम नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नाम वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा अपने नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, बादशाहीथौल, जनपद टिहरी गढ़वाल में अवस्थित होगा और वह राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर जो आवश्यक समझे, अपने अतिरिक्त परिसर स्थापित कर सकेगा।

शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग

4. (1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता गढ़वाल मण्डल में होगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को उच्च/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे विद्यमान महाविद्यालय/संस्थानों से भिन्न प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, धारा–3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ समझा जायेगा और पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) वर्तमान में हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा, जिसे आगे इस धारा में पूर्व विश्वविद्यालय कहा गया है, से सम्बद्ध या सहयुक्त नहीं रह जायेगा :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के ऐसे प्रारम्भ दिनांक को विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न किसी महाविद्यालय या संस्था मे शिक्षा प्राप्त कर रहा छात्र ऐसे प्रारम्भ व पश्चात् पूर्व विश्वविद्यालय के अधीन ऐसी शिक्षा जारी रखने और पूरा करने का हकदार होगा और उसे ऐसा करने की अनुमति भी दी जायेगी तथा पूर्व विश्वविद्यालय ही ऐसे छात्र की पूरी विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेगा और उसे उपाधि या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना जारी करने की शक्ति

5. राज्य सरकार, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा :–

(1) विश्वविद्यालय का क्षेत्र या शैक्षणिक अधिकारिता को घटा या बढ़ा सकेगी य

(2) इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना मे, अनुसूची और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने

वाले विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमो का संशोधन करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो और तत्पश्चात् अनुसूची तथा संगत परिनियम, अध्यादेश और विनियम तदनुसार संशोधित हो जायेंगे।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगी, अर्थात् :–

(क) उक्त अधिसूचना से प्रभावित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणो में विभिन्न हितो अथवा वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित उपबन्ध ;

(ख) तत्समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक बने रहने अथवा किसी नए स्थापित विश्वविद्यालयमें पंजीकृत कराने के विकल्प का प्रयोग करने के लिये उपबन्ध इस शर्त पर कि कोई व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का पंजीकृत स्नातक नहीं होगा ;

(ग) ऐसे अन्य अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

6. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, लिंग या मत के हो, किन्तु इस धारा की कोई बात, किसी विशेष पृष्ठभूमि के व्यक्ति, व्यक्तियों, जाति या वर्ग के लिए, जिसे विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है, भेदभाव को रोकने के लिए, विश्वविद्यालय या सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नही रोक सकेगी :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के

छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों, जैसा सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाये, के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना प्रतिबन्धित है।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

7. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्त्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे और परामर्श सेवा सहित अनुसंधान, विस्तार कार्यों मे ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना :

परन्तु यह कि अनुसंधान और विस्तार कार्य के क्षेत्रों को ऐसी रीति से प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे उच्च शिक्षा/ज्ञान के क्षेत्रों में शिक्षा प्रथम होने के कारण शिक्षण के कृत्यों का अतिक्रमण न हो ;

(ख) शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार कार्यों का पुनर्योजन और अन्य विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं के साथ परामर्श एवं सहयोग और उद्यमिता विस्तार ऐसी रीति से जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, जिससे शैक्षणिक अभिवर्धन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की गति तीव्र करने और नई सामाजिक माँगों के साथ चलने के लिए अन्तर/बहुविषयी केन्द्रों/विभागों की स्थापना को सम्मिलित किया जा सके ;

(ग) शिक्षा की सम्भावनाओं के विस्तार हेतु राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और अन्य संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय को सम्बद्ध करना तथा उनसे सहयुक्त रहना ;

(घ) छात्रों को रोजगार बाजार मे प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धी बनाने, उनमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, सुविज्ञ नागरिकों के रूप मे सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सुसज्जित करने के उद्देश्य से उनके नैतिक चरित्र एवं क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करना ;

(ङ) पीठ, उपाधियों, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना ;

(च) किसी महाविद्यालय या विभिन्न नामों वाले स्ववित्त पोषित संस्थाओं को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से ही यथास्थिति, सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों मे वृद्धि या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित संस्थाओं का मार्ग–दर्शन करना तथा उनके कार्य का नियंत्रण करना ;

(छ) ऐसे व्यक्तियों के लिए (किसी लिंग, जाति, मत या अन्यथा विकलांगता के भेदभाव के बिना) परीक्षाएं आयोजित करना, जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों मे निर्धारित शर्तों के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर, संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो या विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त किसी संस्था या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो या जिसे किसी क्षेत्र मे उत्कृष्टता प्राप्त हो, को उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टतियाँ प्रदान करना ;

(ज) परिनियमों मे अधिलिखित रीति और शर्तों के अधीन सम्मानित उपाधियाँ अथवा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताऐं प्रदान करना ;

(झ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और प्राधिकरणो से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे ;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित ऐसे शैक्षणिक और अन्य पदो को राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् संस्थित करना, जिन्हे विश्वविद्यालय उचित समझे और राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ऐसे सृजित पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(ट) महाविद्यालयों और स्वशित्त घोषित संस्थाओं की सम्बद्धता तथा मान्यता सम्बन्धी शर्तें निर्धारित करना और समय–समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही है ;

(ठ) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(ड) ऐसी फीस और अन्य प्रभार माँगना और प्राप्त करना, जो समय–समय पर विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाये ;

(ढ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित ऐसे समस्त कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो।

अध्याय–3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) वित्त अधिकारी,

(घ) कुलसचिव,

(ङ) परीक्षा नियंत्रक,

(च) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

9. (1) उत्तराखण्ड के महामहिम राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वविद्यालय के प्रधान व सभा के सभापति होंगे और जब वह उपस्थित हो, तो सभा के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे।

(2) मानद उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्याधीन होगी।

(3) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य से सम्बन्धित किसी जानकारी या अभिलेख, कुलाधिपति द्वारा माँगे जाने पर कुलपति द्वारा उन्हे प्रस्तुत किये जायेंगे।

(4) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियाँ होगी, जो उन्हे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त की गई हो।

कुलपति

10. (1) कुलाधिपति द्वारा, उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा प्रस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल मे से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों, पर जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी :

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा वह तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति,

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति,

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, जो समिति का सदस्य संयोजक होगा।

(3) समिति गुणावगुण के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त हो। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टयों का संक्षिप्त विवरण भेजेगी, किन्तु उनमे कोई अधिमान कम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षक और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) जहाँ शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न कोई मामला ऐसी आवश्यक प्रकृति का हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(6) कुलपति की उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु यह है कि कुलपति की उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(7) यदि कुलपति अनुपस्थित रहने, अस्वस्थता या अन्य कारणों से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहाँ उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्राध्यापक/जिसे कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाय, तब तक कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि कुलपति अपना पदभार पुनः ग्रहण न कर ले अथवा यदि कुलपति का पद रिक्त हो तो जब तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति न हो जाय।

(8) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान–बूझकर इस अधिनियम/अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या स्वयं में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति के पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के

लिए अहितकर है तो कुलाधिपति ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, अपने आदेश द्वारा कुलपति को निलम्बित कर सकता है अथवा हटा सकता है।

(9) आपात स्थिति से निपटने के लिए कुलाधिपति को, निम्नलिखित परिस्थितियों में, राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः माह से अनधिक की अवधि के लिए कुलपति नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(क) जहाँ कुलपति का पद अवकाश लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना संभाव्य हो तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा राज्य सरकार को तुरन्त दी जायेगी ;

(ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो।

(10) कुलपति किसी पेंशन, बीमे या भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा।

(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक राज्य सरकार कुलपति के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से किसी व्यक्ति को कुलपति नियुक्त कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।

(12) निधियों के दुर्विनियोजन या कुप्रबन्ध या ऐसे दुर्व्यवहार या कदाचार के आरोपों के आधार पर, जो इस उच्च पद के लिए अशोभनीय है, लिखित रूप में कारण बताते हुए, दो माह के अन्दर पूर्ण की जाने वाली समयबद्ध जाँच के पश्चात् कुलपति को, कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की संस्तुति पर उसके पद से हटाने की शक्ति होगी।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच के अनुध्यान रखते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रेत्तर आदेश न दिया जाय :—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था ;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की सेवा शर्तें

11. कोई व्यक्ति कुलपति नियुक्त किये जाने पर, सरकार के आदेशों के अनुसार नियुक्ति आदेश की प्राप्त की तिथि से एक माह से अनधिक अवधि के भीतर पद ग्रहण करेगा।

कुलपति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

12. कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और :—

(क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित परिसर, संघटक महाविद्यालय, संस्थान और उसके सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय, तथा स्ववित्त पोषित संस्थान भी है, के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, सभा (कोर्ट) के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और समुचित समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह

सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायें और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

(2) वह कार्यपरिषद्, शैक्षिक परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु वह इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें।

(5) कुलपति को कार्यपरिषद्, सभा, शैक्षिक परिषद् तथा वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(6) जहाँ कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न तत्काल् कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त, विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति, ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह राज्य सरकार तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा, जो साधारण क्रम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हो :

परन्तु यह कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी तथा अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा, जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगी या उसे निष्प्रभावी कर सकेगी अथवा उसे ऐसी रीति से उपांतरित करेगी, जैसा ठीक समझे और तदोपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावित होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस दिनांक से, जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से अभिसूचित किया जाये, तीन माह के भीतर राज्य सरकार को अपील करने का अधिकार होगा और तदोपरान्त कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी और इस विषय में इस प्रकार लिया गया विनिश्चय, सामान्यतः प्रत्यावेदन की प्राप्ति / स्वीकृति की तिथि के छह माह के अन्दर सम्बन्धित पक्षों को अभिसूचित किया जायेगा।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय–व्ययक में न की

गयी हो, किन्तु असाधारण मामलों में, असाधारण अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह विहित दरों से अधिक देय की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा। ऐसे सभी मामले यथाशीघ्र राज्य सरकार के संज्ञान में लाये जायेंगे।

(8) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके किसी कृत्यकारी की नियुक्ति की गयी हो तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

वित्त अधिकारी

13. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी, कार्य परिषद् के समक्ष बजट (आय–व्ययक) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :–

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा निवेश से भिन्न कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय ;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों के किन्हीं निर्बन्धनों का उल्लंघन करता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निवेश का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(5) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा औरउन पर हस्ताक्षर करेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो समय–समय पर विहित किये जाएं।

कुलसचिव

14. (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी :

परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है और पद रिक्त रहता है तो राज्य सरकार प्रति नियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगी।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुहर की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा तथा वह कार्य परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो विहित किये जायं या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) कुलसचिव विश्वविद्यालय के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा तथा उनके स्थानान्तरण और तैनाती के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) उन मामलों के सिवाय, जहाँ कार्य परिषद् द्वारा अन्यथा निर्देश दिया जाये, कुलसचिव परीक्षाओं से सम्बन्धित गोपनीय कार्य और गोपनीयता बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सम्बद्धता और संस्थागत कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) कुलसचिव, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के निरीक्षणों के संचालन और साधारण तथा समग्र पर्यवेक्षण के लिए जैसा विहित किया जाये, उत्तरदायी होगा।

(9) कुलसचिव को वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित कार्यालय प्रधान की समस्त शक्तियाँ होगी, तथापि राज्य सरकार कुलपति की संस्तुति से स्वीकृति की सीमा में वृद्धि कर सकती है।

(10) कुलसचिव को विनियमों में यथा–उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

कुलसचिवों, उप कुलसचिवों और सहायक कुलसचिवों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण

15. राज्य सरकार, कुलसचिवों, उप कुलसचिवों और सहायक कुलसचिवों की एक ऐसी पृथक् सेवा के सृजन का उपबंध करेगी, जो समस्त विश्वविद्यालयों के लिये समान होगी तथा किसी ऐसी सेवा में भत्तों को तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करेगी।

परीक्षा नियंत्रक

16. (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जो एसोसिएट प्रोफेसर से निम्न स्तर का न हो।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक, कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष, ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो, वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो विनियम द्वारा विहित किये जायें या कार्यपरिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह किसी महाविद्यालय से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो य

(4) कुलपति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन परीक्षा कार्य से सम्बद्ध कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक, परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(7) यदि परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये।

अन्य अधिकारियों की शक्तियों के निबन्धन और शर्तें रिक्तियां, कर्तव्य और सेवा

17. इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुल सचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबंन्धन और शर्तें तथा शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाय अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

विश्वविद्यालय के अधिकारीगण कार्यपरिषद् के सदस्य

18. धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) में उल्लिखित कार्य परिषद् के सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

19. कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा कार्य परिषद् के सदस्यों से भिन्न विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो इस अधिनियम में और/या परिनियमों और अध्यादेशों में उपबंधित हो।

संकायाध्यक्ष

10. (1) संकायाध्यक्ष अवैतनिक प्राधिकारी होंगे, जिन्हें संकाय के आचार्यों में से वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम में, नियुक्त किया जायेगा और वे तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे ;

परन्तु यह कि चिकित्सा, अभियान्त्रिकी, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय (स्वमित्त पोषित संस्थाओं सहित) के मामले में, ऐसे महाविद्यालय का प्रधानाचार्य चिकित्सा, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या ललित संकाय, यथास्थिति, का पदेन संकायाध्यक्ष होगा ;

परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक ऐसे महाविद्यालय हों, वहाँ प्रत्येक संकाय की अध्यक्षता चक्रानुक्रम में ऐसे महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मध्य होगी ;

परन्तु यह भी कि यदि किसी संकाय में कोई प्राचार्य न हो तो उपाचार्य द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण किया जायेगा और यदि कोई उपाचार्य न हों तो संकायाध्यक्ष का पद चक्रानुक्रम में, वरिष्ठता के आधार पर, संकाय के प्रवक्ताओं द्वारा धारण किया जायेगा।

(2) संकायाध्यक्ष संकाय परिषद् का अध्यक्ष होगा, जिसकी (सदस्यों के कार्यकाल सहित), शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जाएं।

(3) संकायाध्यक्ष निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे :–

(क) संकाय के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना,

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का समन्वायक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना एवं

(ग) संकायाध्यक्ष की अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

अध्याय–4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(क) सभा (कोर्ट) ;

(ख) कार्य परिषद् ;

(ग) शैक्षिक परिषद् ;

(घ) वित्त परिषद् ;

(ङ) परीक्षा परिषद

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किये जाएं।

(छ) अध्ययन परिषद, शोध विकास परिषद तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए।

सभा (कोर्ट)

22. (1) सभा, विश्वविद्यालय की एक परामर्शी निकाय होगी और उसे विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने की, वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने और संकल्प पारित करने की तथा कुलपति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट मामलों पर सलाह देने की शक्ति होगी।

(2) सभा निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात

वर्ग 1—पदेन सदस्य

(क) कुलाधिपति, जो कि सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अथवा कुलपति को इसके लिए अधिकृत करेंगे ;

(ख) कुलपति, जो कुलाधिपति द्वारा अधिकृत किये जाने पर अध्यक्षता करेगा ;

(ग) कार्य परिषद के ऐसे शेष सदस्य, जो अन्यथा सभा के सदस्य नहीं हैं ;

(घ) कुलसचिव ;

(ङ) वित्त अधिकारी ;

(च) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(छ) समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य ;

(ज) उपलब्ध प्रतिष्ठित वृत्तियों उद्योग, वाणिज्य और कृषि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति—वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले

दस से अनाधिक व्यक्ति, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाना है ;

परन्तु यह कि नामांकन करते समय विभिन्न हितों, वृत्तियों और योग्यता को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

वर्ग 2—शिक्षकों आदि के प्रतिनिधि,

(क) संघटक महाविद्यालय/स्वायत्त महाविद्यालयों तथा संस्थानों के अध्यापन विभागों के विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में ;

(ख) चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग संकायों के अध्यक्ष, यदि वे कार्यकारी परिषद् के सदस्य न हों ;

(ग) विश्वविद्यालय परिसर तथा संघटक महाविद्यालयों तथा संस्थानों के छात्रावासों के वार्डनों के दो प्रतिनिधि, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चक्रीय क्रम से चुने जायेंगे ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य ;

(ङ) निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चुने गये पन्द्रह शिक्षक ;

(च) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थानों के प्रबन्धन से सम्बन्धित दो प्रतिनिधि, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चक्रीय क्रम से चुने जायेंगे ;

वर्ग 3—पंजीकृत स्नातक

पंजीकृत स्नातकों में से चुने गये पन्द्रह ऐसे प्रतिनिधि, जो पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्धारित योग्यता से युक्त हों, तथा जो विश्वविद्यालय, या किसी संस्था अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हों अथवा सहयुक्त सम्बद्ध महाविद्यालय, स्ववित्त पोषित संस्थान अथवा छात्रावास प्रबन्धन से सम्बन्धित न हों ;

वर्ग 4—छात्रों का प्रतिनिधित्व

प्रत्येक विभाग का एक छात्र/छात्रा, जिसने किसी विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती डिग्री परीक्षा में अपने विभाग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हों तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा में अथवा विधि, शिक्षा, चिकित्सा या इंजीनियरिंग का छात्र हो, (सम्बद्ध, सहयुक्त महाविद्यालय तथा स्वायत्त पोषित संस्थानों सहित) ; और

वर्ग 5—राज्य विधान सभा के प्रतिनिधि

विधान सभा द्वारा चुने गये विधान सभा के दो सदस्य ;

वर्ग 6—राज्य में उद्योगों के प्रतिनिधित्व

राज्य सरकार द्वारा नामांकित उद्योगों के चार प्रतिनिधि ;

वर्ग 7—कृत्यकारियों आदि के प्रतिनिधि

(एक) परीक्षा नियंत्रक ;

(दो) उपधारा (1) में वर्णित सिवाय वर्ग (1) तथा वर्ग (3) के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी तथा वर्ग (1) तथा (4) के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

सभा (कोर्ट) की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

23. सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे ; अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के लिए उपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी सम्परीक्षा पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) राज्य सरकार को ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में सलाह देना, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किए जाएं ;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

सभा का अधिवेशन 23. (1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा, जो कुलाधिपति की सुविधा के अनुसार कुलपति द्वारा नियत की जानी है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(2) कुलपति जब उचित समझे तब तथा सभा के कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई सदस्यों की लिखित व हस्ताक्षरित मांग पर, सभा की विशेष बैठक बुलायी जा सकेगी।

कार्य परिषद् का गठन 25. (1) कार्य परिषद् मे निम्नलिखित सदस्य होंगे ; अर्थात् :–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य, जो अपर सचिव स्तर से अनिम्न न हो ;

(ग) संकायाध्यक्ष, विहित विधि से चक्रानुक्रम में ;

(घ) उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और विश्वविद्यालय सम्बद्ध/स्वायत्त/संस्थानों का एक प्रवक्ता, जिन्हें विहित रीति से चयन किया हो ;

(ङ) तीन प्राचार्य (एक स्वः वित्त पोषित संस्थाओं से) और सम्बद्ध महाविद्यालयों से दो अध्यापक, जिन्हें विहित रीति से चयन किया जाये ;

(च) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति :

परन्तु उक्त चारों में से एक उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा।

(छ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निगमित क्षेत्र से एक व्यक्ति, जिसने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो ;

(ड) कोर्ट (विश्वविद्यालय की सभा) द्वारा निर्वाचित चार व्यक्ति।

(2) (एक) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ) तथा खण्ड (ड) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा ;

(दो) उपधारा (1) के खण्ड (च), (छ), (ज) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा ;

(तीन) उपधारा (1) के खण्ड (झ) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (च), (छ) तथा (ज) के अधीन कोई भी सदस्य निरन्तर दो कार्यकालों से अधिक के लिए कार्य परिषद् का सदस्य नहीं हो सकेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने और उसका सदस्य होने के लिए अनर्ह हो जाएगा, यदि वह या उसका कोई सम्बन्धी विश्वविद्यालय और इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालय एवं संस्थान अथवा स्ववित्त पोषित संस्थान में या इनके किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है अथवा विश्वविद्यालय तथा इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थानों, स्ववित्त पोषित संस्थानों अथवा सहायतित के लिए या इनके किसी कार्य के निष्पादन हेतु सामग्री की आपूर्ति हेतु कोई संविदा करता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अन्तर्गत 'सम्बन्धी' से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–6 में परिभाषित 'सम्बन्धी' अभिप्रेत है, जिसमें पत्नी या पति का भाई, पत्नी या पति का पिता, पत्नी या पति की बहन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री भी सम्मिलित है।

कार्य परिषद् की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

26. (1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन रहते हुये उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी ; अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना एवं उन पर नियंत्रण रखना ;

(ख) राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की ओर से कोई चल या अचल सम्पत्ति अर्जन करना या अन्तरित करना ;

(ग) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित अथवा निरसित करना ;

(घ) विशिष्ट परियोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार मे रखी किसी निधि का प्रशासन करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के आय–व्ययक पर विचार करना और संशोधन सहित या बिना संशोधन के उसका अनुमोदन करना ;

(च) शिक्षा परिषद् के विनिश्चयों का संशोधन या बिना संशोधनों के कार्यान्वयन करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियो/शिक्षकों और कर्मचारियो के कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु अस्थायी, आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी करना ;

(ज) विभिन्न निकायो के बाह्य सदस्यों और चयन समितियों के विशेषज्ञो के लिए परिलब्धियाँ और भैत्तक प्रभार नियत करना ;

(झ) सम्बद्ध महाविद्यालयो, स्ववित्त पोषित संस्थाओ, सहयुक्त अथवा संघटक महाविद्यालयों और छात्रो के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था करना और निर्देश देना ;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के स्वरूप और उपयोग करने सम्बन्धी निर्देश देना ;

(ट) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन एवं कार्यान्वयन करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेशों, सम्पत्ति कारोबार और समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों के प्रबन्धन और विनियमन के सिद्धान्त निर्धारित करना और इस प्रयोजन हेतु ऐसे अभिकर्ताओं (एजेन्टों) की नियुक्ति करना, जैसा वह उचित समझे ;

(ड) वित्त समिति या वित्त अधिकारी या वित्त परामर्शी के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय की नकदी को ऐसे स्टाक, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में निवेश करना या जिन स्थानों में विश्वविद्यालय स्थित हैं, वहां राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन अचल सम्पत्ति का क्रय करना, जैसा वह समय–समय पर उचित समझे ;

(ढ) विश्वविद्यालय के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण तथा अन्य साधन उपलब्ध कराना, जो उसके कार्य संचालन के लिए आवश्यक हों ;

(ण) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उनका कार्यान्वयन तथा निरसन करना, जैसा कि विहित किया जाए ;

(त) शिक्षकों के पदों पर धारणाधिकार दिए जाने हेतु उनके द्वारा मांगे गये असाधारण अवकाश पर विचार और स्वीकृत करना ;

(थ) मानद उपाधि संस्थित करने के प्रस्तावों को अनुमोदित करना ;

(द) परिनियम व अध्यादेशों के अनुसार

छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति विशेष, पदक या अन्य पुरस्कार संस्थित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय एवं उसके संस्थान, संघटक महाविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, संयुक्त महाविद्यालय, स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्त संस्थानों का, इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार, विनियमन और अन्य मामलों का निर्धारण करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति को (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम के मासानुमास किराये पर देने के) बंधक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा किसी रूप में हस्तान्तरण नहीं करेगी, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में। राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से कार्य परिषद् उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम नहीं लेगी।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी भी संस्थान अथवा संघटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि कार्य परिषद् कुलपति की संस्तुति से, विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित विभागों तथा उद्यमों में शिक्षकों के अन्य पदों को सृजित कर सकेगी तथा ऐसे पदों पर नियुक्ति प्रदान करने या जिन पदों की संविदा व सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत होगी :

परन्तु यह कि कार्य परिषद् द्वारा इस विषय में लिए गये किसी निर्णय की सूचना तत्काल राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी, जिसे ऐसा आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार यह समझे कि ऐसे निर्णय से वित्तीय व अन्य शर्तें उस पर अधिरोपित हो सकती हैं, जिनको वह स्वीकार करने में सहमत नहीं है।

(4) कार्य परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय में निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक के पदों का इस दृष्टि से सृजन कर सकती है, जिससे ऐसे शिक्षक को, जो तत्समय देश अथवा विदेश में किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक दायित्व के पद पर आसीन हो, अधिकतम 5 वर्ष हेतु मूल पद पर धारणाधिकार एवं वरिष्ठता बनी रहे एवं वह अन्यत्र नियुक्ति की अवधि में अपने वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त कर सके किन्तु ऐसी अवधि को अंशदायी भविष्यनिधि लिये गये संस्थान द्वारा उसके पैत्रिक विभाग को प्रदान की जायेगी ताकि वह सेवानिवृत्ति लाभ परिनियमों अनुसार, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके :

परन्तु यह कि ऐसी नियुक्ति की अवधि में ऐसे शिक्षक को मूल विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

(5) विश्वविद्यालय या किसी संस्था या सहयुक्त, संघटक अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा स्ववित्त पोषित संस्थान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन वही होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय :

परन्तु यह कि स्ववित्त पोषित संस्थान, यदि चाहे तो विहित वेतन से अधिक वेतन और भत्तों का संदाय कर सकते हैं।

(6) कार्य परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्तक अथवा अनावर्तक व्यय की सीमा से अधिक व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(7) शैक्षिक परिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य शिक्षकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी। निर्णयों का क्रियान्वयन राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा।

(8) कार्य परिषद् सभा (कोर्ट) के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह ठीक समझे और सभा (कोर्ट) को यथास्थिति की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की जानकारी देगी।

(9) कार्य परिषद् परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय के किसी कृत्यकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

बैठकों की बारम्बारता, सूचना अवधि तथा गणपूर्ति

27. (1) सामान्यतया कार्य परिषद् की बैठक न्यूनतम प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी तथा कुलसचिव द्वारा प्रत्येक बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व बैठक की सूचना एजेंडा व संलग्नकों सहित दी जायेगी, जब तक अन्यथा प्राविधानित न हो :

परन्तु यह कि यदि कुलपति के विचार से कोई अतिमहत्वपूर्ण विषय, विचार के लिए उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण कार्य परिषद् की आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो तो वह केवल तीन दिन की अल्प सूचना पर बैठक बुला सकता है। यह व्यवस्था कतिपय मामलों में अपनायी जायेगी एवं बैठक की सूचना के साथ ही सदस्यों में आपात स्थिति के कारण एवं सूचना के साथ एजेंडा वितरित कर दिया जायेगा।

(2) गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की कम से कम आधी संख्या आवश्यक होगी तथा उस स्थिति में बैठक तथा उसमें लिये गये निर्णय अविधिमान्य न होंगे।

शैक्षिक परिषद्

28. (1) शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा निकाय होगी तथा अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए :–

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य, जिसमें परामर्श सलाह तथा उद्यमिता विकास अध्ययन आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार के नियंत्रण तथा विनियमन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ख) शिक्षा सम्बन्धी सभी विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी ; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) शैक्षिक परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे य अर्थात् :–

(एक) कुलपति, जो अध्यक्ष तथा संयोजक होगा ;

(दो) सभी संकायों के अध्यक्ष, यदि कोई हो ;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों या स्ववित्त पोषित संस्थान से ज्येष्ठतम शिक्षक ;

(चार) महाविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य, जो विभागाध्यक्ष न हो ;

(पाँच) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्रचार्य, जो विहित रीति से चक्रानुक्रम से चुने जायेंगे ;

(छः) विहित रीति से चुने गये दस शिक्षक ;

(सात) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(आठ) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात तीन व्यक्ति, जो विहित रीति से सहयोजित किये जायेंगे ;

(नौ) पदेन परीक्षा नियंत्रक।

(3) पदेन सदस्यों के भिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी, जो विहित की जाय।

(4) शैक्षिक परिषद् की बैठक प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम एक बार होगी।

(5) शैक्षिक परिषद् के अन्य कृत्य ऐसे होंगे, जैसा विहित किया जाय।

वित्त समिति

29. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे ; अर्थात् :–

(क) कुलपति ;

(ख) राज्य सरकार में उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर सचिव स्तर से अनिम्न न हो ;

(ग) राज्य सरकार में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर सचिव से न्यून पद का न हो ;

(घ) कुलसचिव ;

(ङ) कार्य परिषद् का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्य परिषद् द्वारा मनोनीत एक ऐसा व्यक्ति, जिसे वित्तीय मामलों का गहन अनुभव हो। निर्वाचित किया जाने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, स्ववित्त पोषित संस्थान या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो ;

(च) राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो वित्तीय एवं या शैक्षणिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो ;

(छ) परीक्षा नियंत्रक ;

(ज) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) वित्त समिति, कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। यह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार ऐसी नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार ऐसी नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी :

परन्तु यह कि इस उप धारा के प्राविधान धारा 12 की उप धारा (7) के अधीन कुलपति को प्राप्त शक्तियों पर लागू नहीं होंगे एवं किये गये अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति, बजट की अन्य मद में बचत कर, की जायेगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जायें।

(4) जब तक वित्तीय प्रभाव वाले उस प्रस्ताव को, वित्त समिति द्वारा संस्तुत न कर दिया जाये, कार्य परिषद् उस पर निर्णय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो, उस प्रस्ताव को असहमति के कारण सहित वित्त समिति को वापस लौटाएगी एवं यदि कार्य परिषद्, पुनः वित्त समिति की संस्तुति से असहमत हो तो प्रकरण निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा समिति

30. (1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो परिनियमों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जायेगी।

(2) समिति, साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा

साधारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी ; अर्थात् :–

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना ;

(ख) विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके बारे में शिक्षा परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ग) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए शैक्षिक परिषद् को संस्तुतियॉं करना ;

(घ) अध्ययन परिषदों द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, और उन्हें अन्तिम रूप प्रदान करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप–समितियॉं नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उप–समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या यथास्थिति उप समिति या किसी व्यक्ति को, जिसे उप धारा (3) के अधीन इस निमित्त परीक्षा समिति ने अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की आगे की परीक्षाओं से वर्जित करने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग करने का दोषी है।

अन्य प्राधिकारी

31. विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों का गठन उनी शक्तियॉं तथा कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जाएं।

अध्याय—5
निरीक्षण और जाँच

निरीक्षण/भ्रमण

32. (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह निर्देश दे, किसी महाविद्यालय तथा स्व वित्त पोषित संस्थान, जिसमें उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाए, कारखशालाए और उपस्कर भी सम्मिलित हैं ; में परीक्षाओं, अध्यापन तथा अन्य कार्य का निरीक्षण कराने अथवा इसी प्रकार विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों, संस्थानों या स्ववित्त पोषित संस्थानों के प्रशासन या वित्त सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उप धारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जाँच कराने का विनिश्चय करे, तो वह, उसकी सूचना महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को देगी और प्रबन्ध तंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्ध तंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्ध तंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा, किन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय महाविद्यालय/संस्थान की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न वकालत करेगा।

(3) उप धारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनार्थ, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा—345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को ऐसे निरीक्षण या जाँच का परिणाम सूचित कर सकेगी और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध मे निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगी।

(5) राज्य सरकार उप धारा (4) के अधीन प्रबन्ध तंत्र को दी गयी सूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्य परिषद् को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह से सूचित करेगा।

(6) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के अन्दर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उस कार्य परिषद् द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के अन्दर राज्य सरकार के समाधान के रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार ऐसे किसी के पश्चात् ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से बाध्य होंगे।

अध्याय–6

सम्बद्धता

सम्बद्धता

33. (1) कार्य परिषद्, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, सम्बद्धता की ऐसी शर्तों, जो विहित की जाय, पूरा करने वाले महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से हो सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ा सकेगी या उसे वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

(2) किसी महाविद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र मे स्थित किसी अन्य विद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।

(3) इस अधिनियम द्वारा, यथा उपबन्धित के सिवाय किसी महाविद्यालय का प्रबन्ध तंत्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा स्व-स्थाय के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारीवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टें, विवरणियाँ तथा अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा, जिन्हें कार्य परिषद् या कुलपति माँगे।

(5) कार्य परिषद् प्रत्येक महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पाँच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जायेगी।

(6) कार्य परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाय ऐसी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(7) कार्य परिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद् के किसी निर्देश का अनुपालन करने में या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से विनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या न्यून किया जा सकेगा।

(8) उप धारा (2) और (7) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी महाविद्यालय का प्रबन्ध तंत्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो राज्य सरकार, प्रबन्ध तंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

अध्याय–7

परिनियम, अधिनियम और विनियम

प्रबन्ध तंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता

34. कोई भी व्यक्ति, केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न किसी महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार ऐसे महाविद्यालय में या उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक या ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है।

परिनियम

35. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए परिनियमों में व्यवस्था की जा सकेगी ; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों की संरचना, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे प्राधिकारियों की सदस्यता के लिए अर्हताएँ और निरर्हताए और ऐसे प्राधिकारियों अन्य निकायों की सदस्यता के लिए अर्हतायें और निरर्हतायें उसके सदस्यों की नियुक्ति आर पद से हटाया जाना तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामले ;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्त, शक्तियाँ और कर्तव्य ;

(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की निबन्धन और शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य ;

(घ) ऐसे निबन्धन और शर्तें, जिनके अधीन संस्थाएँ विश्वविद्यालय से सहयोजित की जा सकेगी ;

(ङ) विश्वविद्यालय का प्रशासन, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और उनका उत्सादन, महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना और उसका प्रत्याहरण, संस्थाओं को अध्येतावृत्तियाँ और पुरस्कार प्रदान करना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य, उपाधियाँ और अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना तथा प्रमाण–पत्र और डिप्लोमा प्रदान करना ;

(च) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया ;

(छ) विश्वविद्यालय के कोई अन्य विषय, जो कि विश्वविद्यालय के समुचित और प्रभावी प्रबन्धन तथा कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।

(2) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा बनाए जायेंगे।

(3) कार्य परिषद् समय–समय पर इस धारा के परन्तुक में विहित रीति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमो में या संशोधन या उनका निरसन कर सकेगी :

परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी या उसमें कार्य परिषद् द्वारा उस पर कोई संशोधन नही करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय लिखित रूप में होगी और कार्य परिषद् द्वारा उस पर विचार किया जायेग :

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् छात्रो के अनुशासन और अनुदेश शिक्षा के मानको तथा परीक्षा पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम शैक्षिक परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ही बनायेगी अन्यथा नहीं।

(4) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमे अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद् के विचारार्थ परिनियम में संशोधन या अनुमति लौटा सकेगा।

(5) किसी नये परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन की तब तक कोई वैधता नहीं होगी, जब तक कि कुलाधिपति उस पर अनुमोदन न दे दे।

(6) पूर्वगामी उप धाराओं में किसी अन्य बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हित में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह/संस्तुतियों के आधार पर, कुलाधिपति के अनुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या पहले से प्रवृत्त परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगी।

अध्यादेश

36. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन निम्न सभी या किसी मामले में प्रथम अध्यादेश द्वारा उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) छात्रों के प्रवेश, शोध छात्रों के प्रवेश, अध्ययन, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टियों से सम्बन्धित अर्हतायें, अध्येतावृत्तियों, पुरस्कार इत्यादि दिये जाने के लिए शर्तें ;

(ख) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति सहित और छात्रों के निवास की शर्तें तथा उनका सामान्य अनुशासन ;

(ग) महाविद्यालयों का प्रबन्धन और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उनके द्वारा पोषित संस्थाओं का परिरक्षण ;

(घ) अन्य कोई मामले, जो कि इस अधिनियम या परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हैं या अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जा सकेंगे।

(2) प्रथम अध्यादेश सरकार की पूर्व अनुमति से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अधिनियम कार्य परिषद् द्वारा किसी समय परिनियमों में विहित रीति से संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

विनियम

37. विश्वविद्यालय अपने और उसके द्वारा समितियों के कारबार के संचालन के लिए इस अधिनियम, परिनियमों एवं अधिनियमों से संगत अंशों, जिनके लिए इस विधेयक, परिनियमों या अधिनियमों में, जो उपबन्धित नहीं किया गया है, परिनियमों में विहित रीति से विनियम बना सकेगा।

अध्याय–8
वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

38. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनॉक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा, जो विहित किया जाय।

लेखा और लेखा–परीक्षा

39. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी लेखा–परीक्षा की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिभार

40. (1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे, तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निर्देश दे सकेगी।

(2) विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या आचरण के कारण उप धारा (1) में निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करें।

(3) राज्य सरकार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उप धारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकेगी।

(4) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय, तो अधिभार भू–राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाय, वसूल किया जायेगा।

अध्याय–9
विविध

प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों को नियुक्ति करने की रीति

41. (1) इस अधिनियम या विनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, अधिकारियों और प्राधिकारियों और प्राधिकारियों में से सदस्य यथा सम्भव निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।

(2) यदि इस अधिनियम या विनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता या अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई प्राविधान किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठतार और अन्य अर्हताएँ अवधारित करने की रीति वही होगी, जो विहित की जाय।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

42. (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य, उस शेष अवधि के लिए होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी, तब तक ऐसा प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा, जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

43. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :–

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी ; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था ; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी ; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी, जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

44. कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से, इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो या इस आधार पर की वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है कि जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र वापस ले सकेगी।

कुलाधिपति को सन्दर्भ

45. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत विनियम की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

वाद का वर्जन

46. राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरूद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसारण में किये गये या किये जाने के तात्पर्य या आशय से किसी कार्य के लिए न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को सिद्ध करने की रीति

47. (1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख की अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक की न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

अपील करने का अधिकार

48. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी विनिश्चय के विरूद्ध विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात् कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकती है, उसमें संवर्धन कर सकती है अथवा उसको बदल सकती है।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

49. (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि में, जो आदेश रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लाभ के रूप में हो जिन्हे वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नही की जायेगी कि उपधारा (1) मे निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नही थी या उसको दूर करना अपेक्षित नही था।

विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

उत्तराखण्ड राज्य में प्रस्तावित विधेयक पं0 दीनदयाल उपाध्याय, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को अधिनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार के विषय में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधेयक के खण्ड 2 में परिभाषा उल्लिखित किया जाना प्रस्तावित है।
3. खण्ड 3 में विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
4. खण्ड 4 में शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
5. खण्ड 5 में राज्य सरकार की अधिसूचना जारी करने की शक्ति हेतु उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
6. खण्ड 6 में विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
7. खण्ड 7 में विश्वविद्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों हेतु उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
8. खण्ड 8 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के लिए उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
9. खण्ड 9 में विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
10. खण्ड 10 में कुलपति के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
11. खण्ड 11 में कुलपति की सेवा–शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
12. खण्ड 12 में कुलाधिपति की शक्तियों और कर्तव्य के सम्बन्ध उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
13. खण्ड 13 में वित्त अधिकारी के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
14. खण्ड 14 में कुलसचिव के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
15. खण्ड 15 में कुलसचिवों, उप कुलसचिवों और सहायक कुलसचिवों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

16. खण्ड 16 में परीक्षा नियंत्रक के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
17. खण्ड 17 में अन्य अधिकारियों की शक्तियों के निबन्धन और शर्तें, रिक्तियॉं, कर्तव्य और सेवा के लिए उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
18. खण्ड 18 मे विश्वविद्यालय के अधिकारीगण और सदस्य के सम्बन्ध मे उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
19. खण्ड 19 में विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
20. खण्ड 20 में संकायाध्यक्ष के लिए उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
21. खण्ड 21 में विश्वविद्यालय के प्राधीकारी के सम्बन्ध मे उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
22. खण्ड 22 में सभा (कोर्ट) के सम्बन्ध मे उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
23. खण्ड 23 में सभा (कोर्ट) की शक्तियॉं तथा कर्तव्य उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
24. खण्ड 24 में सभा (कोर्ट) का अधिवेशन उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
25. खण्ड 25 में कार्य परिषद् के गठन के लिए उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
26. खण्ड 26 मे कार्य परिषद् की शक्तियां एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
27. खण्ड 27 में बैठको की बारम्बारता, सूचना अवधि तथा गणपूर्ति करने की शक्ति के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
28. खण्ड 28 में शैक्षिक परिषद् के लिए उपबन्ध किये जान प्रस्तावित हैं।
29. खण्ड 29 में वित्त समिति के सम्बन्ध मे उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
30. खण्ड 30 में परीक्षा समिति के सम्बन्ध मे उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
31. खण्ड 31 में अन्य प्राधिकारी हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
32. खण्ड 32 मे निरीक्षण/भ्रमण के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
33. खण्ड 33 में सम्बद्धता के उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।
34. खण्ड 34 मे प्रबन्ध तत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
35. खण्ड 35 में परिनियम के सम्बन्ध मे उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
36. खण्ड 36 में अध्यादेश के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

37. खण्ड 37 में विनियम बनाने की शक्ति हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

38. खण्ड 38 में वार्षिक प्रतिवेदन हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

39. खण्ड 39 मे लेखा व लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

40. खण्ड 40 में अधिभार करने हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

41. खण्ड 41 मे प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति के सम्बन्ध मे उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

42. खण्ड 42 मे आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ति हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

43. खण्ड 43 मे रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होने के सम्बन्ध मे उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

44. खण्ड 44 मे विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना हेतु उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

45. खण्ड 45 में कुलाधिपति को सन्दर्भ के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाने प्रस्तावित हैं।

46. खण्ड 46 में वाद के वर्जन हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

47. खण्ड 47 में विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

48. खण्ड 48 में अपील करने का अधिकार के सम्बन्ध उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

49. खण्ड 49 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

मेजर जनरल (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी,
मुख्यमंत्री।

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

उत्तराखण्ड राज्य मे प्रस्तावित विधेयक पं0 दीनदयाल उपाध्याय, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को अधिनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रस्तावित विधेयक के निम्न खण्डो द्वारा विधायी शक्तियो का प्रत्यायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

(क) खण्ड 3 में विश्वविद्यालय की और निगमन के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है

(ख) खण्ड 4 में शक्तियो का प्रादेशिक क्षेत्र मे प्रयोग को प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है

(ग) विश्वविद्यालय को कतिपय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

(घ) खण्ड 5 मे राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

(ङ) खण्ड 7 मे विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य की शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

खण्ड 9 मे कुलाधिपति नियुक्त करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

(च) खण्ड 12 मे कुलपति को नियुक्त करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

(छ) खण्ड 15 मे कुलाधिपति की शक्तियों और कर्तव्यों की शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

(ज) खण्ड 23 मे सभा की शक्तियों तथा कर्तव्यों की शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

(झ) खण्ड 26 में कार्य परिषद् की शक्तियों एवं कर्तव्यो की शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

(ञ) खण्ड 37 में विनियम बनाने की प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

(ट) खण्ड 48 में अपील करने के अधिकार के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

(ठ) खण्ड 49 मे कठिनाइयो के निराकरण करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित है।

3. प्रस्तावित विधेयक द्वारा किया जा रहा प्रतिनिधायन विधायी शक्तियो का सामान्य प्रत्यायोजन है।

4. प्रस्तावित विधेयक द्वारा किसी प्रकार की विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है।

मेजर जनरल (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी,
मुख्यमंत्री।

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–49, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (यथा संशोधित) की धारा 5 की उपधारा 1 के प्रस्तर ख में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तीन सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (यथा संशोधित) की धारा–5 की उपधारा–1 के प्रस्तर–ख में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 03 माननीय विधान सभा सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत किया जाय तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री ओम गोपाल रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री विजय सिंह पवार, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री नारायण पाल तथा श्रीमती अमृता रावत की कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, नेता सदन तथा श्री अध्यक्ष ने सदन में उपस्थित सदस्यों व कर्मचारियों का आभार प्रकट किया

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज का दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन भी है और एक ऐसा दिन भी है। जब आँखें भी छलकती हैं, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी निर्वाचित विधान सभा का यह पाँच साल का जो कार्यकाल है, आज समाप्ति की ओर है और जन–गण–मन राष्ट्रगान के बाद अब यह सदन मार्च मे तीसरी निर्वाचित विधान सभा के साथ आहूत होगा और जैसाकि मैंने कहा यह कड़वी सच्चाई भी है कि बहुत सारे सदस्य, क्योंकि मुझे चौथी बार उत्तर प्रदेश या उत्तराखण्ड की विधान सभा में काम करने का अवसर मिला है, मैंने देखा है कि 91 में उस 425 की विधान सभा मे जो लोग हम चुनकर आये थे, जब वर्ष 1993 मे पुनः नई विधान सभा गठित हुई तो उन 425 चेहरों में से बहुत सारे चेहरे बदल गये थे और 1993 में जो चेहरे थे, वे 96 मे बदल गये थे, इसी तरह उत्तराखण्ड में वर्ष 2002 में हम जो लोग 70 लोक चुनकर आये थे, उन 70 लोगों मे से 2007 मे बहुत सारे नये लोग आये हैं और बहुत सारे ऐसे हैं, उनको सौभाग्य सदन के सदस्य के रूप मे नही मिल पाया। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, जब वर्ष 2012 का निर्वाचन होगा, तो सम्भव है कि बहुत सारे सदस्य हमारे, जो तीसरी विधान सभा निर्वाचित होगी, मौजूद नहीं होंगे।

निश्चित रूप से क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो जानवर को देखते हैं, जानवर भी किसी एक घर पर या किसी इंसान के साथ कुछ क्षण रह जाता है और कभी उसको जुदा होना होता है तो उसके व्यवहार से लगता है कि वो किसी को खोज रहा है। हम लोग तो निश्चित रूप से पाँच साल इस सदन के सदस्य के रूप में, पाँच साल जीवन के मैं सोचता हूँ कि कम नहीं होते। आज के कलयुग में ऐवरेज लगा लो 65 साल या 70 साल लगा लो और उसमें जीवन के पाँच साल एक साथ रहे हों, हमने हँसी मजाक की होगी, आपस में नाराजगी व्यक्त की होगी। यह सदन हमारा परिवार है, जिस तरह हम अपने परिवार मे रहते हैं, कभी हम अपने गार्जियन से नाराज हो जाते हैं, कभी अपने भाई से नाराज हो जाते हैं और कभी बहन से झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसका यह मतलब नही होता है कि बहन का झगड़ा भाई से हो गया तो भाई के मन में

बहन के प्रति कोई दुर्भावना आ गयी या बहन के मन में भाइ के लिए या भाई के मन में बहन के लिए कोई दुर्भावना आ गयी हो, यह अपनापन, अपनापन होता है। हमारा यह परिवार है, इस परिवार में हमने 70 सदस्यों के रूप में कार्य किया है, सदन के कर्मचारियों ने भी काम किया, पत्रकार दीर्घा मे बैठे पत्रकारगण, वे भी एक तरह से हमारे परिवार के सदस्य के रूप मे हमारी हॅसी मजाक को बातचीत को देखते रहे और निश्चित रूप से आज कहते हुए दुःख भी हो रहा है और मन भर रहा है, लेकिन यह जीवन की सच्चाई है।

जिस तरह से जन्म एक कड़वी सच्चाई नही है, लेकिन मृत्यु कड़वी सच्चाई है। मान्यवर, इस सदन के सदस्य के रूप मे जाना एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हमेशा कोई सदन का सदस्य नहीं रहेगा, कल कोई सांसद होगा, तब भी सदस्य नहीं रहेगा, कोई दूसरी रूप में होगा, तब भी सदस्य नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे छोटे भाई श्री गोपाल की भी मुझे चिन्ता है और मेरा छोटा भाई इतना सक्षम है, बहादुर है और उसकी बहादुरी हमको बार–बार देखने को मिली है, तो मैं इस सदन के सभी सदस्यों के सुखी जीवन की कामना करता हूँ, आप सबकी लम्बी आयु की कामना करता हूँ, इसमें हमारे कर्मचारियों ने सहयोग दिया इन 5 सालों में उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, पत्रकार दीर्घा में पत्रकार भाईयों ने जो हमको सहयोग दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री मण्डल के तमाम सदस्यों के प्रति मैं विशेष करके संसदीय कार्य मंत्री..............................।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, आप एक संशोधन कर लें, आपने कहा कि हमारे कुछ भाई नहीं आ पायेंगे तो आप यह कहें कि सभी आयेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने कहा है कि जीवन कड़वी सच्चाई नही है, लेकिन मृत्यु कड़वी सच्चाई है, हो सकता है कि कल आप राज्य सभा में चले जायें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप दोनों साढू भाई की नजर कुर्सी पर है और आप उनको राज्य सभा मे भेज रहे है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये तो हम दोनों भाईयो का समझौता है कि जब कॉग्रेस की सरकार आई तो मैं मंत्री था और अब मैं यहॉ आ गया हूँ तो आप मंत्री हो गये हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, यदि इनको राज्य सभा में भेजना है तो इसका मतलब सरकार तो हमारी ही आनी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हो सकता है कि मैं ही भेज दूँ, ये तो पुराने कॉग्रेसी है। मान्यवर, मैं अभी लॉबी मे सुना रहा था कि जब मैं माननीय कण्डारी जी की

दुकान में सुबह स्कूटर से गया तो मैंने माननीय कण्डारी जी से कहा कि आप बी0जे0पी0 में आ जाओ तो उन्होंने कहा कि बी0जे0पी0 में क्यों आऊँ, क्या मुसलमानो को हिन्द महासागर में डुबो देंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप यह बतायें कि आप झूठ बोलना कब से सीखे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सच है और ठीक है कि वे बी0जे0पी0 वाले हैं, पक्का भगवा हैं, बोलना भी चाहिए, मैं जब वहाँ था तो मैं भी कहता था, अब मैं धर्मनिपेक्ष हो गया हूँ।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, आप धर्मनिर्पेक्ष नहीं हुये है, आपने धर्म निर्पेक्षता ओढ ली है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने मंत्रिमण्डल के तमाम सहयोगियों को, जिन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलजुलकर काम किया है। मैं आज उस विषय पर नही जाना चाहता हूँ कि कोई काम हुआ ही नहीं। मान्यवर, मैं हमेशा माननीय प्रकाश पन्त जी को कहता था कि आप हँसते हुए अच्छे लगते हो, कुछ लोगो का चेहरा होता है, जिनका चेहरा हँसते हुए ही अच्छा लगता है। क्योंकि पन्त जी वैसे ही एक तो गोरे हैं और जब वे गुस्से में होते थे तो उनका चेहरा लाल लगता था जैसे सूर्य भगवान में कोई अंगारा हो। मैंने हमेशा कोशिश की कि आपको गुस्सा न आये। मान्यवर, वैसे भी गुस्सा तो राजपूतों को आता है, यह पण्डितो को नहीं आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने संसदीय कार्य मंत्री का हृदय से बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही निःस्वार्थपूर्ण भावना से, और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किया है और बहुत ही सहयोगपूर्ण ढंग से अपने कार्य को अंजाम दिया है, इसके लिए मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा आभार मैं आपका व्यक्त करना चाहता हूँ। हमने आप से नाराजगी भी व्यक्त की और जिस खूबी के साथ आपने सदन को चलाया है, इसमें आपका जो मार्ग दर्शन मिला है। हमेशा हमने अपने अधिकारों के लिए आपसे कभी जिद भी की है, लेकिन इस सबके बावजूद भी आपके प्रति मेरे पास शब्द नही हैं कि मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ। मैं आज इस विदाई के अवसर पर जो भी मेरी भावनाएं हैं, उनकी गहराई से गहराई तक आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, इन पॉच सालों में आपका मार्ग दर्शन हमें मिला है, बहुत सारी नजीरें प्रदेश हित में इस पॉच साल

के कार्यकाल में आपने दी हैं। मान्यवर, हम सब को खेल की भावना से कार्य करना चाहिए। हम एक–दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे खिलाफ माननीय भारत सिंह रावत जी वर्ष 2002 और 2007 में चुनाव लड़े, लेकिन जब मेरे जीवन मे सबसे ज्यादा दुःख का समय था तो माननीय भारत सिंह रावत जी मेरे घर पर आये और हमेशा मेरा साथ दिया और जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मे गया हूँ, चूँकि वे उम्र मे मुझसे बड़े हैं, मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। मान्यवर, जब मैं 1991 मे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता था तो माननीय चौहाण जी मेरे मामा लगते थे तो मैं हमेशा उनके चरण स्पर्श करके चुनाव नामांकन करने जाता था।

मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा छोटा सा प्रदेश है और बहुत संघर्ष के बाद हमने इस प्रदेश को बनाया है। हम सब एक परिवार के सदस्य है, चाहे हम चुनाव किसी के खिलाफ लड़ते हों, मंचों पर एक–दूसरे के खिलाफ भाषण बाजी करें, लेकिन जब हम आपस में मिलें तो सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलें। हमारा कोई खेती–बाड़ी का झगड़ा नहीं है, हमारे आपसी सम्बन्ध अच्छे रहने चाहिए। मान्यवर, नेता विरोधी दल के रूप मे हमने कई बार माननीय मंत्रियों और माननीय सदस्यों पर कोई टिप्पणी की हो और अगर मेरे शब्दो से कोई आहत हुआ हो, मैं दिल से उनसे क्षमा याचना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे माफ करेंगे और अगर जीवन में किसी मोड़ पर अपने भाई की यदि आपको कोई जरूरत पड़े तो सार्वजनिक रूप से आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ रहूँगा। मैंने आपके साथ पाँच साल कार्य किया है, वे पाँच साल हमेशा मेरे जीवन के इतिहास मे हमारे मानस पटल पर अंकित रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को और सभी कर्मचारियों को, जो हमारे तमाम कर्मचारी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2011 के द्वितीय सत्र के समापन का आज अवसर है। श्रीमन्, विगत 5 वर्षों से हम सब लोग इस सदन में उपस्थित रहे और कई खट्टी मीठी यादें हम सब लोगों के बीच में रही। विशेष तौर पर सम्पूर्ण सदन आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेगा कि आपने कई बार इस सदन की गरिमा को बचाया है और विशेष तौर पर चूँकि मेरा तो यह सौभाग्य है कि इस विधान मण्डल के अन्दर छोटी से बड़ी चीज तक इसमें मेरी यादें जुड़ी है। श्रीमन् जब उत्तराखण्ड विधान सभा बन रही थी और 9 नवम्बर, 2000 को हमारे राज्य की स्थापना हुई और उसके पश्चात् 12 जनवरी, 2001 को जब पहली बार हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे तो हम सब लोगो के मन मे यह संशय था कि हम संसदीय प्रणाली के 800 वर्षों के गरिमामय इतिहास के ध्वजवाहक है और हम सब लोगो का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि हम भारत के संविधान की गरिमा रखें, हम संसदीय प्रणाली की प्रक्रिया और मान्यताओं को

बरकरार रखें। हम उन गौरवशाली परम्पराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और उसके साथ–साथ इस उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना केय उन क्रान्तिवीरों के सपनों को साकार करने में तथा इस उत्तराखण्ड के सभी बाल, वृद्ध, नर, नारियों की आशाओं को पूरा करने का प्रयास करें।

मैं चश्मदीद गवाह हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, इस विधान सभा के एक–एक क्षण का, श्रीमन्, यहाँ पर जितने भी माननीय सदस्य आए, सबके अन्दर उत्कट इच्छा रही है कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करें। श्रीमन्, मैं विशेष तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हर परिस्थिति में एक बेहतर मार्ग दर्शन इस सदन को प्रदान किया है, चूँकि जहाँ प्रयास किया गया कि प्रश्नकाल चल सके तो यह आपके ही सद्प्रयासों के कारण सफल हो सका। नियम–310 को प्रश्नकाल छोड़कर लगाने की परम्परा आपने डाली। आपने माननीय सदस्यों के लिए भी अवसर दिया कि यदि उनकी कोई परेशानी, कोई व्यक्तिगत समस्या है, जिसको वह संसदीय प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के किसी नियम के दायरे में नहीं ला सकते, तो आप ही के दिशा निर्देशन में हमने नियमावली में नियम–310 का दूसरा पार्ट सम्मिलित किया। इसमें माननीय विधायकों की भी अपनी पीड़ा सम्मिलित हो गयी। श्रीमन्, यह विधान सभा एक गरिमामय स्थान हासिल कर सके, ऐसा प्रयास आपके कुशल दिशा निर्देशन में हुआ है। मैं इस सदन की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

विशेष तौर पर नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री मेजर जनरल खण्डूड़ी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मुझे जब पहली बार आपके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मैंने एक–आध जगह कहा भी कि आपका स्वभाव उस नारियल के समान है जो बाहर से कड़क दिखता है और अन्दर से नर्म और मन को शान्ति पहुँचाने वाला होता है। जब मैंने आपको नजदीक से देखा, जब पहली बार मुझे सौभाग्य मिला कि मैं मंत्री के रूप में दायित्व का निर्वहन करूँ, तो मैंने महसूस किया कि आपके अन्दर उस अन्तिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने की प्रबल इच्छा है और उसके लिए आप हर सम्भव, हर क्षण प्रयत्न करने के लिए सबको निर्देशित करते रहते हैं, मार्ग निर्देशित करते रहते हैं और आपके कुशल नेतृत्व में इन 5 वर्षों में हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किये हैं और प्रयास किया है कि अन्तिम व्यक्ति तक विकास पहुँच सके। नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमने एक ऐसे जुझारू नेता को देखा है और मैंने तो महसूस किया कि उनकी वाणी का ओज, चीजों का प्रस्तुतीकरण, विषय को बेहतर तरीके से रखने का सामंजस्य और वह धाराप्रवाह बोलने की कला, श्रीमन्, इसके लिये यह सदन आपको सदा याद रखेगा।

यहाँ पर हमारे नेता बसपा, नेता यू0के0डी0 और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सदस्य, क्योंकि आपमें से कई सदस्य राज्य की स्थापना काल से ही इस सदन के सदस्य रहे हैं, आपके इस सदन में अभूतपूर्व गरिमा को बनाये रखने में योगदान देने के लिये मैं हृदय से नमन करना चाहता हूँ। मान्यवर, क्योंकि हम सब 800

वर्ष पुरानी उस संसदीय प्रक्रिया के ध्वज वाहक हैं और उन परम्पराओं को बनाये रखने में हम सब कामयाब रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ फीका हो जायेगा, यदि मैं विधान सभा सचिवालय के और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त न करूँ, क्योंकि पर्दे के पीछे से, जिस तरीके से रात-रात भर जगकर इस सदन को बेहतर तरीके से संचालन का कार्य करते हैं। इन सभी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि यह प्रक्रियायें अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहें और हमरे राज्य का उदाहरण पूरे देश में दिया जाय कि उत्तराखण्ड की विधान सभा एक बेहतरीन विधान सभा के रूप में काम कर रही ह, इसके साथ ही मैं आप सभी का हृदय से नमन करना चाहता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0-

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सत्र इस विधान सभा में अन्तिम सत्र होगा, जब हम लोग मिलेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी अपनी शुभकामनाओं के साथ-साथ आने वाले चुनावों के लिये भी शुभकामनायें दी हैं, इस परिप्रेक्ष्य में कि यह सम्भवतः आखिरी सत्र है, मैं भी सभी लोगों को अपनी शुभकामनायें देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सार्वजनिक जीवन तो वर्ष, 1991 से शुरू हुआ था, लेकिन विधान सभा में मेरा यह पहला अनुभव है, इससे पहले मैं चार दफे लोक सभा में रहा और लोक सभा की कार्य शैली और यहाँ की कार्य शैली में थोड़ा-बहुत अन्तर है। जो अनुभव मुझे यहाँ पर हुआ है, वह लोक सभा से अलग है और भी कई चीजों में यहाँ की कार्य शैली अलग है, इसका भी मुझे अनुभव हुआ है, जो कि मेरे लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही प्रदेश में, खासकर जो हमारा छोटा प्रदेश है, उसमें मुझे जो कार्य करने का अनुभव हुआ है, हमारे विधायकों से सम्पर्क करके, क्षेत्रों में जो छोटी-छोटी समस्यायें होती हैं, उनकी भी जानकारी और अनुभव हुआ, जो मेरे लिये पाँच सालों में सीखने की भी एक प्रक्रिया रही।

सभी विधायकगणों को, जो आज यहाँ पर उपस्थित ह और जो उपस्थित नहीं हैं, उनको भी मैं अपनी शुभकामनायें देता हूँ। चुनावों की रणभेरी एक तरह से बज चुकी है और हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे, मैं सबको शुभकामनायें देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन सभी लोगों को सफलता दे, जो उत्तराखण्ड के हित में अपने स्वार्थ को पीछे रखकर जनता के हित में कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं और उनके अन्दर इस प्रकार की भावना है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश को गठित हुये 10-11 साल हो गये हैं, फिर भी उत्तराखण्ड की समस्यायें, जिस प्रकार से हमने आन्दोलन में एक सपना देखा था। अब संयोगवश कहिये या सौभाग्यवश कहिये, मुझे इस आन्दोलन में वर्ष, 1991 से भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नजदीक से मैंने इस आन्दोलन को

देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तरांचल संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभव तब से अब तक मुझे है और इसलिए मेरे मन मे बहुत शक्तिशाली भावना जाग्रत हुई है कि उत्तराखण्ड के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना है।

आन्दोलन के समय में बड़ी आशाओ और अपेक्षाओं से लोगों ने काम किया। हरक सिंह जी ने कुछ उसकी चर्चा की है, लेकिन हम सब को व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आन्दोलन एक तरफ तो शन्तिपूर्ण था और दूसरी तरफ बहुत तेजी वाला भी था। मुझे याद है जब 02 सितम्बर, 94 को हरक सिंह को और मेरे साथियों को अच्छे से याद होगा, जब पौड़ी में मीटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा जनसैलाब था। मीटिंग जब खत्म हो रही थी, तब खटीमा से सूचना आयी कि खटीमा मे गोलीकाण्ड हो गया, अफरा–तफरी मे सब लोग वापस गये। अगले दिन मसूरी का गोलीकाण्ड हुआ। मुजफ्फरनगर काण्ड हम लोगो ने देखा तो मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि हम लोगों को इन सब बातो को याद रखना चाहिए। उत्तराखण्ड किसलिए बना है, उन सब बातों को ध्यान मे रखकर हर एक जो जनसेवक है, चाहे वो गॉव का हो या लोकसभा का हो, लेकिन हम सब लोगो का विधान सभा में विशेष दायित्व है कि हमें अपने–अपने विधान सभाओं के बारे में बहुत जिम्मेदारी भी और अधिकार भी हैं और इसलिए मैं आप सबको शुभकामना देने के साथ–साथ यह अपेक्षा करता हूँ कि हम अपनी–अपनी विधान सभाओं को अच्छा बनाएं, मजबूत करे, लोगो की सेवा करे।

किसी भी पार्टी का सदस्य है, वो अगर अपनी विधान सभा को, 70 विधान सभाओ को ठीक करे अपने–अपने तरीके से, किसी भी पार्टी का हो, अच्छा बना दे तो अंततोगत्वा वो प्रदेश का भला होगा। क्योंकि किसी जगह पर बी0जे0पी0 का प्रतिनिधि नहीं है और उसका विकास नहीं होगा तो यह कोई अच्छी सेवा नहीं है और इसलिए चाहे पक्ष में हों, विपक्ष में हों, हमारे पास जो भी अधिकार हैं, उनका सदुपयोग करके हमको पूरे उत्तराखण्ड की चिन्ता करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए। खासकर यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी हैं, बहुत सारे युवा लोग हैं। उन्होने लम्बे समय तक इस प्रदेश के हित को, इस प्रदेश की भलाई को देखना है, इस प्रदेश का भविष्य देखना है। मेरे जैसे उम्र के लोग तो थोड़े समय रहेंगे और इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि भविष्य का उत्तराखण्ड आप कैसा चाहते है, उसके लिए आपको काम करना है। वैसे आज यहाँ पर ज्यादा भाषण देना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मै अपनी भावनाओ को आपके सामने रख रहा हूँ। हम जाएगे, जैसा हरक सिंह जी ने कहा कि अपनी–अपनी राजनीति पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन घूम फिर कर सब बात यही आये कि हम लोगों के हित की बात कर रहे है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं आपने हित की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं एम0एल0ए0 बन जाऊँगा, फिर मौज करूँगा। सब जनता को अपना वादा देते है, वचन देते हैं, जब हम विधायक चुन कर आते हैं तो उन बातो को हमे याद रखना चाहिए।

उत्तराखण्ड के लिए मैं बार–बार सब जगह कहता हूँ, यह बहुत महत्व का है कि हमारा छोटा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, विकास नहीं हुआ है और मैदानी प्रदेशों में दूसरे किस्म की समस्या है। जब तक उन समस्याओं का समाधान करें किसी एक स्थिति पर नहीं आएंगे, जब हम कह सकें कि उत्तरांचल अच्छा प्रदेश है और धीरे–धीरे हम यह कह सकें कि उत्तराखण्ड भारत वर्ष का सबसे अच्छा प्रदेश है। इसकी सम्भावनाएं हैं, इतनी ज्यादा प्राकृतिक सम्पदा कहीं किसी विश्व में नहीं है। इतने छोटे से भूखण्ड में प्रकृति ने इतनी ज्यादा हम लोगों पर कृपा की है दुनिया में आप कहीं से देख लीजिए, नहीं है। कौन सी चीज है, जो हमारे पास नहीं है, कौन से ऐसे संसाधन हैं जो हमारे पास नहीं हैं। उनका सदुपयोग करना है और उनका जनता के हित में काम करना है। ये हम सब का काम है और इसलिए मैं इस भावना को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि चुनाव में भी जब हम जाते हैं, उसकी बात करें, चर्चा करें।

सभी चाहते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे साथी जीतें। लेकिन उससे ऊपर चुनाव के अलावा जब हम बात करते हैं, जब हम सदन में आ जाते हैं, हमको पूरा उत्तराखण्ड का हित देखना चाहिए। छोटे–छोटे हितों में नहीं उलझना चाहिए। यह मैं आपसे सदन को नेता होने के नाते आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इस प्रकार सब लोग हम सब लोग सोचेंगे तो उत्तराखण्ड का भविष्य उज्जवल होगा, उत्तराखण्ड का भविष्य अच्छा होगा तो हम सब लोगों का भविष्य अच्छा होगा। उत्तराखण्ड का हित नहीं होगा तो आप और हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति सुखी नहीं होगा, जब तक प्रदेश अच्छा नहीं है, सम्पन्न नहीं है, विकसित नहीं है और ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम अच्छा काम करेंगे। मैं अध्यक्ष जी, आपका विशेष आभार व्यक्त करते हुए सभी जो दल के नेता हैं, हरक सिंह जी के बारे में अभी प्रकाश पंत जी ने भी कहा, उनको मेरा संयोगवश कहिए या सौभाग्यवश कहिए, जब से मैं राजनीति में हूँ और आज उन्होंने एक बात नहीं की, बार–बार कहते हैं कि मेरी माता जी उनको ज्यादा अच्छा मानती थी और मुझको कम अच्छा मानती थी। वे अक्सर ये कहते हैं और वास्तविकता भी है इन्होंने मेरे और माँ के बीच में काफी झगड़ा पैदा किया हुआ है, लेकिन हैं बहुत मेरे प्रिय। आशीर्वाद तो इनको मेरा हमेशा है। इनको आशिर्वाद है और इनमें जो बहुत सारा जोश है, उसके साथ होश भी इनको थोड़ा रहे तो अच्छी बात है।

माननीय शहजाद जी, आपका और आपकी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमेशा आपका सहयोग मुझे मिला है। यू0के0डी0 के हमारे साथी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विधायकों का आभार व्यक्त करता हूँ। हालाँकि मेरे अन्दर बहुत सारी कमियाँ हैं। अभी हरक सिंह जी ने कहा इधर से हँसता हुआ चेहरा नजर आता है और इधर से देखो तो रोता हुआ चेहरा नजर आता है, क्या करूँ, मेरी प्रवृत्ति है, मैं अपने चेहरे को बदल नहीं सकता। लेकिन जो भी जैसा भी है, आपने मुझे समर्थन दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सबको व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूँ, सचिवालय के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ व अपनी बात समाप्त करता हूँ और सबको शुभकामनायें देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे सचिवालय के अधिकारीगण प्रमुख सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, सभी रिपोर्टर और सभी अधिकारीगण–कर्मचारीगण, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जिस निष्ठा से, जिस विश्वास से आप लोगों ने पूरे पाँच वर्षों तक जो सहयोग प्रदान किया है, निश्चित रूप से नया अनुभव था, नया काम था और मैंने अपनी ओर से प्रयास किया कि पूरी निष्पक्षता से अपने कार्य का संचालन कर सकूँ। इस दौरान हो सकता है मैं महसूस भी करता हूँ कि ऐसे विषय भी हमारे सामने आये, जहाँ पर कठिनाई भी उत्पन्न हुई, आप लोगों को नाराजगी भी हुई, यह स्वभाविक है। मेरा विश्वास मानियें कि कभी भी मेरे मन में यह बात नहीं आयी कि किस पक्ष का साथ देना है, किस पक्ष का साथ नहीं देना है, मैंने पूरी निष्पक्षता का प्रयास किया है।

मैंने विशेष रूप से देखा है कि हमारी संसदीय प्रणाली का भविष्य उज्वल है। जो हमारे माननीय नये सदस्य हैं, उनके अन्दर जो प्रतिभा है, उनके अन्दर अपनी बात कहने की जो क्षमता है, वह अपने आप में अनूठी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का और लोकतंत्र का भविष्य उज्वल है। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक दूसरे को समझ कर बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं को निभाने का प्रयास करें। अन्त में, मैं एक बार फिर से तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय सदस्यों का, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का, रिपोर्टर्स का और जो यहाँ मौजूद नहीं, परन्तु अपने–अपने कक्षों में हैं और अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उनका भी। जब भी सदन चलता है, रात के 12–12 बजे तक, एक–एक बजे तक उनको काम करना पड़ता है, वह पूरे मन से अपने काम को करते हैं। इसके साथ–साथ जो हमारे सरकार के भी अधिकारी हैं, उनका भी समय–समय पर जब भी सहयोग की आवश्यकता होती है, उनका पूरा सहयोग मिला है। अन्त में एक बार फिर सबको हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो चुनाव में आगे आयेगा, वह विजयी होकर आये। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य विधाता।।

पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मॉंगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

('राष्ट्रगान' के उपरान्त सदन की कार्यवाही रात्रि 10 बजकर 21 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

डी0पी0 गैरोला,

देहरादून, प्रमुख सचिव,

दिनांक :–01 नवम्बर, 2011। विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 विधान सभा/644–06–03–2013–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।